रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26022020-216412
CG-DL-E-26022020-216412

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 54] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 21, 2020/फाल्गुन 2, 1941
No. 54] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 21, 2020/PHALGUNA 2, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(व्यपार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2020

अंतिम जांच परिणाम

विषयः चीन जन. गण., वियतनाम और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एल्युमीनियम और जिंक कोटेड फ्लैट उत्पादों" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच – अंतिम जांच परिणाम।

क. मामले की पृष्ठभूमि

फा. सं. 6/4/2019-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमाप्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे बाद में अधिनियम कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमाप्रशुल्क (पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की जांच, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां "नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

1. मैसर्स जे. एस. डब्ल्यू स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स लिमिटेड (जिसे यहां आगे "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग"अथवा "डीआई"भी कहा गया है) ने चीन जन. गण., वियतनाम और कोरिया गणराज्य (जिन्हें यहां "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एल्युमीनियम और जिंक कोटेड फ्लैट उत्पाद" (जिसे यहां आगे "संबद्ध सामान" भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए समय-समय पर यथासंशोधित सीमाप्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे बाद में "अधिनियम" कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमाप्रशुल्क (पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की जांच, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन पत्र दायर किया था।

2. प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने के लिए तथा पाटनरोधी शुल्क जो यदि लगाया जाता है और घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा, की राशि की सिफारिश करने के लिए नियमावली के नियम 5 के अनुसार संबद्ध जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित 02 अप्रैल, 2019 की अधिसूचना संख्या 6/4/2019-डीजीटीआर द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

3. प्राधिकारी ने की गई प्राथमिक जांच के आधार पर चीन जन. गण., वियतनाम और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों, जो सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अध्याय 72 के शीर्ष 7210, 7212, 7225 और 7226 के तहत आते हैं, के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हुए 15 जुलाई, 2019 की अधिसूचना संख्या 6/4/2019-डीजीटीआर द्वारा अपने प्राथमिक जांच परिणाम जारी किए। अनंतिम पाटनरोधी शुल्क वित्त मंत्रालय द्वारा अपनी अधिसूचना की तारीख से 6 माह की अवधि के लिए 15 अक्तूबर, 2019 की अधिसूचना संख्या 40/2019-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा अधिसूचित किए गए हैं।

ख. प्रक्रिया

4. प्राधिकारी द्वारा विषयगत जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

क. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 5 के उपनियम (5) के अनुसार जांच की कार्यवाही की शुरूआत करने से पहले पाटनरोधी आवेदन पत्र प्राप्त होने के संबंध में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।

ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित 02 अप्रैल, 2019 की एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ग. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग और अन्य घरेलू उत्पादकों को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार जांच की शुरूआत की अधिसूचना की प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार दें।

घ. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार भारत में संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा दूतावास को आवेदन पत्र के अगोपनीय रुपांतर की प्रति उपलब्ध कराई।

ङ. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने-अपने देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर दें। संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पतों के साथ उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रति भी भेजी गई थी।

च. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजीं:

<u>चीन जन. गण.</u>

1. बोस्टील आयरन एंड स्टील कं. लि.
2. बेंक्सी (बेंगांग) स्टील्स प्लेट्स कं. लि.
3. अंगाग स्टील कंपनी लिमिटेड
4. बीएक्स स्टील पोस्को कोल्ड रोल्ड शीट कं. लि.
5. जियांगिन जोंगचेंग स्टील कं. लि.
6. शंघाई मैषान आयरन एंड स्टील कं. लि.
7. यूनियन स्टील चाइना कं. लि.
8. यिहीफुई (चाइना) टेक्नोमैटेरियल कं. लि.

<u>वियतनाम</u>

1. नाम किम स्टील
2. हाओसेन ग्रुप
3. मरूचि सन स्टील ज्वाइंट स्टॉक कंपनी

<u>कोरिया गणराज्य</u>

1. डोंगकुक स्टील मिल कं.
2. पोस्को कोटेड एंड कलर स्टील कं. लि.
3. दोंगबु स्टील कं. लि. सिओल स्क्वायर बिल्डि.

छ. उत्तर में संबद्ध देशों के निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने निर्धारित प्रपत्र में निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए:

1. मैसर्स झेजियांग होडा न्यू मैटेरियल्स कं. लि., चीन जन. गण. (झेजियांग)
2. मैसर्स शंघाई शिजिंग इंटरनेशनल ट्रेडिंगकं. लि., चीन जन. गण. (शंघाई शिजिंग)
3. मैसर्स पोस्को एशिया कंपनी लि., चीन जन. गण.
4. मैसर्स टे नाम स्टील मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कं. लि., वियतनाम (तेय नाम)
5. मैसर्स वीना वन स्टील मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन, वियतनाम (वीना वन)
6. मैसर्स हाओसेन ग्रुप जेएससी (एचएसजी), वियतनाम (एचएसजी)
7. मैसर्स हाओसेंघे एन वन मेंबर एलएलसी (एचएसएनए), वियतनाम (एचएसएनए)
8. मैसर्स टोन डोंग ए कारपोरेशन, वियतनाम (टोन डोंग)
9. मैसर्स मरूबेनी-इटोचू स्टील पीटीई. लि., वियतनाम
10. मैसर्स पोस्को, कोरिया गणराज्य

11. मैसर्स पोस्कोकोटेड एंड कलर, कोरिया गणराज्य (पोस्को सीएंडसी)

12. मैसर्स डोंगबुस्टीलएंड इंचियोन, कोरिया गणराज्य (डोंगबु)

13. मैसर्स डोंगकुकस्टीलमिलकं. लि., कोरिया गणराज्य (डोंगकुक)

14. मैसर्स जीएस ग्लोबल कारपो., कोरिया गणराज्य

15. मैसर्स पोस्कोसैमसंग सीएंडटी कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य

16. मैसर्स पोस्को इंटरनेशनल कारपोरेशन(पूर्व में पोस्कोदेवूकारपोरेशनके रूप में ज्ञात),कोरिया गणराज्य

17. मैसर्स ह्योसंग टीएनसीकारपोरेशन, कोरिया गणराज्य

18. मैसर्स नाम किमस्टील (वियतनाम) (नाम किम)

19. मैसर्स स्टिंको कं. लि.,कोरिया गणराज्य

ज. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाते हुए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावली भेजीः

1. अभय इस्पात प्रा. लिमिटेड

2. एजेएस इम्पैक्स प्रा.लिमिटेड

3. अमर इम्पैक्स

4. अरिस्टम एजेंसी प्रा.लिमिटेड

5. कलर शाइन कोटेड प्रा.लिमिटेड

6. डोंगकुक स्टील इंडिया प्रा.लिमिटेड

7. गैंग्स इंटरनेशनल प्रा. लि.

8. गोपानी आयरन एंड पावर इंडिया प्रा.लिमिटेड

9. जय हिन्द ट्रेडर्स

10. जे. के.स्टील कारपोरेशन

11. जेनिल स्टील प्रा.लिमिटेड

12. जेटीएल इंफ्रालिमिटेड

13. ला टिम सोरिसंग इंडिया प्रा.लिमिटेड

14. मनकसिया स्टील्स लिमिटेड

15. प्रभाव ग्लोबर कलर कोटेड प्रा.लिमिटेड

16. स्कीनीदर इलैक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

17. स्टैंडर्ड रिटेल प्रा.लिमिटेड

झ. उत्तर में निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने उत्तर दिया और आयातक की प्रश्नावली के उत्तर/कानूनी अनुरोध दायर किए हैं:

1. मैसर्स जयहिंद ट्रेडर्स (आयातक)
2. मैसर्स एक्मी क्लीनटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड (आयातक)
3. मैसर्स पोस्कोआईपीपीसी (आयातक)
4. मैसर्स पोस्कोआईसीपीसी (आयातक)
5. मैसर्स पोस्कोआईडीपीसी (आयातक)
6. मैसर्स पोस्कोआईएपीसी (आयातक)
7. मैसर्स एसएनएसकारपोरेशन (प्रयोक्ता)
8. मैसर्स पुरूषोत्तम प्रोफाइल्सप्रा. लि. (प्रयोक्ता)
9. मैसर्स विजयश्रीस्टीलइंडस्ट्रीज (प्रयोक्ता)
10. मैसर्स एमप्लस केएन वन पावर प्रा. लि. (प्रयोक्ता)
11. मैसर्स अल्ट्रा इंजीनियर्स (प्रयोक्ता)
12. मैसर्स लाटिम सोर्सिंग (इंडिया)प्रा. लि. (प्रयोक्ता)
13. मैसर्स कलरशाइन कोटेड प्राइवेटलिमिटेड (प्रयोक्ता)
14. मैसर्स रिन्यू पावरलिमिटेड (प्रयोक्ता)
15. मैसर्स एल्सटॉम ट्रांसपोर्ट इंडिया लि. (प्रयोक्ता)
16. सोलर पावर डेवलेवर एसोसिएशन (प्रयोक्ता)
17. मैसर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा लि. (आयातक)
18. मैसर्स स्टैंडर्ड रिटेलप्रा. लि. (आयातक)
19. मैसर्स मरेसो पीटीई. लि., सिंगापुर (निर्यातक)
20. मैसर्स अवादा एनर्जी प्रा. लि.(आयातक)
21. मैसर्स तुरखिया इंटरनेशनलप्रा. लि.(आयातक)
22. मैसर्स मरेसो पीटीई. लि. (सिंगापुर)
23. मैसर्स जीसीएल सिस्टम इंटीग्रेशन टेक.प्रा. लि.(आयातक)
24. मैसर्स पोस्को इंडिया होल्डिंग्स (आयातक)
25. मैसर्स स्कीनीदर इलैक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर लि. (आयातक)
26. मैसर्स हीरो सोलर एनर्जी प्रा. लि. (प्रयोक्ताऔरआयातक)
27. मैसर्स अदानी ग्रीन एनर्जी लि. (प्रयोक्ता)
28. मैसर्स ट्रिकोलाइट इलैक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज लि. (प्रयोक्ता)
29. मैसर्स इसुजू मोटर इंडिया प्रा.लि. (प्रयोक्ता)

30. मैसर्स अभय इस्पात (इंडिया) प्रा. लि. (आयातक)

31. मैसर्स नील मेटल प्रोडक्ट्स लि. (प्रयोक्ता)

32. मैसर्स सोलर पावर डेवलेपर्स एसोसिएशन (प्रयोक्ता)

33. मैसर्स एमप्लस एनर्जी सॉल्यूशनप्रा. लि. (प्रयोक्ता)

34. मैसर्स स्टरलिंग विल्सन सोलर पावर प्रा. लि. (प्रयोक्ता)

35. मैसर्स जेबीएम ऑटो लि. (प्रयोक्ता)

36. मैसर्स महिंद्रा इंट्रेड लि. (प्रयोक्ता)

37. मैसर्स फॉर्मिंग इंडिया प्रा. लि. (प्रयोक्ता)

38. मैसर्स मनकसियास्टीललि. (आयातक)

39. नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया (प्रयोक्ता)

40. मैसर्स पोलमरस्टीलप्रा. लि. (प्रयोक्ता)

41. मैसर्स एचओए फाटस्टीलशीट कं. लि., वियतनाम (निर्यातक)

42. मैसर्स केटीके ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट (इंडिया) प्रा. लि.

43. मैसर्स इसुजू मोटर्स इंडिया प्राइवेटलिमिटेड

44. ट्रेड रेमिडीज अथॉरिटी ऑफ वियतनाम, उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय, वियतनाम

45. मैसर्स सोलर पावर डेवलेपर्स एसोसिएशन

46. एमएंडबी इंजीनियरिंग लि., अहमदाबाद

47. कोरिया गणराज्य का दूतावास, नई दिल्ली

48. विदेशी कार्य मंत्रालय, कोरिया गणराज्य

ञ. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले में रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य/अनुरोधों का अगोपनीय रुपांतर उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में ध्यान दिया गया है।

ट. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था कि वे पिछले तीन वर्षों तथा जांच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयातों के लेन-देनवार ब्यौरे उपलब्ध कराएं जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गए थे। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा का परिकलन करने और लेन-देनों की उचित जांच करने के बाद उसके विश्लेषण के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर विश्वास किया है।

ठ. सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) औ रनियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत और निर्माण एवं बिक्री लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

ड. आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना के स्थल सत्यापन के माध्यम से आवश्यक समझी गई सीमा तक प्राधिकारी द्वारा भौतिक निरीक्षण किया गया था।केवल आवश्यक संशोधन के साथ सत्यापित सूचना, जहां भी लागू थी, पर अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजन के लिए विश्वास किया गया है।

ढ. वर्तमानपाटनरोधी जांच, के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अक्तूबर, 2017 – 30 सितंबर, 2018 (12 माह) है।तथापि, जांच की अवधि अप्रैल, 2015 – मार्च, 2016, अप्रैल, 2016 – मार्च, 2017, अप्रैल, 2017 – मार्च, 2018 तथा जांच की अवधि मानी गई है।

ण. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को 15 जुलाई, 2019 को प्राथमिक जांच परिणाम अधिसूचित किए। प्राथमिक जांच परिणामों में रिकार्ड किए गए अनुसार प्राधिकारी ने उन पर टिप्पणियां मांगीं और प्राथमिक निर्धारण के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के विचारों को ध्यान में रखा गया है तथा अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजन के लिए उन्हें यथासंभव हल किया गया है।

त. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को 30 जुलाई, 2019 को आयोजित सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार देने का अवसर भी प्रदान किया। उसके बाद, दूसरी सार्वजनिक सुनवाई निर्दिष्ट प्राधिकारी बदल जाने की दृष्टि से 4 दिसंबर, 2019 को हुई थी जिसमें विभिन्न पक्षकारों ने भाग लिया था। मौखिक सुनवाई में भाग लेने वाले सभी पक्षकारों को लिखित अनुरोध दायर करने और उसके बाद, यदि कोई प्रत्युत्तर है, तो उसे दायर करने का अवसर प्रदान किया गया था।

थ. जांच प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और संगत माने गए अनुरोधों की वर्तमान जांच के साक्ष्य के साथ समर्थित हद तक जांच की गई है और इस अंतिम जांच परिणाम में उन्हें हल किया गया है।

द. जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने सूचना देने से इंकार किया है अथवा अन्यथा वर्तमान जांच प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना नहीं दी है अथवा जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी माना है तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इन अंतिम जांच परिणाम को रिकार्ड किया है।

ध. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है।जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रुपांतर प्रस्तुत करें और उसे नियमावली के अनुसार प्राधिकारी द्वारा रखी गई सार्वजनिक फाइल में रखा गया था।

न. उपर्युक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार, जांच के अनिवार्य तथ्य ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को 31 जनवरी, 2020 के प्रकटन विवरण द्वारा प्रकट किए गए थे और उस पर प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई प्राप्त टिप्पणियों को इस अंतिम जांच परिणाम में हल कर दिया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकतर प्रकटन पश्चात अनुरोध उनके पूर्व अनुरोधों की केवल पुनरावृत्ति थे। तथापि, संगत मानी गई सीमा तक प्रकटन पश्चात अनुरोधों की इस अंतिम जांच परिणाम में जांच की जा रही है।

प. आवेदक घरेलू उद्योग तथा उत्तरदाता उत्पादकों और संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा दी गई सूचना की स्थल जांच के माध्यम से वास्तविक निरीक्षण आवश्यक समझी गई सीमा तक प्राधिकारी द्वारा किया गया था। जहां भी लागू था, केवल उस सत्यापित सूचना पर आवश्यक संशोधन के साथ इस जांच परिणाम के प्रयोजन के लिए विश्वास किया गया है।

फ. इस अंतिम जांच परिणाम में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई तथा प्राधिकारी द्वारा नियमावली के तहत मानी गई सूचना दर्शाते हैं।

ब. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 67.43 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पादन (पीयूसी) तथा समान वस्तु

5. जांच की शुरूआत के चरण में विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया था:

"एल्युमीनियम और जिंक के अलॉय से स्टील, प्लेटेड अथवा कोटेड के फ्लैट रोल्ड उत्पाद एल्युमीनियम और जिंक के इस अलॉय में एक या अधिक अतिरिक्त तत्व निहित हो सकते हैं जो अलग-अलग अथवा संयुक्त रूप से भार में 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

विचाराधीन उत्पाद कॉइल रूप में नहीं हो सकते हैं, चाहे वो प्लेन कोरूगेटेड अथवा प्रोफाइल्ड रूप में हों या न हों। विचाराधीन उत्पाद स्किन-पास्ड/टेम्पर मिल पर प्रसंस्कृत अथवा नॉन-स्किन-पास्ड हो सकते हैं, भले ही वे अतिरिक्त नॉन-मैटेलिक कोटिंग के साथ अथवा बिना शोधी गई सतह हों या न हों। विचाराधीन उत्पाद विभिन्न व्यापारिक नामों में आपूर्ति किया जा सकता है, परंतु वे एलु-जिंक, एल-जेडएन, जिंक-एल्युमीनियम, एल्युमीनियम-जिंक, जिंकालूम, गेल्वालूम आदि तक सीमित न हों। विचाराधीन उत्पाद क्षरण में प्रतिरोधकता देता है तथा कई अनुप्रयोगों तथा क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जाता है, परंतु अवसंरचना परियोजनाओं, सौर विद्युत परियोजनाओं, रूफिंग, वॉलिंग डेकिंग, क्लेडिंग तथा फ्रेमिंग, व्हाइट गुड्स एवं यंत्रों, फर्नीचर एवं कलर कोटेड स्टील के लिए सबस्ट्रेट तक सीमित नहीं है।

विचाराधीन उत्पाद में निम्नलिखित उत्पाद शामिल नहीं होते हैं:

i. एल्युमीनियम को शामिल किए बिना जिंक से कोटेड फ्लैट रोल्ड स्टील उत्पाद;

ii. फ्लैट रोल्ड कलर कोटेड स्टील उत्पाद

विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रशुल्क मदों 72106100, 72125090, 72259900 और 72269990के तहत आता है। विचाराधीन उत्पाद अन्य सीमा प्रशुल्क मदों 72101290, 72103090, 72104900, 72106900, 72107000, 72109090, 72121090, 72122090, 72123090, 72124000, 72169910, 72255010, 72259100, 72259200, 72269930 आदि के तहत भी आयात किया जा रहा है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच के क्षेत्र पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है।"

6. प्राधिकारी ने अपने प्राथमिक जांच परिणाम में अनंतिम रूप से यह माना कि इस्पात के फ्लैट रोल्ड उत्पाद, संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे एल्युमीनियम तथा जिंक के अलॉय से युक्त प्लेटेड तथा कोटेड और घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित ये उत्पाद समान वस्तु हैं और तद्नुसार, एल्युमीनियम तथा जिंक के अलॉय के साथ कोटेड अथवा प्लेटेड, इस्पात के फ्लैट रोल्ड सभी उत्पादों पर अनंतिम शुल्कों की सिफारिश की गई थी। एल्युमीनियम और जिंक के इस अलॉय में एक अथवा अधिक अतिरिक्त तत्व हो सकते हैं जो अलग अथवा संयोजन में भार में 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे। तथापि, विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में कई तर्क दिए गए हैं जो प्रकृति में पुनरावृत्ति के हैं। अतः अंतिम निर्धारण के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने उनके समक्ष सभी वास्तविक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र की निम्नलिखित रूप में जांच की है।

ग.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

7. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद एल्युमीनियम तथा जिंक के अलॉय से कोटेड अथवा प्लेटेड, स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पाद हैं। एल्युमीनियम और जिंक के इस अलॉय में एक या अधिक अतिरिक्त घटक हो सकते हैं जो भार में अलग-अलग अथवा संयुक्त रूप से 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे। विचाराधीन उत्पाद क्षरण से संरक्षण देता है। विचाराधीन उत्पाद कॉइल रूप में नहीं हो सकते हैं, चाहे वो प्लेन कोरूगेटेड अथवा प्रोफाइल्ड रूप में हों या न हों। विचाराधीन उत्पाद स्किन-पास्ड/टेम्पर मिल पर प्रसंस्कृत अथवा नॉन-स्किन-पास्ड हो सकते हैं, भले ही वे अतिरिक्त नॉन-मैटेलिक कोटिंग के साथ अथवा बिना शोधी गई सतह हों या न हों। विचाराधीन उत्पाद विभिन्न व्यापारिक नामों में आपूर्ति किया जा सकता है, परंतु वे एलु-जिंक, एल-जेडएन, जिंक-एल्युमीनियम, एल्युमीनियम-जिंक, जिंकालूम, गेल्वालूम आदि तक सीमित न हों।

ख. एल्युमीनियम और जिंक कोटेड फ्लैट उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रशुल्क मदों 72106100, 72125090, 72259900 और 72269990 के तहत आता है। तथापि, आयात सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के कुछ अन्य आईटीसी एचएस कोडों यथा 72101290, 72103090, 72104900, 72106900, 72107000, 72109090, 72121090, 72122090, 72123090, 72124000, 72169910, 72255010, 72259100, 72259200, 72269930 आदि में भी जानकारी में आए हैं।

ग. आवेदक ने दोहराया कि घरेलू उद्योग द्वारा पेश किया गया उत्पाद कोरिया गणराज्य से आयातित पोसमेक जिक्स सहित भारत को आयातित संबद्ध सामानों की समान वस्तु है।

घ. पोसमेक को हटाने के संबंध में आवेदक ने अनुरोध किया कि पोसमेक में एल्युमीनियम और जिंक, दोनों हैं और इसीलिए वे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत हैं। यह भी अनुरोध किया गया था कि गेल्वालूम वाणिज्यिक रूप से, तकनीकी रूप से पोसमेक के साथ प्रतिस्थापनीय था और समान अंतिम प्रयोग के लिए अर्थात आधार इस्पात के संरक्षण के प्रतिरोध के लिए समान ग्राहकों द्वारा प्रयुक्त किया जा रहा था। वस्तुतः पोसमेक महंगा होने के बावजूद कम कीमतों पर पेश किया जा रहा था।

ङ. आवेदक ने यह भी अनुरोध किया कि अंतर्राष्ट्रीय मानक यह निर्धारित करने के लिए असंगत थे कि क्या गेल्वालूम पोसमेक के लिए एक समान वस्तु है अथवा नहीं।

च. उत्तरदाताओं के इस तर्क के संबंध में कि आवेदक केवल .8 एमएम से 1.2 एमएम उत्पाद की आपूर्ति करने में ही सक्षम है जो कि उस रेंज से कम है जो पोसमेक पेश करता है, आवेदक ने अनुरोध किया कि वह 3 एमएम मोटाई तक के विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण में सक्षम है। उसने अपने तर्क के समर्थन में लेन-देन वार आयात आंकड़ों का उल्लेख किया है।

छ. इस तर्क के संबंध में कि पोसमेक में दो भिन्न विशेषताएं अर्थात सेल्फ हीलिंग सिस्टम तथा अल्कालिन प्रतिरोधकता हैं, आवेदक ने अनुरोध किया कि ग्राहक संक्षारण प्रतिरोधकता के आधारभूत गुणधर्म के लिए एल्युमीनियम तथा जिंक कोटेड उत्पाद और पोसमेक का परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयोग करते आ रहे हैं। उसने यह भी अनुरोध किया कि दोनों उत्पादों की संक्षारण प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए एक पूर्व सावधानी के रूप में स्प्रे (एल्युमीनियम और जिंक में) प्रयुक्त किया जा सकता है।

ज. आवेदक ने यह तथ्य दोहराया कि गेल्वालूम में भी उत्कृष्ट संक्षारण प्रतिरोधकता तथा प्रमुख रख-रखाव की अपेक्षा से पूर्व लगभग 35 वर्षों के जीवनकाल की आशा है।

झ. पोसमेक के लिए पेश की गई वारंटी के संबंध में आवेदक ने अनुरोध किया कि यह एल्युमीनियम तथा जिंक कोटेड उत्पाद का बाजार हिस्सा लेने के लिए एक संवर्धनात्मक तरीका था। उसने अनुरोध किया कि अपने बेहतर निष्पादन के दावे के बावजूद पोसमेक ने अल्कालिन परिवेश के तहत प्रयोग के लिए वारंटी नहीं दी। आवेदक ने पेश की गई वारंटी में कई चिंताएं उठाईं, उनमें प्राथमिक करार की शर्तों में संशोधन करने के लिए पोस्को का अधिकार तथा किसी विवाद पर कोरिया तथा सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के कानून होने के नाते शासी कानून थे। आवेदक ने ऐसी कई स्थितियों का उल्लेख किया है जहां वारंटी वैध नहीं थी।

ञ. आवेदक ने अनुरोध किया कि यद्यपि घरेलू उद्योग में एजेड 70 से कम के कोटिंग मास वाले विचाराधीन उत्पाद को उत्पादित करने की क्षमता था। तथापि, उसने बीआईएस के आईएस 15961:2012 का अनुपालन करने के लिए ऐसा नहीं किया जो कि 13 अगस्त, 2018 के इस्पात एवं इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश के क्रम सं. 47 के माध्यम से अनिवार्य रूप से लागू हो गया था।

ट. इस तर्क के संबंध में कि 540 की तनन शक्ति से अधिक के एल्युमीनियम जिंक अलॉय कोटेड कॉइलों को अलग किया जाना चाहिए, आवेदक ने अनुरोध किया कि घरेलू उद्योग के पास उसकी आपूर्ति करने की क्षमता है। अतः उसे विचाराधीन उत्पाद के रूप में माना जाना चाहिए।

ठ. उत्तरदाताओं के इस तर्क के संबंध में कि विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा नियम 2(ख) के विपरीत है क्योंकि यह व्यापक है और भिन्न विशेषताओं तथा व्यापक अनुप्रयोगों के साथ उत्पादों की पूरी रेंज को

शामिल करती है, आवेदक ने प्राधिकारी द्वारा निर्धारित विचाराधीन उत्पाद का संदर्भ दिया और उल्लेख किया कि यह अवधारणा कि एल्युमीनियम की 2-5 प्रतिशत मात्रा उत्पाद को उत्पाद क्षेत्र के अंतर्गत नहीं लाती, गलत है।

ड. इसके अतिरिक्त, डोंगकुक स्टील मिल के इस तर्क के संबंध में कि जिक्स एक समान उत्पाद नहीं है, आवेदक ने अनुरोध किया कि चूंकि जिक्स में एल्युमीनियम और जिंक दोनों हैं, अतः यह स्पष्ट रूप से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

ढ. एसपीडीए और विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने एक मुद्दा उठाया है कि पोसमेक और गेल्वालूम का अंतिम प्रयोग दोनों उत्पादों के गुणधर्मों में अंतर के कारण भिन्न है। एसपीडीए ने विशेष रूप से अनुरोध किया है कि पोसमेक का प्रयोग कॉलम्स तथा ब्रेशर बनाने के लिए किया जा रहा है, जबकि गेल्वालमू का प्रयोग रैफटर्स तथा पुरलिन बनाने के लिए किया जाता है। इस संबंध में, आवेदक ने अनुरोध किया कि वे पुरलिन, रैफटर्स, ब्रेशर्स और कॉलम्स में प्रयुक्त किए जा रहे एल्युमीनियम जिंक कोटेड इस्पात का विनिर्माण और आपूर्ति कर रहे हैं। वस्तुतः सौर उद्योग गेल्वालूम की खरीद पुरलिन, रैफटर्स, कॉलम्स, ब्रेशर्स आदि सहित सोलर माउंटिंग संरचनाओं में प्रयोग के लिए करता है जो स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि जेएसडब्ल्यू गेल्वालूम (गेल्वोस ब्रांड) पुरलिन, रैफटर्स, कॉलम्स, ब्रेशर्स, एंगल्स आदि सहित सोलर माउंटिंग संरचनाओं के निर्माण के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। इस संबंध में, आवेदक ने यह स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए 21 अक्तूबर, 2019 और 16 दिसंबर, 2019 के अपने पत्रों द्वारा प्राधिकारी को पर्याप्त साक्ष्य प्रदान किए कि भारत में दो सबसे बड़े सौर परियोजना विकासकर्ताओं ने पुरलिन, रैफटर्स, कॉलम्स, ब्रेशर्स, एंगल्स आदि सहित सोलर माउंटिंग संरचनाएं बनाने के लिए जेएसडब्ल्यू गेल्वालूम की खरीद की।

ण. आवेदक ने यह भी अनुरोध किया कि उत्तरदाता एसपीडीए साक्ष्य के साथ अपने तर्क को सिद्ध करने में विफल रहा है कि आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद का भाग बनने वाले कुछ उत्पादों का उत्पादन नहीं किया।

त. पीसीएन वार विश्लेषण करने के लिए कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध के संबंध में आवेदक ने अनुरोध किया कि पीसीएन सिद्धांत केवल उन मामलों में अपेक्षित होता है जहां विचाराधीन उत्पाद/समान वस्तु के कई ग्रेड तथा रूप हों और इन ग्रेडों और रूपों के बीच काफी लागत एवं कीमत अंतर हो। तथापि, ये शर्तें निम्नलिखित कारणों से वर्तमान जांच में लागू नहीं हैं:

(i) घरेलू उद्योग प्राथमिक रूप से दो रूपों – सीएफ और सीओएफ में बिक्री करता है। आवेदक की बिक्री में इन दोनों उत्पादों का हिस्सा लगभग 97 प्रतिशत है और इन दोनों रूपों के बीच कीमत अंतर लगभग 2200 रूपये का है जो कि 5 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

(ii) घरेलू उद्योग द्वारा बेचे गए विचाराधीन उत्पाद के कोटिंग ग्रेड प्राथमिक रूप से एजेड 150 और एजेड 70 हैं। आवेदक की घरेलू बिक्री में इन दोनों ग्रेडों का हिस्सा लगभग 83 प्रतिशत है और इन दोनों कोटिंग ग्रेडों के बीच कीमत अंतर 5 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

(iii) घरेलू उद्योग 0.19 एमएम से 2.20 एमएम की रेंज की मोटाई वाले विचाराधीन उत्पाद की बिक्री करता है। इन मोटाईयों के अंतर्गत बिक्री के 85 प्रतिशत से अधिक वाले उत्पादों के बीच कीमत अंतर 5 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

(iv) आवेदक ने कोरिया गणराज्य से आयातित पोसमेक तथा पोसमेक को छोड़कर अन्य उत्पादों की पहचान की है। आवेदक ने भारत में कोरिया गणराज्य से आने वाले दोनों उत्पादों में कोई कीमत अंतर नहीं पाया है।

थ. विचाराधीन उत्पाद क्षरण में प्रतिरोधकता देता है। विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग अवसंरचना परियोजनाओं, सौर विद्युत परियोजनाओं, रूफिंग, वॉलिंग डेकिंग, क्लेडिंग तथा फ्रेमिंग, व्हाइट गुड्स एवं यंत्रों, फर्नीचर एवं कलर कोटेड स्टील सहित कई अनुप्रयोगों और क्षेत्रों में किया जाता है।

द. संबद्ध देशों से भारत में आयातित संबद्ध सामान और आवेदक द्वारा विनिर्मित सामान की गुणवत्ता, परिणाम और निष्पादन में कोई अंतर नहीं है। घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामान भौतिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी, प्रकार्य, प्रयोग आदि जैसे सभी

संगत मानदंडों में तुलनीय हैं। घरेलू तौर पर विनिर्मित उत्पाद और आयातित उत्पाद भारतीय ग्राहकों द्वारा परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयुक्त किए जा रहे हैं।

ध. आवेदक की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार आवेदक द्वारा तथा संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा लगाई गई उत्पादन प्रक्रिया में कोई प्रमुख ज्ञात अंतर नहीं है।

न. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग करने के लिए उत्पाद की गुणवत्ता मानदंड नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित किए जा रहे संबद्ध सामानों कीगुणवत्ता आयातित संबद्ध सामानों के समान है।

प. भारत में संबद्ध सामानों के घरेलू उत्पादक भारत में विचाराधीन उत्पाद की पूरी मांग पूरा करने में सक्षम हैं।

फ. आवेदक 70 जीएसएम से कम संबद्ध सामानों का उत्पादन करने में सक्षम हैं। तथापि, आवेदक भारतीय मानक ब्यूरो के लागू दिशा-निर्देशों, जो कि इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के अनुसरण में कार्यमुक्त किए जाते हैं, के कारण 70 जीएसएम से कम कोटिंग मास वाले संबद्ध सामानों का मुश्किल से ही उत्पादन करता है।

ब. दिनांक 02 अप्रैल, 2019 की जांच की शुरूआत की अधिसूचना के पैरा 4 में प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से उन्हें निकाले जाने की बात स्पष्ट की थी। पोस्को के उत्पाद पोसमेक में एल्युमीनियम और जिंक दोनों होते हैं और इसीलिए स्पष्ट रूप से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल होता है। यह अवधारणा कि एल्युमीनियम की यह मात्रा उसे उत्पाद क्षेत्र के अंतर्गत नहीं लाती है, निम्नलिखित कारणों से गलत है:

(i) कोई भी जिंक, एल्युमीनियम और मैग्नीशियम उत्पाद एल्युमीनियम के बिना उसी क्षरण प्रतिरोधकता गुणधर्मों से विनिर्मित नहीं किया जा सकता।

(ii) पोसमेक जिंक कोटेड उत्पाद से भिन्न है क्योंकि उसकी एल्युमीनियम की मात्रा जिंक कोटेड उत्पाद की अपेक्षा बेहतर क्षरण प्रतिरोधकता देती है और इसीलिए उसे जिंक कोटेड उत्पाद से तुलनीय नहीं माना जा सकता।

(iii) भारतीय उद्योग द्वारा विनिर्मित एल्युमीनियम तथा जिंक कोटेड उत्पाद (गेल्वालूम) वाणिज्यिक रूप से, तकनीकी रूप से और विशेषता की दृष्टि से पोसमेक से प्रतिस्थापनीय है। पोसमेक का प्रयोग वह कीमत पेश कर समान अंतिम अनुप्रयोगों के लिए समान ग्राहकों द्वारा किया जा सकता है और किया जा रहा है जो भारतीय उद्योग द्वारा पेश की गई एल्युमीनियम एवं जिंक कोटेड उत्पाद की घरेलू कीमत की कटौती करती है। वस्तुतः पोसमेक मैग्नीशियम वाले उच्चतर जिंक की मात्रा के प्रयोग के बावजूद कम कीमतों पर पेश किया जा रहा है जो कि एल्युमीनियम से अधिक महंगा है।

(iv) पोसमेक और गेल्वालूम जैसे इन सभी उत्पादों के लिए प्राथमिक रूप से अपेक्षित अंतिम अनुप्रयोग आधार इस्पात के क्षरण को प्रतिरोधकता देने के लिए है और इसीलिए आसानी से प्रतिस्थापनीय है।

भ. एल्युमीनियम और जिंक कोटेड उत्पाद (गेल्वालूम) भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित होने के नाते पोसमेक की समान वस्तु है क्योंकि वह वाणिज्यिक रूप से, तकनीकी रूप से और विशेषता की दृष्टि से पोसमेक का स्थानांतरण हो सकता है। यह भी अनुरोध किया जाता है कि यह निर्धारित करने के लिए कि क्या गेल्वालूम पोसमेक के लिए समान वस्तु है अथवा नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मानक असंगत हैं।

म. भारतीय उद्योग ने अपने ग्राहक आधार को 0.19 एमएम से 2.2 एमएम मोटाई तक के एल्युमीनियम और जिंक कोटेड उत्पादों की आपूर्ति की है। 2.2 एमएम से अधिक की मोटाई वाली सामग्री के लिए आवेदक द्वारा कोई आदेश प्राप्त नहीं किया गया है। तथापि, 3 एमएम मोटाई तक के विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण करने के लिए सुविधा में क्षमता है। ग्राहक द्वारा यदि कोई विशेष अपेक्षा होती है तो आवश्यक उत्पाद विकास शुरू किया जा सकता है। साथ ही, लेन-देन वार आयात आंकड़ों से यह सिद्ध है कि 3 एमएम से अधिक मोटाई वाले पोसमेक की मात्रा के आयात बहुत कम हैं।

य. ग्राहक अपने आधारभूत गुणधर्म संरक्षण प्रतिरोधकता के लिए एल्युमीनियम और जिंक कोटेड उत्पाद तथा पोसमेक का प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से करते आ रहे हैं। विभिन्न अंतिम प्रयोगों में इन उत्पादों की

परस्पर परिवर्तनीयता के लिए पर्याप्त साक्ष्य दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, पोसमेक और एल्युमीनियम एंड जिंक, दोनों के मामले में क्षरण प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए पूर्व सावधानी के उपाय के लिए स्प्रे (एल्युमीनियम और जिंक से) का प्रयोग किया जा सकता है।

(कक) यह नोट करना व्यावहारिक है कि कट स्तर पर उत्पाद गेल्वालूम में भी उत्कृष्ठ क्षरण प्रतिरोधकता है। प्रमुख रख-रखाव की आवश्यकता होने से पूर्व इस उत्पाद में कम से कम 35 वर्ष की उत्कृष्ट जीवन आशा भी है।

(खख) घरेलू उद्योग में 540 और उससे अधिक की तनन शक्ति वाले एल्युमीनियम जिंक कोटेड उत्पादों की आपूर्ति करने की क्षमता है और ग्राहकों की आवश्यकता के आधार पर घरेलू उद्योग वह आपूर्ति करता है।

(गग) यह नोट किया जाता है कि पोसमेक में एचआर तथा सीआर तत्व पर जिंक-एल्युमीनियम-मैग्नीशियम कोटिंग होती है। एचआर का प्रयोग पोसमेक के विनिर्माण में सामान्य रूप से नहीं किया जा सकता। एचआर बेस में शॉर्ट ब्लास्टिंग, पिकलिंग प्रक्रिया की जानी होती है तथा क-एल्युमीनियम-मैग्नीशियम कोटिंग करने से पूर्व स्किन पास्ड मिल के माध्यम से पास किये जाने की आवश्यकता होती है। भारतीय उद्योग द्वारा विनिर्मित किए जा रहे एल्युमीनियम-जिंक कोटेड उत्पाद को एचआर बेस पोसमेक में समान उत्पाद माना जाना चाहिए क्योंकि ये उत्पाद तकनीकी रूप से, वाणिज्यिक रूप से और विशेषता की दृष्टि से एक-दूसरे के प्रतिस्थापनीय हैं। उस तत्व को ध्यान में रखते हुए जिस पर कोटिंग की जाती है, आयातित पोसमेक में विचाराधीन उत्पाद से बारीकी से मिलती हुई विशेषताएं हैं और विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग को सीधे ही विस्थापित कर रहा है। घरेलू उद्योग ने एचआर बेस के साथ गेल्वेनाइज्ड सामग्री की आपूर्ति की है और यदि ग्राहकों की उसकी आवश्यकता होती है तो घरेलू उद्योग के पास एचआर बेस के साथ गेल्वाल्यूम सामग्री की आपूर्ति करने की भी क्षमता है।

(घघ) आवेदक ने इस संबंध में पर्याप्त साक्ष्य दिए हैं कि ग्राहक घरेलू तौर पर उत्पादित एल्युमीनियम और जिंक कोटेड उत्पादों तथा आयातित जिंक-एल्युमीनियम-मैग्नीशियम कोटेड उत्पादों का प्रयोग समान अंतिम अनुप्रयोग के लिए परस्पर परिवर्तनीय रूप से कर रहे हैं और भारतीय उद्योग द्वारा विनिर्मित संबद्ध सामानों तथा आयातित संबद्ध सामानों की गुणवत्ता समान है।

(ङङ) संबद्ध सामानों के घरेलू उत्पादक भारत में संबद्ध सामानों की कुल मांग की पूर्ति करने में सक्षम हैं। तथापि, संबद्ध देशों से आ रहे पाटित आयातों की काफी मात्रा ने भारत में बाजार हिस्सा आक्रामक रूप से लिया है। घरेलू उद्योग ने गुणवत्ता एवं वाणिज्यिक दृष्टि से सौर उद्योग को विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति का साक्ष्य तथा अपनी क्षमता पूरी तरह से दर्शाई है।

(चच) आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों की गुणवत्ता आयातित उत्पादों के समान है। वस्तुतः ग्राहक समान अंतिम अनुप्रयोग के लिए आयातित सामानों तथा आवेदक द्वारा उत्पादित किए जा रहे सामानों का प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से करते हैं।

(छछ) जिंक के बिना एल्युमीनियम सिलिकॉन कोटेड शीट विचाराधीन उत्पाद का भाग नहीं है क्योंकि विचाराधीन उत्पाद में केवल "एल्युमीनियम तथा जिंक के अलॉय से युक्त स्टील, प्लेटेड तथा कोटेड फ्लैट रोल्ड उत्पाद" ही शामिल हैं।

(जज) आवेदक ने अपने आवेदन पत्र में पीसीएन वार विश्लेषण का कोई प्रस्ताव नहीं किया है क्योंकि पीसीएन वार जांच वर्तमान मामले के तथ्यों में अपेक्षित नहीं है।

(झझ) दिनांक 13 अगस्त, 2018 का स्टील एवं स्टील उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2018 का क्रम संख्या 47 "हॉट डिप एल्युमीनियम-जिंक अलॉय मैटेलिक कोटेड स्टील स्ट्रिप एवं शीट" के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के आईएस 15961:2012 को अनिवार्य रूप से लागू बनाता है। यद्यपि, घरेलू उद्योग के पास एजेड 70 से कम के कोटिंग मास वाले विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने की क्षमता है, तथापि वह आईएस 15961:2012 का अनुपालन करने के लिए ऐसा नहीं करता। आईएस 15961:2012 की तालिका 2 के अनुसार कोटिंग क्लास तथा न्यूनतम कोटिंग मास निम्नलिखित रूप में दिया गया है।

क्रम सं.	कोटिंग ग्लास	न्यूनतम कोटिंग मास जी/एम2		
		कुल दोनों सतह		एक सतह
		ट्रिपल स्पॉट	सिंगल स्पॉट	सिंगल स्पॉट
i)	एजेड-200	200	180	80
ii)	एजेड-150	150	135	60
iii)	एजेड-100	100	90	40
iv)	एजेड-70	70	63	28

तालिका 2 के नीचे टिप्पणी में "उपर्युक्त को छोड़कर कोटिंग भार ग्राहक और आपूर्तिकर्ता के बीच आपसी करार का मामला होगा।" आईएस 15961:2012 के"खंड 9.1" में निम्नलिखित पठित है:

"न्यूनतम कोटिंग भार 9.2 से 9.7 के अनुसार परीक्षण किए जाने पर तालिका 2 के अनुसार होगा।"

तालिका 2 के साथ पठित आईएस 15961:2012 की धारा 9.1 से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं:

- आईएस 15961:2012, तालिका 2 के अनुसार एल्युमीनियम-जिंक कोटिंग की अनुमति देता है।
- एजेड-70 और एजेड-200 के बीच किसी अन्य अंतरवर्ती कोटिंग की अनुमति क्रेता तथा आपूर्तिकर्ता के बीच पूर्व करार के अध्यधीन दी जाती है। आईएस 15961:2012, एजेड-70 से कम की किसी कोटिंग का प्राधिकार नहीं देता।

(ञ) पोसमेक के लिए पेश की गई वारंटी केवल एल्युमीनियम एवं जिंक कोटेड उत्पाद को प्रतिस्थापित करने और अपना बाजार हिस्सा लेने के लिए एक संवर्धनात्मक तरीका है। पोसमेक के लिए पेश की गई वारंटी में नीचे दिए गए अनुसार कई चिंताएं हैं:

(i) पोस्को को करार के निबंधनों में संशोधन करने का अधिकार है।

(ii) शासी कानूनः वारंटी लगाने में कठिनाई बनाते हुए किसी विवाद पर न्यायाधिकार लेने के लिए कोरिया तथा सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कानूनों के अनुसार वारंटी।

(iii) राख, सीमेंट, धूल अथवा जानवरों के उत्सर्जन जैसे अल्कालाइन उत्पादों से हुए संरक्षण के मामले में वारंटी वैध नहीं है (अल्कालाइन पर्यावरण के तहत बेहतर निष्पादन के पोसमेक के तर्क के बावजूद।

(iv) पोसमेक द्वारा दिए गए तर्क के अनुसार अंतिम अनुप्रयोग के लिए अर्थात मिट्टी/कंक्रीट के साथ संपर्क में संरचना सहित सौर संरचना निर्माण एवं सहायता संरचना के लिए वारंटी वैध नहीं है।

(v) कट-ऐज से रन ऑफ के कारण कज-ऐज और डिस-कलरेशन का दृश्यमान पहलू वारंटी में शामिल नहीं है (कज ऐज के मामले में बेहतर निष्पादन के पोसमेक के तर्क के बावजूद)।

(vi) उन पोस्टों के मामले में वारंटी वैध नहीं है जो सीधे ही जमीन में लाई जाती हैं और जहां पोसमेक मिट्टी के संपर्क में आता है (प्रयोक्ता के इस तर्क के बावजूद कि पोसमेक सौर उपस्करों की पोस्टों के मामले में एल्युमीनियम एवं जिंक से बेहतर निष्पादन देता है)।

(vii) यदि ग्राहक वार्षिक निरीक्षण और रख-रखाव नहीं कराता है तथा वे निरीक्षण तथा रख-रखाव पोस्को को विधिवत रूप से सूचित नहीं किया जाता है तो वारंटी वैध नहीं है।

ग.1.1 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोध</u>

8. घरेलू उद्योग ने प्रकटन विवरण में प्रस्तावित विचाराधीन उत्पाद की पुष्टि करने के लिए प्राधिकारी से अनुरोध किया है।

ग.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

9. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से युक्त अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

क. आवेदन पत्र में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद नियम 2(घ) के तहत मानदंडों के अनुरूप नहीं है जिसमें यह अपेक्षा है तथा निर्धारित है कि उत्पाद श्रेणी बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। तथापि, आवेदन पत्र उत्पाद की अत्यधिक व्यापक श्रेणी पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की मांग करते हुए दायर किया गया है।

ख. उत्तरदाताओं ने प्राथमिक जांच परिणाम का संदर्भ लेते समय यह अनुरोध किया कि प्राधिकारी ने वैध कारण प्रदान किए बिना पीसीएन सिद्धांत के लिए अनुरोध की अनदेखी की है क्योंकि घरेलू उद्योग और कुछ अन्य उत्पादकों ने पीसीएन का दावा नहीं किया था।

ग. घरेलू उद्योग इस्पात मंत्रालय द्वारा जारी इस्पात एवं इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश चलाता है जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि बीआईएस के तहत कोई भी उत्पादक कचरे के रूप में छोड़कर अपने गौण एवं दोषपूर्ण सामग्री की बिक्री नहीं कर सकता। निर्यातक ने अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए नीलामियों के दस्तावेज संलग्न किए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि आवेदक गौण/दोषपूर्ण सामग्री की बिक्री/नीलामी करता है तथा उस कीमत से कम बिक्री कीमत दर्शाने के लिए अन्य प्राथमिक सामग्री के साथ आंकड़े मिला देता है जो उसे वास्तविक रूप से दर्शाने चाहिए, यदि वे अलग किए गए हों। यदि प्राथमिक तथा गौण/दोषपूर्ण सामग्री का पीसीएन-वार विश्लेषण होता तो प्रमुख विचाराधीन उत्पाद गौण विचाराधीन उत्पाद से अधिक कीमत दर्शाता। अन्य प्रयोक्ताओं ने जांच की अवधि के दौरान गौण एल्युमीनियम जिंक कॉइलों की उपयुक्त गुणवत्ताओं का आयात किया।

घ. विचाराधीन उत्पाद पर इस्पात एवं इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश के अनिवार्य रूप से लागू होने के बाद 18 दिसंबर, 2018 से लगाई गई है जो कि जांच की अवधि के बाद की अवधि है।

ङ. पोसमेक एल्युमीनियम जिंक अलॉय फ्लैट उत्पाद की योग्यता नहीं लेता जो कि इस जांच में विचाराधीन उत्पाद है। इसके बजाए वह जिंग मैग्नीशियम अलॉट कोटेड उत्पाद है। उन्होंने अनुरोध किया कि जांच में भाग लेने का एक मात्र कारण यह था कि विचाराधीन उत्पाद के एक अपवाद अर्थात "एल्युमीनियम को जोड़े बिना जिंक युक्त फ्लैट रोल्ड स्टील उत्पाद कोटेड"में एल्युमीनियम की मौजूदगी के लिए सह्यता स्तर उल्लिखित नहीं था। इसके अतिरिक्त, पोस्को नाम एक निर्यातक के रूप में नहीं था।

च. आवेदक द्वारा दिए गए एक मात्र उत्तर के संबंध में कि आवेदक ने पोस्को सीएंडसी का नाम एक ज्ञात निर्यातक के रूप में लिया था, यह अनुरोध है कि पोस्को एंड पोस्को सीएंडसी दो भिन्न कानूनी कंपनियां हैं जो क्रमशः पोसमेक और गेल्वालूम का उत्पादन कर रही हैं जिसका कि याचिका में नाम क्यों लिया गया था। इन कंपनियों का वाणिज्यिक बीजक भी स्पष्ट रूप से पोसमेक और गेल्वालूम के रूप में उत्पाद दर्शाते हैं।

छ. आवेदक ने बार-बार बीआईएस द्वारा जारी आईएस 15961:2012 पर विश्वास किया है जिसकी प्रयोज्यता इस्पात एवं इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2018 के अनुसरण में अनिवार्य की गई है। अतः एल्युमीनियम जिंक कोटेड फ्लैट उत्पाद को परिभाषित करने के लिए भिन्न मानक का दावा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह अनुरोध किया गया था कि इस जांच में भिन्न परिभाषा देने से विसंगति की स्थिति बढ़ेगी जहां दो भिन्न प्राधिकारियों ने भिन्न परिभाषाएं दी होतीं।

ज. प्राधिकारी ने प्राथमिक जांच परिणाम में माना कि पोसमेक को इस आधार पर "समान वस्तु" माना गया है कि इसका प्रयोग भारत में प्रयोक्ताओं द्वारा परस्पर परिवर्तनीय रूप से किया जा रहा है। इस संबंध में, यह बात दोहराई जाती है कि परस्पर परिवर्तनीयता का मूल्यांकन अधिकतर प्रयोक्ताओं के मत को ध्यान में रखते हुए ही किया जाना चाहिए। प्रयोक्ताओं का एक छोटा वर्ग रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों की अनदेखी करने

के लिए आधार नहीं हो सकता। यह भी उल्लेख किया गया था कि न तो रिकार्ड में परस्पर परिवर्तनीयता का कोई साक्ष्य है और न ही मौखिक सुनवाई में दिया गया कोई मत था।

झ. पोसमेक द्वारा पेश की गई वारंटी पर आवेदक की चिंता के संबंध में, यह अनुरोध किया गया था कि संविदा शर्तें जांच सं संगत नहीं थीं। उन्होंने अनुरोध किया कि उत्पाद वारंटी हमेशा सीमाओं के अध्यधीन होती है क्योंकि कोई भी उत्पाद निर्धारित प्रयोग, परिवेश और मौसम की स्थितियों के उत्पादित किया जाता है।

ञ. डोंगकुक का जिक्स पोस्को के पोसमेक के समान है और वह जिंक/मैग्नीशियम उत्पाद है।

ट. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पाद विनिर्माण अर्थात गेल्वालूम बेहतर उत्पाद यथा पोसमेक अथवा कुछ समान उत्पाद से प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं और यह कि वह उस प्रयोक्ता उद्योग से विभिन्न आदेशों के कब्जे में था जो इन बेहतर उत्पादों से गेल्वालूम में गए हैं। उसने यह भी दावा किया कि सोलर जेनरेशन कंपनी द्वारा विनिर्माता/आयातक को जारी किए गए क्रय आदेश में गेल्वालूम/पोसमेक को परस्पर परिवर्तनीय उल्लिखित किया गया था। उत्तरादाताओं ने अनुरोध किया कि न तो घरेलू उद्योग ने दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ सार्वजनिक सुनवाई की कार्रवाई के दौरान उनके द्वारा दिए गए दावों को सिद्ध किया है और न ही उन्होंने दिनांक 07.08.2019 के अपने लिखित अनुरोधों में उसका उल्लेख किया है। घरेलू उद्योग प्रयोक्ता उद्योग से किसी पेशकश/खरीद का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करने में विफल रहा। यह स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग के दोषपूर्ण इरादा दर्शाता है जहां घरेलू उद्योग ने यह निश्चित किया था कि घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे खंडन के लिए खुले नहीं हैं। सोलर जेनरेशन कंपनी द्वारा जारी क्रय आदेश के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावों के संबंध में उत्तरदाताओं ने अनुरोध किया कि दोनों सामग्री का उपयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से किया जा सकता है, परंतु केवल सोलर माउंटिंग संरचनाओं (अर्थात रैफ्टर तथा पुरलिन) के लिए। घरेलू उद्योग ने आधे सच का उल्लेख करके प्राधिकारी को भ्रमित करने का प्रयास किया कि गेल्वालूम और पोसमेक प्रतिस्थापनीय उत्पाद हैं। अपने दावे को सिद्ध करने के लिए उत्तरदाताओं ने प्रत्युत्तर के साथ पोर्टलैंड सीमेंट एसोसिएशन की अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं की रिपोर्ट संलग्न की। यह अनुरोध किया गया था कि "परस्पर परिवर्तनीयता" का मूल्यांकन अधिकतर प्रयोक्ताओं के मत पर विचार करके ही किया जाना चाहिए। और भी बात है कि चूंकि न तो रिकार्ड में परस्पर परिवर्तनीयता का ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध है और न ही मौखिक सुनवाई में ऐसा कोई मत दिया गया था। इसके विपरीत, मौखिक सुनवाई में भाग लेने वाले हितबद्ध पक्षकारों ने एक मत से परस्पर परिवर्तनीयता के विरुद्ध तर्क रखे।

ठ. उत्तरादाताओं ने अनुरोध किया कि पोसमेक 3.0/समान उत्पाद प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित संबद्ध सामान अर्थात एल्युमीनियम और जिंक कोटेड फ्लैट उत्पादों के अनुरूप नहीं हैं और इसीलिए विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किए जाने चाहिए। घरेलू उद्योग का उत्पाद एल्युमीनियम तथा जिंक कोटेड फ्लैट उत्पाद है जबकि पोसमेक एल्युमीनियम की न्यूनतम मात्रा वाला जिंक एवं मैग्नीशियम फ्लैट उत्पाद है।

ड. आवेदक का यह तर्क कि 70 जीएसएम से कम की कोटिंग वाला विचाराधीन उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा बीआईएस दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन के कारण मुश्किल से ही उत्पादित किया जाता है। उत्तरदाताओं ने उल्लेख किया कि बीआईएस दिशा-निर्देश का अनुपालन 13 अगस्त, 2018 के इस्पात एवं इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2018 द्वारा 18 दिसंबर, 2018 से अनिवार्य कर दिया गया था जबकि क्षति अवधि अप्रैल, 2015 से सितंबर, 2018 है।

ढ. विचाराधीन उत्पाद आंशिक रूप से उपलब्ध बीआईएस मानकों आईएस 15961:2012 के अनुरूप है। ऐसा कोई मानक उपलब्ध नहीं है जो एक या अधिक ऐसे अतिरिक्त तत्वों से युक्त एल्युमीनियम तथा जिंक अलॉय इस्पात की अपेक्षा को शामिल करता हो, जो अलग अथवा संयोजन में भार में 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। पोसमेक इस्पात आईएस 15961:2012 के तहत नहीं आता और इसे वर्तमान जांच के क्षेत्राधिकार से बाहर होना चाहिए क्योंकि पोसमेक केवल जिंक कोटेड उत्पाद है और 2.5 प्रतिशत एल्युमीनियम की मौजूदगी और उस विशेषता को नहीं बदल सकती।

ण. निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह मूल्यांकन करना है कि क्या उत्पाद समान हैं अथवा प्रतिस्थापनीय हैं। यहां उत्पाद – "पोसमेक" और "गेल्वालूम" पूरी तरह भिन्न हैं और "पोसमेक" पर पाटनरोधी शुल्क भिन्न बताना अनौचित्यपूर्ण है।

त. पोस्को (ब्रांड नाम पोसमेक), निसिन (ब्रांड नाम जेएएम), एनएसएसएमसी (ब्रांड नाम सुपर डायमा) और ए-मित्तल (ब्रांड नाम मैग्नेलिस) तथा मैग्नीशियम 1-2 प्रतिशत कोटेड स्टील [जेएफई (ब्रांड नाम इकोगल), टाटा स्टील (मैग्निक), टीकीएस (इकोप्रोटेक्ट) और वीएएस (कोरेंडर)] का विनिर्माण आवेदक द्वारा नहीं किया जाता है और इस प्रकार अलग किया जाना चाहिए।

थ. एसपीडीए "पोसमेक" का प्रयोक्ता है जबकि आवेदक "गेल्वालूम" का उत्पादक है। यह उल्लेख करना संगत है कि:

(i) "पोसमेक" और "गेल्वालूम" की कोटिंग परत का रासायनिक संघटन पूरी तरह से भिन्न है।

(ii) दोनों उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय मानक वर्गीकरण भिन्न हैं।

(iii) "पोसमेक" का उत्पादन भारत में नहीं किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय रूप से केवल चार कंपनियां मैग्नीशियम 3 प्रतिशत कोटेड स्टील का उत्पादन कर सकती हैं: पोस्को (ब्रांड नाम पोसमेक), निसिन (ब्रांड नाम जेएएम), एनएसएसएमसी (ब्रांड नाम सुपर डायमा) और ए-मित्तल (ब्रांड नाम मैग्नेलिस)।

(iv) पोसमेक का उत्पाद जीवनकाल 25 वर्ष है और गेल्वालूम के लिए वह 10 वर्ष है। इससे "पोसमेक" उत्पाद 25 वर्षों के निवेश मॉडल पर आय पर आधारित सौर परियोजनाओं के लिए उपयुक्त हो जाता है।

द. विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र बहुत व्यापक है और उसके लिए बिना किसी युक्तिसंगतता के है। आरंभिक अधिसूचना में परिभाषित किए गए अनुसार विचाराधीन उत्पाद में प्रत्येक घटक के संवर्धन पर ध्यान न देते हुए एल्युमीनियम तथा जिंक के अलॉय से स्टील, प्लेटेड तथा कोटेड फ्लैट रोल्ड उत्पादों की सभी किस्में शामिल हैं।

ध. पोसमेक (पोस्को मैग्नीशियम एल्युमीनियम अलॉय कोटेड स्टील) जो अनिवार्य रूप से 94.5 प्रतिशत जिंक तथा 3 प्रतिशत मैग्नीशियम के अलॉय और 2.5 प्रतिशत एल्युमीनियम से कोटेड होते हैं, केवल इसलिए विचाराधीन उत्पाद में शामिल हैं क्योंकि उसमें एल्युमीनियम का बहुत कम अनुपात होता है जो प्राथमिक रूप से एक जिंक कोटेड उत्पाद है।

न. पोसमेक एक जिंक एवं मैग्नीशियम कोटेड उत्पाद ("जेडएम कोटेड उत्पाद") जिसमें उसमें शामिल एल्युमीनियम की बहुत नगण्य मात्रा होती है जो मात्रा की पोसमेक को एल्युमीनियम एवं जिंक कोटेड उत्पाद में नहीं लाती।

प. विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा एल्युमीनियम और जिंक का अलॉय होने पर आधारित है जिसमें एल्युमीनियम और जिंक दोनों की मात्राएं काफी होनी चाहिएं, यदि बराबर न हों।

फ. यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि घरेलू उत्पादकों ने जिंक कोटेड उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग करने की स्वयं ही इच्छा की है। तथापि, जिंक कोटेड उत्पादों को अलग करने से ऐसे उत्पाद में एल्युमीनियम की मात्रा के लिए दी गई कोई प्रारंभिक सीमा नहीं रही है।

ब. पोसमेक विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में नहीं आता है क्योंकि पोसमेक में विद्यमान एल्युमीनियम की मात्रा नगण्य है जो कि केवल 2.5 प्रतिशत है और जो इसे जिंक एवं मैग्नीशियम कोटेड उत्पाद बनाता है। यदि पोसमेक को इस जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद माना जाता है तो इस प्रकार से शामिल करने से बाजार स्थितियां प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगी और भारतीय ग्राहकों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता कमजोर होगी।

भ. एल्युमीनियम तथा जिंक कोटेड स्टील और जिंक एवं मैग्नीशियम कोटेड स्टील को एएसटीएम तथा यूरोपीय मानकों (ईएन) जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों में अलग विनिर्देशनों में वर्गीकृत किया जाता है।

म. घरेलू बाजार की मांग सौर ऊर्जा क्षेत्र में मांग के कारण काफी बढ़ी है। घरेलू उद्योग घरेलू बाजार की पूरी मांग को पूरा करने की स्थिति में नहीं है।

य. कलरशाइन मुख्य रूप से एजेड-40 पर मास कोटेड वाले विचाराधीन उत्पाद का आयात करता है जिसका उत्पादन और विनिर्माण आवेदक जेएसडब्ल्यू स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स लिमिटेड तथा अन्य भारतीय उत्पादकों यथा टाटा स्टील लिमिटेड सहित भारतीय उत्पादकों द्वारा नहीं किया जाता है।

(कक) एचएस कोड 72106900 में एल्युमीनियम तथा सिलिकॉन कोटेड मैटेरियल शामिल है जिनका विनिर्माण घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है।

(खख) जिंक और मैग्नीशियम कोटेड को 1.5 से 8 प्रतिशत तक की एल्युमीनियम और मैग्नीशियम की मात्रा तथा शेष जिंक ("एएसटीएम 1046/1046एम" के बराबर) के साथ ईएन10346(जेडएम) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जबकि एल्युमीनियम जिंक कोटेड 1.5 प्रतिशत सिलिकॉन (समतुल्य) से एएसटीएम 792/792एम से युक्त 55 प्रतिशत एल्युमीनियम अलॉइड के साथ "ईएन10346(एजेड)" के रूप में वर्गीकृत है।

(गग) वर्तमान में घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद (गेल्वालूम) की अपेक्षित गुणवत्ता तथा लागत के अनुसार सौर उद्योग की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है।

(घघ) इसके अतिरिक्त, सौर उद्योग की अनुमानित वृद्धि (और एमएमएस के लिए मांग में परिणामी वृद्धि जिसमें से विचाराधीन उत्पाद प्राथमिक कच्ची सामग्री है) नुमाइशी है।

(ङङ) इनपुट/कच्ची सामग्री की लागत में किसी भारी वृद्धि का इन परियोजनाओं की निष्पादन लागत पर काफी प्रभाव होगा और अंतिम रूप से प्रशुल्क में वृद्धि होगी जो भारत के नागरिकों पर जाएगी।

(चच) यथा अपेक्षित मिन एजेड-20 स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के पास उपलब्ध नहीं है। आयातित उत्पाद स्किम पास्ड है जो एफजी में बेहतर गुणवत्ता देता है और घरेलू उत्पाद की अपेक्षा गुणवत्ता में काफी कम विसंगतियां हैं।

(छछ) पोसमेक की मोटाई दर (मोटाई 1.2-एमएम में विशेष रूप से) इस उत्पाद को लागत एवं समय प्रभावी दोनों बनाती है।

(i) उदाहरण के लिए सौर संरचना निर्माताओं को कॉलमों की संख्या कम करने तथा निर्माण का समय बचाने के लिए 2 एमएम-4 एमएम मोटी इस्पात सामग्री की आवश्यकता होती है।

(ii) गेल्वालूम जो केवल 0.8 एमएम से 1.2 एमएम तक उत्पादित किया जाता है, व्यापक सौर पैनल के सपोर्ट बनाने तथा भारी पवन भार के समुचित स्रोत के रूप में नहीं माना जाता है।

(जज) जेडएम कोटेड स्टील के रूप में पोसमेक में गेल्वालूम (एजेड कोटेड) की तुलना में दो विशिष्ट क्षरणरोधी गुणधर्म होते हैं। एक "सेल्फ-हीलिंग सिस्टम" और दूसरा "अल्कालाइन प्रतिरोध" हैः

(iii) "सेल्फ-हीलिंग सिस्टम" ऐज पर "रेड रस्ट" से क्षरण को रोकता है और "ऐज" प्रत्येक क्षरण बनता है जब कॉइल और शीट मैटेरियल काटा जाता है, स्टेम किया जाता है और यहां तक कि स्क्रैच किया जाता है।

(iv) गेल्वालूम और एजेड कोटेड में सेल्फ हीलिंग प्रणाली नहीं होती है जबकि पोसमेक जैसे जेडएम कोटेड स्टील में वह जिंक और मैग्नीशियम घटकों को कारण होती है। एल्युमीनियम की स्वल्प मात्रा केवल तकनीकी कारणों से अपेक्षित होती है जब उत्पाद जिंक कोटेड होता है।

(v) गेल्वालूम/ एजेड कोटेड स्टील निर्माताओं द्वारा पोसमेक/जेडएम कोटेड स्टील का प्रतिस्थापन नहीं माना जाता है क्योंकि गेल्वालूम का प्रयोग करने से लाभ मे हानि होती है क्योंकि ऐज इतनी कट ऑफ होनी चाहिए जितनी वह परिवर्तित उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित कर सके।

(vi) सौर विद्युत उत्पादक इसका प्रयोग करने में उदासीन होते हैं क्योंकि सौर परियोजना के लिए 25 वर्ष के वारंटीशुदा टिकाऊपन की अपेक्षा होती है। वे सुरक्षा की वारंटी चाहते हैं और बार-बार मरम्मत/बदलने के बिना सौर ऊर्जा संरचना की लंबी लाइन चाहते हैं।

(vii) "अल्कालाइन रेसिसटेंस" में क्या होता है, गेल्वालूम प्रयोक्ताओं की वेबसाइट यह दर्शाती है कि गेल्वालूम का प्रयोग कंक्रीट ग्राउंड अथवा फार्म जैसे अल्कालाइन पर्यावरण में नहीं किया जाना चाहिए जहां सामग्री कृषि रसायनों तथा अन्य में रखी जाती है क्योंकि उस पर्यावरण में कोटिंग भार की हानि का चक्र कम हो जाता है। इसके विपरीत, पोसमेक तथा जिंक कोटेड स्टील भी उसी पर्यावरण में अधिक लंबे समय तक क्षरण को रोक सकते हैं।

(viii) प्री-पेंटेड तथा कलर कोटेड एल्युमीनियम जिंक अलॉय कोटेड स्टील शीट्स (प्री-कोटेड एसजीएल शीट) अर्थात विभिन्न मोटाई तथा चौड़ाई वाले प्री-पेंटेड गेल्वालूम कॉइल जांच में शामिल नहीं हैं और उसे अलग रखा जाना चाहिए।

ग.2.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात अनुरोध</u>

10. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोध निम्नलिखित हैं:

क) भारत में आयातित किए जा रहे उत्पाद विभिन्न ग्रेडों, श्रेणियों और रेंजों, जो कीमत को प्रभावित करते हैं, विचाराधीन उत्पाद के लिए पीसीएन वार विश्लेषण इस जांच में अनिवार्य था।

ख) घरेलू उद्योग स्पष्ट रूप से पीसीएन वार विश्लेषण नहीं चाहता क्योंकि वह विभिन्न ग्रेड नहीं बनाता। तथापि, सभी उत्पादकों, विशेष रूप से कोरिया के उत्पादकों ने वे आंकड़ा आधार प्रस्तुत किए हैं जो उनके द्वारा आंतरिक रूप से अपनाए गए पीसीएन हैं। यह प्राधिकारी के पास उपलब्ध आंकड़ों से सिद्ध है कि भारत को निर्यातित किए जा रहे विभिन्न ग्रेडों के बीच कीमतों में काफी अंतर है।

ग) केवल इस कारण कि याचिकाकर्ता "ने पीसीएन वार विश्लेषण का प्रस्ताव नहीं किया है" में यह निर्धारित करने के लिए आधार नहीं हो सकता कि क्या इस प्राधिकारी को पीसीएन वार प्रस्तुत किए जाने वाले आंकड़ों के लिए अनुरोध करना चाहिए।

घ) विगत में जांचें हुई हैं, यथा (1) एलास्टॉमेरिक यार्न, (2) फ्लैक्स यार्न और (3) एल्युमीनियम फॉइल, जहां प्राधिकारी ने उत्पादकों/निर्यातकों के विशेष अनुरोध पर पीसीएन अधिसूचित करने का निर्णय लिया, यहां तक कि यद्यपि उसके लिए याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा अनुरोध नहीं किया गया था।

ङ) पीसीएन सिद्धांत को न अपनाने से निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत, दोनों में कीमत का भारी ह्रास होगा।

च) पीसीएन वार विश्लेषण पोस्को के लिए और अधिक अनिवार्य हो जाता है क्योंकि यह प्राधिकारी पोस्को और उसके संबंधित उत्पादक, पोस्को सीएंडसी को एक समूह के रूप में मान रहे हैं। रिकार्ड से यह सिद्ध है कि पोस्को का उत्पाद पोसमेक जिंक मैग्नीशियम उत्पाद है जबकि पोस्को सीएंडसी का उत्पाद अल्जास्ता गेल्वालूम है। अतः इन दोनों भिन्न उत्पादों को एक ही ग्रेड मानना तथा पोस्को समूह में इन दो कंपनियों के लिए भारित औसत निकालना गलत होगा।

छ) "जीजीएल स्ट्रक्चरल-150" उत्पाद का भारत में लगभग 99 प्रतिशत हिस्सा है। तथापि, घरेलू (कोरिया) बाजार में "जीजीएल स्ट्रक्चरल-150" का बिक्री हिस्सा 0.04 प्रतिशत (=23 मी. टन/60,286 मी. टन) था। अतः पीसीएन वार विश्लेषण करना स्पष्ट है।

ज) डोंगकुक जिंक तथा मैग्नीशियम कोटेड जिक्स का उत्पादक है जिसे 94 प्रतिशत जिंक और 4 प्रतिशत एल्युमीनियम अलॉय तथा 2 प्रतिशत मैग्नीशियम से कोट किया जाता है तथा जेडएम उत्पाद कहा जाता है। डोंगकुक ने अपने उत्पाद के संबंध में विस्तृत अनुरोध किया है कि जिक्स कैसे इस जांच में विचाराधीन उत्पाद की "समान वस्तु" नहीं है।

झ) पोस्को जिंक तथा मैग्नीशियम कोटेड पोसमेक (पोस्को मैग्नीशियम एल्युमीनियम अलॉय कोटेड स्टील) का उत्पादक है जिसमें 94.5 प्रतिशत जिंक तथा 3 प्रतिशत मैग्नीशियम अलॉय और 2.5 प्रतिशत एल्युमीनियम होता है। जांच की अवधि के दौरान पोसमेक की सभी बिक्रियां पोस्को द्वारा कोरिया में

दो असंबद्ध व्यापारियों यथा सैमसंग सीएंडटी कारपोरेशन तथा जीएस ग्लोबल को की गई हैं। पोस्को ने अपनी संबद्ध कंपनियों के माध्यम से या सीधे ही भारत को कोई निर्यात नहीं किए हैं।

ञ) समान उत्पाद होने के नाते इस उत्पाद से संबंधित इस जांच में हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे कोई "रिकार्ड" और/अथवा "साक्ष्य" सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

11. विचाराधीन उत्पाद अर्थात समान वस्तु संबंधी मुद्दों के संबंध में प्रकटन पश्चात अनुरोधों सहित जांच प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की निम्नलिखित रूप में जांच की गई है:

क. जहां तक पोसमेक को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग करने का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि गेल्वालूम के प्रयोक्ता अपने अंतिम अनुप्रयोगों के लिए पोसमेक का प्रयोग प्रतिस्थापनीय रूप से करते हैं। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए रिकार्ड से यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि एल्युमीनियम तथा जिंक कोटेड फ्लैट स्टील उत्पादों के प्रयोक्ता संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा उत्पादित एवं बेचे गए पोसमेक और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित तथा बेचे गए गेल्वालूम का भी परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयोग करते हैं। यद्यपि, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित तथा बेचे गए संबद्ध सामानों का रासायनिक संघटन संबद्ध देशों से आयातित पोसमेक से भिन्न है, तथापि भारत में प्रयोक्ताओं द्वारा उनका प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से किया जा रहा है। इस प्रकार, रिकार्ड की जांच तथा घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए साक्ष्य के आधार पर यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किया जा रहा एल्युमीनियम एवं जिंक कोटेड उत्पाद पोसमेक की समान वस्तु है और वाणिज्यिक एवं तकनीकी रूप से पोसमेक को प्रतिस्थापित कर सकता है।

जिक्स को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग करने के संबंध में यह नोट किया जाता है कि यह मुद्दा पोसमेक से संबंधित मुद्दे की ही तरह है। रिकार्ड तथा घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए साक्ष्य की जांच करने पर यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किए जा रहे एल्युमीनियम तथा जिंक कोटेड उत्पाद जिक्स की समान वस्तु है और वह जिक्स को वाणिज्यिक एवं तकनीकी रूप से प्रतिस्थापित कर सकता है।

ख. एसपीडीए के इन अनुरोधों के संबंध में कि पोसमेक और गेल्वालूम का प्रयोग दोनों उत्पादों के गुणधर्मों में अंतर के कारण भिन्न है तथा पोसमेक का प्रयोग कॉलमों तथा ब्रेशरों के निर्माण के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है जबकि गेल्वालूम का प्रयोग रैफटर्स तथा पुरलिन के निर्माण के लिए किया जाता है, घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य दिए हैं कि जेएसडब्ल्यू के गेल्वालूम का प्रयोग पुरलिन्स, रैफटर्स, कॉलम्स, ब्रेशर्स, एंगल आदि सहित सोलर माउंटिंग संरचनाओं के निर्माण के लिए किया जा रहा है। प्राधिकारी ने इस मुद्दे की विस्तार से जांच की है और प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत रिकार्ड से यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग उसी अनुप्रयोग के लिए सोलर मॉड्यूलों में प्रयोग के लिए एल्युमीनियम तथा जिंक कोटेड स्टील उत्पादों का विनिर्माण एवं आपूर्ति कर रहा है जहां पोसमेक का प्रयोग किया जा रहा है। तद्नुसार, यह स्पष्ट है कि पोसमेक और गेल्वालूम का अंतिम प्रयोग समान है तथा दोनों उत्पादों का समान अंतिम प्रयोग अनुप्रयोगों के लिए परस्पर परिवर्तनीय रूप से किया जा रहा है।

ग. कुछ हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि सोलर मॉडलों में प्रयोग के लिए आयातित संबद्ध सामानों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया जाना चाहिए, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग सोलर मॉडलों में भी प्रयोग के लिए संबद्ध सामानों की आपूर्ति करता है।

घ. 70 जीएसएम से कम कोटिंग मास वाले विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन और बिक्री न करने के घरेलू उद्योग के मुद्दे पर यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के अनुसरण में बीआईएस दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन के कारण इन विशिष्ट उत्पादों का उत्पादन मुश्किल से ही कर रहा है।

ङ. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत जिंक को जोड़े बिना एल्युमीनियम से युक्त फ्लैट रोल्ड स्टील उत्पादों के संबंध में कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के संबंध में यह नोट किया जाता है कि उसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग कर दिया गया है।

च. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए इस अनुरोध के संबंध में कि प्री-पेंटेड तथा कलर कोटेड एल्युमीनियम जिंक अलॉय कोटेड स्टील शीट्स (प्री-कोटेड एसजीएल शीट) अर्थात विभिन्न मोटाई तथा चौड़ाई वाले प्री-पेंटेड गेल्वालूम कॉइल जांच में शामिल नहीं हैं और उसे अलग रखा जाना चाहिए, यह नोट किया जाता है कि पेंटेड तथा कलर कोटेड एल्युमीनियम जिंक अलॉय कोटेड स्टील शीट्स (प्री-कोटेड एसजीएल शीट) को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया गया है।

छ. कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए इन अनुरोधों के संबंध में कि विचाराधीन उत्पाद के एचएस कोड बहुत व्यापक हैं, यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के लिए उल्लिखित सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच के क्षेत्र पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है। इस जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र उपयुक्त शीर्ष के तहत स्पष्ट रूप से उल्लिखित है।

ज. कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए इन अनुरोधों के संबंध में कि प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए पीसीएन आधारित विश्लेषण नहीं किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीसीएन सिद्धांत केवल उन मामलों में अपेक्षित है जहां विचाराधीन उत्पाद/समान वस्तु के विभिन्न ग्रेड तथा रूप हों और इन ग्रेडों तथा रूपों के बीच काफी लागत तथा कीमत का अंतर हो। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन पत्र में किसी पीसीएन वार विश्लेषण का प्रस्ताव नहीं किया है। जांच प्रक्रिया के दौरान यह नोट किया गया था कि घरेलू उद्योग द्वारा बेचे गए घरेलू समान उत्पाद की कीमतों में काफी अंतर नहीं है। इसी प्रकार, निर्यातक के आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद प्राधिकारी उनके घरेलू बाजार में उनके द्वारा बेचे गए विचाराधीन उत्पाद तथा भारत को निर्यातों की लागतों और कीमतों में काफी अंतर नहीं पा सके। इसके अतिरिक्त, एक सहयोगी उत्पादक तथा निर्यातक ने उल्लेख किया है कि वर्तमान जांच में पीसीएन निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि विभिन्न ग्रेड/पीसीएन की लागत एवं बिक्री कीमत में काफी अंतर नहीं है। तद्नुसार, विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों की जांच करने के बाद वर्तमान जांच में पीसीएन वार विश्लेषण करना उपयुक्त नहीं पाया गया है।

झ. इस तर्क के संबंध में कि पोसमेक आईएस 15961:2012 के तहत नहीं आता और उसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद किसी बीआईएस मानक के आधार पर परिभाषित नहीं किया गया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि नियमावली के तहत ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र बीआईएस मानक के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

ञ. कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए इस अनुरोध के संबंध में कि विचाराधीन उत्पाद काफी व्यापक और अस्पष्ट है, यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों से आयातों, तथा घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री के मद्देनजर उपयुक्त रूप से परिभाषित किया गया है। प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर निष्कर्ष निकालने से पूर्व सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों की पूरी तरह से जांच की है।

ग.4 <u>विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र एवं समान वस्तु</u>

12. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों तथा रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह मानते हैं कि विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित है:

"एल्युमीनियम और जिंक के अलॉय से स्टील, प्लेटेड अथवा कोटेड के फ्लैट रोल्ड उत्पाद है। एल्युमीनियम और जिंक के इस अलॉय में एक या अधिक अतिरिक्त तत्व निहित हो सकते हैं जो अलग-अलग अथवा संयुक्त रूप से भार में 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।"

इसके अतिरिक्त, विचाराधीन उत्पाद कॉइल रूप में नहीं हो सकते हैं, चाहे वो प्लेन कोरूगेटेड अथवा प्रोफाइल्ड रूप में हों या न हों। विचाराधीन उत्पाद स्किन-पास्ड/टेम्पर मिल पर प्रसंस्कृत अथवा नॉन-स्किन-पास्ड हो सकते हैं, भले ही वे अतिरिक्त नॉन-मैटेलिक कोटिंग के साथ अथवा बिना शोधी गई सतह हों या न हों। विचाराधीन उत्पाद विभिन्न व्यापारिक नामों में आपूर्ति किया जा सकता है, परंतु वे एलु-जिंक, एल-जेडएन, जिंक-एल्युमीनियम, एल्युमीनियम-जिंक, जिंकालूम, गेल्वालूम आदि तक सीमित न हों। यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद क्षरण में प्रतिरोधकता देता है तथा कई अनुप्रयोगों तथा क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जाता है, परंतु अवसंरचना परियोजनाओं, सौर विद्युत परियोजनाओं, रूफिंग, वॉलिंग डेकिंग,

क्लेडिंग तथा फ्रेमिंग, व्हाइट गुड्स एवं यंत्रों, फर्नीचर एवं कलर कोटेड स्टील के लिए सबस्ट्रेट तक सीमित नहीं है। विचाराधीन उत्पाद में निम्नलिखित उत्पाद शामिल नहीं होते हैं:

i. एल्युमीनियम को शामिल किए बिना जिंक से कोटेड फ्लैट रोल्ड स्टील उत्पाद;

ii. जिंक मिलाए बिना एल्युमीनियम के साथ कोटेड फ्लैट रोल्ड स्टील उत्पाद

iii. प्री-पेंटेड तथा कलर कोटेड एल्युमीनियम जिंक अलॉय कोटेड स्टील शीट्स (प्री-कोटेड एसजीएल शीट)

13. विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रशुल्क मदों 72106100, 72125090, 72259900 और 72269990 के तहत आता है। विचाराधीन उत्पाद अन्य सीमा प्रशुल्क मदों 72101290, 72103090, 72104900, 72106900, 72107000, 72109090, 72121090, 72122090, 72123090, 72124000, 72169910, 72255010, 72259100, 72259200, 72269930 आदि के तहत भी आयात किया जा रहा है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच के क्षेत्र पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है।"

14. समान वस्तु के संबंध में नियमावली के नियम 2(घ) में निम्नलिखित प्रावधान है - "समान वस्तु" का अभिप्राय उस वस्तु से है जो भारत में पाटित का जा रही अथवा उस वस्तु के अभाव में दूसरी वस्तु के लिए जांचाधीन वस्तु के हर प्रकार से समान अथवा मिलती जुलती हो जो यद्यपि हर प्रकार से समान न हो, जिसमें जांचाधीन वस्तु से निकटता से मिलती जुलती विशेषताएं हों। रिकार्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करने के बाद प्राधिकारी का यह मत है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान रासायनिक विशेषताओं, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पादन विशिष्टियों, वितरण एवं विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण की दृष्टि से विचाराधीन उत्पाद से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। इस प्रकार, प्राधिकारी का यह मत है कि आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु हैं जो कि नियमावली के अनुसार संबद्ध देशों से आयातित किया जाता है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि घरेलू उद्योग समान वस्तु का उत्पादन कर रहा है और सोलर मॉडलों में भी प्रयोग के लिए उसकी आपूर्ति कर रहा है।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र तथा आधार

15. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध आवेदन मैसर्स जेएसडब्ल्यू स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक के अलावा भारत में विचाराधीन उत्पाद के तीन अन्य उत्पादक अर्थात मैसर्स टाटा ब्लू स्कोप स्टील प्रा. लि., मैसर्स टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड और मैसर्स एशियन कलर कोटेड इस्पात लि. हैं। यह दावा किया गया था कि मैसर्स एशियन कलर कोटेड इस्पात लि. ने 2017 से आगे से विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन नहीं कर रहा है।

घ.1 घरेलू अद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

16. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में जांच प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

क. आवेदन पत्र मैसर्स जेएसडब्ल्यू स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया था जो भारत में संबद्ध सामानों का उत्पादक है। विचाराधीन उत्पाद के तीन अन्य ज्ञात उत्पादक हैं अर्थात मैसर्स टाटा ब्लू स्कोप स्टील प्रा. लि., मैसर्स टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड और मैसर्स एशियन कलर कोटेड इस्पात लि.।

ख. आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और भारत में किसी आयातक अथवा संबद्ध देशों से किसी निर्यातक से संबंधित नहीं है। आवेदक का विचाराधीन उत्पाद के कुल भारतीय उत्पादन में प्रमुख अनुपात है।

ग. इस तर्क के संबंध में कि किसी अन्य विनिर्माता से सहायता के बिना चार विनिर्माताओं में से एक घरेलू उद्योग नहीं हो सकता, आवेदक ने अनुरोध किया कि उसका संबद्ध सामानों के कुल घरेलू उत्पादन में 60 प्रतिशत से अधिक का हिस्सा है। अतः वह नियमावली के नियम 5(3)(क) और नियम 5(3)(ख) में दिए गए

25 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत परीक्षणों, दोनों को पूरा करता हुआ माना जाता है। यह भी अनुरोध किया गया था कि उत्तरदाता यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य देने में विफल रहे कि आवेदक का संबद्ध सामानों के कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात नहीं है।

घ. आवेदक ने उन मामलों का उल्लेख किया है जहां प्राधिकारी ने बिना किसी समर्थक के एक आवेदक को उसका तर्क सिद्ध करने के लिए घरेलू उद्योग माना है। ये मामले निम्नलिखित थे:

i. *चीन जन. गण, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कोटेड पेपर"।*

ii. *चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 4, 4 डायमीनोस्टिलबेन 2, 2 डायसल्फोनिक एसिड (डीएएसडीए)।*

घ.1.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोध

17. घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से यह पुष्टि करने का अनुरोध किया है कि वे नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) के अनुसार घरेलू उद्योग की आधार अपेक्षा को पूरा करते हैं तथा घरेलू उद्योग हैं।

घ.2 <u>विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध</u>

18. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में विभिन्न अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. वर्तमान आवेदन पत्र एक कंपनी द्वारा किया गया है और "एल्युमीनियम एवं जिंकके अलॉय से कोटेड अथवा प्लेटेड स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पाद के अन्य विनिर्माताओं द्वारा इसका समर्थन नहीं किया गया है। एल्युमीनियम एवं जिंक के इस अलॉय में एक या अधिक अतिरिक्त घटक हो सकते हैं जो अलग अथवा संयुक्त रूप से भार में 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।" आवेदक स्वीकार करते हैं कि निम्नलिखित कंपनियां समान विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करती हैं:

(i) टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड;

(ii) टाटा ब्लू स्कोप स्टील प्रा. लिमिटेड;

(iii) एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड

ख. उपर्युक्त विनिर्माताओं में से किसी भी विनिर्माता ने आवेदक के आवेदन पत्र का समर्थन नहीं किया है। यह अनुरोध है कि चार विनिर्माताओं में से एक विनिर्माता पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत "घरेलू उद्योग" नहीं बन सकता।

ग. नियम 2(ख) का पहला घटक अर्थात "समान वस्तु का विनिर्माता" अनुपस्थित है क्योंकि आवेदक कुछ विचाराधीन उत्पाद विशेष रूप से "पोसमेक" का उत्पादन भी नहीं करता और आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद "पोसमेक" के अर्थक्षम प्रतिस्थापन भी नहीं है।

घ. आवेदक ने अन्य विनिर्माताओं द्वारा उत्पादन के मूल्यांकन के लिए झूठा आधार दर्शाया है क्योंकि चार विनिर्माताओं में से केवल एक ने आवेदन पत्र दायर किया है। यद्यपि, अन्य विनिर्माताओं का उत्पादन काफी है। यह विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया जाता है कि अन्य विनिर्माताओं के उत्पादन के संबंध में प्राधिकृत आंकड़ों के अभाव में आवेदक को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग नहीं माना जा सकता।

ङ. अन्य विनिर्माताओं द्वारा उत्पादन के मूल्यांकन के लिए अस्पष्ट आधार दिया गया है और निम्नलिखित रूप में उल्लिखित किया गया है:

"संबंधित उत्पादकों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर। प्राधिकारी संबंधित स्रोतों से इसका सत्यापन कर सकते हैं।"

घ.2.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोध</u>

19. इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई टिप्पणियां नहीं की गई हैं।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

20. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में निम्नलिखित प्रावधान हैः

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

21. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह आवेदन मैसर्स जेएसडब्ल्यू स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है जो भारत मे संबद्ध सामानों का प्रमुख उत्पादक है। भारत में विचाराधीन उत्पाद के तीन अन्य ज्ञात उत्पादक हैं अर्थात मैसर्स टाटा ब्लू स्कोप स्टील प्रा. लि., मैसर्स टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड और मैसर्स एशियन कलर कोटेड इस्पात लि.।

22. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक कंपनी ने न तो संबद्ध सामानों का आयात किया है और न ही वे संबद्ध सामानों के किसी आयातक अथवा निर्यातक से संबद्ध हैं। रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि आवेदक का भारत में संबद्ध सामानों के कुल उत्पादन में प्रमुख अनुपात (60 प्रतिशत से अधिक) है। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि इस जांच के प्रयोजन के लिए आवेदक आधार की अपेक्षाओं को पूरा करती है और पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) तथा नियम 5(3) के अनुसार घरेलू उद्योग है।

ङ. गोपनीयता से संबंधित मुद्दे

ङ.1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

23. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. उत्तरदाताओं के इस तर्क के संबंध में कि आवेदक ने कुछ पहलुओं के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है, आवेदक ने अनुरोध किया कि नियमावली के नियम 7 तथा 07 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना संख्या 10/2018 के अनुसार वास्तविक आंकड़ों का प्रकटन अपेक्षित नहीं है और केवल कुछ मानदंडों के संबंध में केवल प्रवृत्तियों को प्रकट किए जाने की आवश्यकता है। आवेदक ने यह भी अनुरोध किया कि उन्होंने आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर में उपर्युक्त आंकड़े सूचीबद्ध रूप में दिए हैं।

ख. डोंगकुक ग्रुप ने उत्पादकों, निर्यातकों और संबंधित आयातकों ने विभिन्न सूचना के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है जो कि न तो व्यापार संवेदी है और न ही उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डालने में सक्षम है। डोंगकुक स्टील मिल कं. लि., कोरिया गणराज्य ने निम्नलिखित के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है:

(i) निर्यात बिक्री तथा गृह बाजार में बिक्री के लिए विपणन के चैनल, भारत को निर्यात के लिए वितरण चैनल गोपनीय रखे गए हैं जिसके कारण उन पक्षकारों की पहचान नहीं की जा सकती जिनके माध्यम से भारत को निर्यात होते हैं।

(ii) भारत को निर्यात बिक्री के लिए बिक्री वार्ता प्रक्रिया, दावा किए गए व्यय, गृह बाजार में बिक्री के लिए वितरण चैनलों के ब्यौरे गृह बाजार में बिक्री के लिए बिक्री वार्ता प्रक्रिया को गोपनीय नहीं रखा जा सकता।

(iii) विनिर्माण प्रक्रिया बीजक के बाद/बिक्री छूट अथवा घरेलू ग्राहकों को दी गई वर्ष के अंत में छूट गोपनीय नहीं रखी जा सकती।

(iv) डोंगकुक स्टील मिल कं. लि. द्वारा अगोपनीय रुपांतर में परिशिष्टों 6, 7, 8 और 9 को पूरी तरह गोपनीय माना गया है। इन परिशिष्टों तथा प्रदर्शों को न दिए जाने के अभाव में आवेदक यह सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं हैं कि कौन से परिशिष्ट और प्रदर्श हैं, उन्हें गोपनीय क्यों माना जा रहा है, उनका सार संभव क्यों नहीं है।

ग. ह्योसंग टीएनसी कारपोरेशन, कोरिया ने निम्नलिखित के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है:

(i) बेचे गए उत्पादों की सूची, कंपनी के विश्वव्यापी कारपोरेट ढांचे एवं संबद्धों के ब्यौरे, मूल कंपनियों सहित दिए जाने चाहिए और उन्हें गोपनीय नहीं रखा जा सकता।

(ii) भारत को निर्यात के लिए वितरण चैनल गोपनीय रखे गए हैं जिसके कारण उन पक्षकारों की पहचान नहीं की जा सकती जिनके माध्यम से भारत को निर्यात होते हैं। यह सूचना गोपनीय नहीं रखी जा सकती।

घ. डोंगकुक स्टील इंडिया प्रा. लि. ने निम्नलिखित के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है:

(i) शेयरधारकों की सूची, कंपनी द्वारा बेचे गए उत्पादों की सूची दी जानी चाहिए। यह सूचना गोपनीय नहीं रखी जा सकती।

(ii) वितरण चैनल और संबद्ध पक्षकार की सूचना गोपनीय नहीं रखी जा सकती क्योंकि वितरण चैनल अनिवार्य रूप से प्रकट किया जाना होता है।

(iii) बिक्री वार्ता प्रक्रिया।

ङ. उपर्युक्त के मद्देनजर, डोंगकुक ग्रुप में उत्पादकों, निर्यातकों और संबंधित आयातकों को असहयोगी माना जाना चाहिए क्योंकि वे अगोपनीय रुपांतर में अनिवार्य सूचना प्रकट करने में विफल रहे हैं और साथ ही उन्होंने 07 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना संख्या 10/2018 का उल्लंघन भी किया है।

च. डोंगबू ग्रुप ने उत्पादक एवं निर्यातक ने विभिन्न सूचना के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है जो कि न तो व्यापार संवेदी है और न ही उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डालने में सक्षम है। डोंगबू स्टील एंड इनचियोन कोरिया ने निम्नलिखित के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है:

(i) मूल शेयरधारकों की सूची, डोंगबू स्टील और इनचियोन द्वारा बेचे गए सभी उत्पादों की सूची दी जानी चाहिए। यह सूचना गोपनीय नहीं रखी जा सकती।

(ii) कंपनी का विश्वव्यापी कारपोरेट ढांचा तथा संबद्ध, मूल कंपनियों तथा अन्य संबंधित कंपनियों सहित दिया जाना चाहिए।

(iii) गृह बाजार में बिक्री के लिए वितरण चैनलों के ब्यौरे।

(iv) घरेलू ग्राहकों को दी गई बीजक के बाद/बिक्री छूट अथवा वर्ष के अंत में छूट।

(v) विनिर्माण प्रक्रिया तथा उत्पादन प्रवाह का चार्ट।

(vi) डोंगबू स्टील एंड इनचियोन द्वारा अगोपनीय रुपांतर में परिशिष्ट 6, 7, 8 और 9 को गोपनीय माना गया है। इन परिशिष्टों तथा प्रदर्शों को न दिए जाने के अभाव में हम यह सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं हैं कि कौन से परिशिष्ट और प्रदर्श हैं, उन्हें गोपनीय क्यों माना जा रहा है, उनका सार संभव क्यों नहीं है।

छ. उपर्युक्त के मद्देनजर, डोंगबू ग्रुप ने उत्पादकों और निर्यातकों को असहयोगी माना जाना चाहिए क्योंकि वे अगोपनीय रुपांतर में अनिवार्य सूचना प्रकट करने में विफल रहे हैं और साथ ही उन्होंने 07 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना संख्या 10/2018 का उल्लंघन भी किया है।

ज. जीएस ग्लोबल कारपोरेशन ने विभिन्न सूचना के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है जो कि न तो व्यापार संवेदी है और न ही उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डालने में सक्षम है। आवेदक जीएस ग्लोबल कारपोरेशन के लिए गोपनीयता से संबंधित मुद्दों की जांच की है और वह निम्नलिखित रूप में उल्लिखित है:

(i) मूल शेयरधारकों की सूची दी जानी चाहिए।

(ii) जीएस ग्लोबल कारपोरेशन द्वारा बेचे गए सभी उत्पादों की सूची दी जानी चाहिए।

(iii) जीएस ग्लोबल कारपोरेशन द्वारा संबंधित कंपनियों की सूची दी गई है, परंतु उनके टेलीफोन, फैक्स नंबर और ई-मेल पते नहीं दिए गए हैं। प्रत्येक कंपनी के क्रियाकलाप तथा इसके ब्यौरे कि वे भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात में शामिल हैं अथवा नहीं, भी दिए जाने चाहिए।

(iv) कंपनी की वित्तीय एवं लागत लेखांकन प्रणाली।

(v) भारत को निर्यात के लिए वितरण चैनल गोपनीय रखे गए हैं जिसके कारण उन पक्षकारों की पहचान नहीं की जा सकती जिनके माध्यम से भारत को निर्यात किए जाते हैं।

(vi) भारत को निर्यात की बिक्री के लिए बिक्री वार्ता प्रक्रिया।

(vii) गृह बाजार में बिक्री के लिए वितरण चैनलों के ब्यौरे।

(viii) गृह बाजार में बिक्री के लिए बिक्री वार्ता प्रक्रिया।

(ix) भारत में संबंधित पक्षकार का नाम।

झ. उपर्युक्त के मद्देनजर, जीएस ग्लोबल कारपोरेशन को असहयोगी माना जाना चाहिए क्योंकि वे अगोपनीय रुपांतर में अनिवार्य सूचना प्रकट करने में विफल रहे हैं और साथ ही उन्होंने 07 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना संख्या 10/2018 का उल्लंघन भी किया है।

ञ. पोस्को ग्रुप में उत्पादकों, निर्यातकों और संबंधित आयातकों ने विभिन्न सूचना के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है जो कि न तो व्यापार संवेदी है और न ही उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डालने में सक्षम है। पोस्को ने निम्नलिखित मुद्दों के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है:

(i) पोस्को द्वारा संबंधित कंपनियों की सूची दी गई है, परंतु उनके टेलीफोन, फैक्स नंबर और ई-मेल पते नहीं दिए गए हैं। प्रत्येक कंपनी के क्रियाकलाप तथा इसके ब्यौरे कि वे भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात में शामिल हैं अथवा नहीं, भी दिए जाने चाहिए।

(ii) पोस्को ने अनुरोध किया है कि वह जिंक, एल्युमीनियम और मैग्नीशियम कोटेड स्टील उत्पादों, जिन्हें "पोसेएमएसी" कहा जाता है, का उत्पादन करता है जो कि विचाराधीन उत्पाद से भिन्न है। अपने दावे के समर्थन में पोस्को ने प्रदर्श बी-1 में पोसमेक और विशिष्ट एल्युमीनियम जिंक कोटेड स्टील के बीच तुलना दर्शाते हुए अपने उत्पाद के ब्रोशर में दिया है। तथापि, यह उत्पाद ब्रोशर अगोपनीय रुपांतर में नहीं दिया गया है। उत्पाद ब्रोशर के अभाव में आवेदक इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी दायर करने में सक्षम नहीं होगा।

(iii) भारत को निर्यात के लिए वितरण चैनल गोपनीय रखे गए हैं जिसके कारण उन पक्षकारों की पहचान नहीं की जा सकती जिसके माध्यम से भारत को निर्यात किए जाते हैं।

(iv) भारत को निर्यात बिक्री के लिए बिक्री वार्ता प्रक्रिया, गृह बाजार में बिक्री के लिए वितरण चैनलों के ब्यौरे और गृह देश में बिक्री के लिए बिक्री वार्ता प्रक्रिया।

(v) उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त कच्ची सामग्री का नाम परिशिष्टों 1, 3क, 4क, 4ख, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और प्रदर्श बी-1, डी-1, जी-1, जी-2, ई-1, एफ-1, एफ-2 अगोपनीय रुपांतर में पोस्को द्वारा नहीं दिए गए हैं। इन परिशिष्टों और प्रदर्शों को न दिए जाने के अभाव में आवेदक यह सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं हैं कि इन परिशिष्टों और प्रदर्शों में क्या है, उन्हें गोपनीय क्यों माना जा रहा है और उनका सार संभव क्यों नहीं है।

ट. उपर्युक्त के मद्देनजर, पोस्को ग्रुप में उत्पादकों और निर्यातकों एवं संबंधित आयातकों को असहयोगी माना जाना चाहिए क्योंकि वे अगोपनीय रुपांतर में अनिवार्य सूचना प्रकट करने में विफल रहे हैं और साथ ही उन्होंने 07 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना संख्या 10/2018 का उल्लंघन भी किया है।

ङ.2 उत्पादकों, निर्यातकों और आयातकों से युक्त अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

24. गोपनीयता के मुद्दे के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. प्रभावित पक्षकार को पूरे साक्ष्य का प्रकटन करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनिवार्य घटक है।

ख. याचिका के अगोपनीय रुपांतर के संबंध में यह अनुरोध किया गया था कि हितबद्ध पक्षकार अपने रक्षा के अधिकार को पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं कर पाए क्योंकि याचिका में दिए गए महत्वपूर्ण आंकड़े याचिका के अगोपनीय रुपांतर में संक्षिप्त रूप से सूचीबद्ध नहीं थे। इसके अतिरिक्त, गोपनीयता के कारण दर्शाने वाली व्यापार सूचना के तहत अपेक्षित औचित्य की कोई तालिका याचिका के भाग के रूप में नहीं दी गई है। अतः याचिका का अगोपनीय रुपांतर नियमावली के नियम 7 तथा 09 दिसंबर, 2013 की व्यापार सूचना संख्या 1/2013 में निर्धारित मानक को पूरा करने में विफल रही।

ग. घरेलू उद्योग ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और अपूर्ण याचिका दायर की है। घरेलू उद्योग लागत संबंधी कोई सूचना प्रस्तुत करने में विफल रहा तथा आवेदक अपने दावों के लिए औचित्य दर्शाने में विफल रहा। घरेलू उद्योग को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि वे अगोपनीय सार के साथ सूचना दें क्योंकि क्षति से संबंधित कई तर्क इन दस्तावेजों के आधार पर थे।

घ. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित पहलुओं के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है:

(i) आवेदक तथा विचाराधीन उत्पाद के अन्य प्रमुख उत्पादकों के उत्पादन आंकड़े।

(ii) पाटन मार्जिन अथवा कारखानागत निर्यात कीमत।

(iii) संगत वर्षों के लिए आवेदक तथा अन्य उत्पादकों की घरेलू बिक्री।

(iv) संगत वर्षों के लिए कैप्टिव खपत।

(v) संगत वर्षों के लिए आवेदक तथा अन्य उत्पादकों का बाजार हिस्सा।

(vi) आवेदक की घरेलू बिक्री कीमत।

(vii) चीन जन. गण., वियतनाम और कोरिया गणराज्य से उत्पादकों की घरेलू बिक्री कीमत।

(viii) संगत वर्षों के लिए आवेदक के लिए विचाराधीन उत्पाद की निर्माण तथा बिक्री लागत।

(ix) संगत वर्षों के लिए आवेदक का क्षमता उपयोग।

(x) संगत वर्षों के लिए आवेदक लाभ/हानि। समुचित अगोपनीय रुपांतर के अभाव में उत्तरदाता हितबद्ध पक्षकारों के अधिकारों का भारी रूप से पूर्वाग्रह किया गया है।

ङ. उपर्युक्त के संबंध में पूरेप्रकटन के अभाव में हितों की रक्षा करना संभव नहीं है।

च. आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 तथा डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.5 के अनुसार गोपनीयता का दावा करने के लिए "अच्छा कारण" दर्शाने में विफल रहा है।

ङ.3 <u>घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोध</u>

25. इस संबंध में किसी भी पक्षकार द्वारा प्रकटन पश्चात अनुरोध नहीं किए गए हैं।

ङ.4 प्राधिकारी द्वारा जांच

26. सूचना की गोपनीयता के संबंध में नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट

होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में निहित किसी बात को होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता के लिए अनुरोध न्यायसंगत नहीं अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको सामान्य तौर पर अथवा संक्षिप्त रूप में उसे प्रकट करने के लिए अनिच्छुक हो, तो ऐसी सूचना की उपेक्षा की जा सकती है।

27. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना का अगोपनीय रुपांतर निरीक्षण के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अगोपनीय रुपांतर से युक्त सार्वजनिक फाइल के माध्यम से सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया गया था।

28. प्राधिकारी द्वारा गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग और अन्य विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की संगत समझी गई सीमा तक जांच की गई है। निर्यातकों द्वारा अत्यधिक गोपनीयता के दावों के संबंध में यह नोट किया जाता है कि उत्तरदाता निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली में उल्लिखित स्वरूप और तरीके में अपेक्षित सूचना मंगाते हुए कमी वाले पत्र जारी किए गए थे। इन निर्यातकों से कहा गया था कि वे व्यापार सूचना संख्या 10/2018 में दिए गए अनुसार प्रपत्र और तरीके में कुछ अगोपनीय सूचना (दायर की गई गोपनीय सूचना की) प्रस्तुत करें। यह नोट किया जाता है कि कमी वाले पत्र जारी करने के बाद हितबद्ध पक्षकारों ने अपने उत्तर प्रस्तुत किए जिन्हें पुनः सभी हितबद्ध पक्षकारों की सूचना के लिए सार्वजनिक फाइल में रखा गया था। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर उत्तरों के संबंध में गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी व्यापार संबंधी संवेदनशील सूचना गोपनीय होने का दावा किया है।

च. <u>सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन का निर्धारण</u>

च.1 <u>घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध</u>

29. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. काफी सरकारी प्रभाव आदि के कारण चीन जन. गण. में इस्पात उद्योग में काफी बाजार ह्रास विद्यमान हैं। अतः घरेलू उद्योग तब तक सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए चीन जन. गण. में विद्यमान लागतों एवं कीमतों को स्वीकार न करने के लिए प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं, जब तक चीन जन. गण. में उत्पादक/निर्यातक यह दर्शाने में सक्षम न हों कि उनकी लागतों और कीमतों का ह्रास नहीं है। घरेलू उद्योग अनुरोध करता है कि यूरोपीय आयोग ("ईसी") ने अपनी हाल में प्रकाशित रिपोर्ट में बाजार ह्रास की जांच की है जो चीन जन. गण. में विशिष्ट क्षेत्रों में मौजूद है जिनमें यूरोपीय आयोग ने यह पाया है कि चीन जन. गण. में भूमि, ऊर्जा, पूंजी, कच्ची सामग्री और श्रम से संबंधित देशव्यापी बाजार ह्रास मौजूद हैं।

ख. यदि संबंधित पक्षकार भारत में संबद्ध सामानों की पुनः बिक्री उसी रूप में अथवा बहुत कम संशोधनों के बाद करते हैं और उन्हें हानि होती है तो प्राधिकारी को निवल निर्यात कीमत तथा आयातों के पहुँच मूल्य में उपयुक्त समायोजन करने चाहिए। यह प्राधिकारी की सतत परिपाटी रही है, जैसा कि चीन जन. गण. से ग्लास फाइबर से संबंधित पाटनरोधी जांच में देखा जा सकता है। यदि पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन निर्धारित करते समय प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त समायोजन नहीं किए जाते हैं तो उच्चतर कीमत पर आयात करने तथा कम कीमत पर पुनः बिक्री करने की परिपाटी का यह प्रकार विदेशी निर्यातकों के लिए बाहर जाने का एक मार्ग बन जाएगा और इससे निर्यातकों द्वारा शुल्क से बचाव अथवा शुल्क की प्रवंचना की जाएगी।

ग. पोस्को एवं पोस्को सीएंडसी के इस तर्क के संबंध में कि उन पर अनुपयुक्त रूप से उच्च प्राथमिक शुल्क लगाया गया है, आवेदक ने अनुरोध किया कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उनके लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन

परिकलित करने के लिए संबंधित आयातक को हुई हानि के लिए उपयुक्त रूप से समायोजन किए हैं। सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9क तथा नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 5 का संदर्भ देते हुए घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए संबद्ध पक्षकारों के लिए निर्यात कीमत उस कीमत के आधार पर निर्मित की जानी है जिस पर आयातित वस्तु स्वतंत्र क्रेता को (आयात तथा पुनः बिक्री के बीच किए गए और लाभ के लिए शुल्कों तथा करों सहित लागत के लिए) उचित अनुमति के बाद पहले बेचे गई है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि कोरिया गणराज्य के निर्यातक भारत में अपने संबद्ध पक्षकारों को उच्च कीमतों पर संबद्ध सामानों का निर्यात कर रहे हैं और संबद्ध आयातक पाटनरोधी जांच की स्थिति में नोटिस से बचने के लिए आयात कीमतों से कम कीमतों पर असंबद्ध ग्राहकों को संबद्ध सामानों की बिक्री कर रहे हैं।

घ. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने प्राथमिक जांच परिणाम में अलग पाटन मार्जिन के संबंध में मैसर्स डोंगबू स्टील कं. लि. के अनुरोध को सही रद्द किया है क्योंकि चेन में संबंधित व्यापारियों ने उत्तर नहीं दिया है और वह प्राधिकारी की विगत परिपाटी के अनुरूप है। आवेदक ने ऑस्ट्रेलिया तथा चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "लो ऐश मेटालर्जिकल कोक" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच के मामले का संदर्भ दिया है जिसमें यह पाया कि चूंकि भारतीय ग्राहक तक पूरी मूल्य श्रृंखला के लिए अनिवार्य सूचना, भारतीय ग्राहकों को निर्यात करते समय असंबद्ध व्यापारी द्वारा दावा किए गए समायोजन उस बिक्री के निबंधन एवं शर्तें जांच के लिए उपलब्ध नहीं हैं, अतः प्राधिकारी अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने की स्थिति में नहीं हैं। आवेदक ने उन जांचों का संदर्भ भी दिया है जहां निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पूरी मूल्य श्रृंखला तक दी गई सूचना के अभाव में अलग पाटन मार्जिन नहीं दिया है। ये निम्नलिखित हैं:

i. *इंडोनेशिया, थाइलैंड और सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "अनकोटेड कॉपियर पेपर"।*

ii. *मलेशिया, चीन जन. गण., चीनी तैपई और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सोलर सेल चाहे वे आंशिक रूप से असेंबल किए गए हों अथवा नहीं अथवा पूर्णतः से मॉडलों में हों अथवा पैनलों में हों अथवा ग्लास पर हों अथवा कुछ अन्य उपयुक्त रूपों में हों"; और*

iii. *ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ और सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "फ्लेक्सिबल स्लेबस्टॉक पॉलयॉल"।*

ङ. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि प्राधिकारी को इस तथ्य का सत्यापन करना चाहिए कि शुकन ट्रेडिंग एंड प्राइम रिसोर्स के प्रश्नावली के उत्तरों के अभाव में डोंगबू ने भारत को अपने 85 प्रतिशत निर्यात की सूचना दी है या नहीं। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि मैनुअल का पैरा 12.20 अपने आप में विरोधाभासी है। पैरा 12.20 के आरंभ में प्राधिकारी उत्तरदाता उत्पादक के लिए अपने सभी निर्यातकों, व्यापारियों, आयातकों आदि सहित पूर्ण उत्तर दायर करना अनिवार्य बनाते हैं, जो भारत को विचाराधीन उत्पादों के प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्यातों में पाटन मार्जिन की अलग दर लेने के लिए शामिल हैं। उसके बाद पैरा 12.20 की मद (iv) में यह उल्लेख किया गया है कि यदि भारत को निर्यातों की कुल मात्रा के 30 प्रतिशत से अधिक हिस्से वाले असंबद्ध निर्यातक सहयोग नहीं करते तो उत्तरदाता उत्पादक को असहयोग माना जाए। जैसा कि देखा जा सकता है कि दोनों विवरण एक दूसरे के विरोधाभासी हैं।

च. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि मैनुअल उस समय जारी किया गया था जब प्राधिकारी उत्पादक एवं निर्यातक के लिए, दोनों को एक साथ लेकर, शुल्क के संयुक्त रूप की सिफारिश किया करते थे। एक उदाहरण देखें। उत्पादक क तीन भिन्न व्यापारियों ख, ग और घ के माध्यम से भारत को निर्यात करता है। ग जांच में भाग नहीं लेता और अन्य पक्षकार विधिवत रूप से सहयोग करते हैं। पूर्व के परिदृश्य में यदि भारतीय प्राधिकारी इन पक्षकारों को सहयोगी मानेंगे तो निर्यातक ख और ग के साथ उत्पादक क के संयोजन के लिए अलग शुल्क दर निर्धारित की जाएगी। निर्यातक ग के माध्यम से उत्पादक क द्वारा किया गया कोई भी निर्यात उच्च अवशिष्ट शुल्क के अध्यधीन होगा। तथापि, प्राधिकारी ने अब अपनी परिपाटी बदली है और केवल उत्पादक विशिष्ट शुल्क की सिफारिश करते हैं। अब नई परिपाटी में यदि भारतीय प्राधिकारी इन पक्षकारों को सहयोगी मानते हैं तो फिर अलग शुल्क दर केवल उत्पादक क के लिए निर्धारित की जाएगी।

यहां तक कि यदि उत्पादक क निर्यातक ग के माध्यम से निर्यात करता है तो इस अलग शुल्क दर का लाभ उपलब्ध होगा। घरेलू उद्योग अनुरोध करता है कि मैनुअल में निर्धारित परिपाटी वर्तमान परिवर्तित परिदृश्य में लागू नहीं हो सकती जब प्राधिकारी ने शुल्क तालिका में शुल्क प्रदान करने के तरीके को बदल कर दिया है।

छ. डोंगबू ने अनुरोध किया है कि प्राथमिक जांच परिणाम जारी करने के बाद मैसर्स शकुन ट्रेडिंग ने अपनी प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि प्राधिकारी को इस आधार पर मैसर्स शकुन ट्रेडिंग द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर को रद्द करना चाहिए कि वह उत्तर जांच के बहुत ही देरी के चरण में दायर किए गए हैं क्योंकि प्राधिकारी ने पहले ही प्रश्नावली के उत्तर प्राधिकारी के समक्ष दायर करने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को पूरा समय दिया था। यह भी अनुरोध किया गया था कि डोंगबू अपने अपने लिखित अनुरोधों में स्वयं ही स्वीकार किया है कि यहां तक कि मैसर्स शकुन ट्रेडिंग द्वारा अब दायर प्रश्नावली के उत्तर में कमी है और वह अपूर्ण है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि मैनुअल के पैरा 12.20 में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि "यदि असंबद्ध कंपनियों से सूचना पूर्ण नहीं है तो उत्तर रद्द किया जा सकता है।" यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि यदि उत्पादक के असंबद्ध व्यापारी द्वारा पूर्ण उत्तर दायर नहीं किया जाता है तो प्राधिकारी उत्पादक के उत्तर को रद्द कर देंगे। यदि प्राधिकारी प्राथमिक जांच परिणाम के बाद कमी वाले प्रश्नावली के उत्तर स्वीकार करते हैं और मैसर्स शकुन ट्रेडिंग द्वारा दी गई सूचना पर विचार करते हैं तो प्राधिकारी एक बहुत ही बुरा पूर्वोदाहरण निर्धारित करेंगे। प्राधिकारी ने चीन जन. गण. और जापान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सभी प्रकार के 1, 1, 1, 2-टेट्राफ्लोरोथीन अथवा आर-134ए के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच में अंतिम परिणाम के पैरा 26(viii) और 29(ix) में इस आधार पर प्रश्नावली के उत्तर रद्द किए थे कि प्रश्नावली के उत्तर प्राथमिक जांच परिणाम के बाद दायर किए गए हैं। प्राधिकारी ने चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पैरासिटामॉल" के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की दूसरी निर्णायक समीक्षा जांच के अंतिम जांच परिणाम में निम्नलिखित टिप्पणी की:

"20. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मैसर्स हेबेईजिहेंग (ग्रुप) फार्मास्युटिकल कं. लि. ने उत्तर काफी देरी से दायर किए और देरी से उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कोई उपयुक्त तथा संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया। यह नोट किया जाता है कि किसी जांच में भाग लेने का अधिकार असीमित नहीं हो सकता।"

ज. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी को मैसर्स शकुन ट्रेडिंग द्वारा दायर उत्तर को रद्द करना चाहिए और डोंगबू स्टील को अलग शुल्क दर प्रदान नहीं करनी चाहिए।

झ. जांच की अवधि के दौरान डोंगकुक ने भारत में अपने संबंधित आयातक (डोंगकुक स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) को सीधे निर्यात किए। कुछ निर्यात असंबद्ध कोरियाई निर्यातकों यथा – ह्योसंग टीएनसी कारपोरेशन और एसके नेटवर्क्स के माध्यम से भी किए गए हैं। एसके नेटवर्क्स ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर नहीं किए हैं। एसके नेटवर्क्स से प्रश्नावली के उत्तर के अभाव में भारत में पूरी निर्यात श्रृंखला उपलब्ध नहीं है और तद्नुसार पूरे समूह द्वारा दायर उत्तर को रद्द किया जाना चाहिए।

ञ. डोंगकुक ने अन्य आपूर्तिकर्ता (पोस्को हो सकता है) से भी विचाराधीन उत्पाद की खरीद की है। यह सत्यापित किया जाना चाहिए कि क्या अन्य उत्पादकों से डोंगकुक द्वारा खरीदा गया विचाराधीन उत्पाद भारत को निर्यात किया गया है अथवा नहीं। यदि डोंगकुक ने भारत को किसी अन्य उत्पादक द्वारा विनिर्मित उत्पाद का निर्यात किया है और उस उत्पादक ने जांच में भाग नहीं लिया है तो पूरे समूह द्वारा दायर पूरा उत्तर रद्द किया जाना चाहिए।

ट. डोंगकुक स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (संबद्ध आयातक) द्वारा दायर उत्तर से यह देखा जा सकता है कि उसको वर्ष 2017-18 के दौरान हानियां (अन्य आय तथा मालसूची में परिवर्तनों के समायोजन के बाद) हो रही थीं। वर्ष 2017-18 के लिए डोंगकुक स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को हुई हानियां निम्नलिखित रूप में देखी जा सकती हैं:

विवरण	राशि (लाख रुपये)
कर पूर्व लाभ	925
अन्य आय	293
मालसूची में परिवर्तन	-3,646
लाभ/हानि	-3,014

ठ. उन्होंने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वे कृपया संबद्ध आयातकों को हुई हानियों के प्रभाव की विस्तार से जांच करें और डोंगकुक स्टील मिल कंपनी के लिए कारखानागत निर्यात कीमत और पहुँच मूल्य निर्धारित करते समय उपयुक्त समायोजन करें।

ड. भारत में निर्यात कीमत के परिकलन के लिए प्रश्न ई.11 के उत्तर में पोस्को ने (क) समुद्री भाड़ा, (ख) अंतर्देशीय परिवहन, (ग) लदान शुल्क, (घ) पैकेजिंग लागत और (ङ) ऋण व्यय के निमित्त कटौतियों का दावा किया है। तथापि, प्रश्न एफ.10 के उत्तर में सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए पोस्को ने (क) अंतर्देशीय परिवहन, (ख) भंडारण व्यय, (ग) सार संभाल शुल्क, (घ) ऋण व्यय और (ङ) पैकेजिंग लागत तथा (च) वारंटी व्यय के निमित्त कटौतियों का दावा किया है।

(i) घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण करते समय वारंटी व्यय के प्रति अतिरिक्त कटौती का दावा किया गया है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि पोस्को ने यह स्पष्ट करते हुए विस्तृत अनुरोध किए हैं कि उनके द्वारा भारत को निर्यातित पोसमेक (जिंक एल्युमीनियम और मैंग्नीशियम कोटेड स्टील) आवेदक द्वारा आपूर्ति किए गए एल्युमीनियम-जिंक कोटेड स्टील से भिन्न क्यों है। उनके द्वारा उल्लिखित एक सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि वे भारत को निर्यातित पोसमेक पर 25 वर्ष की वारंटी दे रहे हैं। अतः यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि पोस्को ने अपने अनुरोधों में अथवा प्रश्नावली के उत्तर में गलत तथ्य उल्लिखित किए हैं। यदि वे वास्तव में भारत को निर्यातों पर 25 वर्ष की वारंटी दे रहे हैं तो फिर उन्हें भारत को निर्यात के लिए वारंटी व्यय कटौती के रूप में दर्शाना चाहिए था। यदि वे 25 वर्ष की वारंटी नहीं दे रहे हैं तो फिर उन्हें भारत को उनके द्वारा निर्यातित पोसमेक और आवेदक द्वारा आपूर्ति किए गए एल्युमीनियम जिंक कोटेड स्टील के बीच अंतरों का उल्लेख करते हुए ऐसा अनुरोध नहीं करना चाहिए था।

(ii) इसके अतिरिक्त, पोस्को ने सामान्य मूल्य से भंडारण व्यय के निमित्त अतिरिक्त कटौती का दावा भी किया है जबकि ऐसी किसी कटौती का दावा निर्यात कीमत से नहीं किया गया है।

(iii) पोस्को ने बैंक प्रभारों के लिए निर्यात कीमत से किसी कटौती का दावा नहीं किया है, अतः उन्होंने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वे भारत में पोस्को की निर्यात कीमत से वारंटी व्यय, भंडारण व्यय और बैंक प्रभारों के निमित्त उपयुक्त समायोजन करें। इसी प्रकार, संबंधित उत्पादक मैसर्स पोस्को कोटेड एंड कलर स्टील कं. लि. की निर्यात कीमत से भी समायोजन किए जाने चाहिए।

ढ. घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया कि वे समझते हैं कि पोस्को ने घरेलू बाजार में अपने संबद्ध पक्षकार को बिक्री की है। तथापि, परिशिष्ट 4ग में (स्वतंत्र ग्राहकों को संबद्ध ग्राहकों द्वारा पुनः बिक्री) कोई सूचना नहीं दी गई है।

ण. पोस्को इंडिया होल्डिंग प्रा. लि. (संबद्ध आयातक) द्वारा दायर उत्तर से यह देखा जा सकता है कि उसे वर्ष 2017-18 के दौरान हानियां (अन्य आय तथा मालसूची में परिवर्तन के समायोजन के बाद) हो रही थीं। वर्ष 2017-18 के लिए पोस्को इंडिया होल्डिंग प्रा. लि. को हुई हानियां निम्नलिखित रूप में देखी जा सकती हैं:

विवरण	राशि (लाख रुपये)
कर पूर्व लाभ	7,961
अन्य आय	409
मालसूची में परिवर्तन	-8,063
लाभ/हानि	-511

त. इसके अतिरिक्त, मैसर्स पोस्को आईएपीसी द्वारा दायर उत्तर से भी यह देखा जा सकता है कि उसको वर्ष 2016-17 के दौरान हानियां हुई थीं। प्राधिकारी को संबंधित आयातकों को हुई हानियों के प्रभाव की विस्तार से जांच करनी चाहिए और पोस्को तथा पोस्को कोटेड एंड कलर स्टील कं. लि. के लिए कारखानागत निर्यात कीमत तथा पहुँच मूल्य निर्धारित करते समय उपयुक्त समायोजन करना चाहिए।

थ. झेजियांग होडा न्यू मैटेरियल्स कं. लि. ने बैंक प्रभारों के लिए निर्यात कीमत से किसी कटौती का दावा नहीं किया है, अतः प्राधिकारी को भारत में झेजियांग होडा न्यू मैटेरियल्स कं. लि. की निर्यात कीमत से बैंक प्रभारों के निमित्त उपयुक्त समायोजन करना चाहिए।

द. झेजियांग होडा न्यू मैटेरियल्स कं. लि. ने घरेलू बाजार में अपने संबद्ध पक्षकार को बिक्री की है। तथापि, परिशिष्ट 4ग में (स्वतंत्र ग्राहकों को संबद्ध ग्राहकों द्वारा पुनः बिक्री) कोई सूचना नहीं दी गई है।

ध. यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी इसकी जांच करें कि क्या निर्यातक/व्यापारी मैसर्स मॉरूबेनी इटोचू स्टील पीटीई. लि. ने उपयुक्त लाभ अर्जित किए हैं और भारत में निर्यातों के लिए अपनी पूरी लागत वसूल की है अथवा नहीं। यदि निर्यातक/व्यापारी को उपयुक्त लाभ अर्जित नहीं किए हैं तो फिर हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे कारखानागत निर्यात कीमत और पहुँच मूल्य निर्धारित करते समय उपयुक्त समायोजन करें।

न. यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारीइस बात की जांच करें कि क्या निर्यातक/व्यापारी मैसर्स वीना वन स्टील मैन्युफैक्चरिंग ने उपयुक्त लाभ अर्जित किए हैं और भारत में निर्यातों के लिए अपनी पूरी लागत वसूल की है अथवा नहीं। यदि निर्यातक/व्यापारी को उपयुक्त लाभ अर्जित नहीं किए हैं तो फिर हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे कारखानागत निर्यात कीमत और पहुँच मूल्य निर्धारित करते समय उपयुक्त समायोजन करें।

प. स्टिंको कं. लि. द्वारा दायर उत्तर के अनुसार उसने भारतीय ग्राहकों को सीधे ही तथा तीसरे देशों में आधारित असंबद्ध व्यापारिक कंपनियों के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। घरेलू उद्योग प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि वे कृपया इस बात की जांच करें कि क्या जिसके माध्यम से स्टिंको कं. लि. ने भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है, उस व्यापारी ने भाग लिया है अथवा नहीं। यदि व्यापारियों ने भाग नहीं लिया है तो फिर प्राधिकारी को स्टिंको कं. लि. तथा जिस संबद्ध उत्पादक के माध्यम से स्टिंको कं. लि. ने विचाराधीन उत्पाद की खरीद की है, उसे असहयोगी मानना चाहिए।

फ. यह नोट किया जाना चाहिए कि डोंगकुक स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जीएस ग्लोबल कारपोरेशन का एक संबद्ध पक्षकार है। इस तथ्य का सत्यापन वर्ष 2017 की वार्षिक रिपोर्ट (पृष्ठ 61, मद 12 देखें) से किया जा सकता है। तद्नुसार, उत्पादक तथा निर्यातक (डोंगकुक स्टील मिल कंपनी और जीएस ग्लोबल कारपोरेशन) दोंनों संबद्ध हैं। अतः प्राधिकारी इस तथ्य का सत्यापन करें और क्या जीएस ग्लोबल कारपोरेशन द्वारा उसे प्रकट किया गया है अथवा नहीं। यदि यह तथ्य प्रकट नहीं किया गया है तो फिर जीएस ग्लोबल कारपोरेशन को असहयोगी माना जाना चाहिए।

ब. प्राधिकारी इस बात का सत्यापन करें कि क्या जीएस ग्लोबल ने उपयुक्त लाभ अर्जित किया है तथा अपनी लागत वसूल की है अथवा नहीं।

भ. शंघाई शिजिंग इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं. लि. ने घरेलू बाजार में बिक्री की है। तथापि, भाग-III खंड-एफ (घरेलू बिक्री) में कोई सूचना नहीं दी गई है।

म. घरेलू उद्योग प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि वे इस बात की जांच करें कि क्या निर्यातक/व्यापारी मैसर्स शंघाई शिजिंग इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं. लि. ने उपयुक्त लाभ अर्जित किया है और भारत में निर्यात के लिए अपनी पूरी लागत वसूल की है अथवा नहीं। यदि निर्यातक/व्यापारी ने उपयुक्त लाभ अर्जित नहीं किया है तो फिर हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे कारखानागत निर्यात कीमत और पहुँच मूल्य निर्धारित करते समय उपयुक्त समायोजन करें।

च.1.1 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोध</u>

30. निम्नलिखित प्रकटन पश्चात अनुरोध घरेलू उद्योग किए गए हैं :

क) प्राधिकारी द्वारा जारी प्राथमिक जांच परिणामों में प्रकटन विवरण में निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की तुलना करने पर यह नोट किया जा सकता है कि पाटन और क्षति मार्जिन कम हुए हैं, अनुरोध है कि प्राधिकारी परिकलित मार्जिनों की पुनः जांच करें क्योंकि गिरावट अनावश्यक प्रतीत होती है।

ख) प्राधिकारी ने निर्यात श्रृंखला के असहयोगी भाग के लिए एनईपी और पहुँच मूल्य निर्मित करने के लिए प्रचालन परिपाटी पुस्तिका (ओपी मैनुअल) में परिकल्पित प्रक्रिया को नहीं अपनाया है। यह उल्लिखित है कि निर्यातकों और असंबद्ध व्यापारियों के असहयोग पर सामान्य नियम पूरे उत्तर को रद्द करने का है। तथापि, प्राधिकारी ने निर्यातकों को बनाया गया अपवाद उसके लिए कोई कारण दिए बिना प्रदान किया है।

ग) प्राधिकारी ने ओपी मैनुअल में दिए गए अनुसार निर्यातक श्रृंखला के किसी भी असहयोगी भाग के लिए निर्यात कीमत तथा पहुँच मूल्य निर्मित नहीं किया है। उन्होंने निर्यात कीमत और पहुँच मूल्य का परिकलन केवल उन्हें प्राप्त अपूर्ण उत्तर के आधार पर किया है। उपर्युक्त प्रक्रिया न अपनाकर और केवल निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत अपूर्ण सूचना पर विश्वास कर परिकलिपत पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन काफी कम हो गया है।

घ) प्राधिकारी ने डोंगबू का उत्तर काफी अपूर्ण होने के बावजूद उसे स्वीकार करने का कोई तर्क नहीं दिया है। अनुरोध है कि डोंगबू का उत्तर रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि श्रृंखला में जुड़े व्यापारियों ने उत्तर नहीं दिया है और यह प्राधिकारी की विगत परिपाटी के अनुरूप भी है।

ङ) अनुरोध है कि नाम किम के उत्तर को पूर्णतः रद्द किया जाना चाहिए और उनके लिए कोई अलग शुल्क निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने प्रमाणित दस्तावेज नहीं दिए हैं।

च) यह देखा जाता है कि डोंगबू ने अंतर्देशीय परिवहन, ऋण लागत, भुगतान छूट और वारंटी व्यय के निमित्त समायोजनों का दावा किया है जिनकी प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गई है। यह अस्पष्ट है कि प्राधिकारी द्वारा उनकी सतत परिपाटी के विरुद्ध वारंटी व्यय समायोजन की अनुमति क्यों दी गई है।

च.2 <u>घरेलू उद्योग को छोड़कर विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध</u>

31. निम्नलिखित अनुरोध अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा की गई हैं

क. आवेदक उन स्रोतों को बताने में विफल रहा है जिन पर पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए विश्वास किया गया है। नोट करने योग्य उदाहरण निम्नलिखित हैं:

(i) आवेदक वियतनाम अथवा चीन जन. गण. को "गैर बाजार अर्थव्यवस्था" मानने के लिए कोई औचित्य देने में विफल रहा है।

(ii) आवेदक उल्लेख करता है कि उसके पास कोरिया गणराज्य में घरेलू बिक्री कीमतों के संबंध में सूचना नहीं है।

ख. आवेदन पत्र को रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि आवेदक ने कोरी अवधारणाएं दी हैं और पाटन निर्धारित करने के लिए स्रोतहीन आंकड़ों पर विश्वास किया है।

ग. भारत में आयातित किए जा रहे उत्पाद विभिन्न ग्रेडों, श्रेणियों और रेंजों में हैं जो कीमत को प्रभावित करते हैं। इन श्रेणियों के बीच अंतर काफी है और उसके अनदेखी नहीं की जा सकती। प्रस्तुत किए गए निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर तथा आयातक प्रश्नावली के उत्तर उत्पादकों तथा निर्यातकों द्वारा रखे जा रहे पीसीएन सिद्धांत के आधार पर तैयार किए गए हैं। तथापि, प्राधिकारी ने प्राथमिक जांच परिणाम में पीसीएन वार तुलना करने के लिए उत्पादकों के अनुरोध की अनदेखी की है और इसके बजाए एकल पीसीएन का प्रयोग किया है।

घ. प्राधिकारी ने इस आधार पर डोंगबू को अलग पाटन मार्जिन प्रदान करने से इंकार किया है कि मैसर्स स्टिंको द्वारा किए गए निर्यातों की काफी मात्रा को हिसाब में नहीं लिया गया है। प्राधिकारी ने मैसर्स स्टिंको को जांच से अलग किया है और माना है कि स्टिंको को अलग करने के परिणामस्वरूप डोंगबू और उसके अन्य व्यापारियों द्वारा दायर उत्तर में ली गई निर्यात मात्रा काफी नहीं है। डोंगबू ने केवल असंबद्ध निर्यातकों के माध्यम से निर्यात किया है और इन सभी असंबद्ध निर्यातकों (केवल प्राइम रिसोर्स के अपवाद के साथ) का भारत को डोंगबू के निर्यात में लगभग 99 प्रतिशत हिस्सा है। यह भी अनुरोध किया जाता है कि भारत को

स्टिंको के उसके असंबद्ध निर्यातक शकुन ट्रेडिंग के माध्यम से निर्यात में भारत को डोंगबू के निर्यात के 15 प्रतिशत से कम हिस्सा है।

ङ. डोंगबू द्वारा विचाराधीन उत्पाद के हिसाब में न लिया गया निर्यात गैर-प्रतिभागी व्यापारी के माध्यम से बहुत कम है। निर्यात कीमत के परिकलन के लिए डोंगबू की आपूर्ति श्रृंखला के 85 प्रतिशत से अधिक और कीमत इस प्राधिकारी के पास उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, स्टिंको के असंबद्ध व्यापारी की प्रतिभागिता का अभाव डोंगबू तथा उसके सभी व्यापारियों, जिनके माध्यम से डोंगबू ने सीधे ही व्यापार किया है, द्वारा दायर उत्तरों को रद्द करने की सीमा तक "काफी" नहीं माना जा सकता।

च. यह भी अनुरोध किया गया है कि डोंगबू ने उन असंबद्ध और दूरस्थ निर्यातक की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए सभी उपयुक्त प्रयास किए थे, परंतु विफल रहा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वह अपने सीधे असंबद्ध निर्यातकों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने की उपयुक्त रूप से उम्मीद कर सकता था, न कि उसके असंबद्ध व्यापारी के असंबद्ध व्यापारी की, जिसका उस पर नियंत्रण नहीं था। डोंगबू ने उल्लेख किया कि डोंगबू और उसके निर्यातकों, जिन्होंने जांच में पूरी तरह से सहयोग किया है, को इस आधार पर इस जांच से अलग करना उचित नहीं होगा। अनुरोध है कि यह भावी जांच के लिए एक बुरा पूर्वोदाहरण निर्धारित करेगा तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत के विपरीत है।

छ. डोंगबू ने यह भी अनुरोध किया कि प्राधिकारी ने उसके व्यापारी द्वारा असहयोग के कारण उत्पादकों द्वारा दायर उत्तर को रद्द किया था। तथापि, यह हमेशा सीधे असंबद्ध व्यापारी के संबंध में रहा है। इस प्रकार का दायित्व किसी असंबद्ध व्यापारी पर कभी नहीं लगाया गया है। डोंगबू ने अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए "इंडोनेशिया, थाइलैंड और सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित अनकोटेड कॉपियर पेपर" के मामले का उल्लेख किया है कि असंबद्ध व्यापारी की प्रतिभागिता विवश करने का दायित्व उन असंबद्ध व्यापारियों के संबंध में ही हो सकता है जिन परउत्पादक से दबाव डालने मे सक्षम होने की उम्मीद की जाती है न कि असंबद्ध व्यापारी के असंबद्ध व्यापारी पर जिसके साथ डोंगबू ने सीधे ही कभी व्यवहार नहीं किया।

ज. यह भी अनुरोध किया गया था कि असंबद्ध व्यापारी स्टिंको की प्रतिभागिता काफी नहीं मानी जा सकती क्योंकि डोंगबू द्वारा विचाराधीन उत्पाद का हिसाब में न लिया गया निर्यात गैर प्रतिभागी व्यापारी के माध्यम से बहुत कम है।

झ. डोंगबू के विरुद्ध आवेदक द्वारा उठाया गया एक मात्र मुद्दा "श्रृंखला से जुड़े व्यापारी" द्वारा उत्तर दायर न करना था। इस संबंध में यह बात दोहराई जाती है कि उनके उनके कोई संबद्ध व्यापारी नहीं थे। सभी निर्यात असंबद्ध व्यापारियों के माध्यम से किए गए थे जिन्होंने प्राइम रिसोर्स, कोरिया गणराज्य को छोड़कर जांच में पूरी तरह से भाग लिया था।

ञ. यह पूरी तरह से अनुचित होगा, यदि डोंगबू और उसके सभी निर्यातकों, जिन्होंने इस जांच में पूरी तरह से सहयोग किया है, केवल इस कारण इस जांच से अलग किए जाएं कि प्रतिभागी असंबद्ध व्यापारी का कोई असंबद्ध व्यापारी जांच में भाग नहीं ले पाता। उन्होंने अनुरोध किया कि इस तरह के जांच परिणाम से भावी जांचों के लिए केवल एक बुरा पूर्वोदाहरण ही निर्धारित नहीं होगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत भी होगा।

ट. प्राधिकारी को अभ्यावेदन में मैसर्स डोंगबू स्टील ने प्राधिकारी का ध्यान प्राधिकारी की उस परिपाटी की ओर आकर्षित किया है जिसमें वे उल्लेख करते हैं कि जांच में भाग न लेने वाले असंबद्ध व्यापारियों के भारत को निर्यातों के हिस्से के मामले में संबंधित उत्पादक द्वारा भारत को निर्यातों की कुल मात्रा का 30 प्रतिशत से अधिक है तो उत्तरदाता उत्पादक को असहयोगी माना जाए तथा पूरा उत्तर रद्द किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में भारतीय ग्राहकों को उत्पादक से 70 प्रतिशत से अधिक मूल्य श्रृंखला का अनुपालन किया गया है और डोंगबू की आपूर्ति श्रृंखला के 85 प्रतिशत से अधिक तथा कीमत प्राधिकारी के पास उपलब्ध है, अतः उनका उत्तर रद्द किया जाना चाहिए।

ठ. उन्होंने यह भी अभ्यावेदन किया है कि मैसर्स डोंगबू भारत में गेल्वालूम की स्टील की प्रीमियम गुणवत्ता का ही निर्यात करता है और उनके सभी चैनलों से उनके उत्पादों की औसत कीमत *** अमेरिकी डॉलर/मी. टन है और इस कीमत से वे भारत में संबद्ध सामानों का पाटन नहीं कर सकते।

ड. प्राधिकारी ने निर्यात कीमत के गलत विश्लेषण के कारण पोस्को पर उच्च प्राथमिक शुल्क अनुपयुक्त रूप से लगाये थे। प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई पद्धति यह थी कि उन्होंने उनके संबद्ध आयातकों को उनकी निर्यात कीमत और पहुँच मूल्य के विरुद्ध हुई तथाकथित "हानि" को समायोजित किया। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने उन मात्राओं तक संबद्ध आयातकों की तथाकथित "हानि" समायोजित की थी जो असंबद्ध आयातकों को सीधे ही निर्यात की गई जहां संबद्ध आयातकों को तथाकथित रूप से "हानि" होने का कोई प्रभाव नहीं हो सकता।

ढ. इसके अतिरिक्त, यह अनुरोध किया गया था कि यह मानते हुए कि हानि को उनकी निर्यात कीमत के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता था, प्राधिकारी ने कुल निर्यातों (विचाराधीन उत्पाद और गैर-विचाराधीन उत्पाद सहित) के लिए संबद्ध आयातकों की खरीद कीमत और उनकी बिक्री कीमत (केवल विचाराधीन उत्पाद के लिए) की तुलना करने में गलती की।

ण. यह अनुरोध किया गया था कि प्राधिकारी को वीना वन स्टील मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन की आंशिक हानि को उसकी कारखानागत निर्यात कीमत का परिकलन करते समय नहीं घटाना चाहिए था क्योंकि आंशिक हानि बिक्री तथा वितरण व्यय के कारण थी जिसे पहले ही परिशिष्ट-3क में कम कर दिया गया था। प्राधिकारी से अनुरोध किया गया था कि वे समायोजनों सहित वास्तविक घरेलू बिक्री और भारत को निर्यात बिक्री के आंकड़ों पर विचार करते हुए पाटन एवं क्षति मार्जिन का परिकलन करें।

त. आवेदक के तर्क के संबंध में प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे यह मालूम करें कि क्या तेय नाम तथा वीना वन ने अपने संबद्ध ग्राहकों को निकटस्थ पर बिक्री की है अथवा नहीं, उत्तरदाताओं ने अनुरोध किया कि केवल तेय नाम ने संबद्ध और असंबद्ध दोनों ग्राहकों को संबद्ध सामानों की बिक्री की है तथा संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन-देन निकटस्थ पर किए गए थे।

थ. यह अनुरोध किया गया था कि पाटन एवं क्षति मार्जिन का मूल्यांकन वर्तमान में असंगत आंकड़ों के आधार पर किया गया है। उत्तरदाताओं ने यह भी अनुरोध किया कि आवेदक उनके द्वारा वहन की गई आयात लागत और अन्य प्रभारों को शामिल करने के लिए आयात कीमत से कम तथा अपर्याप्त होने पर संबद्ध आयातकों की कीमत के अपने आरोप को साक्ष्य के साथ सिद्ध करने में विफल रहा।

द. आवेदक ने यह तर्क दिया है कि पोस्को इंडिया होल्डिंग प्रा. लि. को मालसूची में अन्य आय समायोजित करने और परिवर्तनों के बाद हानियां हुईं। यह तर्क केवल आधारहीन और गलत नहीं है। आवेदक ने कर पूर्व लाभ से "अन्य आय" तथा "मालसूची में परिवर्तन" को गलत कम किया है। इस संबध में, यह अनुरोध किया गया था कि मालसूची में परिवर्तन पहले ही पोस्को इंडिया होल्डिंग प्रा. लि. के लेखापरीक्षित आय विवरण में बेचे गए सामान की लागत (सीओजीएस) में पहले ही दर्शा दिए गए हैं।

ध. यदि आवेदक के तर्क को स्वीकार किया जाता है और मालसूची में परिवर्तनों को कर पूर्व लाभ से कम किया जाता है तो इससे लाभ से "दोगुनी कटौती" होगी। इसके अतिरिक्त, यदि अन्य आय को कर पूर्व लाभ से घटाया जाता है तो यह कटौती लाभ/ हानि का परिकलन करने के लिए असंगत होगी क्योंकि "अन्य व्यय"पहले ही निवल लाभ का परिकलन करने के लिए "व्यय" के रूप में पुनः माने गए हैं। अतः संगत होने के लिए "अन्य व्यय" को "आय" के रूप में माना जाना चाहिए।

न. कुछ निर्यातकों द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि वर्तमान जांच में पीसीएन निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि विभिन्न ग्रेड/पीसीएन की लागत तथा बिक्री कीमत में काफी अंतर नहीं है।

प. टोंग डोंग ए ने अनुरोध किया कि प्रतिभागी उत्पादक तथा उसके संबद्ध व्यापारी अर्थात मैसर्स मरोबेनी इतोचु स्टील प्रा. लि., सिंगापुर के निर्यातों के पहुँच मूल्य का परिकलन करते समय डीजीटीआर में टोंग डोंग ए की भारत को सीधे ही निर्यात कीमत तथा सीधे निर्यातों के सीआईएफ मूल्य के बजाए मरोबेनी इतोचु को निर्यात कीमत तथा मरोबेनी इतोचु द्वारा निर्यातों की कीमत गलत अपनाई है।

फ. मैसर्स तेय नाम ने प्राधिकारी से वीना वन स्टील मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन की हानि का उसकी कारखानागत निर्यात कीमत का परिकलन करते समय कम न करने का अनुरोध किया है क्योंकि वह हानि

बिक्री एवं वितरण व्ययों के कारण थी जो पहले ही परिशिष्ट-3क में घटा दिए गए हैं। इस प्रकार, हानि को घटाने का अर्थ निर्यात कीमत से पुनः बिक्री तथा वितरण व्ययों के भाग को घटाना होगा और वे गलत परिणाम देंगे। उन्होंने प्राधिकारी से निर्यात बिक्री के लिए उपर्युक्त संबद्ध सामानों की खरीद पर दिए गए वैट की वैट वापसी समायोजित करने का भी अनुरोध किया है।

च.2.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात अनुरोध</u>

32. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित प्रकटन पश्चात अनुरोध किए हैं:

क. डोंगबू स्टील कं. लि. के लिए उच्च पाटन एवं क्षति मार्जिन अनुपयुक्त रूप से निर्धारित किए गए हैं।

ख. प्राधिकारी ने उसके संबद्ध आयातक को निर्यात कीमत के विरुद्ध हुई तथाकथित "हानि"समायोजित की है। अनुरोध है कि इस प्रकार का समायोजन पूर्णतः आधारहीन और इस निर्दिष्ट प्राधिकारी की स्थापित विगत परिपाटी के विरुद्ध है।

ग. पोस्को द्वारा सभी बिक्रियां स्वतंत्र व्यापारी कंपनी को की गई हैं और पोस्को तथा उसके संबद्ध आयातक के बीच एक भी सीधी बिक्री नहीं हुई है। इन स्वतंत्र निर्यातकों ने पोस्को एशिया, हांगकांग को उत्पादों की बिक्री की है तथा आयातक पोस्को इंडिया होल्डिंग्स है, दोनों पोस्को की संबद्ध कंपनियां हैं। तथापि, ये असंबद्ध निर्यातकों द्वारा की गई स्वतंत्र बिक्रियां हैं तथा निकटस्थ कीमतों पर हैं।

घ. यह भी नोट किया जाता है कि यूरोपीय संघ और यूनाइटेड स्टेट्स में सहित एक वैश्विक परिपाटी के रूप में निर्यात कीमत का मूल्यांकन हमेशा किसी स्वतंत्र निर्यातक को पहली बिक्री के चरण पर किया जाता है।

ङ. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि पोस्को इंडिया होल्डिंग्स प्रा. लि. को "अन्य आय" और "मालसूची में परिवर्तन" में समायोजन करने के बाद हानियां हुईं। यह तर्क आधारहीन और गलत है। अनुरोध है कि मालसूची में परिवर्तन पोस्को इंडिया होल्डिंग्स प्रा. लि. के लेखापरीक्षित विवरण में बेचे गए सामानों की लागत में मालसूची में परिवर्तन पहले ही दर्शा दिए गए हैं। यदि घरेलू उद्योग का तर्क स्वीकार किया जाता है और मालसूची में परिवर्तन कर पूर्व लाभ से कम किए जाते हैं तो इससे लाभ से "दोगुनी कटौती" होगी। इसके अतिरिक्त, यदि अन्य आय को कर पूर्व लाभ से घटाया जाता है तो यह कटौती लाभ/हानि का परिकलन करने के लिए असंगत होगी क्योंकि "अन्य व्यय" पहले ही निवल लाभ का परिकलन करने के लिए "व्यय" के रूप में पुनः माने गए हैं। अतः संगत होने के लिए "अन्य व्यय" को "आय" के रूप में माना जाना चाहिए।

च. आवेदक का एनएसआर काफी पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन और हानि में वृद्धि के बावजूद एनआईपी से अधिक है।

छ. वियतनाम एक बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है, परंतु उसे गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना गया है।

ज. पाटन मार्जिन और निर्यात कीमत के परिकलन में परिकलन संबंधी त्रुटियां प्रतीत होती हैं।

झ. मैसर्स वीना वन स्टील मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन ने निर्यातों और घरेलू बिक्री के लिए अपनी संबद्ध कंपनी अर्थात मैसर्स तेय नाम मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कं. लि. से संबद्ध सामानों की खरीद की। यद्यपि, खरीद पर वैट है तथापि निर्यात बिक्री पर कोई वैट नहीं है जो कि पूरे विश्व में एक सामान्य परिपाटी है। मैसर्स वीना वन स्टील मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन ने निर्यात बिक्री के लिए संबद्ध सामानों की खरीद पर दिए गए वैट की वैट वापसी प्राप्त की। ऐसी स्थिति में यह तर्क कि वैट सामान्य मूल्य और निवल निर्यात कीमत के निर्धारण में शामिल नहीं किया गया है और इस प्रकार सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना व्यापार के उसी स्तर पर की गई है, उपयुक्त नहीं है।

ञ. ओपी मैनुअल में यह प्रावधान है कि किसी भी प्रकार का निर्यात प्रोत्साहन अथवा शुल्क वापसी को निवल निर्यात कीमत का परिकलन करते समय समायोजित किए जाने की आवश्यकता होती है। संबद्ध सामानों की खरीद पर दिए गए वैट की वापसी केवल निर्यात बिक्री पर उपलब्ध है। अतः यह एक प्रकार का निर्यात

प्रोत्साहन है। अतः निवल निर्यात कीमत का परिकलन करते समय इसे समायोजित किए जाने की आवश्यकता है।

ट. प्रकटन विवरण के पैरा 4(छ)(xvi) में सैमसंग सीएंडटी कारपोरेशन का नाम मैसर्स पोस्को सैमसंग सीएंडटी कारपोरेशन के रूप में गलत उल्लिखित किया गया है और उसे ठीक किया जाए।

प्राधिकारी द्वारा जांच

33. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन से संबंधित प्रकटन पश्चात अनुरोधों सहित जांच प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का इस भाग में समाधान कर दिया गया है।

34. प्राधिकारी ने जांच प्रक्रिया के दौरान संबद्ध देशों के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दायर उत्तर के आधार पर उनके संबंध में सामान्य मूल्य/निर्मित सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन निर्धारित किया है।

35. कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए इन अनुरोधों के संबंध में कि प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए पीसीएन आधारित विश्लेषण नहीं किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीसीएन सिद्धांत केवल उन मामलों में अपेक्षित है जहां विचाराधीन उत्पाद/समान वस्तु के विविध ग्रेडतथा ग्रेड हों और इन ग्रेडों तथा रुपों के बीच काफी लागत तथा कीमत अंतर हो। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन पत्र में किसी पीसीएन वार विश्लेषण का प्रस्ताव नहीं किया है और अपने अनुरोधों में उसके लिए कोई कारण नहीं दिए हैं।प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में पीसीएन वार पाटन मार्जिन विश्लेषण का प्रस्ताव न करने के लिए इस अंतिम जांच परिणाम के पैरा 9 में घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए कारणों की जांच की है और प्राधिकारी ने उसे वैध पाया है। तद्नुसार, विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों की जांच करने के बाद वर्तमान जांच में सहयोगी उत्पादकों तथा निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए पीसीएन वार विश्लेषण करना उपयुक्त नहीं पाया गया है।

36. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों की जांच करने के बाद प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए पूरे विचाराधीन उत्पाद को एक उत्पाद के रूप में हिसाब में लिया है।

37. उत्तरदाता उत्पादकों तथा निर्यातकों के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के निर्धारण में उठाये गये मुद्दों के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के संबंध में उनकी सहयोगी उत्पादकों तथा निर्यातकों का अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने के संबंध में जांच की गई है।

38. बिक्री तथा वितरण के कारण हानि को समायोजित न करने के संबंध में तेय नाम/ वीना वन द्वारा किए गए अनुरोधों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि उसकी विस्तृत जांच की गई है और प्राधिकारी द्वारा उस पर समुचित रूप से विचार किया गया है। पाटन मार्जिन के परिकलन में व्यय के समायोजन के संबंध में यह नोट किया जाता है कि वैट सामान्य मूल्य और निवल निर्यात कीमत के निर्धारण में शामिल नहीं किया गया है और इस प्रकार सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना व्यापार के समान स्तर पर की गई है।

39. पाटन मार्जिन निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए विभिन्न समायोजनों के संबंध में पोस्को के अनुरोध के संबंध में यह अनुरोध है कि पोस्को, कोरिया गणराज्य द्वारा घरेलू बिक्री में भंडारण व्यय तथा वारंटी व्यय की कोई कटौती उसके गृह बाजार में सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजन के लिए नहीं दी गई है। यह भी नोट किया जाता है कि पोस्को कोटेड एंड कलर स्टील कं. लि. द्वारा अपनी घरेलू बिक्रियों में इस प्रकार की कटौतियों का दावा नहीं किया गया है। बैंक प्रभारों के संबंध में यह नोट किया जाता है कि पोस्को कोटेड एंड कलर स्टील कं. लि. ने बैंक प्रभारों का दावा किया है और कारखानागत निर्यात कीमत निकालने के लिए उसे समायोजित किया गाय है।

40. मैसर्स पोस्को द्वारा संबद्ध पक्षकार को संबद्ध सामानों की बिक्री के संबंध में यह नोट किया जाता है कि निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के भाग के रूप में परिशिष्ट-4ख में सूचित किए गए अनुसार पोस्को ने संबद्ध पक्षकार को घरेलू बिक्री की है, परंतु चूंकि इन सामानों की पुनः बिक्री नहीं की गई है, अतः पोस्को, कोरिया गणराज्य द्वारा परिशिष्ट-4ग दायर नहीं किया गया है।

41. इन अनुरोधों के संबंध में कि चीन जन. गण. से निर्यातों के मामले में निर्यात कीमत से कोई बैंक प्रभार नहीं घटाए गए हैं, यह नोट किया जाता है कि संशोधित परिशिष्ट-3क के अनुसार बैंक प्रभार निवल निर्यात कीमत निकालने के लिए उनकी निर्यात कीमत से घटाए गए हैं।

42. इन अनुरोधों के संबंध में कि मैसर्स झेजियांग हौदा न्यू मैटेरियल्स कं. लि. ने घरेलू बाजार में अपने संबद्ध पक्षकार को बिक्री की है और परिशिष्ट-4ग में कोई सूचना स्वतंत्र उपभोक्ताओं को संबद्ध उपभोक्ताओं द्वारा पुनः बिक्री नहीं दी गई है, यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान झेजियांग हौदा न्यू मैटेरियल्स कं. लि., चीन जन. गण. ने अपने संबद्ध पक्षकार, यथा – होंगझोऊ पुइन मेटल मैटेरियल्स कं. लि., चीन को घरेलू बाजार में संबद्ध सामानों की बिक्री की। तथापि, गझोऊ पुइन मेटल मैटेरियल्स कं. लि. द्वारा मैसर्स झेजियांग हौदा न्यू मैटेरियल्स कं. लि. से खरीदे गए संबद्ध सामान गृह बाजार में पुनः नहीं बेचे गए हैं।

43. इन अनुरोधों के संबंध में कि क्या मैसर्स मरोबेनी इटोचू स्टील प्रा. लि., एक निर्यातक/व्यापारी ने उपयुक्त लाभ अर्जित किए हैं और भारत को निर्यात के लिए अपनी पूरी लागत वसूल की है, यह नोट किया जाता है कि मरोबेनी इटोचू स्टील प्रा. लि. द्वारा भारत को बेचे गए उत्पाद ने भारत को निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के कारण उपयुक्त लाभ अर्जित किया है।

44. इन अनुरोधों के संबंध में कि क्या निर्यातक/व्यापारी मैसर्स वीना वन मैन्युफैक्चरिंग ने उपयुक्त लाभ अर्जित किए हैं और भारत को निर्यातों के लिए अपनी पूरी लागत वसूल की है या नहीं, यह नोट किया जाता है कि निर्यातक/व्यापारी ने भारत को निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के कारण उपयुक्त लाभ अर्जित किए हैं।

45. इन अनुरोधों के संबंध में कि क्या जीएस ग्लोबल, कोरिया गणराज्य और शंघाई शिजिंग इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं. लि., चीन जन. गण. ने उपयुक्त लाभ अर्जित किए हैं और अपनी पूरी लागत वसूल की है, यह नोट किया जाता है कि जीएस ग्लोबल और शंघाई शिजिंग इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं. लि. ने भारत को निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के कारण उपयुक्त लाभ अर्जित किए हैं।

46. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए इन अनुरोधों के संबंध में कि कुछ पक्षकारों के लिए और वियतनाम के लिए "सभी अन्य" श्रेणी के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन प्रकटन विवरण में काफी कम किया गया है, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने विधिवत सत्यापित आंकड़ों और सूचना के आधार पर तथा पाटनरोधी नियमावली के साथ अधिनियम की धारा 9क के अनुसार सभी पक्षकारों के लिए अंतिम जांच परिणाम में पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन निर्धारित किया है। प्राधिकारी ने वियतनाम और कोरिया गणराज्य के लिए "सभी अन्य" श्रेणी में उपयुक्त संशोधन किए हैं।

47. पोस्को ने अनुरोध किया है कि पोस्को का उत्पाद पोसमेक एक जिंक मैग्नीशियम उत्पाद है जबकि पोस्को सीएंडसी का उत्पाद अलजस्ता गेल्वालूम है और प्राधिकारी ने इन दोनों भिन्न उत्पादों को एक ही ग्रेड में माना है तथा पोस्को समूह में इन दोनों कंपनियों के लिए भारित औसत निकाला है। इस संबंध में, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने पोस्को के उत्पाद पोसमेक और पोस्को सीएंडसी के उत्पाद अलजस्ता को पाटन मार्जिन निर्धारित करते समय एक ही उत्पाद नहीं माना है। प्राधिकारी ने पोस्को और पोस्को सीएंडसी के लिए उनके व्यक्तिगत आंकड़ों के आधार पर पृथक पाटन मार्जिन का परिकलन किया है और उन दोनों के लिए एक साथ लेकर भारित औसत पाटन मार्जिन का परिकलन किया है।

48. प्राधिकारी ने वियतनाम को एक बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना है, जैसा कि कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए दावों का विरोध किया गया कि वियतनाम को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है। वस्तुतः प्राधिकारी ने 3 मई, 2019 के पत्र द्वारा सूचित किया कि वियतनाम के उत्पादकों/निर्यातकों को पूरक प्रश्नावली में सूचना प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के उत्पादकों और निर्यातकों से अपेक्षित है। प्राधिकारी ने अपनी वेबसाइट पर इस संबंध में उसे सार्वजनिक करते हुए स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत किया था।

49. पोस्को ने अनुरोध किया है कि पोस्को कोरिया असंबद्ध व्यापारी कंपनियों को संबद्ध सामानों की बिक्री करता है और उसके बाद ये असंबद्ध व्यापारिक कंपनियां भारत में पोस्को की संबद्ध कंपनियों को निर्यात करती हैं। ये बिक्रियां असंबद्ध कंपनियों द्वारा की गई स्वतंत्र बिक्रियां हैं और इसीलिए हानियों के लिए समायोजन पोस्को की निर्माण कीमत में नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस स्थिति को अनुकूल रूप से देखते हुए निर्यात श्रृंखला का आरंभिक स्थल पोस्को कोरिया है और भारत में अंतिम लाभार्थी/आयातक पोस्को की संबद्ध कंपनी है। केवल इस कारण कि असंबद्ध व्यापारिक कंपनियों को बीच में शामिल किया गया है, यह नहीं कहा जा सकता कि आयात और निर्यात लेन-देन असंबद्ध पक्षकारों

के बीच हैं। यदि यह तर्क स्वीकार किया जाए तो इससे विदेशी निर्यातकों को ऐसी प्रतिपूरक व्यवस्थाओं में प्रवेश करने की अनुमति होगी और अंततः निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन में गिरावट आएगी।

50. 9 क (1) (ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है :

i. व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उपनियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

ii. जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रकिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगाः-

क. समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

ख. उपधारा- (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

51. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को यह सलाह देते हुए प्रश्नावलियां भेजीं कि वे प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके में सूचना दें। निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यतकों ने निर्धारित प्रश्नावली के उत्तर दायर करते हुए इस जांच में सहयोग किया हैः

1. मैसर्सझेजियांग होडा न्यू मैटेरियल्स कं. लि.,चीन जन. गण. (झेजियांग)
2. मैसर्सशंघाई शिजिंग इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं. लि., चीन जन. गण. (शंघाई शिजिंग)
3. मैसर्सपोस्को एशिया कंपनी लि.,चीन जन. गण.
4. मैसर्सटे नाम स्टील मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कं. लि., वियतनाम(तेय नाम)
5. मैसर्सवीना वन स्टील मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन, वियतनाम (वीना वन)
6. मैसर्सहाओसेन ग्रुप जेएससी (एचएसजी), वियतनाम
7. मैसर्सहाओसेनघे एन वन मेंबर एलएलसी (एचएसएनए), वियतनाम
8. मैसर्सटोन डोंग ए कारपोरेशन, वियतनाम (टोम डोंग)
9. मैसर्समरूबेनी – इटोचू स्टील पीटीई. लि., वियतनाम
10. मैसर्सपोस्को, कोरिया गणराज्य
11. मैसर्सपोस्को कोटेड एंड कलर, कोरिया गणराज्य (पोस्को सीएंडसी)
12. मैसर्सडोंगबू स्टील एंड इनचियोन, कोरिया गणराज्य (डोंगबू)
13. मैसर्सडोंगकुक स्टील मिल कं. लि., कोरिया गणराज्य (डोंगकुक)
14. मैसर्सजीएस ग्लोबल कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य
15. मैसर्सपोस्को सैमसंग सीएंडटी कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य

16. मैसर्स पोस्को इंटरनेशनल कारपोरेशन(पूर्व में पोस्कोदेवूकारपोरेशनके रूप में ज्ञात),कोरिया गणराज्य

17. मैसर्सह्योसंग टीएनसी कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य

18. मैसर्सस्टिंको कं. लि., कोरिया गणराज्य (स्टिंको)

च.4.1 <u>चीन जन. गण. में संबद्ध सामानों के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य</u>

52. डब्ल्यूटीओ में चाइनीज एसेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान हैः

"जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगेः

(क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतें के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं हैः

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण

में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

53. यह नोट किया जाता है कि 11.12.2016 को अनुच्छेद 15(क)(ii) के प्रावधान यद्यपि समाप्त हो गए हैं, तथापि अभिगम नयाचार के 15(क)(i) के तहत दायित्वों के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के स्तर का दावा करने के संबंध में पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से भारत की नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड को पूरा किए जाने की अपेक्षा है। यह नोट किया जाता है कि चूंकि किसी भी उत्तरदाता उत्पादक, चीन जन. गण. से निर्यातक ने अतिरिक्त प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। अतः सामान्य मूल्य का परिकलन नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

<u>चीन जन. गण. में सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण</u>

<u>झेजियांगहौदा न्यू मेटेरियल्स कं. लिमि. ("हौदा")</u>

54. झेजियांगहौदा न्यू मेटेरियल्स कं. लिमि. ("हौदा") की स्थापना 25 जुलाई 2003 को की गई थी, हौदा एक देयता वाली कंपनी है जिसे चीन जन. गण. के कंपनी कानून के अनुसार निगमित किया गया है।

<u>सामान्य मूल्य का निर्धारण</u>

55. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन जन. गण. के किसी भी उत्पादक/ निर्यातक ने पूरक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है जिसमें उनसे नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में यथाउल्लिखित अनुमानों का खंडन करने के लिए कहा गया था। इन परिस्थितियों में प्राधिकारी को इस संबंध में इस नियमावली के पैरा 7 के अनुसार कार्यवाही करनी होती है।

56. उपयुक्त को देखते हुए भारत में चीन जन. गण. से आयात किये गये विचाराधीन उत्पादन के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण प्राधिकारी के पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया जाता है। बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक खर्चे और उचित लाभ मार्जिन के लिए उचित वृद्धि के बाद घरेलू उद्योग के लिए यथा अनुकूलित उत्पादन की लागत पर विचार किया गया है। तदनुसार, जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए चीन जन. गण. में पाटन मार्जिन तालिका में दिये गये अनुसार सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य तय किया गया है।

<u>झेजियांगहौदा न्यू मेटेरियल्स कं. लिमि. ("हौदा"), चीन जन. गण. के लिए निर्यात कीमत</u>

57. भारत में उत्तरदाता निर्यातक से संबद्ध सामानों की निर्यात कीमत के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि मैसर्स झेजियांगहौदा न्यू मेटेरियल्स कं. लिमि., चीन जन. गण. ने भारत में संबद्ध सामानों का निर्यात किया है और निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर के परिशिष्ट 3क में सूचना दी है। निर्यातक ने यह भी स्पष्ट किया है कि परिशिष्ट 3ख और 3ग उनके मामले में लागू नहीं होते हैं क्योंकि संबद्ध भारतीय ग्राहकों को कोई बिक्री नहीं है और हौदा नेव्यापारिक कंपनी के माध्यम से भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं किया। प्राधिकारी ने संबद्ध निर्यातक द्वारा दावा किए गए अनुसार समायोजनों को स्वीकार किया है।

58. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान मैसर्स झेजियांगहौदा न्यूमेटेरियल्स कं. लिमि.चीन जन. गण. ने *** यू एस डालर के मूल्य के *** मी. टनसंबद्ध सामानों का भारत को सीधे ही निर्यात किया। निर्यातक ने समुद्री भाड़े, बीमा, अंतर्देशीय भाड़े, पत्तन और अन्य संबंधित खर्चे तथा गैर वापसी योग्य मूल्यवर्धित कर के आधार पर समायोजनों का दावा किया हैजिनकी अनुमति दी गई है। इन समायोजनों के बाद निवल निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

चीन जन. गण. के अन्य उत्पादकऔर निर्यातक

चीन जन. गण. के सभी असहयोगी निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन

59. चीन जन. गण. के अन्य असहयोगी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमतों का निर्धारण चीन जन. गण. से सहयोगी निर्यातकों के आंकड़ों को ध्यान में रखकर सर्वोत्तम उपलब्ध तथ्यों के अनुसार किया गया है और उसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

च.4.2 वियतनाम में सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

वियतनाम में उत्पादकों और निर्यातकों के सामान्य मूल्य का निर्धारण

मैसर्स टोन डोंग ए (टीडीए) कारपोरेशन, वियतनाम

60. यह नोट किया जाता है कि मैसर्स टोन डोंग ए कं. लिमि. (इसके पश्चात् 'कंपनी', 'टोन डोंग ए' अथवा 'टी डी ए' के रूप में भी उल्लिखित) को डॉग ए कं. लिमि. के रूप में वियतनाम के सामाजिक गणराज्य के उपक्रम के कानून के अंतर्गत निगमित किया गया था। कंपनी का 2005 में फिर से नाम टोन डोंग ए कंपनी लिमि. के रूप में रखा गया था और 2009 में टॉग डॉग ए कारपोरेशन के रूप में फिर से नाम रखा गया था।

सामान्य मूल्य

61. प्रस्तुत किये गये उत्तर से यह नोट किया जाता है कि उन्होंने निर्यात की प्रश्नावली से प्रपत्र 4क, 4ख और 4ग में उन्होंने घरेलू बिक्री के संबंध में सूचना दी है। उत्तर से यह भी नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान मैसर्स टीडीए ने संबंधित और असंबद्ध ग्राहकों को घरेलू बाजार में *** वी एन डी के बीजक मूल्य के संबद्ध वस्तुओं का *** मी. टन की बिक्री की है। उनके उत्तर के आधार पर, यह नोट किया जाता है कि उनकी घरेलू बिक्री घरेलू बाजार में पर्याप्त मात्रा में हुई है। सामान्यमूल्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संबंध में घरेलू बिक्री लेन देन करते हुए लाभ का निर्धारण करने के लिए व्यापार जांच की सामान्य कार्य प्रणाली अपनाई है। यदि लाभ कमाने वाले लेन देन 80 प्रतिशत से अधिक हो तब प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में सभी लेन देनों पर विचार किया है। जहां लाभप्रद लेन देन 80 प्रतिशत से कम है, केवल लाभप्रद घरेलू बिक्री पर विचार सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए किया जाता है। व्यापार की सामान्य कार्यप्रणाली जांच के आधार पर लाभप्रद बिक्रियों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया गया है क्योंकि लाभप्रद बिक्री 80 प्रतिशत से कम थी।

62. मैसर्स टीडीए ने बीमा, अंतर्देशीय परिवहन और ऋण लागत के निमित्त समायोजनों का दावा किया है जिनकी अनुमति दी गई है। तदनुसार, मैसर्स टोन डोंग एकारपोरेशन, वियतनाम के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है और उसे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

निर्यात कीमत

63. यह नोट किया जाता है कि मैसर्स टोन डोंग एकारपोरेशन, वियतनाम ने सीधे तौर पर विचाराधीन उत्पाद का *** मी. टन, मैसर्स मारूबेनु-इटोचू स्टील प्रा. लिमि., सिंगापुर के माध्यम से *** मी. टन और मेकस्टील इंटरनेशनल फार ईस्ट लिमि. के माध्यम से *** मी. टन निर्यात किया है। मैसर्स टोन डोंग एकारपोरेशन, वियतनाम में प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। प्रश्नावली का अलग उत्तर इसकी असंबद्ध ट्रेडिंग कंपनी, नामत: मैसर्स मारूबेनु-इटोचू स्टील प्रा. लिमि., सिंगापुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि मैसर्स मेकस्टील इंटरनेशनल फार ईस्ट लिमि. ने प्राधिकारी के समक्ष निर्यात की प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।

64. चूंकि, उत्पादक और इसके असंबद्ध सहयोगी व्यापारियों द्वारा जिन्होंने प्राधिकारी के समक्ष उत्तर प्रस्तुत किया है, द्वारा निर्यातों की मात्रा को पर्याप्त माना गया है और वह 70प्रतिशत से अधिक है, उत्पादक और

सहयोगी व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए विचार किया गया है।

65. समुद्री भाड़े, बीमा, अंतर्देशीय भाड़े, पत्तन और अन्य संबंधित खर्चों के निमित्त समायोजनों की अनुमति दी गई है। इन समायोजनों के बाद निवल निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

मैसर्स होआसेन ग्रुप (एच एस जी), और मैसर्स होआसेन नग्ने एन वन मेम्बर लिमिटेड लाइबलिटिज कं. (एच एस एन ए) वियतनाम

66. मैसर्स होआ सेन ग्रुप (एच एस जी), वियतनाम ने अपनी संबंधित कंपनी मैसर्स होआ सेन ग्रुप (एच एस जी), और मैसर्स होआसेननग्ने एन वन मेम्बर लिमिटेड लाइबलिटिज कं. (एच एस एन ए) वियतनाम के साथ प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। होआ सेन ग्रुप ("एच एस जी") हो ची मिह सिटी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है। एच एस एन ए के 100 प्रतिशत का स्वामित्व होआ सेन ग्रुप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ("एच एस जी")। दोनों एच एस जी और इसकी संबंधित कंपनी एच एस एन ए संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक है। हालांकि, केवल एच एस जी ने जांच की अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है।

सामान्य मूल्य

67. इस पर यह नोट किया जाता है कि मैसर्स होआ सेन ग्रुप (एच एस जी), वियतनाम ने जांच की अवधि की दौरान वियतनाम में संबंधित और असंबद्ध दोनों ग्राहकों को घरेलू बाजार में *** वी एन डी के विगत मूल्य के संबद्ध वस्तुओं का *** मी. टन की बिक्री की है। उनके उत्तर के आधार पर यह नोट किया जाता है कि उनकी घरेलू बिक्री घरेलू बाजार में पर्याप्त मात्रा में हुई है। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने असंबद्ध पक्षकारों को की गई घरेलू बिक्री के लिए ही सामान्य प्रक्रिया का व्यापार परीक्षण किया क्योंकि संबद्ध पक्षकारों को कीमतें संबद्ध सामानों की उत्पाद लागत के संदर्भ में लाभदायक घरेलू बिक्री लेन देन का निर्धारण करने के लिए संबद्ध पक्षकारों को कीमतों से काफी कम हैं।यदि लाभ कमाने वाले लेन देन 80 प्रतिशत से अधिक हों तब प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में सभी लेन देनों पर विचार किया है और उन मामलों में जहां लाभप्रद लेन देन 80 प्रतिशत से कम है, केवल लाभप्रद घरेलू बिक्री पर विचार सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए किया जाता है। व्यापार जांच की सामान्य कार्यप्रणाली जांच के आधार पर लाभप्रद बिक्रियों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया गया है क्योंकि लाभप्रद बिक्री 80 प्रतिशत से कम थी।

68. मैसर्स होआ सेन ग्रुप (एच एस जी), वियतनाम ने बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, ऋण लागत और अन्य खर्चों के निमित्त समायोजनों का दावा किया है जिनकी अनुमति दी गई है। तदनुसार, एच एस जी, वियतनाम के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है और उसे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

मैसर्स होआ सेन ग्रुप (एच एस जी), वियतनाम और मैसर्स होआसेननग्ने एन वन मेम्बर लिमिटेड लाइबिलिटिज कं. (एच एस एन ए) वियतनाम के लिए निर्यात कीमत

69. यह नोट किया जाता है कि मैसर्स होआ सेन ग्रुप (एच एस जी), वियतनाम ने 4 भिन्न व्यापारियों, यथा – मैसर्स थाइसेनकुरूप मैटेरियल्स ट्रेडिंग एशिया पीटीई. लि., सिंगापुर, मैसर्स डीप सी वेंचर्स लिमिटेड, मैसर्स फ्यूचर मैटेरियल्स इंडस्ट्री (एचके) कं. लि., हांगकांग और मैसर्स जीप्वाइंट डेवलेपमेंट लिमिटेड के माध्यम से सीधे ही *** मी. टन के विचाराधीन उत्पाद का *** मी. टन निर्यात किया है।मैसर्स होआ सेन ग्रुप (एच एस जी), वियतनाम ने प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है।

70. यह भी नोट किया जाता है कि इन 4 व्यापारियों, यथा - मैसर्स थाइसेनकुरूप मैटेरियल्स ट्रेडिंग एशिया पीटीई. लि., सिंगापुर, मैसर्स डीप सी वेंचर्स लिमिटेड, मैसर्स फ्यूचर मैटेरियल्स इंडस्ट्री (एचके) कं. लि., हांगकांग और मैसर्स जीप्वाइंट डेवलेपमेंट लिमिटेड ने प्राधिकारी के पास अपनी निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर नहीं किए हैं।

71. चूंकि, उत्पादक/निर्यातक द्वारा निर्यात की मात्रा 70 प्रतिशत से अधिक है, अतः उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर निर्यात कीमत निकालने के लिए ध्यान दिया गया है।

72. समुद्री भाड़े, बीमा, अंतर्देशीय भाड़े, पत्तन और अन्य संबंधित खर्चों के निमित्त समायोजनों की अनुमति दी गई है। यथानिर्धारित निवल निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

तेय नाम स्टील मैनिफेक्चरिंग एंड ट्रेडंग कं. लिमि. (तेय नाम) एंड विना वन स्टील मैनिफेक्चरिंग कारपोरेशन (वीना वन), वियतनाम

73. तेय नाम स्टील मैनिफेक्चरिंग एंड ट्रेडंग कं. लिमि. (इसके पश्चात् "तेय नाम अथवा कंपनी" के रूप में संदर्भित) की स्थापना 15 मार्च, 2016 को एक प्रा. कं. लिमि. के रूप में की गई थी। यह विचाराधीन उत्पाद के निर्माण और निर्यात में लगा हुआ है। वीना वन स्टील मैनिफेक्चरिंग कारपोरेशन (वीना वन), वियतनाम एक संबंधित कंपनी है क्योंकि दोनों कंपनियों के साझा शेयर होल्डर हैं। वीना वन स्टील मैनिफेक्चरिंग कारपोरेशन विचाराधीन उत्पाद की बिक्री में लगा हुआ है।

सामान्य मूल्य

74. यह नोट किया जाता है कि मैसर्स तेय नाम स्टील में संबंधित उत्पाद की बिक्री सीधे तौर पर और वीना वन के माध्यम से घरेलू बाजार में ग्राहकों को की है। यह नोट किया जाता है कि मैसर्स तेय नाम एंड वीना वन, वियतनाम ने जांच की अवधि के दौरान वियतनाम में संबंधित और असंबद्ध दोनों ग्राहकों को घरेलू बाजार में *** वी एन डी बीजक मूल्य के संबद्ध वस्तुओं का *** मी. टन बिक्री की है। उनके उत्तर के आधार पर उनके द्वारा प्रस्तुत की गई कुछ सूचना के संबंध में उत्तर देने वाले उत्पादक को न्यूनता संबंधी पत्र जारी किया गया था। उन्होंने अपने उत्तर के संबंध में उठाई गई कमियों के उत्तर प्रस्तुत कर दिए।उनके उत्तर के आधार पर, यह नोट किया जाता है कि उनकी घरेलू बिक्री घरेलू बाजार में पर्याप्त मात्रा में हुई है। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन की लागत के संबंध में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री लेन देन का निर्धारण करने के लिए व्यापार की सामान्य कार्यप्रणाली जांच की है। यदि लाभ कमाने वाले लेन देन 80 प्रतिशत से अधिक हों तब प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में सभी लेन देनों पर विचार किया है और उन मामलों में जहां लाभप्रद लेन देन 80 प्रतिशत से कम है, केवल लाभप्रद घरेलू बिक्री पर विचार सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए किया जाता है। व्यापार जांच की सामान्य कार्यप्रणाली जांच के आधार पर लाभप्रद बिक्रियों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया गया है क्योंकि लाभप्रद बिक्री 80 प्रतिशत से अधिक था।

75. मैसर्स तेय नाम स्टील, वियतनाम ने ऋण लागत के निमित्त समायोजनों का दावा किया है जिनकी अनुमति दी गई है। तदनुसार, तेय नाम स्टील, वियतनाम के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है और उसे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

निर्यात कीमत

76. कंपनी ने संबंधित उत्पादत का वीना वन के माध्यम से सीधे तौर पर भारत में ग्राहकों को निर्यात किया है। जांच की अवधि के दौरान दोनों कंपनियों ने असंबद्ध भारतीय ग्राहकों को वी एन डी *** के निवल बीजक मूल्य के साथ प्रत्यक्ष तौर पर *** मी. टन बेचा है। समुद्री भाड़े, बीमा, पत्तन और अन्य संबंधित खर्चों, ऋण लागत और बैंक प्रभारों के निमित्त समायोजनों की अनुमति दी गई है। यथानिर्धारित निवल निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

नेम किम स्टील ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, वियतनाम

77. नाम किम स्टील एक संयुक्त स्टॉक कंपनी है। यह नोट किया जाता है कि नाम किम स्टील स्थानीय बाजार में स्वतंत्र ग्राहकों को विचाराधीन उत्पाद की भारी मात्रा में बिक्री करता है। नाम किम स्टील द्वारा किए गए विचाराधीन उत्पाद के सभी घरेलू बिक्री लेन देन अपने स्थानीय ग्राहकों को सीधे तौर पर किये जाते हैं।

सामान्य मूल्य

78. उनके उत्तर से यह नोट किया जाता है कि मैसर्स नाम किम स्टील ने जांच की अवधि की दौरान घरेलू बाजार में *** वी एन डी के निवल बीजक मूल्य पर *** मी. टन की बिक्री की है। उत्तर से यह भी नोट किया जाता है कि उनकी प्रमुख बिक्रियां उनके घरेलू बाजार में असंबद्ध ग्राहकों को की जाती थीं और घरेलू बिक्री का केवल एक छोटा-सा हिस्सा आंतरिक खपत के लिए संबंधित कंपनी को किया जाता था। उनके उत्तर के आधार परएक कमी वाला पत्र उनके द्वारा दायर कुछ सूचनाओं के संबंध में उत्तरदाता उत्पादक को जारी किया गया था। विशेष रूप से, उत्पादक को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जहां भी अपेक्षित हो, वहां परिशिष्टों में प्रस्तुत सूचना के संबंध में वियतनाम के व्यवहारी लेखाकार से प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए कहा गया था। तथापि, वह उपलब्ध नहीं कराया गया। यद्यपि, मैसर्स नाम किम स्टील द्वारा दायर सूचना के संबंध में सत्यापन किया गया था और एक सत्यापन रिपोर्ट पक्षकार को भी जारी की गई थी। तथापि, व्यवहारी लेखाकार से प्रमाण-पत्र अब भी अनुस्मारकों के बावजूद प्राधिकारी को उपलब्ध नहीं कराया गया था। उपर्युक्त के मद्देनजर, मैसर्स नाम किम स्टील द्वारा दावा किए गए सामान्य मूल्य पर विचार न करने का निर्णय लिया गया है। अतः मैसर्स नाम किम स्टील के सामान्य मूल्य पर सर्वोत्तम उपलब्ध तथ्यों पर विचार किया गया है।

निर्यात कीमत

79. उत्तर से यह नोट किया जाता है कि कंपनी ने संबंधित उत्पाद की बिक्री सीधे तौर पर भारत में ग्राहकों को की है। जांच की अवधि के दौरान यह नोट किया जाता है कि कंपनी ने असंबद्ध भारतीय ग्राहकों को *** मी. टन की बिक्री की है। समुद्री भाड़े, अंतर्देशीय भाड़े,बीमा, ऋण लागत, पैकिंग लागत और पत्त्न एवं अन्य संबंधित खर्चों के निमित्त समायोजनों की अनुमति दी गई है। यथानिर्धारित निवल निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

च.4.3 वियतनाम के अन्य उत्पादक और निर्यातक

वियतनाम के सभी असहयोगी निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन

80. वियतनाम के अन्य असहयोगी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमतों का निर्धारण देशविशेष से पहले ही निर्यातकों के लिए जांच किये गये आंकड़ों पर विचार करते हुए सर्वोत्तम उपलब्ध तथ्यों के अनुसार किया गया है और उसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

कोरिया गणराज्य के सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

पोस्को,कोरिया गणराज्य

81. पोस्को कोरिया में एक सूचीबद्ध कंपनी (संयुक्त स्टॉक कारपोरेशन) है। उत्तर से यह नोट किया जाता है कि मैसर्स पोस्को ने अपने घरेलू बाजार में अपने ग्राहकों को सीधे तौर पर और मैसर्स पोस्को इंटरनेशनल कारपोरेशन लि. (पूर्व में पोस्को देवू कारपोरेशन के नाम से ज्ञात), कोरिया गणराज्य के माध्यम से भी संबद्ध वस्तुओं की अधिकांश बिक्री की है।

सामान्य मूल्य

82. उत्तर से यह नोट किया जाता है कि पोस्को, कोरिया गणराज्य ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में *** मी. टन के आर डब्ल्यू के विगत मूल्य से संबद्ध वस्तुओं का *** मी. टन की बिक्री की है। उनके उत्तर के आधार पर यह नोट किया जाता है उनके उनके उत्तर के आधार पर यह नोट किया जाता है कि उनकी घरेलू बिक्री घरेलू बाजार में पर्याप्त मात्रा में हुई है। उनके उत्तर के आधार पर उनके द्वारा प्रस्तुत की गई कुछ सूचना के संबंध में उत्तर देने वाले उत्पादक को कमियों संबंधी पत्र जारी किया गया था। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन की लागत के संबंध में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री लेन देन का निर्धारण करने के लिए व्यापार की सामान्य कार्यप्रणाली जांच की है। यदि लाभ कमाने वाले लेन देन 80 प्रतिशत से अधिक हों तब प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में सभी लेन देनों पर विचार किया है और उन मामलों में जहां लाभप्रद लेन देन 80 प्रतिशत से

कम है, केवल लाभप्रद घरेलू बिक्री पर विचार सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए किया जाता है। इस मामले में, व्यापार जांच की सामान्य कार्यप्रणाली जांच के आधार पर लाभप्रद बिक्रियों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया गया है क्योंकि लाभप्रद बिक्री 80 प्रतिशत से अधिक था।

83. मैसर्स पोस्को, कोरिया गणराज्य ने भाड़े से संबंधित खर्चे, वेयरहाउसिंग से संबंधित खर्चे, संचालन शुल्क, ऋण लागत, पैकिंग लागत और वारंटी खर्चे के आधार पर समायोजनों का दावा किया है। इस उत्तर की जांच करने के बाद, वारंटी और वेयरहाउसिंग खर्चों का समयोजन सामान्य मूल्य तय करने के लिए नहीं किया गया है। अन्य समायोजनों पर विचार किया गया है। तदनुसार, मैसर्स पोस्को, कोरिया गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है और उसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

<u>पोस्को, कोरिया गणराज्यके लिए निर्यात कीमत</u>

84. मैसर्स पोस्को, कोरिया गणराज्य ने मैसर्स जी एस ग्लोबल कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य और मैसर्स सेमसंग सी एंड टी कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद का क्रमश: *** मी. टन और *** मी. टन का निर्यात किया है। इन असंबद्ध व्यापारियों ने आगे एक संबंधित व्यापारी नामत: पोस्को एशिया, हॉग कॉग के माध्यम से भारत में विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। उपर्युक्त सभी उत्पादक/ निर्यातकों/ व्यापारियों ने निर्यातक की प्रश्नावली का अलग उत्तर प्रस्तुत किया है।

85. यह भी नोट किया जाता है कि संबंधित व्यापारियों/ निर्यातकों ने पोस्को, कोरिया गणराज्य से संबंधित संसाधकों/ आयातकों नामत: पोस्को आई ए पी सी, इण्डिया, पोस्को आई डी पी सी, इंडिया, पोस्को आई सी पी सी इंडिया और पोस्को आई पी पी सी इंडिया को संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है। ये सभी संबंधित पक्षकारों ने आयातकों/ अंतिम उपभोक्ता की प्रश्नावली का उत्तर भी प्रस्तुत किया है।

86. भारत में उपर्युक्त पोस्को की सहायक कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किये गये उत्तर से यह भी नोट किया जाता है कि उन्होंने एक साथ उपर्युक्त अलग अलग व्यापार माध्यमों से अपनी मूल कंपनी अर्थात पोस्को से आयात किये गये संबद्ध वस्तुओं की बिक्री के दौरान घाटा उठाया है। किसी संबद्ध वस्तुओं की इनकी बिक्री कीमत उनकी खरीद कीमत से कम है जिसने इन सहायक कंपनियों की आयात कीमतें और एस जी ए शामिल थे, उनकी पहुंच कीमत और निवल निर्यात कीमत से उपयुक्त समायोजन किया गया है। इसके अतिरिक्त, समुद्री भाड़े, अंतर्देशीय भाड़े,बीमा, ऋण लागत, पैकिंग लागत औरपत्तनतथा अन्य संबंधित खर्चों के निमित्त समायोजनों की अनुमति दी गई है। यथानिर्धारित निवल निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

<u>"पोस्को कोटेड एंड कलर स्टील कं. लिमि." (पोस्को सी एंड सी), कोरिया गणराज्य</u>

87. यह नोट किया जाता है मैसर्स पोस्को सी एंड सी, कोरिया गणराज्य पोस्को समूह का एक हिस्सा है।

<u>पोस्को सी एंड सी, कोरिया गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य</u>

88. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान, पोस्को सी एंड सी ने घरेलू बाजार बाजार में *** मी. टन के आर डब्ल्यू के बीजक मूल्य के संबद्ध वस्तुओं का *** मी. टन बेचा है। इन वस्तुओं को संबंधित और असंबद्ध दोनों ग्राहकों को *** मी. टन और *** मी. टन की बिक्री की गई है। उनके उत्तर के आधार पर उनके द्वारा प्रस्तुत की गई कुछ सूचना के संबंध में उत्तर देने वाले उत्पादक को न्यूनता संबंधी पत्र जारी किया गया था।उन्होंने कमी संबंधी पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया।उनके उत्तरों के आधार पर, यह नोट किया जाता है कि उनकी घरेलू बिक्री घरेलू बाजार में पर्याप्त मात्रा में हुई है। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन की लागत के संबंध में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री लेन देन का निर्धारण करने के लिए व्यापार की सामान्य कार्यप्रणाली जांच की है। यदि लाभ कमाने वाले लेन देन 80 प्रतिशत से अधिक हों तब प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में सभी लेन देनों पर विचार किया है और उन मामलों में जहां लाभप्रद लेन देन 80 प्रतिशत से कम है, केवल लाभप्रद घरेलू

बिक्री पर विचार सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए किया जाता है। व्यापार जांच की सामान्य कार्यप्रणाली जांच के आधार पर लाभप्रद बिक्रियों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया गया है क्योंकि लाभप्रद बिक्री 80 प्रतिशत से अधिक था।

89. मैसर्स पोस्को सी एंड सी कोरिया, जन. गण. ने अंतर्देशीय भाड़े, ऋण लागत और दावे से संबंधित खर्चे के कारण समायोजनों का दावा किया है। तदनुसार, मैसर्स पोस्को सी एंड सी, कोरिया गणराज्य के लिए भारित औसत सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है और इसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

<u>पोस्को सी एंड सी, कोरिया गणराज्य, के लिए निर्यात कीमत</u>

90. मैसर्स पोस्को सी एंड सी कोरिया गणराज्य ने मैसर्स पोस्को एशिया कंपनी, हॉग कॉग (संबंधित कंपनी) और मैसर्स पोस्को इंटरनेशनल, कोरिया गणराज्य (संबंधित कंपनी) के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद का *** मी. टन और *** मी. टन का निर्यात किया है। मैसर्स पोस्को सी एंड सी, कोरिया गणराज्य ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है और अलग अलग प्रश्नावलियां इसकी संबंधित ट्रेडिंग कंपनियों नामत: मैसर्स पोस्को इंटरनेशनल कारपोरेशन (भूतपूर्व पोस्को डेबू कारपोरेशन), कोरिया गणराज्यऔर मैसर्स पोस्को एशिया कंपनी, हॉग कॉग द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा, यह भी नोट किया जाता है कि पोस्को इंटरनेशनल कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य और मैसर्स पोस्को एशिया कंपनी, हांगकांग ने संबद्ध भारतीय कंपनियोंनामत: आई ए पी सी, आई पी पी सी, आई सी पी सी और आई डी पी सी को संबद्ध सामानों काभारी हिस्सा बेचा है।

91. भारत में उपर्युक्त पोस्को की सहायक कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किये गये उत्तर से यह भी नोट किया जाता है कि उन्होंने एक साथ उपर्युक्त अलग अलग व्यापार माध्यमों से अपनी मूल कंपनी अर्थात पोस्को सी एंड सी से आयात किये गये संबद्ध वस्तुओं की बिक्री के दौरान घाटा उठाया है। किसी संबद्ध वस्तुओं की इनकी बिक्री कीमत उनकी खरीद कीमत से कम है जिसने इन सहायक कंपनियों की आयात कीमतें और एस जी ए शामिल थे, उनकी पहुंच कीमत और निवल निर्यात कीमत से उपयुक्तसमायोजन किया गया है। इसके अलावा, समुद्री भाड़े, अंतर्देशीय भाड़े,बीमा, ऋण लागत, पैकिंग लागत, पत्तन और अन्य संबंधित खर्चों के निमित्त समायोजनों की अनुमति दी गई है। यथानिर्धारित निवल निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

92. समुद्री भाड़े, अंतर्देशीय भाड़े, ऋण लागत और पत्तन तथा अन्य संबंधित खर्चों के निमित्त समायोजनों की अनुमति दी गई है। यथानिर्धारित निवल निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

<u>मैसर्स डोंगकुक स्टील मिल कं. लिमि., कोरिया गणराज्य</u>

<u>मैसर्स डोंगकुक स्टील मिल कं. लिमि., कोरिया गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य</u>

93. उत्तर से यह नोट किया जाता है कि मैसर्स डोंगकुक स्टील मिल कं. लिमि., कोरिया गणराज्य ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में असंबद्ध ग्राहकों को *** के आर डब्ल्यू बीजक मूल्य के संबद्ध वस्तुओं का *** मी. टन की बिक्री की है। उनके उत्तर के आधार पर उनके द्वारा प्रस्तुत की गई कुछ सूचना के संबंध में उत्तर देने वाले उत्पादक को न्यूनता संबंधी पत्र जारी किया गया था। उनके उत्तर के आधार परयह नोट किया जाता है कि उनकी घरेलू बिक्री घरेलू बाजार में पर्याप्त मात्रा में हुई है। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन की लागत के संबंध में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री लेन देन का निर्धारण करने के लिए व्यापार की सामान्य कार्यप्रणाली की जांच की है। यदि लाभ कमाने वाले लेन देन 80 प्रतिशत से अधिक हों तब प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में सभी लेन देनों पर विचार किया है और उन मामलों में जहां लाभप्रद लेन देन 80 प्रतिशत से कम है, केवल लाभप्रद घरेलू बिक्री पर विचार सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए किया जाता है। व्यापार जांच

की सामान्यकार्यप्रणाली जांच के आधार पर लाभप्रद घरेलू बिक्रियों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया गया है क्योंकि लाभप्रद बिक्री 80 प्रतिशत से कम थी।

94. मैसर्स डोंगकुक स्टील मिल कं. लिमि., कोरिया गणराज्य ने छूट (शीघ्र भुगतान के कारण छूट), अंतर्देशीय ढुलाई, ऋण लागत, पैकिंग से संबंधित खर्चे और दावे से संबंधित खर्चे के आधार पर समायोजनों का दावा किया है जिस पर विचार किया गया है। तदनुसार, मैसर्स डोंगकुक स्टील मिल कं. लिमि., कोरिया गणराज्य के लिए भारित औसत सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है और उसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

<u>मैसर्स डोंगकुक स्टील मिल कं. लिमि., कोरिया गणराज्य के लिए निर्यात कीमत</u>

95. मैसर्स डोंगकुक स्टील मिल कं. लिमि., कोरिया गणराज्य ने भारत में इसकी सहायक कंपनी अर्थात मैसर्स डोंगकुक स्टील इंडिया प्रा. लिमि.को सीधे *** मी. टन विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है जिसमें अपने क्रम में भारत में असंबद्ध उपभोक्ताओं को मैसर्स ह्यिोसुंग टी एन सी, कोरिया गणराज्य के माध्यम से *** मी. टन संबद्ध वस्तुओं को बेचा है जिसने क्रम में मैसर्स डोंगकुक स्टील इंडिया प्रा. लिमि., इण्डिया को संबद्ध वस्तु भी बेची है और एस के नेटवर्क, कोरिया गणराज्य के माध्यम से *** मी. टन बेचा है। मैसर्स डोंगकुक स्टील मिल कं. लिमि., कोरिया गणराज्य ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है और एक अलग प्रश्नावली इसकी असंबद्ध ट्रेडिंग कंपनियों नामत: मैसर्स ह्यिोसुग टी एन सी, कोरिया गणराज्य और मैसर्स डोंगकुक स्टील इंडिया प्रा. लिमि. के द्वारा प्रस्तुत की गई है। आगे यह नोट किया जाता है कि मैसर्स एस के नेटवर्क, कोरिया गणराज्य ने प्राधिकारी के पास निर्यातक की प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।

96. चूंकि उत्पादक और इसके असंबद्ध सहयोगी व्यापारियों द्वारा निर्यातों की मात्रा पर्याप्त है अत: उत्पादक और सहयोगी निर्यातकों द्वारा रिपोर्ट की गई निर्यात की मात्रा पर निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए विचार नहीं किया गया है।

97. भारत में मैसर्स डोंगकुक स्टील इण्डिया प्रा. लिमि. के द्वारा प्रस्तुत किये गये उत्तर से यह भी नोट किया जाता है कि उन्होंने एक साथ उपर्युक्त अलग अलग व्यापार माध्यमों से अपनी मूल कंपनी अर्थात मैसर्स डोंगकुक स्टील मिल कं. लिमि. से आयात किये गये संबद्ध वस्तुओं की बिक्री के दौरान घाटा उठाया है। किसी संबद्ध वस्तुओं की इनकी बिक्री कीमत उनकी खरीद कीमत से कम है जिसने इन सहायक कंपनियों की आयात कीमतें और एस जी ए शामिल थे, उनकी पहुंच कीमत और निवल निर्यात कीमत से उपयुक्त समायोजन किया गया है। इसके अलावा, समुद्री भाड़े, अंतर्देशीय भाड़े,बीमा, ऋण लागत, पैकिंग लागत, पत्तन और अन्य संबंधित खर्चों के निमित्त समायोजनों की अनुमति दी गई है। यथानिर्धारित निवल निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

98. समुद्री भाड़े, अंतर्देशीय भाड़ेऔर बीमा, ऋण लागत, पैकिंग लागत और पत्तन एवं अन्य संबंधित खर्चों के निमित्त समायोजनों की अनुमति दी गई है। यथानिर्धारित निवल निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

<u>मैसर्स डोंगबू स्टील कं. लिमि., एंड मैसर्स डोंगबू इनचेओन स्टील कं. लिमि., कोरिया गणराज्य</u>

<u>सामान्य मूल्य</u>

99. उत्तर से यह नोट किया जाता है कि कंपनी का कानूनी नाम डोंगबू स्टील कं. लिमि., (इसके पश्चात् डोंगबू स्टील) है। डोंगबू स्टील कोरिया गणराज्य में एक सूचीबद्ध कंपनी है और इसे कोरिया गणराज्य के वाणिज्यिक संहिता के अंतर्गत निगमित किया गया है। यह नोट किया जाता है कि डोंगबू स्टील अपने अन्य उपक्रमों से अपने इनचेन कार्य को अलग कर दिया और उस परिसंपत्ति को एक नई कंपनी जिसका नाम डोंगबू स्टील कं. लिमि. (इसके पश्चात "डोंगबू इनशियन") है में रखा है। सभी वास्तविक समयों में और वर्तमान में डोंगबू इनशियन को का पूर्व स्वामित्व डोंगबू स्टील के पास रहा है।

100. यह भी कहा गया है कि डोंगबू इनशियन में घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की बहुत कम मात्रा ही देखी है। डोंगबू इनशियन भारत में और किसी अन्य तीसरे देश के बाजारों में विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया।

101. यह अनुरोध किया गया है कि डोंगबू स्टील और डोंगबू इनशियन को सामान्य मूल्य की गणना के उद्देश्यों से एकमात्र आर्थिक कंपनी के रूप में माना जाना चाहिए।

102. यह नोट किया जाता है कि मैसर्स डोंगबू स्टील कं. लिमि., कोरिया गणराज्य ने जांच की अवधि के दौरान *** के आर डब्ल्यू के बीजक मूल्य वाले *** मी. टन संबद्ध सामान बेचे हैं। परिशिष्ट – 4ख के अनुसार, मैसर्स डोंगबू स्टील कं. लिमि., कोरिया गणराज्य ने मैसर्स डोंगबू इनशियन कं. लिमि. को *** मी. टन और मैसर्स देव-वूंग एसएनटी कंपनी को *** मी. टन की बिक्री की है। दायर उत्तर के आधार पर और सत्यापन के अनुसार यह नोट किया जाता है कि डोंगबू स्टील द्वारा घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभदायक घरेलू बिक्री लेन-देन निर्धारित करने के लिए सामान्य प्रक्रिया के व्यापार परीक्षण किए। यदि लाभप्रद लेन-देन 80 प्रतिशत से अधिक हैं तो प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में सभी लेन-देनों पर विचार किया है। जहां लाभदायक लेन-देन 80 प्रतिशत से कम हैं, वहां केवल लाभप्रद घरेलू बिक्री पर ही सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया गया है। सामान्य प्रक्रिया के व्यापार परीक्षण के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभप्रद घरेलू बिक्री को ही लिया गया है क्योंकि लाभप्रद बिक्रियां 80 प्रतिशत से कम थीं।

103. मैसर्स डोंगबू स्टील कं. लिमि., कोरिया गणराज्य ने अंतर्देशीय परिवहन, ऋण लागत, भुगतान छूट तथा वारंटी व्यय के निमित्त समायोजनों का दावा किया है जिनकी अनुमति दी गई है। तद्नुसार, मैसर्स डोंगबू स्टील कं. लिमि., कोरिया गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है और पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

<u>निर्यात कीमत</u>

104. उत्तर से यह नोट किया जाता है कि मैसर्स डोंगबू स्टील कं. लिमि., कोरिया गणराज्य ने मैसर्स जी एस ग्लोबल कारपोरेशन, कोरिया गणराज्यके माध्यम से*** मी. टन के विचाराधीन उत्पाद के *** मी. टन का निर्यात, मैसर्स ह्योसंग टी एन सी, कोरिया गणराज्य के माध्यम से *** मी. टन, मैसर्स शंघाई शिजिंग इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं. लिमि. चीन जन. गण के माध्यम से *** मी. टन, मैसर्स प्राइम रिर्सोस, कोरिया गणराज्य के माध्यम से *** मी. टन और मैसर्स स्टिंको, कोरिया गणराज्य के माध्यम से *** मी. टन का सीधे ही किया है। यह भी नोट किया जाता है कि मैसर्स स्टिंको ने *** मी. टन संबद्ध सामानों का निर्यात भारत को सीधे ही किया है और *** मी. टन का निर्यात संबद्ध व्यापारी अर्थात मैसर्स शकुन के माध्यम से किया है।

105. इस बात पर ध्यान दिया जाए कि प्राथमिक जांच परिणाम में मैसर्स डोंगबू को कोई पृथक पाटन मार्जिन नहीं दिया गया था क्योंकि यह नोट किया गया था कि मैसर्स डोंगबू द्वारा उत्पादित तथा भारत को विभिन्न निर्यातकों/व्यापारियों द्वारा निर्यातित संबद्ध सामानों की काफी मात्रा को सहयोगी उत्पादकों तथा निर्यातकों द्वारा दायर उत्तरों में ध्यान में नहीं रखा गया था। विशेष रूप से यह नोट किया गया था कि डोंगबू ने भारत को कई असंबद्ध व्यापारियों के माध्यम से संबद्ध सामानों का निर्यात किया। इन असंबद्ध व्यापारियों में से सबसे बड़ा व्यापारी स्टिंको था। स्टिंको ने भारत को सीधे ही तथा संबद्ध व्यापारी शकुन ट्रेडिंग के माध्यम से निर्यात किए। स्टिंको ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए थे, परंतु शकुन ट्रेडिंग ने प्राथमिक जांच परिणाम के चरण तक कोई उत्तर दायर नहीं किया। चूंकि, स्टिंको के एक संबद्ध व्यापारी, जिसके माध्यम से भारत को काफी निर्यात किए गए थे, ने जांच में भाग नहीं लिया। अतः स्टिंको द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर को अनंतिम रूप से स्वीकार न करने का निर्णय लिया गया था। ऐसे परिदृश्य में प्राधिकारी के समक्ष प्रतिभागी पक्षकारों द्वारा किए गए निर्यात 70 प्रतिशत की दहलीज से नीचे गिर गए और तद्नुसार डोंगबू द्वारा दायर पूरा उत्तर अनंतिम रूप से रद्द कर दिया गया था तथा कोई व्यक्तिगत दर डोंगबू को नहीं दी गई थी।

106. प्राथमिक जांच परिणाम में यह भी नोट किया गया था कि मैसर्स डोंगबू को मैसर्स स्टिंको से जुड़े असहयोगी निर्यातकों के आंकड़े देने के लिए एक कमी वाला पत्र जारी किया गया था। जारी किए गए कमी वाले पत्र के उत्तर में देरी से एक उत्तर मैसर्स शकुन ट्रेडिंग कं. एलएलसी (शकुन) से उनके द्वारा किए गए निर्यातों के संबंध में प्राप्त हुआ था जो मैसर्स स्टिंको से लिए गए थे। तथापि, शकुन से उत्तर की जांच करने के बाद यह नोट किया गया था कि उत्तर पूर्णतः कमी वाला है। विशेष रूप से, यह नोट किया गया था कि अपेक्षित यथानिर्धारित परिशिष्ट-1, 5 तथा अन्य दस्तावेज उनके द्वारा प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। उपर्युक्त के मद्देनजर, उसे प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।

107. मैसर्स डोंगबू के उत्तर तथा अभ्यावेदन की जांच की गई है। यह नोट किया जाता है कि प्राथमिक जांच परिणाम के समय प्राधिकारी ने अनंतिम रूप से निर्धारित किया था कि चूंकि एक प्रमुख व्यापारी अर्थात मैसर्स स्टिंको, जिसका भारत को संबद्ध सामानों के निर्यात में प्रमुख हिस्सा है, ने भारत को निर्यातों के लिए मात्रा श्रृंखला के पर्याप्त भाग के लिए ध्यान नहीं दिया है, अतः मैसर्स डोंगबू का पृथक पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं किया गया था। प्राथमिक जांच परिणाम के बाद, विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की विस्तृत जांच करने के बाद यह नोट किया जाता है कि डोंगबू का पूरा उत्तर इस आधार पर रद्द नहीं किया जाना चाहिए कि स्टिंको के संबद्ध व्यापारी ने जांच में भाग नहीं लिया है। इस संबंध में, यह नोट किया जाता है कि यद्यपि, डोंगबू से खरीदे गए संबद्ध सामानों के लिए भारत को स्टिंको द्वारा किए गए निर्यातों की पूरी सूचना प्राधिकारी को उपलब्ध नहीं कराई गई है क्योंकि उसके संबद्ध व्यापारी से सूचना पूर्णतः कमी वाली पाई गई थी, अतः भारत को उसके सीधे निर्यात का हिस्सा निर्धारित स्वरूप और तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार, यह नोट किया जाता है कि केवल भारत को संबद्ध सामानों के सीधे निर्यातों को ध्यान में रखते हुए स्टिंको की आपूर्ति श्रृंखला का पर्याप्त हिस्सा और कीमत प्राधिकारी के पास उपलब्ध है तथा इसीलिए डोंगबू के आंकड़े पृथक मार्जिन निकालने के लिए पूरी तरह से रद्द नहीं किए जाने चाहिए। अतः यह निर्णय लिया गया है कि डोंगबू के उत्तर को ध्यान में रखा जाना चाहिए तथा उपर्युक्त के मद्देनजर डोंगबू के लिए पाटन तथा क्षति मार्जिन की व्यक्तिगत दर निकालने का निर्णय लिया गया है। ये मार्जिन निकालने के लिए प्राधिकारी ने भारत को स्टिंको के सीधे निर्यातों से युक्त श्रृंखला के लिए वास्तविक निर्यात कीमत पर विचार किया है जिसने जांच में विधिवत रूप से भाग लिया है तथा निर्धारित स्वरूप एवं तरीके से उत्तर प्रस्तुत किए हैं तथा स्टिंको के उपर्युक्त संबद्ध व्यापारी, जिसने निर्धारित स्वरूप एवं तरीके में सूचना दायर नहीं की, के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्यात कीमत पर विचार किया है।

108. इसके अतिरिक्त, समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय भाड़ा, सार-संभाल, दलाली शुल्क, सर्वेक्षण प्रभार, बैंक प्रभार और ऋण लागत के निमित्त दावों के समायोजन की अनुमति दी गई है। तद्नुसार, मैसर्स डोंगबू स्टील कं. लि., कोरिया गणराज्य के लिए कारखानागत निर्यात कीमत निर्धारित की गई है और पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

<u>अन्य उत्पादकों और निर्यातकों, कोरिया गणराज्य के लिए पाटन मार्जिन</u>

109. कोरिया गणराज्य के अन्य असहयोगी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमतों का निर्धारण उस देश से पहले ही निर्यातकों के लिए जांच किये गये आंकड़ों पर विचार करते हुए सर्वोत्तम उपलब्ध तथ्यों के अनुसार किया गया है और उसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

<u>संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन</u>

110. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध जांच में अनेक सहयोगी उत्पादक और निर्यातक एक दूसरे से संबंधित हैं और संबंधित कंपनियों का एक समूह बनाते हैं। प्राधिकारी के पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए संबंधित निर्यात करने वाले उत्पादकों और निर्यातकों को एक कंपनी के रूप में विचार करने और इस प्रकार से उनके लिए एकमात्र पाटन मार्जिन स्थापित करने के लिए सतत् प्रथा रही है। विशेष रूप से ऐसा इसलिए है कि अलग अलग पाटन मार्जिन की गणना से पाटनरोधी उपायों की परिवंचना को प्रोत्साहन मिल सकता है और इस प्रकार से वे अप्रभावी हो सकते हैं और ऐसा निम्नतम अलग अलग पाटन मार्जिन के साथ कंपनी के माध्यम से भारत में उनके निर्यात को भेजने के लिए संबंधित निर्यात करने वाले उत्पादकों को समर्थ बनाकर किया जा सकता है।

111. उपर्युक्त के अनुसार, संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों को एकमात्र कंपनी के रूप में माना गया है और एकमात्र पाटन मार्जिन के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है जिसकी गणना सहयोगी संबंधी उत्पादकों और निर्यातकों के पाटन मार्जिन की भारित औसत के आधार पर की गई थी।

च.4.4 <u>पाटन मार्जिन तालिका</u>

112. संबद्ध वस्तुओं के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण नीचे दिये गये अनुसार किया गया है:

मूल और/ अथवा निर्यात का देश	उत्पादक का नाम	सामान्य मूल्य/ सीएनवी (अमेरिकी डॉलर)	निवल निर्यात कीमत (अमेरिकी डॉलर)	पाटन मार्जिन (अमेरिकी डॉलर)	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन % रेंज
कोरिया गणराज्य	पोस्को	***	***	***	***	0-20
कोरिया गणराज्य	पोस्को कोटेड एंड कलर स्टील कं. लि.	***	***	***	***	0-20
कोरिया गणराज्य	पोस्को ग्रुप	***	***	***	***	0-20
कोरिया गणराज्य	डोंगकुक स्टील मिल कं. लि.	***	***	***	***	20-40
कोरिया गणराज्य	डोंगबू स्टील कं. लि.	***	***	***	***	20-40
कोरिया गणराज्य	कोई अन्य उत्पादक एवं निर्यातक	***	***	***	***	20-40
वियतनाम	तेय नाम स्टील मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कं. लि.	***	***	***	***	0-20
वियतनाम	टोन डोंग ए कारपोरेशन	***	***	***	***	0-20
वियतनाम	होआसेन ग्रुप	***	***	***	***	0-20
वियतनाम	नाम किम स्टील ज्वाइंट स्टॉक कंपनी	***	***	***	***	20-40
वियतनाम	कोई अन्य उत्पादक एवं निर्यातक	***	***	***	***	20-40
चीन जन. गण.	झेजियांग हौदा न्यू मैटेरियल्स कं. लि.	***	***	***	***	20-40
चीन जन. गण.	कोई अन्य उत्पादक एवं निर्यातक	***	***	***	***	40-60

छ. <u>क्षति का आकलन और कारणात्मक संपर्क</u>

छ. 1. घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

113. घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध नीचे दिए अनुसार हैं:

(क) आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन उपयुक्त है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा दी जा रही संबद्ध वस्तुओं के साथ समान वाणिज्यिक स्थितियों के अधीन तुलनीय बिक्री माध्यम से सीधे तौर पर प्रतिस्पर्धा करता है। यह अनुरोध किया जाता है कि वे संबद्ध देशों से संचयी रूप में घरेलू उद्योग के क्षति का आकलन करें। आवेदक यह अनुरोध करता है कि पाटित आयात उन वस्तुओं के समान है जिन्हें घरेलू उद्योग बाजार में बेचा जाता है। पाटित आयात भारतीय बाजार में एक ही समय में अनेक देशों से प्रवेश कर रहे हैं।

(ख) यदि संबंधित आयातक भारत में संबद्ध वस्तुओं की फिर से बिक्री या तो उसी रूप में अथवा आंशिक संशोधनों के बाद करता है और उसे घाटा होता है तब प्राधिकारी को आयातों के पहुंच मूल्य तथा निवल निर्यात कीमत तक उपयुक्त समायोजन करना चाहिए। यह प्राधिकारी की सतत् प्रथा रही है जिसे चीन जन. गण. से ग्लास के फाइबर के संबंध में पाटनरोधी जांच में देखा जा सकता है। यदिउपयुक्त समायोजन प्राधिकारी द्वारा पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण करते समय नहीं किया जाता है तब उच्चतर कीमत पर आयात करने और अपेक्षा से कम कीमत पर उसकी बिक्री करने की इस प्रकार की प्रथा विदेशी निर्यातों के लिए बाहर निकालने का रास्ता हो जायेगा और इसके फलस्वरूप निर्यातकों द्वारा शुल्क से बचा जा सकता है अथवा शुल्क की परिवंचना की जा सकती है।

(ग) संबद्ध देशों में से प्रत्येक देश के लिए बहुत अधिक कीमत में कटौती हुई है।

(घ) संबद्ध देशों से पाटित आयात भारत में घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत/ उचित कीमत से बहुत कम कीमतों पर हो रही है। भारत में आने वाले कम कीमत पर पाटित आयात घरेलू उद्योग को अनुमति नहीं दे रहा है कि वह संबद्ध वस्तुओं के लिए उचित कीमत प्राप्त करे और इसके कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है।इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग भारतीय उद्योग की मांग को पूरा करने में असमर्थ है, आवेदक ने अनुरोध किया कि घरेलू उद्योग संबद्ध सामानों की कुल मांग को पूरा करने में सक्षम हैं, तथापि आयात की काफी मात्रा ने भारत में बाजार हिस्सा ले लिया है।

(ङ) उत्तरादात के इस तर्क के संबंध में कि संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारत में सौर विद्युत के संवर्धन पर नकारात्मक प्रभाव होगा, आवेदक ने अनुरोध किया कि ऐसे विचार घरेलू उद्योग के संरक्षण के लिए पाटनरोधी शुल्क की आवश्यकता के लिए प्राधिकारी के निर्धारण के लिए संगत नहीं है। न तो सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और न ही उसमें बनाई गई नियमावली प्राधिकारी को पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते समय सार्वजनिक नीति के उद्देश्यों पर विचार करने की अनुमति देती है।

(च) उत्तरादाताओं के इस तर्क के संबंध में कि आवेदक ने नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार कोई सिद्ध साक्ष्य नहीं दिए हैं, आवेदक ने अनुरोध किया कि उन्होंने निर्दिष्ट प्राधिकारी को सभी संगत सूचनाएं दी हैं और वे जांच की शुरूआत की अधिसूचना तथा प्राथमिक जांच परिणाम में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विधिवत नोट कर ली गई हैं।

(छ) उत्तरदाताओं के इस तर्क के संबंध में कि आवेदक को कोई क्षति नहीं हुई है तथा आधार वर्ष से जांच की अवधि तक कुछ आर्थिक मानदंडों में आवेदक के निष्पादन में काफी वृद्धि हुई है, आवेदक ने अनुरोध किया कि उसकी जांच की अवधि की तुलना आधार वर्ष में पूर्णतः उसके निष्पादन के विरुद्ध नहीं की जानी चाहिए। आवेदक ने इसके लिए दो कारण उल्लिखित किए हैं, पहला यह कि किसी भी क्षति विश्लेषण में एक सिरे से दूसरे सिरे तक तुलना ठीक नहीं है, इसके बजाए मध्यवर्ती वर्षों में निष्पादन का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। आवेदक ने अपने तर्क के समर्थन में अर्जेंटीना – फुटवेयर (ईसी) (डब्ल्यूटी/डीएस121) में निर्णय का उल्लेख किया। दूसरे, 2015-16 में आवेदक के निष्पादन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उसका निष्पादन वैश्विक रूप से इस्पात उद्योग में मंदी के कारण असामान्य रूप से खराब था।

(ज) वियतनाम से आयातों के कारण क्षति के संबंध में आवेदक ने अनुरोध किया कि इन आयातों का भारत में समान वस्तुओं पर कीमत प्रभाव पड़ रहा है। यहां तक कि यद्यपि पहुँच मूल्य बढ़ा है, तथापि, इन संबद्ध आयातों की कीमतें कटौती कर रही हैं और आवेदक की घरेलू बिक्री भी कम कीमत पर हो रही है।

(झ) आवेदक ने अनुरोध किया कि उनका उत्तरदाताओं द्वारा दावा किए गए अनुसार काफी बाजार हिस्सा नहीं है। उनका बाजार हिस्सा पूर्व वर्ष से कम हुआ है और जांच की अवधि में 33 प्रतिशत रहा, जैसा कि उत्तरदाताओं द्वारा किए गए 60-65 प्रतिशत के दावे के विरोध में कहा गया है। आवेदक ने अनुरोध किया कि आवेदक द्वारा अभिज्ञात अन्य घरेलू उत्पादकों के लिए भी बाजार हिस्से में निरंतर और काफी गिरावट आई है।

(ञ) आवेदक ने इस दावे से इंकार किया है कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारकों के कारण हुई है। आवेदक ने अनुरोध किया कि अन्य घरेलू उत्पादकों की घरेलू बिक्री में वृद्धि से आवेदक को क्षति नहीं हुई है, जैसा कि उत्तरदाताओं द्वारा तर्क दिया गया है। इसके बजाए, यहां तक कि अन्य घरेलू उत्पादकों को भी पाटित आयातों के कारण क्षति हुई है।

(ट) इस तर्क के संबंध में कि क्षमता अभिवृद्धि के कारण घरेलू उद्योग की निर्धारित लागतों आदि में वृद्धि हुई है, उत्तरदाता ने अनुरोध किया कि लागत में वृद्धि केवल सकल संदर्भ में है। चूंकि, उत्पादन बढ़ा है, अतः प्रति यूनिट लागत में गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त, लागतों में किसी वृद्धि को सर्वोत्तम उपयोग मानदंड के अनुसार लागतों पर विचार करके हल कर दिया गया होता।

(ठ) इस तर्क के संबंध में कि जांच की अवधि के दौरान गैर विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन मात्रा में काफी गिरावट के कारण विचाराधीन उत्पाद में उच्च लागत आबंटन के कारण जांच की अवधि के दौरान लागत में वृद्धि है, आवेदक ने अनुरोध किया कि लागत आबंटन उपयुक्त रूप से किया गया है।

(ड) इसके अतिरिक्त, आवेदक ने अनुरोध किया कि वर्ष 2016-17 और 2017-18 में क्षमता में वृद्धि के कारण लागत में वृद्धि से इन दो वर्षों में क्षति नहीं हुई क्योंकि संबद्ध आयात की मात्रा कम रही। तथापि, जांच की अवधि में यहां तक कि यद्यपि घरेलू उद्योग की लागत में क्षमता अभिवृद्धि के कारण वृद्धि हुई, तथापि, घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण क्षति हुई।

(ढ) उत्तरदाताओं के इस तर्क के संबंध में कि संचयी मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए, आवेदक ने अनुरोध किया कि वर्तमान मामला संचयी मूल्यांकन की सभी अपेक्षाओं को पूरा करता है तथा चीन जन. गण. और वियतनाम से आयातों का संचयन न करने के लिए उत्तरदाताओं द्वारा उल्लिखित कारणों में कानूनी आधार का अभाव है।

(ण) इस तर्क के संबंध में कि आवेदक का एनएसआर एनआईपी से अधिक है, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित एनएसआर और एनआईपी प्रकृति में अनंतिम हैं तथा इसमें प्राधिकारी के अंतिम निर्धारण में संशोधन होने के संभावना है।

(त) घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया कि केवल इस कारण कि एनएसआर एनआईपी से अधिक है, पाटनरोधी जांच रद्द करने का आधार नहीं है अथवा यह सिद्ध करने का आधार नहीं है कि घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो रही है। आवेदक ने ऑल इंडिया ग्लास मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ [2016 (342) ईएलटी 563 (ट्राई-डेल)] के मामले पर विश्वास किया है जिसमें सेसटेट ने इस आधार पर प्राधिकारी के जांच परिणाम को चुनौती रद्द की कि घरेलू उद्योग को कोई कीमत संबंधी क्षति नहीं थी क्योंकि एनएसआर एनआईपी से अधिक था। आवेदक ने भी सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ [2018 (362) ईएलटी 730 (ट्राई-डेल)], जिसने समान विचार अपनाया।

(थ) इसके अतिरिक्त, आवेदक ने अनुरोध किया कि उन मामलों में भी जहां एनएसआर, एनआईपी से अधिक रही है, यह निर्धारित करने का कारण नहीं हो सकता कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं है। आवेदक ने निम्नलिखित मामलों पर विश्वास कियाः

i. *चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड"*

ii. *चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सेरामिक रोलर"*

iii. *चीनी तैपई, फिलीपींस, मलेशिया और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन अथवा इंजेक्शन मॉल्डिंग मशीन"।*

(द) घरेलू उद्योग ने प्राथमिक जांच परिणाम में प्राधिकारी के जांच परिणाम का संदर्भ देते हुए यह उल्लेख किया कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है तथा पाटित आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क मौजूद था।

(ध) उत्तरदाता के इस तर्क के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से एकाधिकार बनेगा, उत्तरदाता ने अनुरोध किया कि आवेदक एकाधिकार नहीं बनाना चाहता। भारत में समान वस्तुओं के दो अन्य उत्पादक हैं। इसके अतिरिक्त, पाटनरोधी शुल्क लगाने से आयातों पर निर्भर रहने के बजाए घरेलू स्रोतों से पर्याप्त आपूर्ति का रख-रखाव होगा।

(न) 2016-17 तक संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से अधिक कीमतों पर हो रहे थे। 2017-18 के आगे से संबद्ध देशों के आयात भारत में घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से बहुत अधिक कम कीमतों पर होना शुरू हुआ है। इसके परिणामस्वरूप, पाटित आयात घरेलू उद्योग को बिक्री कीमत प्राप्त करने की अनुमति नहीं दे रहा है जो अपनी पूरी लागत को फिर से वसूल सके।

(प) संबद्ध देशों से आयात किया गया उत्पाद भारतीय बाजार में वितरण के तुलनीय माध्यमों से प्रवेश करता है और सीधे तौर पर घरेलू स्तर पर उत्पादित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करता है।

(फ) संबद्ध देशों से आपूर्ति किया गया उत्पाद और घरेलू स्तर पर उत्पादित वस्तुओं को भारत में उसी वाणिज्यिक स्थितियों में देखा जा रहा है।

(ब) घरेलू उत्पादक और संबद्ध देशों में निर्यातक भारत में उपभोक्ताओं की इसी श्रेणी के उत्पाद की बिक्री कर रहा है।

(भ) यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि भारत में घरेलू उत्पादक भारत में विचाराधीन उत्पाद की समग्र मांग को पूरा करने में सक्षम हैं।

(म) संबद्ध देशों से पाटित आयातों ने भारत में आक्रामक रूप से बाजार हिस्से पर कब्जा कर लिया है। आवेदक संबद्ध देशों से आने वाले पाटित आयातों की बहुत अधिक मात्रा के कारण मांग में वृद्धि से अनुपात में संबधित उत्पाद की बिक्री बढ़ाने में सक्षम नहीं हो पाये हैं। इस तथ्य से यह स्पष्ट है जबकि संबंधित उत्पाद की मांग ने 2015-16 से जांच की अवधि तक *** मी. टन तक वृद्धि हुई, आवेदक की घरेलू बिक्री में केवल *** मी. टन की वृद्धि हुई जबकि संबद्ध देशों के विचाराधीन उत्पाद की आयात मात्रा में उसी अवधि के दौरान बहुत अधिक *** मी. टन तक वृद्धि हुई। मांग में लगभग समग्र वृद्धि पर संबद्ध देशों से आयातों द्वारा कब्जा कर लिया गया है।

(य) जबकि आवेदक के बाजार हिस्से में 2015-16 के दौरान 45-50 प्रतिशत से जांच की अवधि के दौरान 30-35 प्रतिशत तक गिरावट हुई है, संबद्ध देशों से आयातों के बाजार हिस्से में उसी अवधि के दौरान 5-10 प्रतिशत से 35-40 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।

(कक) आवेदक के नकद लाभ में 2015-16 में 100 सूचीबद्ध इकाईयों के नकद लाभ से बहुत अधिक कमी आई है, लाभ जांच की अवधि के दौरान (244) सूचीबद्ध इकाईयों की बहुत बढ़ी हानि में परिणत हो गई है। यदिइस प्रकार का अनियंत्रित पाटन जारी रहता है तब घरेलू उद्योग भविष्य में अपनी देयताओं को चुका पाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।

(खख) घरेलू उद्योग का यह अनुरोध है कि उनको हुई क्षति का एकमात्र कारण संबद्ध देशों से काफी मात्रा में हो रहा पाटित/ सब्सिडी प्राप्त आयात है। कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं, प्रौद्योगिकी से संबंधित मसले, निर्यात कार्य निष्पादन से संबंधित मुद्दे, उत्पादकता से संबंधित मुद्दे अथवा कोई अन्य कारक नहीं है जिसे घरेलू उद्योग को हो रही क्षति के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

(गग) प्रौद्योगिकी में विकास के संबंध में, घरेलू उद्योग अन्य देशों में उत्पादकों के विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकियों की तुलना में विश्व स्तर के प्रौद्योगिकियों में निवेश नहीं कर रहा है। इस कारण से, प्रौद्योगिकी में विकास घरेलू उद्योग को क्षति का कोई कारण नहीं है।

(घघ) जहां तक विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा का प्रश्न है, यह अनुरोध किया जाता है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति काफी मात्रा में संबद्ध देशों से हो रहे पाटित/ सब्सिडी

प्राप्त आयातों के कारण है। यदिआयात उचित सामान्य कीमतों पर होता है तब घरेलू उद्योग आयातों से प्रतिस्पर्धा का सामना करने की स्थिति में बिलकुल नहीं है।

(ङङ) घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य निष्पादन ने किसी भी प्रकार से इसके वित्तीय और आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला है। इसके साथ ही आवेदक ने क्षति के मानदंडों की जांच करते समय निर्यातों से संबंधित सूचना की उपेक्षा की है और क्षति के संबंध में समग्र विश्लेषण आवेदक के घरेलू कार्य निष्पादन पर ही आधारित है।

(चच) आवेदकअनुरोध करता है कि बहुत अधिक मात्राओं में संबद्ध देशों से हो रहे पाटित/सब्सिडी प्राप्त आयात उनको हो रही क्षति का एकमात्र कारण है और भारत में हो रहे कीमत पर पाटित आयातों में वृद्धि के बीच एक कारणात्मक संबंध है, जो निम्नलिखित से स्पष्ट है:

(i) संबद्ध वस्तुओं के आयातों में जांच की समग्र अवधि की तुलना में स्वतंत्र रूप में वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों में स्वतंत्र रूप में 2015-16 में ***मी. टन से जांच की अवधि में ***मी. टन तक वृद्धि हुई है।

(ii) संबद्ध वस्तुओं के आयातों में भारत में उत्पादन की तुलना में और खपत की तुलना में भी वृद्धि हुई है। आयात 2015-16 में घरेलू उद्योग के उत्पादन का 0-5 प्रतिशत तक था जो जांच की अवधि में बढ़कर 25-30 प्रतिशत तक हो गया है। इसके अलावा, आयातों में खपत की तुलना में 2015-16 में 5-10 प्रतिशत से लेकर जांच की अवधि में 35-40 प्रतिशत तक तीव्र वृद्धि हुई।

(iii) घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 2015-16 से जांच की अवधि तक कमी आई है यद्यपि संबद्ध वस्तुओं की मांग भारत में उसी अवधि के दौरान बढ़ती रही है। यह इस कारण से हुआ है कि आयातों ने मांग में वृद्धि पर आक्रामक रूप से कब्जा कर लिया है।

(iv) जबकि आवेदक के बाजार हिस्से में 2015-16 के दौरान 45-50 प्रतिशत से जांच की अवधि के दौरान 30-35 प्रतिशत कमी आई है, संबद्ध देशों से आयातों के बाजार हिस्से में 5-10 प्रतिशत से उतनी अवधि के दौरान 35-40 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।

(v) भारत में हो रहे कम कीमत पर पाटित आयातों के कारण कीमत में बहुत अधिक कटौती/कम कीमत पर बिक्री हो रही है। भारत में कम कीमत पर हो रहे पाटित आयातों के कारण कीमत का बहुत अधिक न्यूनीकरण हुआ है।

(vi) घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। 2015-16 में 100 सूचीबद्ध इकाईयों के कुल लाभ से, जांच की अवधि के दौरान लाभ (5112) सूचीबद्ध इकाईयों के बहुत बड़े घाटे में परिणत हो गया है।

छ.1.1 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोध</u>

114. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोध निम्नलिखित हैं:

(क) प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों की पाटित आयातों से क्षति को कम करने के लिए घरेलू उद्योग को उपयुक्त आय दर प्रदान करने के लिए एनआईपी निर्धारित करते समय परिसंपत्तियों की प्रतिस्थापन लागत अथवा ऐतिहासिक लागत पर 22 प्रतिशत आय पर विचार करें।

(ख) प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे कृपया एनआईपी के परिकलन के लिए जांच की अवधि के लिए क्षमता उपयोग पर विचार करें। आखिर में यह अनुरोध है कि प्राधिकारी इष्टतम क्षमता उपयोग 100 प्रतिशत पर प्रतिबंधित करें।

(ग) अनुरोध है कि प्रशासनिक व्यय, वित्तीय लागत और बिक्री तथा वितरण व्यय डीजीटीआर की मानक परिपाटी के अनुसार बिक्री कारोबार के आधार पर विचाराधीन उत्पाद को आबंटित किए जाएं। याचिकाकर्ता कोसंबद्ध देशों से आ रहे पाटित आयातों के कारण कम-इष्टतम कीमतों पर विचाराधीन उत्पाद की बिक्री करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और इसीलिए संबद्ध सामानों का कारोबार

पहले ही न्यूनीकृत है तथा प्रशासनिक व्ययों, वित्तीय लागत और बिक्री तथा वितरण व्ययों का कम हिस्सा विचाराधीन उत्पाद को आबंटित किया गया है। इष्टतम क्षमता के आधार पर इन व्ययों का नियामन इन खर्चों को कम कर रहा है और घरेलू उद्योग को जुर्माना दे रहा है। अतः यह अनुरोध है कि प्राधिकारी एनआईपी के परिकलन के लिए जांच की अवधि के दौरान किए गए वास्तविक खर्च पर विचार करें।

(घ) एनआईपी के परिकलन के लिए वास्तविक कच्ची सामग्री खपत पर विचार किया जाना चाहिए।

छ.2. <u>विभिन्न अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध</u>

115. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

(क) भारत विश्व में स्वच्छ उर्जा के अपने हिस्से में वृद्धि करने के लिए सबसे बड़ा नवीकरणीय क्षमता विस्तार कार्यक्रम शुरू कर रहा है। इस विजन के आधार पर राष्ट्रीय सोलर मिशन 2010 में आरंभ किया गया था जिसका लक्ष्य 2022 तक 20,000 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर उर्जा तैनात करना है। विभिन्न राज्यों ने भी सौर उर्जा के माध्यम से बिजली के उत्पादन वृद्धि करने के लिए नीतियां/दिशानिर्देश बनाये हैं। पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने से सौर उर्जा विकासकर्ता को गंभीर हानि होगी और यह राज्य में सौर उर्जा के विकास के लिए हानिकारक होगा और भारत सरकार की नीति के विरुद्ध होगा और यह भारत में सौर उर्जा के विकास को भी बाधित करेगा।

(ख) आवेदक भारतीय उद्योग की मांग को पूरा करने में असमर्थ है क्योंकि एल्युमीनियम-जिंक/गेल्वालूम के अधिकतर स्वदेशी उत्पादकों की अपनी निजी कैप्टिव प्री-प्रिंटिंग लाइनें हैं और मुश्किल से ही कोई एल्युमीनियम-जिंक कोटेड कॉइल कलरशाइन जैसे प्री-प्रिंटेड उत्पादकों के लिए उपलब्ध थीं।

(ग) भारतीय उत्पादक भारतीय उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए संबद्ध सामानों की आपूर्ति करने में असमर्थ थे। इसके अतिरिक्त, संबद्ध सामानों की मांग भारत में बढ़ रही थी क्योंकि कलर कोटेड कॉइलों/शीटों का उत्पादन करने की आवश्यकता थी जिन पर पहले ही दिनांक 30 अगस्त, 2017 के अंतिम जांच परिणाम 14/28/2016-डीजीएडी द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाए गए थे।

(घ) आवेदक संबद्ध सामानों के अन्य भारतीय उत्पादकों/अंतिम प्रयोक्ताओं को समय पर सामग्री प्रदान करने में असमर्थ था। इसके अतिरिक्त, आवेदक द्वारा आपूर्ति किया गया उत्पाद कई कारणों से गुणवत्ता में घटिया था।

(ङ) निचले स्तर के उद्योग के विकास के कारण भारतीय बाजार में मांग में वृद्धि की मांग के कारण आयात बढ़े हैं न कि पाटन के कारण। इससे घरेलू उद्योग पर किसी प्रकार का मात्रात्मक दबाव नहीं पड़ा है। अधिकतर उत्पादन, जो उत्तरदाताओं ने दावा किया है, आवेदकों द्वारा कलर कोटेड शीटों के उत्पादन के लिए कैप्टिव रूप से प्रयुक्त किया गया था, जैसा कि आधार वर्ष से जांच की अवधि तक तेज वृद्धि द्वारा दर्शाया गया है। आयात केवल भारत में मांग आपूर्ति अंतराल को पूरा करने के लिए किए जा रहे था न कि घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने के लिए।

(च) यह भी अनुरोध किया गया था कि आयातों में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री भी जांच की अवधि के दौरान काफी बढ़ी।

(छ) घरेलू उद्योग की बिक्री लागत, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और संबद्ध देशों से पहुँच कीमत में आधार वर्ष से जांच की अवधि तक वृद्धि हुई थी। उत्तरदाताओं ने इसके लिए प्राथमिक जांच परिणामों में सूचना का संदर्भ दिया।

(ज) कीमत कटौती के संबंध में पक्षकारों ने अनुरोध किया कि यह निर्धारण का आधार नहीं बनता और इसे अलग से नहीं देखा जाना चाहिए। इसे घरेलू उद्योग के समग्र निष्पादन के आलोक में देखा जाना चाहिए कि क्या उस कीमत कटौती से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है।

(झ) घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि घरेलू उद्योग के समग्र आर्थिक निष्पादन में सुधार हुआ है। उत्तरादाता ने यह भी अनुरोध किया कि वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान प्रवृत्तियां असामान्य प्रवृत्तियां दर्शा रही थी, अतः जांच की अवधि की तुलना आधार वर्ष 2015-16 से की जाएगी।

(ञ) आवेदक का क्षमता उपयोग क्षति की अवधि के दौरान बढ़ा था। विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन बढ़ा था जबकि गैर विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में काफी कमी आई थी जिससे आवेदकों का समग्र निष्पादन प्रभावित हुआ था और परिणामस्वरूप हानियां हुई थीं।

(ट) प्राधिकारी इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहे कि अन्य उत्पादकों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति की जांच करते समय कंपनी के निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

(ठ) कैप्टिव खपत आधार वर्ष से जांच की अवधि तक और जांच की अवधि के दौरान काफी बढ़ी थी। आपूर्ति की कमी तथा आयातों में वृद्धि का यही कारण था।

(ड) याचिका में और प्राथमिक जांच परिणामों में दायर आंकड़ों के बीच विसंगतियां थीं। याचिका के अनुसार जांच की अवधि के दौरान लाभप्रदता नकारात्मक थी जबकि प्राथमिक जांच परिणामों में वह लाभों में परिवर्तित हो गई थी। उत्तरदाता ने इस तथ्य के आलोक में हानियों के लाभों में इस परिवर्तन पर प्रश्न उठाया है कि घरेलू उद्योग के क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं थे और अनुरोध किया कि यदि घरेलू उद्योग द्वारा दायर आंकड़ों में कोई परिवर्तन थे तो वे उन्हें उपलब्ध कराए जाने चाहिए थे।

(ढ) नियोजित पूंजी पर आय में आधार वर्ष के दौरान से जांच की अवधि के दौरान काफी वृद्धि हुई।

(ण) आधार वर्ष के दौरान से जांच की अवधि के दौरान तक कर्मचारियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई थी। उसी अवधि के दौरान मजदूरी में वृद्धि हुई थी। उत्पादकता जांच की अवधि के दौरान सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शा रही थी।

(त) यह अनुरोध किया गया था कि घरेलू उद्योग को कोई भी क्षति संबद्ध देशों से आयातों को छोड़कर अन्य कारकों के कारण है। आवेदक को क्षति के कारणों के लिए अपनी पूरी आपूर्ति श्रृंखला की जांच करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, गैर विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री में गिरावट से भी घरेलू उद्योग का निष्पादन प्रभावित हुआ था।

(थ) पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से आवेदक का एकाधिकार स्थापित होगा और सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा। इसके अतिरिक्त, आवेदक घरेलू उद्योग ने उत्पाद की कीमत में हेरफेर करने में आसानी से सक्षम होगा और साथ ही एकाधिकारी लाभ अर्जित करने के लिए अनुप्रयुक्त रूप से कीमत बढ़ाने की अधिक संभावना भी होगा।

(द) आवेदक विचाराधीन उत्पाद और गैर विचाराधीन उत्पाद, दोनों का उत्पादन उसी एक ही उत्पादन परिसर में करते हैं। उसने यह भी अनुरोध किया कि जांच की अवधि में 65 प्रतिशत तक विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन गैर विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में गिरावट के कारण 15 प्रतिशत की संयुक्त वृद्धि तक कम किया गया था। गैर विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन विचाराधीन उत्पाद से काफी अधिक था और इसीलिए गैर विचाराधीन उत्पाद की 8 प्रतिशत गिरावट 15 प्रतिशत तक संयुक्त वृद्धि में कम की गई। विचाराधीन उत्पाद गैर विचाराधीन उत्पाद के साथ कुल संयुक्त उत्पादन का केवल लगभग 25 प्रतिशत है। अतः अनुरोध है कि क्षमता उपयोग प्रवृत्ति, जो केवल 2 प्रतिशत तक बढ़ी थी, गैर विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में गिरावट के कारण थी। दूसरी ओर, विचाराधीन उत्पाद की घरेलू बिक्री 70 प्रतिशत तक बढ़ी थी जो बेहतर क्षमता उपयोग दर्शाती है।

(ध) प्राधिकारी के प्राथमिक जांच परिणाम में यह मानने के संबंध में कि उत्पादकता पूरी क्षति जांच अवधि तथा जांच की अवधि में स्थिर रही है, उत्तरदाता सभी प्रचालनों पर विचार करते हुए कंपनी के लिए सूचना पर विचार कर उत्पादकता की जांच करने की प्राधिकारी की पद्धति से असहमत हुए। उत्तरदाता ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया कि उत्पादकता में गिरावट

आधार वर्ष से जांच की अवधि तक आवेदक के संगत सामानों की निर्यात बिक्री और गैर विचाराधीन उत्पाद के सामानों के उत्पादन, दोनों में गिरावट के कारण थी। संबद्ध सामानों का उत्पादन उसी अवधि के दौरान काफी बढ़ा था और इसीलिए संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात तथा उत्पादकता में गिरावट के बीच कोई कारणात्मक संपर्क नहीं था।

(न) कीमत न्यूनीकरण के संबंध में उत्तरदाताओं ने उल्लेख किया कि यदि घरेलू उद्योग की वसूली क्षति रहित कीमत से अधिक है तो कीमत न्यूनीकरण का प्रश्न बिल्कुल भी नहीं उठता। उन्होंने अपने दावे के समर्थन में यूरोपीय संघ से एक्स-रे बैगेज इंस्पेक्शन मल्टी एनर्जी सिस्टम (एक्सबीआईएस) (फा. सं. 14/12/2002-डीजीएडी, दिनांक 14 अक्तूबर, 2003) के मामले का उल्लेख किया है। उन्होंने दावा किया कि घरेलू उद्योग का एनएसआर वर्तमान मामले में एनआईपी से काफी अधिक था। उत्तरदाताओं ने कई मामलों का उल्लेख किया जिनमें प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश नहीं की थी जिनमें काफी पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन और हानि में वृद्धि के बावजूद एनएसआर एनआईपी से अधिक पाया गया था।

(प) वियतनाम से संबद्ध सामानों के आयातों का संचयी मूल्यांकन नियमावली के अनुबंध-2 के पैरा (iii) के खंड (ख) के अनुसार उपयुक्त नहीं था क्योंकि चीन से आयातों के पहुँच मूल्य में 2016-17 से जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई जबकि वियतनाम से संबद्ध सामानों के पहुँच मूल्य में उसी अवधि के दौरान काफी वृद्धि हुई।

(फ) आवेदक द्वारा डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों को अलग करना गलत और भ्रामक था क्योंकि आवेदक ने सहायक कॉइलों को नियमित उत्पाद के रूप में दोषपूर्ण माना था। सहायक उत्पाद की कीमत नियमित उत्पाद की कीमत से कम से कम 10-15 प्रतिशत कम थी। अतः सहायक/दोषपूर्ण उत्पाद को शामिल करना उपयुक्त नहीं है क्योंकि उसे शामिल करने से क्षति विश्लेषण प्रभावित होगा क्योंकि तुलनीय लेन-देन हुए हैं।

(ब) उत्तरादाता ने निम्नलिखित तथ्यों के कारण लागत में असामान्य तथा कृत्रिम वृद्धि को समायोजित करने के बाद एनआईपी का परिकलन करने का अनुरोध किया:

i. जांच की अवधि के दौरान क्षमता में वृद्धि के कारण लागत में वृद्धि।

ii. गैर विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में काफी गिरावट के कारण संबंधित उत्पाद को सामान्य लागत का अधिक आबंटन।

iii. जांच की अवधि के दौरान मजदूरी तथा लागत में ब्याज में असामान्य वृद्धि।

(भ) यह अनुरोध किया गया था कि भारत में 2018 में इस्पात का प्रति व्यक्ति उपयोग दक्षिण कोरिया, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ में प्रति व्यक्ति उपयोग से काफी कम था। ऐसी परिस्थितियों में उत्तरदाता ने अनुरोध किया कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से प्रयोक्ता उद्योग के हित तथा "मेक इन इंडिया" पहल प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी।

(म) उत्तरदाताओं ने यह भी अनुरोध किया कि आवेदक ने मालसूची में परिवर्तनों तथा अन्य आय गलत समायोजित की है। मालसूची में परिवर्तन बेचे गए सामानों की लागत में पहले ही दर्शा दिए गए थे। अतः कर पूर्व लाभ से दूसरी कटौती से दोगुनी कटौती होगी। जबकि कर पूर्व लाभ से अन्य आय की कटौती लाभ/हानि का परिकलन करने के लिए असंगत होगी क्योंकि "अन्य व्यय" को निवल लाभ के परिकलन के लिए "व्यय" के रूप में पहले ही माना गया है। अतः आवेदक का यह आरोप कि "पोस्को के संबद्ध आयातक को पोस्को इंडिया होल्डिंग वित्तीय विवरण के आधार पर हानि हुई", गलत और असंगत है।

(य) विद्युत वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) सौर उर्जा की अंतिम खरीददार के रूप में यह संकेत दिया है कि वे कम कीमत पर ही सौर उर्जा खरीदेंगे। हालांकि, आसन्न शासनरोधी शुल्कों के कारण, प्रत्येक होल्डर डिस्कोम को कम प्रशुल्कदेने में सक्षम नहीं होंगे। इसके परिणामस्वरूप पाटनरोधी शुल्क

लगाये जाने से विकासकर्ताओं और अंतिम उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पाटनरोधी शुल्क के विकल्प के रूप में, सरकार आवेदक को कम ब्याज ऋण उपलबध कराने पर विचार कर सकती है। यह उन्हें वैश्विक अवसर पर प्रतिस्पर्धी बनाकर घरेलू उद्योग के लिए उपयोगी सिद्ध होगा क्योंकि इस प्रकार के सहयोग विभिन्न देशों द्वारा अपने घरेलू उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए दिया जा रहा है।

(कक) परियोजना विकासकर्ता और डिस्कोम ने अनेक विद्युत खरीद करार किये हैं जहां विद्युत प्रशुल्क बिक्री नीलामी प्रक्रिया के द्वारा तय किया गया है। इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए संबद्ध वस्तुओं का आयात शिपमैंट के अधीन किया जा रहा है और अभी आरंभ होने वाला है और पाटनरोधी शुल्क लगाने से इस प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा। अनुमानित लागत पर परियोजना को पूरा करने और सहमत शुल्क पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए विकासकर्ताओं की क्षमता पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पाटनरोधी शुल्क लगाने से वर्तमान शुल्क पर सौर उर्जा का उपयोग करने वाले ग्रामीण आबादी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इस प्रकार से ग्रामीण विद्युतीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(खख) यह आवेदन किसी क्षति को सिद्ध नहीं कर पाता है जो पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के लिए एक आवश्यक शर्त है। आवेदक ने अलग अलग प्रयोक्ताओं के साथ अलग अलग उत्पादों को मिलाकर एकमात्र श्रेणी में रख दिया है लेकिन क्षति का विश्लेषण करने के लिए इसे असंभव बनाते हुए प्रत्येक उत्पाद श्रेणी पर अलग अलग क्षति संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये हैं।

(गग) इसके अलावा, आवेदक और अन्य निर्माताओं की घरेलू बिक्री में आने वाले वर्षों क्षति की अवधि और जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। आयातों में भी वृद्धि हुई है और नियोजित पूंजी के अलावा सूचीबद्ध लाभ संबंधी आंकड़ों जिन्हें आवेदन में प्रकट किया गया है, यह दर्शाता है कि आज भी लाभ आधार वर्ष 2015-16 की तुलना में अधिक है।

(घघ) चूंकि बिक्री और लाभ आवेदक और अन्य निर्माताओं के लिए सतत् रूप से बढ़ रहा है, यह कहा जा सकता है कि यह उद्योग पाटित आयातों के द्वारा स्वभाविक नहीं हुआ है। इसके अलावा, अन्य कंपनियां जो घरेलू उद्योग हैं, ने इस आवेदन का समर्थन नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो रही है।

(ङङ) क्षति और विचाराधीन उत्पाद के आयात के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। सतत् रूप से, आवेदक और अन्य निर्माताओं के लिए बढ़ती हुई बिक्री यह दर्शाती है कि पाटन आवेदक के उत्पादों को प्रभावित नहीं कर रहा है और इस कारण से क्षति को उपर्युक्त उत्पादों के आयात के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। संस्थापित क्षमता, निवेश और अन्य वास्तविक व्यापार संबंधी निर्णय जो क्षति का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण कारक है, को प्रकट नहीं किया गया है।

छ. 2.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोध</u>

116. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोध निम्नलिखित हैं:

क) याचिका में दायर तथा प्राथमिक जांच परिणामों में रिकार्ड किए गए आंकड़ों में असंगतता है। याचिका में लाभप्रदता नकारात्मक थी, परंतु प्राथमिक जांच परिणाम में सकारात्मक है।

ख) सूचना भी बिक्री लागत, बिक्री कीमत, लाभ एवं हानि, नकद लाभ, नियोजित पूंजी, आरओसीई, रोजगार, उत्पादकता तथा मालसूची के संबंध में प्रकटन विवरण में बहुत ज्यादा परिवर्तित है।

ग) शुल्क लगाए जाने के बाद उत्पाद के आयात गैर अर्थक्षम हो जाएंगे तथा भारत में संबद्ध सामानों की उपलब्धता पहले ही एक समस्या है। कई एकल प्रसंस्करणकर्ता, जिनकी कच्ची सामग्री एल्युमीनियम जिंक कोटेड कॉइल है, भारी कमी के कारण भारत में विभिन्न विनिर्माताओं से सामग्री खरीदने में असमर्थ हैं। ये एकल प्रसंस्करणकर्ता 25-30 प्रतिशत क्षमता पर अपने कारखाने चला रहे हैं और अनुपलब्धता के कारण उन्हें हानियां हो रही हैं।

घ) घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद की कीमतें बढ़ाएगा और इससे विचाराधीन उत्पाद की वृद्धि की प्रवृत्ति में वृद्धि होगी।

छ.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

117. प्राधिकारी ने प्रकटन पश्चात अनुरोधों सहित जांच प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों पर विचार किया है तथा विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों पर विधिवत विचार करने के बाद नियमावली के अनुसार विभिन्न मानदंडों की जांच की है।

118. हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग का एनएसआर एनआईपी से अधिक है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आंकड़ों/ सूचना का उचित सत्यापन तथा जांच करने के बाद घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित एनआईपी घरेलू उद्योग के एनएसआर से अधिक है।

119. यह तर्क कि प्राधिकारी द्वारा जारी प्रकटन विवरण तथ्यों को गलत मानने के आधार पर है तथा कानून में इसका कोई औचित्य नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जो अनिवार्य तथ्य इस जांच प्रक्रिया के दौरान उभरे, उनके लागू कानून से विश्लेषण किये गये थे और आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापनीय साक्ष्य से मिला दिये गये थे तथा हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किये गये थे। इस जांच प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की संगत समझी गई सीमा तक जांच की गई है और इस जांच परिणाम में उन्हें हल किया गया है।

120. याचिका तथा प्रकटन विवरण में घरेलू उद्योग के आंकड़ों में विसंगतियों के संबंध में यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम में अंतिम सत्यापित आंकड़ों के आधार पर घरेलू उद्योग के आंकड़ों पर विचार किया है।

<u>संचयी मूल्यांकन</u>

121. नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) में यह उपबंध है कि यदि एक से अधिक देश से किसी उत्पाद के हुए आयात के साथ-साथ पाटनरोधी जांच की जा रही है तो प्राधिकारी उस स्थिति में ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण करेंगे जब वह यह निर्धारित करें कि:-

क) प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में पुष्टिकृत पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से हुए आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात की मात्रा की 3 प्रतिशत से कम है वहां संचयी रूप से आयात समान वस्तु के आयात के साथ सबसे अधिक बनता है; तथा

ख) आयातित वस्तु एवं समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के मद्देनजर आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन उचित है।

122. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

क) संबद्ध वस्तुओं का पाटन भारत में संबद्ध देशों से किया जा रहा है। संबद्ध देशों में से प्रत्येक देश से पाटन का मार्जिन इस नियमावली के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम सीमाओं से अधिक है।

ख) संबद्ध देशों में से प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा अलग अलग रूप में आयातों की कुल मात्रा का 3 प्रतिशत से अधिक है।

ग) आयातों के प्रभावों का संचयी आकलन उपयुक्त है क्योंकि संबद्ध देशों से आयात न केवल प्रत्यक्ष रूप से आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग पेशकश की जा रही समान वस्तुओं से भी प्रतिस्पर्धा करते हैं।

123. उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी यह मानते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों से संचयी रूप से क्षति का आकलन करना उपयुक्त है।

124. नियमावली के अनुबंध-II के साथ पठित नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ..." घरेलू उद्योग की क्षति को दर्शाते वाले कारकों की जांच शामिल होगी। पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते हुए, प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में पूर्ण दृष्टि से अथवा भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में काफी वृद्धि हुई है। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास होता अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, माल भंडार, लाभप्रदत्ता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन का आकार और मार्जिन आदि पर विचार नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार किया गया है।

125. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति एवं कारणात्मक संबंध जिन्हेंप्राधिकारी द्वारा संगत माना गया है, के संबंध में जांच की अवधि के दौरान किये गये अनुरोधों की जांच और उसका समाधान नीचे दिये गये अनुसार किया गया है:

छ.3.1 <u>घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों की मात्रा संबंधी प्रभाव</u>

(क) <u>मांग/स्पष्ट खपत का आंकलन</u>

126. प्राधिकारी ने सभी स्रोतों से आयातों और भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री के योग के रूप में भारत में इस उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत पर वर्तमान जांच के उद्देश्य से विचार किया है। इस प्रकार से आकलित मांग नीचे तालिका में दी गई है:

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि (अक्टू. 17 से सितं. 18)
घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	141	169
अन्य उत्पादकों की घरेलू बिक्री	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	142	142
संबद्ध देशों से आयात	मी. टन	18,220	34,721	1,45,805	2,09,676
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	191	800	1,151
अन्य देशों से आयात	मी. टन	1,728	1,448	4,278	8,517
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	84	248	493
मांग (मी. टन) (कैप्टिव खपत को छोड़कर)	मी. टन	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	193	235
आवेदक का कैप्टिव खपत	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	147	156
मांग (मी. टन) (आवेदक की कैप्टिव खपत सहित)	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	**100**	**111**	**167**	**190**

127. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि संबंधित उत्पाद की मांग में 2015-16 से जांच की अवधि तक व्याप्त रूप से वृद्धि (135 सूचीबद्ध अंक) हुई है। मांग में वृद्धि से, घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में केवल69सूचकांक तक ही वृद्धि हुई जबकि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद की आयात मात्रा में उसी अवधि के दौरान 1051 सूचीबद्ध अंकों तक पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है। इस प्रकार से यह नोट किया जाता है कि मांग में प्राय: समग्र वृद्धि पर संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों द्वारा कब्जा कर लिया गया है।

(ख) <u>संबद्ध देशों से आयात की मात्रा</u>

128. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस पर विचार करें कि क्या भारत में उत्पादन अथवा खपत की तुलना में अथवा स्वतंत्र रूप में संबद्ध देशों से पाटित आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। क्षति के विश्लेषण के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस से लिये गये आयात संबंधी आंकड़ों पर विश्वास किया है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा का विश्लेषण नीचे दिये गये अनुसार किया गया है:

विवरण	**यूनिट**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**जांच की अवधि (अक्टू. 17 से सितं. 18)**
चीन जन. गण.	मी. टन	2,075	375	51,575	43,370
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	18	2,486	2,090
कोरिया गणराज्य	मी. टन	16,146	34,346	56,443	79,304
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	213	350	491
वियतनाम	मी. टन	0	0	37,787	87,003
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	-	100	230
संबद्ध देशों से कुल आयात	मी. टन	18,220	34,721	1,45,805	2,09,676
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	191	800	1,151
अन्य देशों से आयात	मी. टन	1,728	1,448	4,278	8,517
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	84	248	493
कुल आयात	मी. टन	19,948	36,169	1,50,083	2,18,193
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	181	752	1,094

129. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों में स्वतंत्र रूप में जांच की अवधि के दौरान 2015-16 में 18,220 मी. टन से जांच की अवधि में 2,09,676 मी. टन तक वृद्धि हुई है।

(ग) <u>सापेक्ष रूप में संबद्ध देश का आयात</u>

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि (अक्टू. 17 से सितं. 18)
घरेलू उद्योग के कुल उत्पादन की तुलना में संबद्ध देशों से पाटित आयात	%	***	***	***	***
रेंज	%	0-5	5-10	15-20	25-30
भारत में मांग की तुलना में संबद्ध देशों से पाटित आयात	%	***	***	***	***
रेंज	%	5-10	10-15	30-35	35-40

130. यह नोट किया जाता है कि पाटित आयातों में आधार वर्ष और पिछले वर्षों की तुलना में जांच की अवधि में उत्पादन और मांग की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों में 2015-16 में घरेलू उद्योग के उत्पादन की तुलना में 0-5 प्रतिशत से लेकर 25-30 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है जबकि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों में 2015-16 में 5-10 प्रतिशत से जांच की अवधि में 35-40 प्रतिशत तक भारत में खपत की तुलना में वृद्धि हुई है।

(घ) <u>मांग में बाजार हिस्सा</u>

131. यह नोट किया जाता है कि मांग में संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 2015-16 के दौरान 45 से 50 प्रतिशत से जांच की अवधि के दौरान 30 से 35 प्रतिशत तक बहुत अधिक गिरावट आई है जबकि संबद्ध देशों से आयातों के बाजार हिस्से में उसी अवधि के दौरान 5 से 10 प्रतिशत से लेकर 35 से 40 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर संबद्ध देशों से आयातों द्वारा आक्रामक रूप से कब्जा कर लिया गया है।

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि (अक्टू. 17 से सितं. 18)
घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	141	169
अन्य उत्पादकों की घरेलू बिक्री	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	142	142
संबद्ध देशों से आयात	मी. टन	18,220	34,721	1,45,805	2,09,676
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	191	800	1,151
अन्य देशों से आयात	मी. टन	1,728	1,448	4,278	8,517
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	84	248	493
मांग (मी. टन) (कैप्टिव खपत को छोड़कर)	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	193	235
आवेदक का कैप्टिव खपत	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	147	156

मांग (मी. टन) (आवेदक का कैप्टिव खपत सहित)	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	167	190
आवेदक का हिस्सा	%	46	47	34	33
रेंज	%	45-50	45-50	30-35	30-35
अन्य उत्पादकों का हिस्सासा	%	45	40	33	27
रेंज	%	45-50	35-40	30-35	25-30
संबद्ध देशों का हिस्सा	%	8	13	32	38
रेंज	%	5-10	10-15	30-35	35-40
अन्य देशों का हिस्सा	%	1	1	1	2
रेंज	%	0-5	0-5	0-5	0-5

छ.3.2 आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव

घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव

132. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस पर विचार करें कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत से तुलना किये जाने पर पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती की गई है अथवा क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में कीमतों पर दबाव पड़ेगा अथवा कीमत में वृद्धि रुक जायेगी जो अन्य प्रकार से काफी हद तक बढ़ गई होती। घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच कीमत में कटौती कीमत, कम कीमत पर बिक्री, न्यूनीकरण और कीमत ह्रास, यदि कोई हो के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के उद्देश्य से, घरेलू उद्योग की उत्पादन की लागत, निवल बिक्री प्राप्ति (एन एस आर) और क्षति रहित कीमत (एन आई पी) की तुलना संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पहुंच कीमत से की गई है।

(ङ) कीमत में कटौती

133. इस बात का निर्धारण करने के उद्देश्य से की क्या आयातों के कारण बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति के आयातों की पहुंच कीमत की तुलना की है। घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत की गणना करते समय सभी करों, छूट, बट्टे और कमीशन की कटौती की गई है और एक्स वर्क्स स्तर पर बिक्री प्राप्ति का निर्धारण पाटित आयातों के पहुंच मूल्य से तुलना के लिए की गई है।

कीमत में कटौती	इकाई	चीन जन. गण.	वियतनाम	कोरिया गणराज्य
पहुंच मूल्य	रु./ मी. टन	50,918	54,828	57,121
घरेलू बिक्री कीमत	रु./ मी. ट	***	***	***
कीमत में कटौती	रु./ मी. ट	***	***	***
कीमत में कटौती	एल वी का %	***	***	***
कीमत में कटौती	रेंज	0-10	0-10	(0-10)

134. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोरिया गणराज्य को छोड़कर, संबद्ध सामानों की पहुंच कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम थीं जो अन्य संबद्ध देशों अर्थात चीन जन. गण. और वियतनाम से पाटित आयातों से हो रही काफी कीमत कटौती दर्शाती हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि कोरिया गणराज्य से इस तथ्य के कारण कीमत कटौती नकारात्मक है कि कोरिया गणराज्य के निर्यातक भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात उच्च कीमत पर करते हैं और उनके संबद्ध पक्षकार संबद्ध सामानों की बिक्री हानि पर करते हैं। अतः

डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों में रिकार्ड की गई आयात कीमत भारतीय बाजार में कोरियाई निर्यातकों की वास्तविक विद्यनाम कीमत नहीं दर्शा रही हैं।

(च) <u>कीमत ह्रास और न्यूनीकरण</u>

135. इस तथ्य का निर्धारण के उद्देश्य से कि क्या पाटित आयातों के कारण घरेलू कीमतों का न्यूनीकरण हो रहा है अथवा इसमें ह्रास हो रहा है और क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों पर बहुत अधिक मात्रा में दबाव पड़ता अथवा कीमत में वृद्धि रूक जायेगी जो अन्य प्रकार से बहुत अधिक मात्रा में हुई होती, प्राधिकारी ने क्षति की अवधि की तुलना में लागतों और कीमतों में परिवर्तन पर विचार किया।

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि (अक्टू. 17-सितं. 18)
बिक्री की लागत	रु./ मी. ट	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	123	135
बिक्री की कीमत	रु./ मी. ट	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	123	129
पहुंच मूल्य	रु./ मी. ट	43,053	47,963	48,444	54,886
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	113	127

136. घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री कीमत में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट नहीं आई है। इस प्रकार से, घरेलू उद्योग को कीमत न्यूनीकरण नहीं हुआ है।

137. उपर्युक्त तालिका से यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात उन कीमतों पर हो रहे थे जो 2016-17 तक घरेलू उद्योग की बिक्री की कीमत से अधिक थी। 2017-18 के आगे से, संबद्ध देशों से आयातों ने भारत में घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत की तुलना में बहुत अधिक कम कीमतों पर शुरू हुआ है। इसके कारण, घरेलू उद्योग बिक्री की लागत में वृद्धि के अनुरूप अपनी कीमतों में वृद्धि न करने के लिए बाध्य हो गये हैं और इसके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जब घरेलू उद्योग जांच की अवधि के दौरान बिक्री की लागत के लगभग समान स्तर पर बेचने के लिए बाध्य हो गया है और अंत: इसके कारण घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(छ) <u>कम कीमत पर बिक्री</u>

138. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा की जा रही कम कीमत पर बिक्री की भी जांच नीचे दिए गए अनुसार की है:

कम कीमत पर बिक्री	इकाई	चीन जन. गण.	वियतनाम	कोरिया गणराज्य
पहुंच मूल्य	रु./ मी. ट	50,918	54,828	57,121
एन आई पी	रु./ मी. ट	***	***	***
क्षति मार्जिन	रु./ मी. ट	***	***	***
क्षति मार्जिन	एलवी का %	***	***	***
रेंज	%	10-20	0-10	(0-10)

139. घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत (एन आई पी) का निर्धारण और उसकी तुलना संबद्ध वस्तुओं की पहुंच मूल्य (डी जी सी आई एंड एस के अनुसार) से की गई है ताकि कम कीमत पर बिक्री की सीमा का पता लगाया जा सके। विचाराधीन उत्पाद का क्षति रहित मूल्य का निर्धारण इस नियमावली के अनुबंध-III में उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर किया गया है। यह विश्लेषण दर्शाता है कि जांच की अवधि के दौरान, संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से कम था जिसे उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है और यह कम कीमत पर बिक्री के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से कम कीमत पर कोरिया गणराज्य को छोड़कर बिक्री सकारात्मक है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोरिया गणराज्य से कम कीमत पर बिक्री इस तथ्य के कारण नकारात्मक है कि कोरिया गणराज्य के निर्यातक भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात उच्च कीमत पर करते हैं और उनके संबद्ध पक्षकार फिर संबद्ध सामानों की पुनः बिक्री हानि पर करते हैं। अतः डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों में रिकार्ड की गई आयात कीमत भारतीय बाजार में कोरियाई निर्यातकों की वास्तविक विद्यमान कीमत नहीं दर्शा रही है।

छ.3.3 <u>घरेलू उद्योग का आर्थिक मानदंड</u>

140. नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। इस प्रकार के उत्पादों का घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, नियमावली में आगे यह प्रावधान है कि कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों जिसका घरेलू उद्योग की हालत पर प्रभाव पड़ता हो, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; वे कारक जो घरेलू कीमतों, पाटन के मार्जिन का आकार पर प्रभाव डालते हों; नकदी का प्रवाह, माल भंडार, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए।

141. प्राधिकारी ने वस्तुपरक रूप में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अपने अनुरोधों में दिये गये विभिन्न तथ्यों और तर्कों पर विचार करते हुए क्षति के मानदंडों की जांच की है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति संबंधी मानदंडों की चर्चा यहां नीचे की गई है:

(i) <u>उत्पादन, क्षमता, बिक्री और क्षमता का उपयोग</u>

142. क्षति की अवधि की तुलना में घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता का उपयोग नीचे तालिका में दिया गया है:

विवरण	यू ओ एम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि (अक्टू. 17- सितं. 18)
कुल क्षमता	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	104	113
उत्पादन (पी यू सी)	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	155	165
उत्पादन (एन पी यू सी)	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	95	92
कुल उत्पादन (पी यू सीएवं एन पी यू सी)	मी. टन	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	114	115
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	110	102
याचिकाकर्ता की घरेलू बिक्री	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	141	169

143. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन संयुक्त रूप से गैर विचाराधीन उत्पाद के साथ किया जाता है और चूंकि उत्पादन सुविधाएं एक जैसी हैं अत: क्षमता के उपयोग की जांच विचाराधीन उत्पाद और गैर विचाराधीन उत्पाद के संयुक्त उत्पादों पर विचार करते हुए किया गया है।

144. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की क्षमता के उपयोग में 2016-17 तक सुधार हो रहा था जब संबद्ध देशों से पाटित आयात बहुत अधिक मात्रा में नहीं हो रहे थे। हालांकि घरेलू उद्योग के क्षमता के उपयोग में 2017-18 से आगे गिरावट होनी शुरू हो गयी है जब संबद्ध देशों से पाटित आयात भारत में बहुत अधिक मात्रा में होना शुरू हो गया। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की क्षमता का उपयोग जांच की अवधि के दौरान कम हुआ है और यह गिरावट संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों में बहुत अधिक वृद्धि के समय ही हुई है। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग संबद्ध देशों से हो रहे पाटित आयातों की बहुत अधिक मात्रा के कारण मांग में वृद्धि के समानुपात में संबंधित उत्पाद की बिक्री बढ़ाने में सक्षम नहीं रही है।

(ii) <u>बाजार का हिस्सा</u>

145. घरेलू बिक्री पर पाटित आयातों के प्रभावों और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से की जांच नीचे दिये गये अनुसार की गई है:

विवरण	**इकाई**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**जांच की अवधि (अक्टू. 17-सितं. 18)**
याचिकाकर्ता की घरेलू बिक्री	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	141	169
घरेलू बिक्री का बाजार हिस्सा	%	***	***	***	***
रेंज	%	45-50	45-50	30-35	30-35
अन्य उत्पादकों का हिस्सा	%	***	***	***	***
रेंज	%	45-50	35-40	30-35	25-30
संबद्ध देशों का हिस्सा	%	8	13	32	38
रेंज	%	5-10	10-15	30-35	35-40
अन्य देशों का हिस्सा	%	1%	1%	1%	2%
रेंज	%	0-5	0-5	0-5	0-5

146. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 2015-16 के दौरान 45-50 प्रतिशत से जांच की अवधि के दौरान 30-35 प्रतिशत तक बहुत अधिक गिरावट आई है। जबकि, संबद्ध देशों से आयातों के बाजार हिस्से में उसी अवधि के दौरान 5-10 प्रतिशत से बढ़कर 35-40 प्रतिशत हो गई है।

(iii) लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ

147. क्षति की अवधि की तुलना में घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता, निवेश पर आय (आर ओ आई) और नकद लाभ का विश्लेषण नीचे दिये गये अनुसार किया गया है:

विवरण	यूओएम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि (अक्टू. 17- सितं. 18)
ब्याज पूर्व लाभ और कर	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	489	258	(338)
ब्याज पूर्व लाभ और कर	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	582	363	(572)
नकद लाभ (हानि)	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	1,039	476	(962)
नकद लाभ (हानि)	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	1,238	669	(1630)
नियोजित पूंजी	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	106	130
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	518	342	(440)
औसत स्टॉक	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	235	256

148. उपयुक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता पर संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा शीघ्र पाटन के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। आगे यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता में जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक गिरावट आई है।

149. उसी प्रकार से, घरेलू उद्योग के नकद लाभ बहुत अधिक कमी आई है।

150. यह भी नोट किया जाता है कि क्षति की अवधि के दौरान नियोजित पूंजी पर आय में 2016-17 के बाद बहुत अधिक गिरावट आई है और जांच की अवधि के दौरान नकारात्मक हो गई है।

(iv) <u>रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी</u>

151. क्षति की अवधि की तुलना में घरेलू उद्योग का रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी नीचे तालिका में दी गई है:

विवरण	यू ओ एम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि (अक्टू. 17- सितं. 18)
रोजगार – घरेलू उद्योग	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	101	108
मजदूरी	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	143	148
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी. टन/ सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	153	153

विवरण	यू ओ एम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि (अक्टू. 17- सितं. 18)
प्रति दिन उत्पादकता	मी. टन/ प्रति दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	143	152

152. चूंकि घरेलू उद्योग का विचाराधीन उत्पाद के लिए समर्पित रोजगार नहीं है अत: रोजगार और मजदूरी के संबंध में घरेलू उद्योग की स्थिति की जांच सभी कार्यकलापों के लिए कंपनी के लिए सूचना पर विचार करने के बाद की गई थी। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की प्रतिदिन उत्पादकता और प्रति कर्मचारी उत्पादकता क्षति की जांच की पूरी अवधि और जांच की अवधि के दौरान मामूली परिवर्तन के साथ लगभग स्थिर रही।

(v) <u>मालसूची</u>

153. क्षति की अवधि की तुलना में घरेलू उद्योग के पास माल भंडार की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

विवरण	यू ओ एम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि (अक्टू. 17- सितं. 18)
औसत भंडार	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	235	256

154. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान औसत भंडार में आधार वर्ष और पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। आगे यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में कमी आई है और बढ़ी हुई मांग पर बहुत अधिक मात्रा में पाटित आयातों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। इसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग के पास बहुत अधिक मात्रा में संचित माल भंडार है।

(vi) <u>वृद्धि</u>

155. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षमता के उपयोग, लाभ, निवेश पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग का विकास 2017-18 और जांच की अवधि के दौरान नकारात्मक रहा है जिसे नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है। घरेलू बिक्री में सकारात्मक वृद्धि दर्शायी हैं।

विवरण (वर्ष दर वर्ष)	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि (अक्टू. 17- सितं. 18)
उत्पादन		15%	35%	6%
कार्यक्षमता का उपयोग		12%	-4%	-6%
घरेलू बिक्री		19%	18%	20%
पी बी आई टी (रु./ मी. टन)		389%	-47%	-231%
पी बी आई टी (रु. लाख)		482%	-38%	-257%
निवेश पर आय		5%	-2%	-10%

(vii)<u>पाटन मार्जिन की मात्रा</u>

156. पाटन का आकार उस सीमा का संकेतक है जिस सीमा तक पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि संबद्ध देशों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक और

काफी हैं। प्राधिकारी ने निर्धारित किया है कि सहयोगी निर्यातों का पाटन मार्जिन जांच की अवधि के दौरान अधिक है।

(viii) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

157. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि देश में इस उत्पाद की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए घरेलू उद्योग ने संयंत्र और मशीनरी में बहुत अधिक निवेश किये हैं। हालांकि, इन निवेशों के बावजूद घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में बहुत अधिक गिरावट आई है और विचाराधीन उत्पाद के पाटन का पूंजी निवेश जुटाने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

(ज) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

158. संबद्ध देशों से आयात की कीमतों, लागत संरचना में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारकों जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं, पर विचार पर विचार करते हुए, यह देखा जा सकता है कि संबद्ध देशों से आयात की गई सामग्री का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से बहुत कम है, जिसके कारण भारतीय बाजार में कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया कि घरेलू कीमतों के लिए बैंचमार्क संबद्ध देशों से आयात की कीमतें हैं। यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग जांच की अवधि सहित क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक वृद्धि दर्शा रही थी और इस कारण से यह घरेलू कीमतों पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं हो सकता है। इस प्रकार से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि घरेलू कीमतों पर प्रभाव डालने वाले प्रधान कारक संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पाटित आयात है।

छ.3.4 क्षति मार्जिन

159. प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत (एन आई पी) का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद का एन आई पी का निर्धारण जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित प्रत्यापित सूचना/ आंकड़ों को अपनाकर किया गया है। घरेलू उद्योग का एन आई पी तय किया गया है और इसकी तुलना क्षति मार्जिन (आई एम) की गणना करने के लिए संबद्ध देशों में से प्रत्येक देश से पहुंच कीमत (एल पी) के साथ की गई है। पाटन मार्जिन के निर्धारण के अनुरूप, क्षति मार्जिन का भी निर्धारण एक कंपनी के रूप में संबंधित कंपनियों को लेकर किया गया है।

160. जैसा कि इस जांच परिणाम के पाटन मार्जिन विश्लेषण में उल्लेख किया गया है, कोरिया गणराज्य के कुछ उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किये गये उत्तर से यह नोट किया जाता है कि भारत में उनके पूर्ण स्वामित्व वाली भारतीय सहायक कंपनियों को विभिन्न व्यापार माध्यमों से उनकी मूल कंपनी से आयात किये गये संबद्ध वस्तुओं की बिक्री के दौरान घाटा हुआ है। किसी संबद्ध वस्तुओं की उनकी बिक्री कीमत उनकी खरीद कीमत की तुलना में कम है जिसमें भारतीय सहायक कंपनियों की आयात कीमतें और एस जी ए शामिल थी, उनकी पहुंच कीमत का उपयुक्त समायोजन किया गया है।

मूल और/ अथवा निर्यात का देश	उत्पादक का नाम	एनआईपी (प्रति मी. टन अमेरिकी डॉलर)	पहुँच मूल्य (प्रति मी. टन अमेरिकी डॉलर)	क्षति मार्जिन (अमेरिकी डॉलर)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन रेंज
कोरिया गणराज्य	पोस्को	***	***	***	***	0-20
कोरिया गणराज्य	पोस्को कोटेड एंड कलर स्टील कं. लि.	***	***	***	***	0-20
कोरिया गणराज्य	पोस्को ग्रुप	***	***	***	***	0-20
कोरिया गणराज्य	डोंगकुक स्टील मिल कं. लि.	***	***	***	***	0-20
कोरिया गणराज्य	डोंगबू स्टील कं. लि.	***	***	***	***	0-20

मूल और/ अथवा निर्यात का देश	उत्पादक का नाम	एनआईपी (प्रति मी. टन अमेरिकी डॉलर)	पहुँच मूल्य (प्रति मी. टन अमेरिकी डॉलर)	क्षति मार्जिन (अमेरिकी डॉलर)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन रेंज
कोरिया गणराज्य	कोई अन्य उत्पादक एवं निर्यातक	***	***	***	***	0-20
वियतनाम	तेय नाम स्टील मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कं. लि.	***	***	***	***	0-20
वियतनाम	टोन डोंग ए कारपोरेशन	***	***	***	***	0-20
वियतनाम	होआसेन ग्रुप	***	***	***	***	0-20
वियतनाम	नाम किम स्टील ज्वाइंट स्टॉक कंपनी	***	***	***	***	0-20
वियतनाम	कोई अन्य उत्पादक एवं निर्यातक	***	***	***	***	20-40
चीन जन. गण.	झेजियांग हौदा न्यू मैटेरियल्स कं. लि.	***	***	***	***	0-20
चीन जन. गण.	कोई अन्य उत्पादक एवं निर्यातक	***	***	***	***	0-20

छ.3.5 <u>गैर आरोपण विश्लेषण</u>

161. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी से अन्य बातों के साथ साथ यह अपेक्षित है कि वे पाटित आयातों को छोड़कर किसी ज्ञात कारकों की जांच करें जो समय समय पर घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहा है ताकि इन अन्य कारकों से हुई क्षति का आरोप पाटित आयातों पर नहीं लगाया जा सके। वे कारक जो इस संबंध में संगत हो सकते हैं उनमें अन्य बातों के साथ साथ पाटित कीमतों पर न बेची गई आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में संकुचन अथवा सतत् के पैटर्न में परिवर्तन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों की व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और उनके बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी का विकास और निर्यात कार्य निष्पादन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल है। नीचे यह जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारकों का घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने में योगदान रहा होगा।

(i) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

162. संबद्ध देशों को छोड़कर अन्य देशों से आयात मात्रा के मामले में बहुत अधिक नहीं रहा है जिससे कि घरेलू उद्योग को क्षति होती हो अथवा क्षति होने का खतरा उत्पन्न होता हो। अन्य देशों से आयात भारत में कुल आयातों में 5 प्रतिशत और कुल मांग/ खपत का 1 प्रतिशत से कम था। इस प्रकार से, यह नहीं कहा जा सकता है कि अन्य देशों से आयातों के कारण क्षति हो रही है।

(ii) निर्यात कार्य निष्पादन

163. यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी द्वारा जांच की गई क्षति से संबंधित सूचना घरेलू कार्य कलापों के लिए है और इस कारण से निर्यात मात्रा में संभावित परिवर्तनों ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचाई है।

(iii) प्रौद्योगिकी का विकास

164. किसी भी हितबद्ध पक्षकारों ने प्रौद्योगिकी में व्यापक परिवर्तनों जिससे घरेलू उद्योग क्षति हो सकती थी, को दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। आगे यह नोट किया जाता है कि संबंधित उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार से प्रौद्योगिकी में विकास यह कारक नहीं है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

(iv) कंपनी के अन्य उत्पादों का कार्य निष्पादन

165. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की जा रही और बेची जा रही अन्य उत्पादों के कार्य निष्पादन में यह प्रतीत नहीं होता है कि घरेलू उद्योग को क्षति का यह एक संभावित कारण है।

(v) विदेशी और घरेलू उत्पादकों की व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और उसके बीच प्रतिस्पर्धा

166. संबद्ध वस्तुओं का आयात पर किसी भी रूप में प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और बिना किसी बाधा के देश में उसका आयात किया जा सकता है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा यह सुझाव देने के लिए कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों में कोई परिवर्तन हुआ है।

(vi) घरेलू उद्योग की उत्पादकता

167. यह नोट किया जाता है कि प्रति कर्मचारी उत्पादन और प्रतिदिन उत्पादन के मामले में घरेलू उद्योग की उत्पादकता में क्षति की अवधि के दौरान आंशिक रूप से वृद्धि हुई है।

(vii) मांग में संकुचन और खपत के पैटर्न में परिवर्तन

168. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में क्षति की समग्र अवधि की तुलना में सतत् रूप से वृद्धि हुई है। इस प्रकार से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि घरेलू उद्योग को क्षति मांग में संकुचन के कारण नहीं हुई थी।

ञ.3.6 **<u>क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में प्राधिकारी द्वारा निष्कर्ष</u>**

169. इस प्रकार से यह नोट किया जाता है कि सूचीबद्ध ज्ञात अन्य कारक यह नहीं दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को इन अन्य कारकों के कारण क्षति हो सकती थी। प्राधिकारी ने इस तथ्य की जांच की है कि क्या इस उत्पाद के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। निम्नलिखित मानदंड यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों के द्वारा हुई है:

170. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में जांच की समग्र अवधि की तुलना में स्वतंत्र रूप में वृद्धि हुई है। संबद्ध वस्तुओं से आयातों में भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में वृद्धि हुई है।

171. घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि के अनुपात में अपने उत्पादन और बिक्री को बढ़ाने में सक्षम नहीं हो पाया है।

172. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में उसी अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग के बढ़ते रहने के बावजूद 2015-16 से जांच की अवधि तक कमी हुई है। ऐसा इस कारण से हुआ है कि आयातों ने आक्रामक रूप से मांग में वृद्धि पर कब्जा कर लिया है।

173. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण इस बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में बहुत अधिक कटौती हो रही है। इसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग बहुत अधिक मात्रा में अपनी कीमतों को कम करने के लिए बाध्य हो गया है। घरेलू उद्योग द्वारा उठाया गया कीमत न्यूनीकरण प्राथमिक रूप से इस देश में विचाराधीन उत्पाद के पाटन के कारण है।

174. घरेलू उद्योग अपनी कीमतों में उत्पादन की लागत से भी कम तक कटौती करने के लिए बाध्य था जिसके कारण वित्तीय हानि हुई। इस प्रकार से, संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण कीमत पर दबाव के फलस्वरूप घरेलू उद्योग की कीमतों में गिरावट आई है।

175. लाभ, नकद प्रवाह और निवेश पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन कीमत न्यूनीकरण के परिणामस्वरूप खराब हुआ है। इस प्रकार से इस उत्पाद के पाटन के फलस्वरूप लाभ, नकद प्रवाह और निवेश पर आय के मामले में घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन और बदतर हुआ है।

176. इस कारण से, अनंतिम तौर पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई।

(ज) <u>भारतीय उद्योग के हित एवं अन्य मुद्दे</u>

177. प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों को लगाये जाने से भारत में इस उत्पाद के कीमत स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, भारतीय बाजार में निष्कर्ष प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपायों के द्वारा

कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायों को लगाये जाने से पाटन प्रथाओं द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त हो जायेगा, घरेलू उद्योग की गिरावट रूक जायेगी और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत अधिक विकल्प की उपलब्धता को बनाये रखने में मदद मिलेगी। उपभोक्ता अभी भी दो अथवा उसके अधिक आपूर्ति के स्रोत बनाये रख सकते हैं।

178. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपाय लगाने से किसी भी तरह संबद्ध देशों से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसीलिए अंतिम प्रयोक्ता को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। अंतिम प्रयोक्ता अब भी आपूर्ति के दो या उससे अधिक स्रोत बनाए रख पाएगा। पाटनरोधी शुल्कों का प्रयोजन सामान्य रूप में पाटन की अनुचित व्यापार परिपाटियों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली एवं उचित प्रतिस्पर्द्धा की स्थिति स्थापित हो सके जो कि देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपाय लगाने से उपभोक्ताओं को संबद्ध सामानों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

(झ) <u>निष्कर्ष</u>

179. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों,उठाये गये मुद्दों और दी गई सूचना तथा इस जांच परिणाम में रिकार्ड किए गए अनुसार, प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों और उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:

क. संबद्ध देशों से भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात उसके संबद्ध सामान्य मूल्य से कम पर किया गया है जिसके फलस्वरूप पाटन हो रहा है।

ख. संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

ग. संबद्ध देशों सेपाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है।

(ञ) सिफारिश

180. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की शुरूआत की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संपर्क के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संपर्कों के बारे में जांच शुरू करने और जांच करने पर तथा उन पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को सकारात्मक पाटन मार्जिन तथा वास्तविक क्षति सिद्ध होने पर प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन और क्षति को दूर करने के लिए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता है। अतः प्राधिकारी केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 15 अक्तूबर, 2019 की अधिसूचना संख्या 40/2019-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा अनंतिम शुल्क लगाए जाने की अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख से नीचे निर्धारित स्वरूप और तरीके में संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना आवश्यक समझते हैं और पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं।

181. कानून द्वारा निर्धारित, अपनाए गए कमतर शुल्क नियम के संबंध में, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त की जा सके। तदनुसार, संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के सभी आयातों पर अनंतिम शुल्क लगाए जाने की तारीख से निम्नलिखित तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्कलगाये जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्रम सं.	शीर्षक/ उप शीर्षक	सामानों का विवरण	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क राशि	मुद्रा	यूनिट
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	7210, 7212,	एल्युमीनियम और जिंक के	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य	डोंगकुक स्टील मिल कं.	14.30	अमेरिकी डॉलर	मी. टन

क्रम सं.	शीर्षक/ उप शीर्षक	सामानों का विवरण	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क राशि	मुद्रा	यूनिट
	7225 और 7226*	अलॉय के साथ कोटेड अथवा स्टील प्लेटेड के फ्लैट रोल्ड उत्पाद**		सहित कोई भी देश	लिमि.			
2.	वही	वही	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई भी देश	पोस्को	56.96	अमेरिकी डॉलर	मी. टन
3.	वही	वही	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई भी देश	पोस्को कोटेड एंड कलर स्टील कं. लिमि.	56.96	अमेरिकी डॉलर	मी. टन
4.	वही	वही	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई भी देश	डोंगबू स्टील कं. लि.	13.07	अमेरिकी डॉलर	मी. टन
5.	वही	वही	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई भी देश	क्रम सं. 1, 2, 3 और 4 को छोड़कर कोई अन्य उत्पादक	84.47	अमेरिकी डॉलर	मी. टन
6.	वही	वही	कोरिया गणराज्य, वियतनाम और चीन जन. गण. को छोड़कर कोई अन्य देश	कोरिया गणराज्य	कोई भी	84.47	अमेरिकी डॉलर	मी. टन
7.	वही	वही	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई अन्य देश	टोन डोंग ए कारपोरेशन	23.63	अमेरिकी डॉलर	मी. टन
8.	वही	वही	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई अन्य देश	हाओ सेन ग्रुप	46.87	अमेरिकी डॉलर	मी. टन
9	वही	वही	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई अन्य देश	तेय नाम स्टील मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कं. लि.	48.96	अमेरिकी डॉलर	मी. टन
10.	वही	वही	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई अन्य देश	नाम किम स्टील ज्वाइंट कंपनी	81.30	अमेरिकी डॉलर	मी. टन
11	वही	वही	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई अन्य देश	क्रम सं. 7, 8, 9 और 10 को छोड़कर कोई अन्य उत्पादक	173.10	अमेरिकी डॉलर	मी. टन
12	वही	वही	कोरिया गणराज्य, वियतनाम,	वियतनाम	कोई भी	173.10	अमेरिकी डॉलर	मी. टन

क्रम सं.	शीर्षक/ उप शीर्षक	सामानों का विवरण	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क राशि	मुद्रा	यूनिट
			चीन जन. गण.को छोड़कर कोई अन्य देश					
13	वही	वही	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	झेजियांग हौदा न्यू मैटेरियल्स कं. लि.	56.48	अमेरिकी डॉलर	मी. टन
14	वही	वही	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	झेजियांग हुआसा न्यू मैटेरियल्स कं. लि. के अलावा कोई अन्य उत्पादक	128.93	अमेरिकी डॉलर	मी. टन
15	वही	वही	चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य, वियतनाम को छोड़कर कोई देश	चीन जन. गण.	कोई भी	128.93	अमेरिकी डॉलर	मी. टन

* *सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और शुल्क का निर्धारण विचाराधीन उत्पाद के विवरण के अनुसार किया जाएगा। उपर्युक्त विचाराधीन उत्पाद तब भी उपर्युक्त पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन होना चाहिए जब उसका अन्य किसी एचएस कोड के तहत आयात किया जाए।*

** *एल्युमीनियम और जिंक के अलॉय से कोटेड अथवा प्लेटेड, इस्पात के फ्लैट रोल्ड उत्पाद। एल्युमीनियम और जिंक के इस एलॉय में एक अथवा उससे अधिक अतिरिक्त तत्व हो सकते हैं जो अलग से अथवा संयोजन में भार में 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।*

उपर्युक्त तालिका के कॉलम सं. 3 में यथाउल्लिखित विचाराधीन उत्पाद में निम्नलिखित उत्पाद शामिल नहीं हैं:-

- एल्युमीनियम के वर्धन के बिना जिंक से कोट किया हुआ प्लेट रोल्ड इस्पात उत्पाद;
- जिंक से वर्धन से बिना एल्युमीनियम से कोट किया हुआ प्लेट रोल्ड इस्पात उत्पाद;
- पहले से पेंट किया हुआ अथवा रंग से कोट किया हुआ एल्युमीनियम जिंक एलॉय कोट किया हुआ इस्पात शीट (पहले से कोट किया हुआ एस जी एल शीट)।

ट. आगे की प्रक्रिया

182. उपर्युक्त के अध्यधीन दिनांक 15 जुलाई, 2019 को अधिसूचित प्राथमिक जांच परिणामों की एतदद्वारा पुष्टि की जाती है।

183. इस सिफारिश के कारण केंद्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपील अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

भूपिन्दर एस. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2020

FINAL FINDING

Subject: Anti-dumping Investigation concerning imports of Aluminium and Zinc coated flat products" originating in or exported from China PR, Vietnam and Korea RP – Final Findings.

A. BACKGROUND OF THE CASE

F. No. 6/4/2019-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter also referred to as "the Rules") thereof:

1. M/s JSW Steel Coated Products Limited (hereinafter also referred to as "**the Applicant**" or "**the Domestic Industry**" or " **the DI**") had filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as "**the Authority**") in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as "**the Act**") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as "**the Rules**") for imposition of Anti-dumping duty on imports of "Aluminium and Zinc coated flat products" (hereinafter also referred to as "**subject goods**") originating in or exported from China PR, Vietnam and Korea RP(hereinafter also referred to as the "**subject countries**").

2. The Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the Applicant, issued a public notice vide Notification No. 6/4/2019 -DGTR dated 2nd April, 2019, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with Rule 5 of the Rules to determine existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

3. On the basis of preliminary investigation carried out, the Authority issued its Preliminary Findings, vide Notification No 6/4/2019-DGTR, dated 15th July, 2019, recommending imposition of provisional Anti-dumping duty on the imports of the subject goods falling under heading 7210, 7212, 7225 and 7226 of Chapter 72 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in or exported from China PR, Vietnam and Korea RP. The provisional anti-dumping duty has been notified by Ministry of finance vide notification number 40/2019-Customs (ADD) dated 15th October 2019 for a period of six months from the date of its notification.

A. PROCEDURE

4. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject investigation:

a) The Authority notified the Embassies of the subject countries in India about the receipt of the anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 5 supra.

b) The Authority issued a public notice dated 2nd April 2019 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of the subject good from subject countries.

c) The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassies of the subject Countries in India, known producers/exporters from the subject countries, known importers/users and the domestic industry as well as other domestic producers as per the addresses made available by the Applicant and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.

d) The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra.

e) The Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter

and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.

f) The Authority sent questionnaires to the following known producers/exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

China PR

1. Baosteel Iron and Steel Co Ltd
2. Benxi (Bengang) Steel Plates Co., Ltd.
3. Angang Steel Company Limited
4. BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd.
5. JiangyinZongcheng Steel Co., Ltd.
6. Shanghai Meishan Iron and Steel Co Ltd
7. Union Steel China Co., Ltd
8. YiehPhui (China) Technomaterial Co., Ltd.

Vietnam

1. Nam Kim Steel
2. HoaSen Group
3. Maruichi Sun Steel Joint Stock Company

Korea RP

1. Dongkuk Steel Mill Co.
2. POSCO Coated &Color Steel Co., Ltd.
3. Dongbu Steel Co., Ltd Seoul Square Bldg.,

g) In response, the following exporters/producers from the subject countries filed exporter's questionnaire response in the prescribed format:

1. M/s. Zhejiang Huada New Materials Co., Ltd., China PR. (Zhejiang)
2. M/s. Shanghai Shijing International Trading Co., Ltd., China PR. (Shanghai Shijing)
3. M/s. POSCO Asia Company Ltd., China PR
4. M/s. Tay Nam Steel Manufacturing & Trading Co. Ltd, Vietnam (Tay Nam)
5. M/s. Vina One Steel Manufacturing corporation, Vietnam (Vina One)
6. M/s. HoaSen Group JSC. (HSG), Vietnam (HSG)
7. M/s. HoaSenNghe an one Member LLC (HSNA), Vietnam (HSNA)
8. M/s. Ton Dong A Corporation, Vietnam (Ton Dong)
9. M/s. Marubeni-Itochu Steel Pte. Ltd, Vietnam
10. M/s. POSCO, Korea RP
11. M/s. POSCO Coated and Color, Korea RP (POSCO C&C)
12. M/s. Dongbu Steel & Incheon, Korea RP (Dongbu)
13. M/s. Dongkuk Steel Mill Co., Ltd., Korea RP (Dongkuk)
14. M/s. GS Global Corp, Korea RP
15. M/s. Samsung C&T Corporation, Korea RP
16. M/s. POSCO International Corporation (Formerly known as POSCO Daewoo Corporation), Korea RP
17. M/s. Hyosung TNC Corporation, Korea RP
18. M/s Nam Kim Steel (Vietnam) (Nam Kim)
19. M/s STINKO Co. Ltd., Korea RP

h) The Authority sent Importer's Questionnaire to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

1. AbhayIspat India Pvt. Limited
2. AJS ImpexPvt. Limited
3. Amar Impex
4. Ariston Agency Pvt. Limited
5. Colorshine Coated Pvt. Limited
6. Dongkuk Steel India Pvt. Limited
7. Ganges International Pvt. Ltd.
8. Gopani Iron &Power India Pvt. Limited
9. Jai Hind Traders
10. J. K. Steel Corporation
11. Jenil Steel Pvt. Limited
12. JTL Infra Limited

13. La Tim Sourcing India Pvt. Limited
14. Manaksia Steels Limited
15. Prabhat Global Colour coated Pvt. Limited
16. Schneider Electric Infrastructure Limited
17. Standard Retail Pvt. Limited

i) In response, the following importers/users have responded and have filed importer's questionnaire response/legal submissions.

1. M/s Jaihind Traders (Importer)
2. M/s Acme Cleantech Solution Private limited (Importer)
3. M/s POSCO IPPC (Importer)
4. M/s POSCO ICPC (Importer)
5. M/s POSCO IDPC (Importer)
6. M/s POSCO IAPC (Importer)
7. M/s SNS Corporation (User)
8. M/s Purshotam Profiles Pvt Ltd (User)
9. M/s Vijayshree Steel Industries (User)
10. M/s Amplus KN One Power Pvt Ltd. (User)
11. M/s Ultra Engineers(User)
12. M/s Latim Sourcing (India) Pvt. Ltd. (User)
13. M/s Colorshine Coated Private Limited (User)
14. M/s Renew Power Limited (User)
15. M/s Alstom Transport India Ltd (User)
16. Solar Power Developer Association. (User)
17. M/s Mahindra and Mahindra Ltd (Importer)
18. M/s Standard Retail Pvt Ltd (Importer)
19. M/s Mareso Pte Ltd, Singapore (Exporter)
20. M/s Avaada Energy Pvt. Ltd.(Importer)
21. M/s Turakhia International Pvt. Ltd.(Importer)
22. M/s MaresoPte. Ltd. (Singapore)
23. M/s GCL system integration tech. Pvt.Ltd..(Importer)
24. M/s POSCO India Holdings (importer)
25. M/s Schneider Electric Infrastructure Ltd..(Importer)
26. M/s Hero Solar Energy Pvt Ltd. (User and Importer)
27. M/s Adani Green Energy Ltd. (user)
28. M/s Tricolite Electrical Industries Ltd. (user)
29. M/s ISUZU Motor India Pvt. Ltd (user)
30. M/s AbhayIspat (India) Pvt. Ltd .(Importer)
31. M/s Neel Metal Products Ltd. (user)
32. M/s Solar Power Developers Association.(user)
33. M/s Amplus Energy Solution Pvt Ltd (user)
34. M/s Sterling Wilson Solar Power Pvt Ltd (user)
35. M/s JBM Auto Ltd.(user)
36. M/s Mahindra Intertrade Ltd (user)
37. M/s Forming India Pvt. Ltd (user)
38. M/s Manaksia Steel Ltd (importer)
39. National Solar Energy Federation of India (user)
40. M/s Polmor Steel Pvt Ltd. (user)
41. M/s HOA PHAT Steel Sheet Co. Ltd, Vietnam (exporter)
42. M/s KTK Transport Equipment (India)Pvt Ltd
43. M/s. Isuzu Motors India Private Limited
44. Trade Remedies Authority of Vietnam, Ministry of Industry and Trade, Vietnam
45. M/s. Solar Power Developers Association.
46. M&B Engineering Ltd, Ahmedabad.
47. Embassy of Republic of Korea, New Delhi.
48. Ministry of Foreign Affairs, Korea RP.

j) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented / submissions made by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties. Submissions made by all interested parties have been taken into account in this Final Findings.

k) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, and the period of

investigation, which was received by the Authority. The Authority has relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and its analysis after due examination of the transactions.

l) The Non-Injurious Price (NIP) has been determined based on the cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.

m) Physical inspection through on-spot verification of the information provided by the Applicant domestic industry, to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of Final Findings.

n) The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present anti-dumping investigation is from 1stOctober, 2017 to 30thSeptember, 2018 (12 Months). The injury investigation period has however, been considered as the period from April 2015 - March 2016, April 2016 - March 2017, April 2017 - March 2018 and the POI.

o) The Authority notified the Preliminary Findingson 15th July, 2019 to all interested parties. As recorded in the Preliminary Findings, the Authority invited comments on the same and the views of the interested parties on the preliminary determination has been considered and addressed to the extent possible for the purpose of Final Findings.

p) In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a hearing held on 30thJuly 2019. Subsequently, another public hearing was held on 4th December 2019 in view of the change of the Designated Authority, which was attended by various parties. All the parties who had attended the oral hearing were provided an opportunity to file written submissions,followed by rejoinders, if any.

q) The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority, in this final findings.

r) Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority considered such interested parties as non-cooperative and recorded in the final findings on the basis of the facts available.

s) Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis and the same were kept in the public file maintained by the Authority as per the Rules.

t) In accordance with Rule 16 of Rules Supra, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide disclosure statement dated 31st January 2020 and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in this final findings. The Authority notes that most of the post-disclosure submissions made by the interested parties are mere reiteration of their earlier submissions. However, the post-disclosure submissions to the extent considered relevant are being examined in these Final Findings.

u) Physical inspection through on-spot verification of the information provided by the Applicant domestic industry and responding producers and exporters from subject countries to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of Final Findings.

v) *** in this Final Findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

w) The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US$1 = ₹67.43.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION (PUC) AND LIKE ARTICLE

5. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as:

"Flat rolled product of steel, plated or coated with alloy of Aluminium and Zinc. This alloy of Aluminium and Zinc may contain one or more additional elements which in individual or in combination shall not exceed 3% by weight.

The product under consideration may be in coil form or not in coil form whether or not plain, corrugated or in profiled form. PUC may be skin-passed / processed on temper-mill or non-skin-passed whether or not surface treated with or without additional non-metallic coating. PUC may be supplied in various trade names including but not limited to Alu-Zinc, Al-Zn, Zinc Aluminum, Aluminum Zinc, Zincalume, Galvalume etc. PUC offers resistance to corrosionand is used in many applications and sectors including but not limited to infrastructure projects, solar power projects, roofing, walling decking, cladding and framing, white goods and appliances, furniture and substrate for colour coated steel.

PUC does not include the following products: -

i. Flat rolled steel products coated with Zinc without addition of Aluminium;

ii. Flat rolled color coated steel products

PUC falls under tariff items 72106100, 72125090, 72259900 and 72269990 of the Customs Tariff Act, 1975. The PUC is also being imported under other Customs Tariff Items 72101290, 72103090, 72104900, 72106900, 72107000, 72109090, 72121090, 72122090, 72123090, 72124000, 72169910, 72255010, 72259100, 72259200, 72269930 etc. The customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation."

6. In its Preliminary Findings, the Authority provisionally held that Flat rolled product of steel, plated or coated with alloy of Aluminium and Zinc being imported from subject countries and manufactured by domestic industry are like articles and accordingly provisional duties were recommended on all Flat rolled product of steel, plated or coated with alloy of Aluminium and Zinc. This alloy of Aluminium and Zinc may contain one or more additional elements which in individual or in combination shall not exceed 3% by weight. However, several arguments have been placed by various interested parties on the scope of the product under consideration which are repetitive in nature. Therefore, for the purpose of final determination the Authority has examined the scope of PUC taking into account all material facts before the Authority, as follows:

C.1. <u>Submissions made by the Domestic Industry</u>

7. The following are submissions made by domestic industry with regard to product under consideration and like article:

a) The product under consideration in the present investigation is flat rolled product of steel, plated or coated with alloy of Aluminium and Zinc. This alloy of Aluminium and Zinc may contain one or more additional elements which in individual or in combination shall not exceed 3% by weight. The Product under consideration offers protection from corrosion. The product under consideration may be in coil form or not in coil form whether or not plain, corrugated or in profiled form. The product under consideration may be skin-passed / processed on temper-mill or non-skin-passed whether or not surface treated with or without additional non-metallic coating. Product under consideration may be supplied in various trade names including but not limited to Alu-Zinc, Al-Zn, Zinc Aluminium, Aluminium Zinc, Zincalume, Galvalume etc.

b) Aluminium and Zinc coated flat products fall under tariff item 72106100, 72125090, 72259900 and 72269990 of the Customs Tariff Act, 1975. However, imports have also been noticed in certain other ITC HS Codes viz. 72101290, 72103090, 72104900, 72106900, 72107000, 72109090, 72121090, 72122090, 72123090, 72124000, 72169910, 72255010, 72259100, 72259200, 72269930 of the Customs Tariff Act, 1975.

c) The Applicant reiterated that the product offered by the domestic industry was a like article to the subject goods imported into India including PosMAC, GIX imported from Korea RP.

d) With respect to the exclusion of PosMAC, the Applicant submitted that PosMAC had both Aluminium and Zinc and therefore was clearly within the scope of PUC. It was also submitted that Galvalume was commercially, technically and commercially substitutable with PosMAC and was being used by the same customers for the same end use application i.e. to offer resistance to corrosion of base steel. In fact, PosMAC was being offered at lower prices despite being costlier.

e) The Applicant further submitted that international standards were irrelevant for determining whether Galvalume is a like article or not for PosMAC.

f) With respect to the contention of the Respondents that Applicant is only able to supply 0.8 mm to 1.2mm product which is a smaller range than what PosMAC offers, the Applicant submitted that it was

capable of manufacturing the PUC up-to 3 mm thickness. It referred to the transaction wise import data to support its contention.

g) With respect to the contention that PosMAC has two different characteristics namely self-healing system and alkaline resistance, Applicant submitted that customers had been using Aluminium and Zinc coated product and PosMAC interchangeably for the basic property of corrosion resistance. It further submitted that spray (with Aluminium and Zinc) could be used as precautionary measure to increase corrosion resistance of both the products.

h) The Applicant reiterated the fact that Galvalume too had an excellent corrosion resistance and a life expectancy of around 35 years before requiring major maintenance.

i) With respect to the warranty offered for PosMAC, the Applicant submitted that it was a promotional tactic to capture the market share of Aluminium and Zinc Coated product. It submitted that despite its claim of better performance, PosMAC did not provide warranty for use under alkaline environment. The Applicant raised several concerns with the warranty offered, primary among them the right of POSCO to modify terms of agreement and the governing law being the laws of Korea and Seoul Central District Courts jurisdiction over any dispute. The Applicant referred to several situations where the warranty was not valid.

j) The Applicant submitted that though DI had the capability to produce PUC having coating mass below AZ 70, it did not do so in order to comply with IS 15961:2012 of the BIS that had become mandatorily applicable through S. No. 47 of the Steel and Steel Products (Quality Control) Order dated August 13, 2018.

k) With respect to the contention that Alu-Zinc alloy coated coils above the tensile strength of 540 should be excluded, the Applicant submitted that DI had the capability to supply the same. Hence, it should be considered as a PUC.

l) With respect to the contention of the Respondents that the definition of PUC is contrary to rule 2(d) as it is broad and covers a whole range of products with differing characteristics and widespread applications, the Applicant made reference to the PUC determined by the Authority and stated that the perception that 2-5% content of aluminium does not bring the product within the product scope is wrong.

m) Further, with respect to Dongkuk Steel Mill's contention that GIX is not a like product, the Applicant submitted that as GIX has both Aluminium and Zinc it clearly falls within the scope of PUC.

n) SPDA and various interested parties have raised an issue that the end use of PosMAC and Galvalume is different due to difference in the properties of the two products. SPDA has specifically submitted that PosMAC is being used for making columns and bracers whereas Galvalume is used for making rafters and purlins. In this regard, Applicant submitted that they are manufacturing and supplying Alu-Zinc Coated Steel being used in purlins, rafters, bracers and columns. In fact, solar industry purchases Galvalume for use in solar mounting structures including purlins, rafters, columns, bracers etc. which clearly demonstrates that JSWs Galvalume (Galvos brand) is being used for making solar mounting structures including purlins, rafters, columns, bracers, angles, etc. In this regard, Applicant provided sufficient evidence to the Authority vide its letters dated 21st October 2019 and 16th December 2019 clearly demonstrating that two of the biggest solar project developers in India purchased JSWs Galvalume for making solar mounting structures including purlins, rafters, columns, bracers, angles, etc.

o) The Applicant also submitted that the Respondent SPDA has failed to substantiate its argument, that Applicant does not produce some of the products forming part of the PUC, with evidence.

p) With respect to the request by some interested parties to undertake PCN-wise analysis, the Applicant submitted that PCN methodology is required only in cases where there are multiple grades and forms of the PUC/like article and there is a substantial cost and price difference between these grades and forms. However, these conditions are not applicable in the present investigation due to the following reasons:

i. The domestic industry sells the PUC primarily in two forms – CF and COF. The share of both these products in the Applicant's sales constitutes approximately 97% and the price difference between these two forms is around Rs. 2,200/-, which is not more than 5%.

ii. The coating grades of the PUC sold by the domestic industry are primarily AZ150 and AZ70. The share of both these grades in the Applicant's domestic sales constitutes approximately 83% and the price difference between these two coating grades is not more than 5%.

iii. The domestic industry sells PUC with a thickness ranging from 0.19 mm to 2.20 mm. The price difference between products constituting more than 85% of the sales within these thicknesses is not more than 5%.

iv. Applicant has identified PosMAC and products other than PosMAC imported from Korea RP. Applicant has not observed any price variation in both the products coming from Korea RP into India.

q) The Product under consideration offers resistance to corrosion. PUC is used in many applications and sectors including infrastructure projects, solar power projects, roofing, walling decking, cladding and framing, white goods and appliances, furniture and substrate for color coated steel.

r) There are no differences in quality, output and performance of the subject goods imported into India from the subject countries and the goods manufactured by the Applicant. The subject goods produced by the domestic producers and those imported from the subject countries are comparable in all relevant parameters such as physical characteristics, manufacturing process, technology, functions, uses etc. The domestically manufactured product and the imported product are being used interchangeably by Indian consumers.

s) To the best of the knowledge of Applicant, there are no known major differences in the production process employed by the Applicant and the exporters from the subject countries.

t) The quality of a product is not the criteria for exclusion from the scope of PUC. The quality of the subject goods being produced by the Applicant is at par with the imported subject goods.

u) Domestic producers of the subject goods in India are capable of meeting entire demand of PUC in India.

v) Applicant is capable of producing subject goods below 70 gsm. However, Applicant rarely produces the subject goods having coating mass below 70 gsm due to Bureau of Indian Standards guidelines in effect which are implemented pursuance to the Steel Quality Control order.

w) In para 4 of the initiation notification dated 2nd April 2019, the Authority has clarified the exclusions from the scope of PUC. POSCO's product PosMAC has both Aluminium and Zinc and is therefore clearly covered within the scope of the product under consideration. The perception that miniscule content of aluminium does not bring it within the product scope is wrong for the following reasons:

i. Any Zinc, Aluminium and Magnesium product cannot be manufactured with the same corrosion resistance properties without aluminium.

ii. PosMAC is different from zinc coated product as its aluminium content offers better corrosion resistance than zinc coated product and therefore, cannot be regarded as comparable to zinc coated product.

iii. Aluminium and Zinc coated product (Galvalume) manufactured by Indian industry is commercially, technically and characteristically substitutable with PosMAC. PosMAC can be used and is being used by the same customers, for the same end use applications by offering a price that undercuts the domestic price of Aluminium and Zinc coated product offered by the Indian industry. In fact, PosMAC is being offered at low prices despite use of higher zinc content with magnesium, which are much costlier than aluminium.

iv. The primary intended end-use application for all such products like PosMAC & Galvalume is to offer resistance to corrosion to base steel and hence are easily substitutable.

x) Aluminium and Zinc coated product (Galvalume) being produced by the Indian Industry is a like article to the PosMAC as the same can commercially, technically and characteristically substitute PosMAC. It is further submitted that International standards are irrelevant for determining whether Galvalume is a like article or not for PosMAC.

y) Indian industry has supplied Aluminium and Zinc coated products ranging from 0.19 mm to 2.2 mm thickness to its customer base. No order has been received by the Applicant for material having thickness higher than 2.2mm. However, the facility is capable of manufacturing the PUC up to 3mm thickness. In case of any special requirement by the customer, necessary product development can be initiated. Also, it is evident from the transaction wise import data that there is a miniscule quantity of PosMAC imports having a thickness higher than 3mm.

z) The customers have been using Aluminum & Zinc coated product and PosMAC interchangeably for its basic property corrosion resistance. Adequate evidence has been provided for the interchangeability of these products across various end-uses. Moreover, spray (with Aluminium& Zinc) can be used for precautionary measure to enhance corrosion resistance in case of both PosMAC and Aluminum & Zinc.

aa) It is pertinent to note that the product Galvalume also has excellent corrosion resistance at cut-edge. The product also has excellent life expectancy of at least 35 years before requiring major maintenance.

bb) The domestic industry has capability of supplying Aluminium Zinc coated products with a tensile strength of 540 and above and on the basis of customers requirement, the domestic industry supplies the same.

cc) It is to be noted that PosMAC has Zn-Al-Mg coating on HR as well as CR substrates. Secondly, HR cannot simply be used in manufacturing PosMAC. HR base has to undergo shot-blasting, pickling process and requires a pass through the skin-pass mill before the Zn-Al-Mg coating can be applied. Aluminium-Zinc coated product being manufactured by Indian industry should be regarded as like product with HR based PosMAC as these products are technically, commercially and characteristically

substitutable with each other. Irrespective of the substrate on which coating is applied, the imported PosMAC has characteristics closely resembling those of the PUC and is displacing the demand for PUC directly. The domestic industry has supplied the Galvanized material with HR base and if the customers require so, the domestic industry has the capability to supply even the Galvalume material with HR base.

dd) Applicant has provided sufficient evidence to the effect that the customers are using domestically produced aluminium and zinc coated products and the imported Zn-Al-Mg coated products interchangeably for the same end-use application and the quality of the subject goods being manufactured by the Indian industry and the imported subject goods are at par.

ee) Domestic producers of the subject goods are capable of catering to the total demand of the subject goods in India. However, significant volume of dumped imports coming from subject countries have aggressively captured the market share in India. The Domestic industry has amply demonstrated its capability as well as evidence of supply the PUC to solar industry in terms of both quality as well as commercials.

ff) The quality of the subject goods produced by Applicant is at par with the imported product. In fact, the customers use imported goods and the goods being produced by the Applicant interchangeably for the same end use application.

gg) Aluminium silicon coated sheet without any zinc is not part of the product under consideration as the PUC only covers "flat rolled product of steel, plated or coated with alloy of aluminium and zinc".

hh) The Applicant has not proposed any PCN wise analysis in its application as PCN wise examination is not required in the facts of the present case.

ii) S. No. 47 of the Steel and Steel Products (Quality Control) Order, 2018 dated 13th August 2018 makes IS 15961:2012 of the Bureau of Indian Standard mandatorily applicable for "Hot dip Aluminium-Zinc Alloy Metallic Coated Steel Strip and Sheet". While the Domestic Industry has the capability to produce the PUC having coating mass below AZ 70, it does not do so in order to comply with IS 15961:2012. As per Table 2 of IS 15961:2012, the coating class as well as minimum coating mass is provided as below:

Sl. No.	**Coating Class**	**Minimum Coating Mass g/m2**		
		Total both surfaces		One surface
		Triple Spot	Single Spot	Single Spot
i)	AZ200	200	180	80
ii)	AZ150	150	135	60
iii)	AZ100	100	90	40
iv)	AZ70	70	63	28

The note below the table 2 states "Coating weight other than the above shall be a matter of mutual agreement between the customer and the suppliers. "Clause 9.1" of IS 15961:2012 reads as under:

"The minimum coating weight shall be as per Table 2 when tested as per 9.2 to 9.7."

Clause 9.1 of IS 15961:2012read with Table 2 leads to the following conclusions:

- IS 15961:2012 permits Al-Zn coating as per Table-2.
- Any other intermittent coating between AZ-70 and AZ-200 is allowed subject to prior agreement between the purchaser and the supplier.IS 15961:2012 does not authorise any coating below AZ-70.

jj) The warranty offered for PosMAC is nothing but a promotional tactic to substitute Aluminium& Zinc coated product and take its market share. There are various concerns with the warranty offered for PosMAC as detailed below:

i. POSCO has the right to modify the terms of agreement.

ii. Governing Law: Warranty in accordance with laws of Korea and Seoul Central District Court to have jurisdiction over any dispute, making the warranty difficult to invoke.

iii. Warranty not valid in case of corrosion caused by alkaline products such as ash, cement, dust or animal excrement (despite PosMAC's contention of better performance under alkaline environment).

iv. The warranty is not valid for end-use application as contended by PosMAC i.e. for Solar structure fabrication & support structure including structure in contact with soil / concrete.

v. The visual aspect of cut-edges and dis-colouration due to run-off from cut-edges is not covered under warranty (despite PosMAC's contention of better performance in case of cut-edges).

vi. The warranty is not valid in case of posts which are directly rammed into the ground and where PosMAC comes in contact with soil (despite user's contention that PosMAC offers better performance than Aluminium& Zinc in case of posts of solar equipment).

vii. The warranty is not valid in case the customer does not carry out annual inspection and maintenance and such inspection and maintenance is duly reported to POSCO.

C.1.1.Post-Disclosure Submissions made by Domestic Industry

8. The domestic industry has requested the Authority to confirm the product under consideration as proposed in the disclosure statement.

C.2. Submissions made by other interested parties

9. The following submissions have been made by other interested parties comprising of exporters, importers, users and other interested parties with regard to product under consideration and like article:

a) The PUC defined in the Application is inconsistent with the parameters under Rule 2(d) which requires and contemplates the product category to be very clear and precise. However, the application has been filed seeking imposition of anti-dumping duty on an extremely broad and wide category of products.

b) The Respondents while making reference to the Preliminary Findings stated that the Authority had ignored the request for PCN methodology without providing a valid reason as the DI and some other producers had not claimed PCN.

c) DI flouts Steel and Steel Products (Quality Control) Order issued by Ministry of Steel that clearly mentions that no producer under BIS can sell their secondary or defective material otherwise than as scrap. The exporter attached documents of auctions to substantiate their allegations. It further stated that the Applicant sells/auctions the secondary/defective material and merges the figures with the other Prime Material to show the selling price lower than what it should actually depict, if the same were segregated. Had there been PCN wise analysis of Prima and secondary/defective material, the Prime PUC would have shown higher price than the Secondary PUC. Other users had imported reasonable quantities of secondary Alu-Zinc coils during POI.

d) Mandatory applicability of Steel and Steel (Quality Control) Order to PUC has been imposed w.e.f. 18th December 2018 which is post POI.

e) PosMAC does not qualify as an Aluminium-Zinc alloy coated flat product, which is the PUC in this investigation. Rather it is a Zinc-Magnesium alloy coated product. It submitted that the only reason it took part in the investigation was that one of the exceptions of PUC, namely "Flat rolled steel products coated with Zinc without addition of Aluminium, did not specify the tolerance level for presence of Aluminium. Further POSCO name was not there as an exporter.

f) With respect to the only counter given by the Applicant that the Applicant had named POSCO C&C as a known exporter, it is submitted that POSCO and POSCO C&C are two different legal entities producing PosMAC and Galvalume respectively which is why later was named in the petition. The commercial invoice of these companies also categorically describes the product as PosMAC and Galvalume.

g) The Applicant has repeatedly placed reliance on IS 15961:2012 issued by BIS applicability of which has been made mandatory pursuant to Steel and Steel Products (Quality Control) Order, 2018. Hence, it

cannot be allowed to claim a different standard for defining the Aluminium – Zinc coated flat product. It was submitted that giving a different definition in the instant investigation would give rise to an anomalous situation where two different authorities would have provided for different definitions.

h) The Authority in the Preliminary Findings held that PosMAC has been held to be a "like article" on the ground that it is being used interchangeably by the users in India. To this it is reiterated that interchangeability should only be assessed considering majority of user's opinion. A minority section of users cannot be the basis for ignoring facts available on record. It was further stated that neither is the evidence of interchangeability available on record nor was the opinion voiced at Oral Hearings.

i) With respect to Applicant's concern over the warranty offered by PosMAC, it was submitted that contractual terms were not relevant to the investigation. It submitted that product warranty is always subject to limitations as any product is produced for specified usage, environment and weather conditions.

j) Dongkuk's GIX is similar to POSCO's PosMAC and is zinc/magnesium product.

k) DI had claimed that the product manufacture by DI, i.e. galvalume, can be substituted with the superior product such as PosMAC or some similar product and that it was in possession of various orders from user industry who have shifted from these superior products to galvalume. It also claimed that the purchase order issued by the solar generation company to the manufacturer/importer mentioned galvalume/PosMAC interchangeably. The Respondents submitted that neither had the DI substantiated the claims made by it during proceedings of the public hearing with documentary evidences, nor had they mentioned the same in their Written Submissions dated 07.08.2019. The DI had failed to provide any documentary evidence of any offer/purchase order from the user industry. This clearly showed the malafide intent of DI wherein DI had made sure that the claims made by DI are not open for rebuttal. With respect to claim made by the DI regarding purchase order issued by solar generation company, the Respondents submitted that both the materials can be interchangeably used but only for specific portion of solar mounting structures (i.e. Rafter and Purlin). The DI had tried to mislead the Authority by quoting the half-truth that galvalume and PosMAC are substitutable products. To substantiate their claim, the Respondents attached the report of Research and Development Laboratories of the Portland Cement Association with the Rejoinder. It was submitted that "Interchangeability" should only be assessed considering majority of users' opinion. This is more so since neither is such evidence of interchangeability available on record nor was such an opinion voiced at the Oral Hearing. To the contrary, the interested parties attending the Oral Hearing unanimously put forth the arguments against interchangeability

l) The Respondents submitted that PosMAC 3.0/similar products do not correspond to the subject goods notified by the Authority i.e. aluminium and zinc coated flat products and hence should be excluded from the scope of PUC. The product of the DI is Aluminium and Zinc coated flats whereas PosMAC is Zinc and Magnesium coated flat product having minimum quantity of aluminium.

m) The contention of the Applicant that PUC having coating below 70 gsm is rarely produced by the domestic industry because of implementation of BIS guidelines the respondent stated that the compliance with the BIS guideline was made mandatory w.e.f. from 18th December 2018 by the Steel and Steel Products (Quality Control) Order, 2018 dated 13th August, 2018 while the injury period is from April 2015 to September, 2018.

n) PUC is partially aligned with available BIS Standards IS 15961:2012. There is no available standard which covers the requirement of Aluminium & Zinc alloy steel containing one or more additional element which in individual or in combination shall not exceed 3% by weight. PosMAC steel is not covered under IS 15961:2012 and it should be outside the purview of present investigation as PosMAC is only zinc coated product and the presence of 2.5% Aluminium cannot alter that character.

o) The DA is supposed to assess if the products are alike, identical or even substitutable. Here, the products- "PosMAC" and "Galvalume" are completely distinct and different making the imposition of anti-dumping duty on "PosMAC" unjustified.

p) POSCO (brand name PosMAC), Nisshin (brand name ZAM), NSSMC (brand name Super Dyma) and A-Mittal(brand name Magnelis) and Mg 1~2% coated steel [JFE (brand name Ecogal), Tata Steel (Magizinc), TKS (Ecoprotect) and VAS (Corrender)] are not manufactured by the Applicant and thus, should be excluded.

q) SPDA is a user of "PosMAC" whereas the Applicant is a producer of "Galvalume". It is relevant to point out that:

i. The chemical composition of the coating layer of "PosMAC" and "Galvalume" is totally different.

ii. The international standards classification of both products is different.

iii. "PosMAC" is not produced in India and internationally only 4 companies can produce Mg 3% coated steel: POSCO (brand name PosMAC), Nisshin (brand name ZAM), NSSMC (brand name Super Dyma) and A-Mittal (brand name Magnelis).

iv. Product life of PosMAC is 25 years and for "Galvalume" it is 10 years. This makes the product "PosMAC" suitable for solar projects based on a return on investment model of 25 years.

r) The scope of PUC is very wide and without any rationale for the same. The PUC, as defined in the Initiation Notification, covers all kind of flat rolled products of steel, plated or coated with alloy of Aluminium and Zinc regardless of each components' proportion.

s) PosMAC (POSCO Magnesium Aluminium Alloy Coated Steel) essentially coated with 94.5% Zinc and an alloy of 3% Mg and 2.5% Al is included in the PUC merely because there exists a miniscule proportion of Aluminium in what is primarily a Zinc coated product.

t) PosMAC is a Zinc and Magnesium coated product ('ZM coated product') with a very negligible quantity of Aluminium added to it, which quantity does not render PosMAC an Aluminium and Zinc coated product.

u) The very definition of the PUC is based on it being an alloy of Aluminium and Zinc where the quantities of both Aluminium and Zinc must be significant, if not equal.

v) It is significant to mention that the domestic producers have volunteered the exclusion of Zinc coated products from the scope of PUC. However, while excluding the Zinc coated products there has been no threshold limit provided for the Aluminium content in such product.

w) PosMAC does not fall within the scope of PUC as the quantity of Aluminium present in PosMAC is negligible, being only 2.5% making it only a Zinc and Magnesium coated product. If PosMAC is treated as PUC for purposes of this Investigation, such inclusion will adversely impact the market conditions and weaken the competitiveness of Indian customers.

x) Aluminium and Zinc coated steel and Zinc & Magnesium coated steel are classified in separate specifications in International Standards like ASTM and European Standards (EN).

y) The demand of Domestic Market has increased substantially due to the demand in solar energy sector. The DI is not in a position to cater the entire demand of the Domestic Market.

z) Colorshine imports mainly PUC with mass coated rated at AZ-40, which is not produced/manufactured by Indian producers including the Applicant, JSW Steel Coated Products Limited and other Indian producers namely Tata Steel BSL Limited.

aa) HS Code 72106900 includes Aluminium and Silicon coated material which are not manufactured by Domestic Industry.

bb) Zinc and Magnesium Coated is classified as 'EN10346(ZM)' with the sum of Aluminium and Magnesium from 1.5 to 8% and balance Zinc (equivalent to 'ASTM 1046/1046M'), while Aluminium Zinc coated is classified as 'EN10346(AZ)' with 55% Aluminium alloyed with 1.5% Si (equivalent) to ASTM 792/792M).

cc) At present the domestic industry is not capable of catering to the demand of the solar industry in terms of required quality of PUC (Galvalume) as well as cost.

dd) Furthermore, the projected growth of the solar industry (and consequent increase in demand for MMS, of which PUC is the primary raw material) is exponential.

ee) Any drastic increase in cost of inputs/raw materials shall have a significant impact on the cost of execution of these projects, and finally result in an increase in tariff which shall be passed on to the citizens of India.

ff) Min AZ 20 as required is not available with local suppliers. The imported product is skin passed which gives better quality in FG and has much fewer deficiencies in quality than the domestic product.

gg) PosMAC thickness range (especially in thickness 1.2~4mm) makes this product both cost and time effective.

i. For instance, solar structure fabricators need 2mm~4mm thick steel material for lessening the number of Columns and for saving times of fabrication.

ii. Galvalume, which is only produced from 0.8mm to 1.2 mm, is not considered as a proper source of making supporters of wide solar panel as well as heavy wind load

hh) PosMAC as a ZM coated steel has two distinctive anti-corrosive properties compared to Galvalume's (AZ Coated). One is 'Self-healing system', and the other is 'Alkaline resistance':

i. 'Self-healing system' prevents corrosion from 'red-rust' at edge. And the 'edge' occurs every moment when the coil or sheet material is cut, stamped and even scratched.

ii. Galvalume and AZ coated has no Self-healing system, while ZM coated steel like PosMAC has it due to Zinc and Magnesium elements. Miniscule quantity of Aluminium is required only for technical reasons while the product is Zinc Coated.

iii. Galvalume/AZ coated steel is not considered as a substitute of PosMAC/ZM coated steel by fabricators because using Galvalume causes profit loss since the edge must be cut off as much as it can ensure the quality of converted products.

iv. Solar power generators are reluctant to use it as the solar project requires 25 year warranted durability. They do want to warrant the safety and the longer life of solar energy structure without frequent repair/replacement.

v. When it comes to 'Alkaline resistance', Galvalume users' website indicates that Galvalume should not be used in alkaline environment like concrete ground or farm where materials are exposed to agricultural chemicals and excrement as the cycle of coating weight loss in that environment is short. To the contrary, PosMAC and even Zinc coated steel can resist corrosion much longer in the same environment.

vi. Pre-painted or colour coated Aluminium Zinc alloy coated steel sheets (Pre-coated SGL sheets) i.e. Pre-painted Galvalume coils with various thickness and width is not covered by the investigation and the same should be confirmed.

C.2.1. <u>Post-Disclosure Submissions by other Interested Parties</u>

10. The post-disclosure submissions made by other interested parties are as follows:

a) Products being imported into India are in different grades, categories and ranges, which impacts the pricing. A PCN-wise analysis for the PUC was essential in this investigation.

b) DI obviously does not require a PCN wise analysis as it does not make different grades. However, all producers, particularly from Korea, have submitted their data basis the PCNs followed by them internally. It is evident from the data available with this Authority that there is significant variation in prices between the various grades being exported into India.

c) Merely because the petitioner "has not proposed any PCN wise analysis" cannot be the basis for determining whether or not this Authority should request for the data to be submitted PCN wise.

d) There have been investigations in the past such as (1) Elastomeric Yarn (2) Flax Yarn and (3) Aluminium Foil, where the Authority decided to notify PCNs at the specific request of the producer/exporters, even though the same was not requested by the petitioner companies.

e) Not following the PCN methodology, would result in a huge distortion of price in both Normal Value and Export Price for the exporters.

f) A PCN wise analysis becomes even more essential for POSCO since this Authority is treating POSCO and its related producer, POSCO C&C as a group. It is evident from the records that POSCO's product PosMAC is a Zinc Magnesium product while POSCO C&C's product Alzasta is Galvalume. It would, therefore, be a fallacy to treat both these different products as a single grade and arrive at a weighted average for these two companies in the POSCO group.

g) "GGL-Structual-150" products constitute almost 99% of exports to India. However, in the domestic (Korea) market, sales composition of "GGL-Structual-150" was just 0.04%. (= 23MT / 60,286MT). Therefore, it is imperative to do a PCN wise analysis.

h) Dongkuk is the producer of Zinc and Magnesium coated GIX which is coated with 94% Zinc and an alloy of 4% Al and 2% Mg and is termed as a ZM product. Dongkuk has made detailed submissions on how its product, GIX is not "like article" to the PUC in this Investigation.

i) POSCO is a producer of Zinc and Magnesium coated PosMAC (POSCO Magnesium Aluminium Alloy Coated Steel) having 94.5% Zinc and an alloy of 3% Mg and 2.5% Al. During the POI, all sales of PosMAC have been made by POSCO to two unrelated traders in Korea, namely Samsung C&T Corporation, and GS Global. POSCO has not made any exports to India either directly or through its related entities.

j) No such "records" and/or "evidence" have been made publicly available to the interested parties in this Investigation pertaining to the product being a like product.

C.3. Examination by the Authority

11. The submissions made by the domestic industry and other interested parties during the course of the investigation including post-disclosure submissions with regard to the PUC and like article related issues have been examined as under:

a) With regard to exclusion of PosMAC from the scope of product under consideration, it is noted that the users of Galvalumesubstitutably use PosMAC for their end use applications. It is also ascertained from the records made available by interested parties that users of Aluminium and Zinc coated flat steel products use PosMAC produced and sold by exporters from subject countries, and alsoGalvalume produced and sold by the domestic industry interchangeably. Though the chemical composition of subject goods produced and sold by domestic industry is different from PosMAC imported from subject countries, they are being used interchangeably by the users in India. It is thus noted on examination of records and the evidence provided by the domestic industry that Aluminium and Zinc coated product being produced by the domestic Industry is a like article to PosMAC and it can commercially and technically substitute PosMAC.

b) With regard to the exclusion of GIX from the scope of PUC, it is noted that the issue is similar to the issue pertaining to PosMAC. It is noted on examination of records and the evidence provided by the domestic industry that Aluminium and Zinc coated product being produced by the domestic industry is a like article to GIX and it can commercially and technically substitute GIX.

c) With regard to submissions of SPDA that the end use of PosMAC and Galvalume is different due to difference in the properties of the two products and Pos MAC is being used for making columns and bracers whereas Galvalume is used for making rafters and purlins, the domestic industry has provided sufficient evidence to demonstrate that JSW's Galvalume is being used for making solar mounting structures including purlins, rafters, columns, bracers, angles, etc. The Authority has examined this issue in detail and it is noted from the records submitted before the Authority that the domestic industry is manufacturing and supplying Aluminium and Zinc coated steel products for use in solar modules for the same application where PosMAC is being used. Accordingly, it is clear that the end use of PosMAC and Galvalume products is same, and both products are being interchangeably used for the same end use applications.

d) With regard to the submission of some of the interested parties that the subject goods imported for use in Solar Modules should be excluded from the scope of PUC, it is noted that the Domestic Industry supplies the subject goods for use in Solar Modules as well.

e) On the issue of domestic industry not producing and selling PUC having coating mass below 70 GSM, it is noted that domestic industry is rarely producing these specific products because of implementation of BIS Guidelines in pursuance to the Steel Quality Control Order.

f) With regard to submissions made by some of the interested parties about Flat rolled steel products coated with Aluminium without addition of Zinc within the scope of PUC, it is noted that the same is excluded from the scope of PUC.

g) With regard to submissions made by the interested parties that Pre-painted or colour coated Aluminium Zinc alloy coated steel sheets (Pre-coated SGL sheets) i.e. Pre-painted Galvalume coils with various thickness and width is not covered by the investigation and the same should be confirmed, it is noted that Pre-painted or colour coated Aluminium Zinc alloy coated steel sheets (Pre-coated SGL sheets) is excluded from the scope of PUC.

h) With regard to submissions made by some of the interested parties that HS codes of the product under consideration are too broad, it is noted that the customs classification mentioned for the PUC is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation. The scope of the PUC for this investigation is clearly mentioned under appropriate heading.

i) With regard to submissions made by some of the interested parties that Authority has not conducted PCN based analysis for determination of dumping margin, the Authority notes that PCN methodology is required only in cases where there are multiple grades and forms of the PUC/like article and there is a substantial cost and price difference between these grades and forms. The Authority further notes that DI has not proposed any PCN wise analysis in its application. During the course of the investigation, it was noted that there was no significant difference in prices of domestic like product sold by domestic industry. Similarly, after analyzing the exporters data, Authority could not find significant difference in the costs and prices of the product under consideration sold by them in their domestic market and exports to India. Further, one of the cooperating producers and exporter has stated that there is no need for

devising PCN in the present investigation as there is no significant difference in cost and sale price of different grade/PCN. Accordingly, after examining the contentions of various interested parties, it has been found appropriate not to carry out PCN wise analysis in the present investigation.

j) With regard to the contention that PosMAC is not covered under IS 15961:2012 and it should be excluded from the scope of PUC, the Authority notes that the PUC in the present investigation has not been defined on the basis of any BIS Standard. The Authority further notes that there is no requirement under the Rules that scope of PUC should be determined on the basis of BIS standard.

k) With regard to the contention made by some of the interested parties that the PUC is too broad and vague, it is noted that the PUC has been appropriately defined keeping in view the imports from subject countries, and production and sales of the domestic industry. The Authority has thoroughly examined the contentions by all interested parties before arriving at the scope of PUC.

C.4. Scope of PUC and Like Article

12. On the basis of submissions made by various interested parties and the information on record, the Authority holds that the product under consideration is:

"Flat rolled product of steel, plated or coated with alloy of Aluminium and Zinc. This alloy of Aluminium and Zinc may contain one or more additional elements which in individual or in combination shall not exceed 3% by weight."

Further, the product under consideration may be in coil form or not in coil form whether or not plain, corrugated or in profiled form. PUC may be skin-passed / processed on temper-mill or non-skin-passed whether or not surface treated with or without additional non-metallic coating. PUC may be supplied in various trade names including but not limited to Alu-Zinc, Al-Zn, Zinc Aluminium, Aluminium Zinc, Zincalume, Galvalume etc. It is also noted that PUC offers resistance to corrosion and is used in many applications and sectors including but not limited to infrastructure projects, solar power projects, roofing, walling decking, cladding and framing, white goods and appliances, furniture and substrate for colour coated steel. PUC does not include the following products: -

i. Flat rolled steel products coated with Zinc without addition of Aluminium;
ii. Flat rolled steel products coated with Aluminium without addition of Zinc;
iii. Pre-painted or colour coated Aluminum Zinc alloy coated steel sheets (Pre-coated SGL sheets).

13. PUC falls under tariff items 72106100, 72125090, 72259900 and 72269990 of the Customs Tariff Act, 1975. PUC is also being imported under other Customs Tariff Items 72101290, 72103090, 72104900, 72106900, 72107000, 72109090, 72121090, 72122090, 72123090, 72124000, 72169910, 72255010, 72259100, 72259200, 72269930 etc. The customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

14. With regard to like article, Rule 2(d) of the Rules provides as under: - "like article " means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the article under investigation. After considering the information on record, the Authority is of the view that the subject goods produced by the domestic industry are comparable to the product under consideration in terms of chemical characteristics, functions & uses, product specifications, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. Thus, the Authority is of the view that subject goods produced by the Applicant domestic industry are like article to the product under consideration which is imported from subject countries in accordance with the Rules. The Authority has noted that the domestic industry is producing the like article and supplying the same for use in solar modules as well.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

15. It is noted that the subject application has been filed by M/s JSW Steel Coated Products Limited. Apart from the Applicant, there are three other producers of the PUC in India, namely, M/s. Tata BlueScope Steel Private Limited, M/s. Tata Steel BSL Limited and M/s. Asian Colour Coated Ispat Limited. It had been claimed that M/s. Asian Colour Coated Ispat Limited has not been producing the PUC from 2017 onwards.

D.1. Submissions made by the Domestic Industry

16. The submissions made by the domestic industry during the course of the investigation with regard to scope of domestic industry & standing are as follows:

a) Application was filed by M/s. JSW Steel Coated Products Ltd., who is a producer of the subject goods in India. There are three more known domestic producers of the product under consideration, namely, Tata Steel BSL Limited, Tata Bluescope Steel Private Limited and Asian Colour Coated Ispat Limited.

b) Applicant has not imported the product under consideration and is not related to any importer in India or exporter from subject countries.

c) With respect to the contention that one out of four manufacturers without support from any other manufacturer cannot constitute DI, the Applicant submitted that it had more than 60% of the total domestic production of the subject goods. Hence, it is deemed to have satisfied both the 25% as well as 50% tests provided in Rule 5(3)(a) and 5(3)(b) of the Rules. It was further submitted that Respondents had failed to provide any evidence to demonstrate that Applicant did not hold a major proportion of total domestic production of subject goods.

d) The Applicant referred to the cases where the Authority had treated a single Applicant without any supporter as domestic industry to substantiate its contention. These cases were:

i. *"Coated Paper" originating in or exported from China PR, European Union and USA*

ii. *4, 4 DiaminoStillbene 2, 2 Disulphonic Acid (DASDA) originating in or exported from China PR.*

D.1.1.Post-Disclosure Submissions made by Domestic Industry

17. The domestic industry has requested the Authority to confirm that they satisfy the standing requirement and constitute the domestic industry in terms of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the Rules.

D.2. Submissions of various interested parties

18. The submissions made by various other interested parties with regard to the scope of domestic industry & standing are as under:

a) The present application has been filed by a single entity and is not supported by other manufacturers of "Flat rolled product of Steel, plated or coated with alloy of Aluminium and Zinc. This alloy of Aluminium and Zinc may contain one or more additional elements which is individual or in combination shall not exceed 3% by weight". The Applicant admits that the following entities produce the same PUC:

i. Tata Steel BSL Limited;

ii. Tata BlueScope Steel Private Limited;

iii. Asian Colour Coated Ispat Limited

b) None of the above manufacturers have supported the Applicant's application. It is submitted that one out of four manufacturers can't constitute "domestic industry" under Rule 2(b) of the Rules.

c) The first element of Rule 2(b) i.e. "the manufacture of the like article" is absent as the Applicant does not even produce some of the PUC in particular "PosMAC "and the products produced by the Applicant are not even viable substitutes of "PosMAC".

d) The Applicant has shown a frivolous basis for the assessment of the production by the other manufacturers as only 1 out of 4 manufacturers have filed the application although the production by other manufacturers is significant. It is respectfully submitted that in absence of authentic figures regarding the production of other manufacturers, the Applicant cannot be treated as the "domestic industry" under Rule 2 (b) of the Rules.

e) Vague basis has been given for assessment of the production by the other manufacturers and stated as under:

"*Based upon the information provided by the respective producers. The Authority may verify the same from the respective sources.*"

D.2.1.Post-Disclosure Submissions made by other Interested Parties

19. No comments have been made by the interested parties in this regard.

D.3. Examination by the Authority

20. Rule 2(b) of the Rules provides as follows:

"domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers"

21. The Authority notes that the application has been filed by M/s. JSW Steel Coated Products Ltd, who is a major producer of the subject goods in India. There are three more known domestic producers of the product under consideration in India, namely, Tata Bluescope Steel Private Limited, Tata Steel BSL Limited and Asian Colour Coated Ispat Limited.

22. The Authority notes that Applicant has neither imported the subject goods, nor it is related to an importer or exporter of the subject goods. The evidence on record shows that the Applicant commands a major proportion (more than 60%) of the total production of the subject goods in India. Therefore, the Authority holds that for the purpose of this investigation the Applicant satisfies the standing requirement and constitutes the domestic industry in terms of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the Rules.

E. ISSUES RELATING TO CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions by domestic industry

23. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality issues:

a) With respect to the contention of the Respondents that Applicant have claimed excess confidentiality with respect to some aspects, the Applicant submitted that as per Rule 7 of the Rules and Trade Notice No. 10/2018 dated September 7, 2018 disclosure of actual data is not required and only trends needed to be disclosed with respect to some parameters. The Applicant further submitted that it has provided the aforesaid data in indexed form in the non-confidential version of the application.

b) Producers, exporters and related importers in Dongkuk group have claimed excessive confidentiality on various information that is neither business sensitive nor capable of causing any adverse effect on them. Dongkuk Steel Mill Co. Ltd., Korea RP has claimed confidentiality on the following:

i. Channel of marketing for export sales and sale in home market, distribution channels for export to India have been kept confidential because of which, parties through which exports to India takes place cannot be identified.

ii. Sales negotiation process for export sales to India, expenses claimed, details of distribution channels for sales in home market, sales negotiation process for sales in home country cannot be kept confidential.

iii. Manufacturing process, post invoicing/sales discount or year-end rebates given to domestic customers cannot be kept confidential.

iv. Appendices 6, 7, 8 and 9 have been completely treated as confidential in the non-confidential version by Dongkuk Steel Mill Co. Ltd. In the absence of these appendices and exhibits, Applicant is not in a position to ascertain what these appendices and exhibits contain, why they are being treated as confidential, why their summarization is not possible.

c) Hyosung TNC Corporation Korea has claimed confidentiality on the following:

i. List of products sold, details of company's world-wide corporate structure and affiliations, including parent companies should be provided and cannot be kept confidential.

ii. Distribution channels for export to India have been kept confidential because of which, parties through which exports to India takes place cannot be identified. This information cannot be kept confidential.

d) Dongkuk Steel India Private Limited has claimed confidentiality on the following:

i. List of shareholders, list of products sold by entity should be provided. This information cannot be kept confidential.

ii. Distribution channels and related party information cannot be kept confidential as distribution channel is mandatorily to be disclosed.

iii. Sales negotiation process

e) In view of the above, producers, exporters and related importers in Dongkuk group should be treated as non-cooperative because they have failed to disclose the essential information in the non-confidential version and have also violated Trade Notice No. 10/2018 dated 7th September 2018.

f) Producer and exporter in Dongbu group have claimed excessive confidentiality on various information that is neither business sensitive nor capable of causing any adverse effect on them. Dongbu Steel and Incheon Koreahas claimed confidentiality on the following:

i. List of principal shareholders, list of all products sold by Dongbu Steel and Incheon should be provided. This information cannot be kept as confidential.

ii. Company's world-wide corporate structure and affiliations, including parent companies and all related companies should be provided.

iii. Details of distribution channels for sale in home market.

iv. Post invoicing/sales discount or year-end rebates given to domestic customers.

v. Manufacturing process and production flow chart.

vi. Appendices 6, 7, 8 and 9 have been treated as confidential in the non- confidential version by Dongbu Steel and Incheon. In the absence of these appendices and exhibits, we are not in a position to ascertain what these appendices and exhibits contain, why they are being treated as confidential, why their summarization is not possible.

g) In view of the above, producers and exporters in Dongbu group should be treated as non-cooperative because they have failed to disclose the essential information in the non-confidential version and have also violated Trade Notice: 10/2018 dated 7th September 2018.

h) GS Global Corp has claimed excessive confidentiality on various information that is neither business sensitive nor capable of causing any adverse effect on them. Applicant has examined the confidentiality related issues for GS Global Corp and the same are stated below:

i. List of principal shareholders should be provided.

ii. List of all products sold by GS Global Corp should be provided.

iii. List of related entities has been provided by GS Global Corp but their telephone, fax number and email address has not been provided. Activities of each entity and details of whether they are involved in export of PUC to India should also be provided.

iv. Financial and cost accounting system of the company

v. Distribution channels for export to India have been kept confidential because of which, parties through which exports to India takes place cannot be identified.

vi. Sales negotiation process for export sales to India.

vii. Details of distribution channels for sale in home market.

viii. Sales negotiation process for sale in home country.

ix. Name of related party in India.

i) In view of the above, GS Global Corp should be treated as non-cooperative because it has failed to disclose the essential information in the non-confidential version and has also violated Trade Notice No. 10/2018 dated 7th September 2018.

j) Producers, exporters and related importers in POSCO group have claimed excessive confidentiality on various information that is neither business sensitive nor capable of causing any adverse effect on them. POSCO has claimed confidentiality on the following:

i. List of related entities has been provided by POSCO but their addresses, telephone, fax number and email address has not been provided. Activities of each entity and details of whether they are involved in export of PUC to India should also be provided.

ii. POSCO has submitted that it produces and sells zinc, aluminium and magnesium coated steel products called as "POSMAC" which is different from the product under investigation. In support of his claim, POSCO has provided in Exhibit- B-1 its product brochure showing the comparison between POSMAC and typical aluminium zinc coated steel. However, this product brochure has not been provided in the non-confidential version. In the absence of product brochure, Applicant will not be able to file any comment on this issue.

iii. Distribution channels for export to India have been kept confidential because of which, parties through which exports to India takes place cannot be identified.

iv. Sales negotiation process for export sales to India, details of distribution channels for sales in home market and sales negotiation process for sale in home country.

v. Names of raw materials used in production process, Appendices 1, 3A, 4A, 4B, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and Exhibit B-1, D-1, G-1, G-2, E-1, F-1, F-2 have not been provided at all by POSCO in the non-confidential version. In the absence of these appendices and exhibits, Applicant is not in a position to ascertain what these appendices and exhibits contain, why they are being treated as confidential and why their summarization is not possible.

k) In view of the above, producers, exporters and related importers in POSCO group should be treated as non-cooperative because they have failed to disclose the essential information in the non-confidential version and have also violated Trade Notice: 10/2018 dated 7th September 2018.

E.2. Submissions by other interested parties comprising producers, exporters and importers

24. The following submissions have been made by other interested parties with regard to confidentiality issues:

a) The disclosure of entire evidence to an affected party is an essential attribute of the principles of natural justice.

b) With respect to the non-confidential version of the petition, it was submitted that the interested parties could not fully exercise their right to defence as significant data provided in the petition was not properly indexed in the non-confidential version of the petition. Further, no justification table required under the Trade Notice indicating reasons for confidentiality has been provided as part of the petition. Hence, the non-confidential version of the petition failed to meet the standard laid down in rule 7 of the Rules and Trade Notice No. 1/2013 dated December 09, 2013.

c) DI had claimed excessive confidentiality and filed incomplete petition. The DI had failed to submit any costing information and the Applicant had failed to show justification for its claims. It was requested to direct DI to provide the information along with the non-confidential summary as a number of arguments referring to injury were based on these documents.

d) The DI has claimed confidentiality with respect to the following aspects:

i. Production figures of the Applicant as well as other major producers of PUC.

ii. Dumping Margin or Ex-Factory export price.

iii. Domestic Sales of the Applicant and other producers for relevant years

iv. Captive consumption for relevant years.

v. Market Share of the Applicant and other producers for relevant years.

vi. Domestic Selling Price of the Applicant.

vii. Domestic Selling Price of the producers from China RP, Vietnam and Korea RP.

viii. Cost to make and sell of the PUC for the Applicant for relevant years.

ix. Capacity Utilization of the Applicant for relevant years.

x. Profit/Loss of the Applicant for relevant years. In the absence of a proper non-confidential version, the rights of the responding interested parties are severely prejudiced.

e) In the absence of the full disclosure with regard to the aforesaid, it is impossible to defend interests.

f) The Applicant has failed to show "good cause "for claiming confidentiality as per Rule 7 of the Rules and Article 6.5 of the WTO Anti-Dumping Agreement.

E.3. Post-Disclosure Submissions made by Domestic Industry and other interested parties.

25. No post-disclosure submissions have been made by any of the parties in this regard.

E.4. Examination by the Authority

26. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provides as follows:

"Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7)of rule 6, sub-rule(2) of rule12,sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated Authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated Authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated Authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated Authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make

the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."

27. Non-confidential version of the information provided by various interested parties were made available to all interested parties through the public file containing non- confidential version of response submitted by various interested parties for inspection.

28. Submissions made by the domestic industry and other opposing interested parties with regard to confidentiality to the extent considered relevant have been examined by the Authority. With regard to claims of excessive confidentiality by the exporters, it is noted that deficiency letters were issued to responding producers and exporters asking for required information in the form and manner as mentioned in the exporter's questionnaire with due regard to issues relating to confidentiality. These exporters were asked to submit some of the non-confidential information (of the confidential information filed) in the form and manner as provided in trade notice no 10/2018. It is noted that following the issuance of deficiency letters, the interested parties submitted their replies which were again put in the public file for information to all interested parties. The Authority has accepted claims of confidentiality with regard to the responses filed by the interested parties. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

F. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE & DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

F.1. Submissions by the Domestic Industry

29. The following submissions have been made by the domestic industry:

a) There are significant market distortions prevailing in the steel industry in China PR due to significant state influence, etc. Therefore, the domestic industry requests the Authority not to accept the costs and prices prevailing in China PR for determining the normal value unless producers/ exporters in China PR are able to demonstrate that their costs and prices are not distorted. The domestic industry submits that European Commission ("EC") in its recently published report has examined the market distortions that exist in specific sectors in China PR wherein the EC has found that there exist countrywide market distortions related to land, energy, capital, raw materials and labour in China PR.

b) If the related importer resells the subject goods in India either in the same form or after minor modifications and incurs a loss, then the Authority should make suitable adjustments to the net export price as well as the landed value of imports. This has been the consistent practice of the Authority as can be seen in the anti-dumping investigation concerning glass fibre from China PR. If appropriate adjustments are not done by the Authority while determining the dumping margin and injury margin, then this kind of practice of importing at a higher price and reselling at a lower price will become an exit route for the foreign exporters and lead to duty evasion or circumvention of the duty by exporters.

c) In reference to the contention by POSCO and POSCO C&C that an unreasonably high preliminary duty had been imposed on them, the Applicant submitted that the DA has suitably made the adjustments for loss incurred by the related importer to calculate the dumping margin and injury margin for them. While making reference to Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 and Para 5 of Annexure 1 of the Rules, the DI submitted that for related parties export price is to be constructed based on the price at which the imported article is first resold to an independent buyer (after due allowance for costs including duties and taxes, incurred between importation and resale and for profits) for the purpose of dumping margin determination. They further submitted that exporters from Korea RP are exporting the subject goods at higher prices to their related parties in India and the related importers are selling the subject goods to unrelated customers at prices lower than import prices to escape notice in case of anti-dumping investigation.

d) The DI submitted that the DA had rightly rejected the submission of M/s. Dongbu Steel Co. Ltd. with respect to individual dumping margin in the Preliminary Findings since the connected traders in chain had not responded and the same is consistent with the Authority's past practice. The Applicant made reference to the case of Anti-dumping investigation concerning imports of "Low Ash Metallurgical Coke" originating in or exported from Australia and China PR which had observed that since the essential information for the complete value chain up-to the Indian customer, the adjustments claimed by the unrelated trader while exporting to Indian customers, the terms and conditions of such sales etc. are not available for examination, the Authority is not in a position to determine the individual dumping margin. The Applicant also made reference to investigations where the DA has not granted the individual dumping margin in absence of information provided by complete value chain. These are

i. *"Uncoated Copier Paper" originating in or exported from Indonesia, Thailand and Singapore*

ii. *"Solar Cells whether or not assembled partially or fully in modules or Panels or on glass or some other suitable substrates", originating in or exported from Malaysia, China PR, Chinese Taipei and USA; and*

iii. *"Flexible SlabstockPolyol" originating in or exported from Australia, EU and Singapore*

e) The DI has submitted that Authority should verify the fact that in absence of questionnaire responses of Shakun Trading and Prime Resource, Dongbu has reported 85% of its exports to India or not. Domestic industry submitted that para 12.20 of the manual itself is contradictory. In the beginning of Para 12.20, Authority makes it mandatory for the responding producer to file a complete response including all of its exporters, traders, importers etc. who are involved in exports of PUC directly or indirectly to India to get an individual rate of dumping margin. Thereafter, subsequently, in point (iv) of para 12.20, it is stated that if unrelated exporters constituting more than 30% share of total volume of exports to India do not cooperate, responding producer may be considered non-cooperative. As can be seen, both the statements are contradicting each other.

f) The Domestic industry submitted that the manual was issued at a time when the Authority used to recommend combination form of duty for both producer and exporter taken together. Let us take an example. Producer A exports to India through 3 different traders B, C and D. C does not participate in the investigation and other parties duly cooperate. In the erstwhile scenario, if Indian Authority would treat these parties as cooperative then individual duty rate will be determined for a combination of Producer A with exporters B and D. Any exports made by Producer A through exporter C would be subject to high residual duty. However, the Authority has changed its practice now and recommends only producer specific duty. Now, in the new practice if the Indian Authority treats these parties as cooperative then individual duty rate will be determined only for Producer A. Even if Producer A exports through exporter C, benefit of this individual rate of duty would be available. Domestic industry submits that the practice stipulated in the manual cannot be applied to the present changed scenario when the Authority has changed the manner of granting duty in the duty table.

g) Dongbu has submitted that post issuance of Preliminary Findings M/s. Shakun Trading has filed its questionnaire response. Domestic industry submitted that the Authority should reject the questionnaire response filed by M/s. Shakun Trading on the very ground that it has been filed at a very belated stage of the investigation as Authority had already provided ample time to all the interested parties to file questionnaire response before the Authority. It was further submitted that Dongbu has itself accepted in its written submissions that even the questionnaire response filed now by M/s. Shakun Trading is deficient and incomplete. Domestic industry submitted that Para 12.20 of the manual clearly states that "in case the information from the unrelated entities is not complete, the response is liable to be rejected". It is clearly mentioned that if the complete response is not filed by the unrelated traders of the producer then Authority will reject the response of the producer. If the Authority accepts the deficient questionnaire response after Preliminary Findings and considers the information provided by M/s. Shakun Trading, then the Authority will set a very bad precedent. Authority in paras 26 (viii) and 26 (ix) of Final Findings in Anti-dumping investigation concerning imports of 1,1,1,2-Tetrafluoroethane or R-134a of all types originating in or exported from China PR and Japan had rejected the questionnaire response on the very ground that the questionnaire response has been filed post Preliminary Findings. The Authority in the Final Findings of second sunset review investigation of the anti-dumping duty imposed on imports of "Paracetamol" originating in or exported from China PR observed as follows:

> *"20. The Authority notes that M/s HebeiJiheng (Group) Pharmaceutical Co. Ltd filed response at a much belated stage and did not accord any reasonable and satisfactory explanation for submitting such belated response. It is noted that the right to participate in an investigation cannot be unlimited."*

h) In view of the above, Authority should reject the response filed by M/s. Shakun Trading and shall not grant an individual rate of duty to Dongbu Steel.

i) During the POI, Dongkuk primarily made directs exports to its related importer (Dongkuk Steel India Private Limited) in India. Some exports have also been made through unrelated Korean exporters namely Hyosung TNC Corporation and SK Networks. SK Networks has not filed the EQR. In the absence of questionnaire response from SK Networks, complete export chain to India is not available and accordingly the response filed by entire group should be rejected.

j) Dongkuk has also purchased the PUC from other suppliers (may be POSCO). It should be verified whether PUC purchased by Dongkuk from other producers has been exported to India or not. If Dongkuk has exported the product manufactured by some other producer to India and such producer has not participated in the investigation, complete response filed by entire group should be rejected.

k) It can be seen from the response filed by Dongkuk Steel India Private Limited (related importer) that it was incurring losses (after adjusting other income and changes in inventory) during the year 2017-18. The losses incurred by Dongkuk Steel India Private Limited for 2017-18 can be seen as under:

Particulars	**Amount (Rs. lacs)**
Profit before tax	925
Other Income	293
Change in inventory	-3,646
Profit/Loss	-3,014

l) They requested the Authority to examine the impact of losses suffered by the related importers in detail and make appropriate adjustment while determining the ex- factory export price and landed value for Dongkuk Steel Mill Co.

m) In response to Ques E.11, for computation of export price to India, POSCO has claimed deductions on account of (a) ocean freight, (b) inland transportation, (c) loading fee, (d) packaging cost and (e) credit expense. However, in response to Ques F.10, for computation of Normal Value, POSCO has claimed deductions on account of (a) inland transportation, (b) warehousing expense, (c) handling fees, (d) credit expense and (e) packaging cost and (f) warranty expense.

i. The DI has submitted that while determining the Normal Value, additional deduction towards warranty expense has been claimed. They have also submitted that POSCO has made detailed submissions explaining as to why POSMAC (Zinc, Aluminum and Magnesium coated steel) exported by them to India is different from Aluminum -Zinc coated steel supplied by the Applicant. One of the most important difference highlighted by them is that they are providing 25 years of warranty on POSMAC exported to India. It is therefore abundantly clear that POSCO has stated incorrect facts either in their submissions or in the questionnaire response. If they are actually providing 25 years warranty on exports to India then, they should have shown warranty expense as a deduction for exports to India. If they are not providing 25 years warranty, then they should not have made such a submission while highlighting the differences between POSMAC exported by them to India and Aluminum -Zinc coated steel supplied by the Applicant.

ii. Further POSCO has also claimed additional deduction on account of warehousing expense from the Normal Value. Whereas no such deduction has been claimed from the export price.

iii. POSCO has not claimed any deduction from the export price for bank charges. Therefore, they requested the Authority to make appropriate adjustments towards warranty expense, warehousing expense and bank charges from the export price of POSCO to India. Similar adjustments should also be made from the export price of related producer M/s. POSCO Coated &Color Steel Co.Ltd.

n) The DI stated that they understand that POSCO has made sales to its related party in the domestic market. However, no information has been provided in Appendix 4C (Resale by related customers to independent customers).

o) It can be seen from the response filed by POSCO India Holdings Private Limited (related importer) that it was incurring losses (after adjusting other income and changes in inventory) during the year 2017-18. The losses incurred by POSCO India Holdings Private Limited for 2017-18 can be seen as under:

Particulars	**Amount (Rs. lakh)**
Profit before tax	7,961
Other Income	409
Change in inventory	-8,063
Profit/Loss	-511

p) In addition, it can also be seen from the response filed by M/s. POSCO IAPC that it had incurred losses during 2016-17 as well. The Authority should examine the impact of losses suffered by the related importers in detail and make appropriate adjustment while determining the ex- factory export price and landed value for POSCO and POSCO Coated &Color Steel Co.Ltd.

q) Zhejiang Huada New Materials Co. Ltd has not claimed any deduction from the export price for bank charges. Therefore, the Authority should make appropriate adjustments towards bank charges from the export price of Zhejiang Huada New Materials Co. Ltd. to India.

r) Zhejiang Huada New Materials Co. Ltd has made sales to its related party in the domestic market. However, no information has been provided in Appendix 4C (Resale by related customers to independent customers).

s) It has been submitted that the Authority should check whether exporter/ trader M/s Marubeni-Itochu Steel Pte Ltd. has earned reasonable profits and has recovered all its cost for exports to India or not. If exporter/trader has not earned reasonable profits, then we request the Authority to make appropriate adjustment while determining the ex- factory export price and landed value.

t) It has been submitted that the Authority should check whether exporter/trader M/s Vina One Steel Manufacturing has earned reasonable profits and has recovered all its cost for exports to India or not. If exporter/trader have not earned reasonable profits, then we request the Authority to make appropriate adjustment while determining the ex- factory export price and landed value.

u) As per the response filed by Stinko Co. Ltd, it has exported the PUC directly to Indian customers and through unrelated trading companies based in 3rd countries. DI requested the Authority to check whether trader through which Stinko Co. Ltd has exported the PUC to India have participated or not. If the traders have not participated, then Authority should treat Stinko Co. Ltd. and related producer through which Stinko Co. Ltd has purchased the PUC as non-cooperative.

v) It should be noted that Dongkuk Steel India Private Limited is a related party of GS Global Corp. This fact can be verified from the annual report for the year 2017 (Refer Page 61, Point 12). Accordingly, Producer and Exporter (Dongkuk Steel Mill Co. and GS Global Corp) both are related. Therefore, the Authority should verify this fact and whether the same has been disclosed by GS Global Corp or not. If this fact has not been disclosed, then GS Global Corp should be treated as non-cooperative.

w) The Authority should verify whether GS Global has earned reasonable profit and recovered all its cost or not.

x) Shanghai Shijing International Trading Co. Ltd has made sales in the domestic market. However, no information has been provided in Part-III, Section F (Domestic Sales).

y) The DI requested the Authority to check whether exporter/trader M/s Shanghai Shijing International Trading Co. Ltd. has earned reasonable profits and has recovered all its cost for exports to India or not. If exporter/trader has not earned reasonable profits, then we request the Authority to make appropriate adjustment while determining the ex- factory export price and landed value.

F.1.1.Post Disclosure Submissions made by the Domestic Industry

30. The following post disclosure submissions have been made by the domestic industry:

a) On a comparison of the dumping and injury margin as determined in the disclosure statement with the preliminary findings issued by the Authority, it can be noted that the dumping and injury margin have reduced. It is requested that the Authority re-examine the calculated margins, as the reduction appears to be unwarranted.

b) The Authority has not followed the procedure envisaged in the Manual of Operating Practices (OP Manual) to construct the NEP and the landed value for the non-cooperative portion of the export chain. It is given that the general rule upon the non-cooperation of exporters and unrelated traders is to reject the entire response. However, the Authority has extended the carved-out exception to the exporters, without providing any reasoning for the same.

c) The Authority has not constructed the export price or landed value for any of the non-cooperating portion of the export chain as provided in the OP Manual. It has calculated the export price and landed value merely on the basis of the incomplete response received by it.By not following the said procedure, and merely relying on the incomplete information submitted by the exporters, the calculated dumping margin and injury margin is substantially reduced.

d) The Authority has provided no reasoning for the acceptance of Dongbu's response, despite it being substantially incomplete. It is submitted that Dongbu's response must be rejected since the connected traders in chain have not responded and the same is consistent with the Authority's past practice as well.

e) It is submitted that Nam Kim's response must be rejected in totality, and no individual duty should be determined for them since they have not provided certified documents.

f) It is observed that Dongbu has claimed adjustments on account of inland transportation, credit cost, payment discount and warranty expense, which have been allowed by the Authority. It is unclear why warranty expense adjustment has been allowed by the Authority, contrary to its consistent practice.

F.2.Submissions by various interested parties other than domestic industry

31. The following submissions have been made by the other interested parties:

a) The Applicant has failed to provide sources relied on for determination of dumping margin. The notable instances are as follows:

i. The Applicant has failed to provide any justification for treating Vietnam or China PR as "non-market economies."

ii. The Applicant states that it does not possess information about domestic selling prices in Korea RP.

b) The Application should be rejected because the Applicant has made blanket assumptions and has relied on unsourced data in order to determine dumping.

c) The products being imported into India are in different grades, categories and ranges, which eventually impact the pricing. The variation between these categories is significant and cannot be ignored. The EQRs and IQRs submitted are all prepared on the basis of PCN methodology being maintained by the producers and exporters. The Authority has, however, ignored the producers request for doing a PCN wise comparison in the Preliminary Findings and has instead used a single PCN.

d) The Authority refused to grant individual dumping margin to Dongbu on the ground that substantial volume of export made by M/s Stinko are not accounted for. The Authority excluded M/s Stinko from the investigation and held that consequent to the exclusion of Stinko, the export volume accounted for in the response filed by Dongbu and its other traders is not substantial. Dongbu has only exported through unrelated exporters and all these unrelated exporters (with the only exception of Prime Resource) account for almost [99%] of Dongbu's exports to India. It is further submitted that Stinko's exports to India through its unrelated exporter, Shakun Trading accounts for less than [15%] of Dongbu's exports to India.

e) The unaccounted export of the PUC by Dongbu is miniscule through the non-participating trader. For the purpose of computation of export price, more than [85%] of Dongbu's supply chain and pricing is available with this Authority. Further, lack of participation of the unrelated trader of Stinko cannot be held to be "significant" to the extent of rejecting the responses filed by Dongbu and all its traders through whom Dongbu has traded directly.

f) It has further been submitted that Dongbu had made all reasonable efforts to ensure the participation of such an unrelated and distant exporter but had failed. It further stated that it could reasonably have been expected to ensure the participation of its direct unrelated exporters, and not unrelated trader of its unrelated trader whom it had no control over. Dongbu stated that it would be unfair to Dongbu and its exporters, who have fully cooperated in the investigation, to be excluded from this investigation on this ground. It submitted that it would both set a bad precedent for future investigation and is contrary to the principle of international trade.

g) Dongbu further submitted that the Authority had rejected response filed by producers due to non-cooperation by its trader, however, this has always been with respect to a direct unrelated trader. Such an obligation had never been imposed on an unrelated trader. Dongbu cited the case of "Uncoated Copier Paper Originating in or exported from Indonesia, Thailand and Singapore" to substantiate its argument that the obligation to compel participation of unrelated traders can only be with respect to unrelated traders upon whom producer is expected to be able to exert pressure and not over an unrelated trader's unrelated trader with whom Dongbu had never dealt with directly.

h) It was further submitted that the participation of unrelated trader Stinko cannot be held to be significant as the unaccounted export PUC by Dongbu is miniscule through the non-participating trader.

i) The only issue raised by Applicant against Dongbu was the non-filing of the response by 'connected traders in chain'. To this it was reiterated that they did not have any 'connected traders. All exports had been made through unrelated traders who had fully participated in the Investigation with the exception of Prime Resource, Korea RP.

j) It would be grossly unfair if Dongbu and all its exporters, who have fully cooperated in this Investigation, were to be excluded from this Investigation merely because an unrelated trader of a participating unrelated trader fails to participate in the Investigation. They submitted that such findings

would not only set a bad precedent for future investigations but will also be contrary to well established principles of international trade.

k) In the representation to the Authority, M/s Dongbu Steel has drawn the attention of the Authority towards the practice of the Authority wherein it says that in case the share of exports to India of unrelated exporters not participating in the investigation constitutes more than 30% of the total volume of exports to India by the respective producer, then the responding producer may be considered un cooperative and entire response is liable to be rejected. They have added that in this case, as more than 70% value chain from the producer to Indian customers has been compiled with, and more than 85% of the Dongbu supply chain and pricing is available with the Authority, their response should not be rejected.

l) It has also been represented that M/s Dongbu exports only the premium quality of steel of Galvalume into India, and the average price of their products from all their channels is US$ ***/MT, and with this price, they cannot be dumping the subject goods to India.

m) The Authority had imposed an unreasonably high preliminary duty on POSCO on an incorrect analysis of export price. The method followed by the Authority was that it adjusted the purported "loss" incurred by their related importers against their export price and the landed value. Further, the Authority had adjusted the purported "loss" of the related importers to quantities that have been exported directly to unrelated importers where there could not be any impact of the "loss" purportedly suffered by the related importers.

n) Further, it was submitted that, assuming that the loss could have been adjusted against their export price, the Authority erred in comparing the purchase price of the related importers for total exports (including PUC and Non-PUC) and their sales price (for only PUC).

o) It was requested that the Authority should not deduct the marginal loss of Vina One Steel Manufacturing Corporation while calculating its ex-factory export price since the marginal loss was on account of the selling & distribution expenses, which had already been deducted in Appendix 3A. The Authority was requested to calculate its dumping and injury margin considering its actual domestic sale and exports to India sales data including the adjustments.

p) With reference to the contention of the Applicant requests to the Authority to find out whether Tay Nam and Vina One have made the sales to its related customers at arm's length or not, the Respondents submitted that only Tay Nam has sold the subject goods to both related and unrelated customers, and the transaction with related parties were made at arm's length.

q) It was submitted that the dumping and injury margin have currently been assessed on the basis of irrelevant data. The Respondents further submitted that the Applicant failed to substantiate with evidence its allegation of the price of related importers being less than the import price and insufficient to cover their import costs and other charges borne by them.

r) The Applicant has contended that POSCO India Holding Pvt. Ltd incurred losses after adjusting other income and changes in inventory. This contention is not only baseless and incorrect. The Applicant has incorrectly deducted "other income" and "changes in inventory" from profit before tax". In this regard it was submitted that the changes in inventory are already reflected in the cost of goods sold (COGS) in POSCO India Holding Pvt Ltd.'s audited income statement.

s) If the Applicant's contention is accepted and inventory changes are deducted from profit before tax it would result in "double deduction" from the profit. Further, if the other income is deducted from profit before tax, such deduction would be inconsistent to calculate the profit/loss because the "other expense" is again already recognized as "expense" to calculate net profit. Therefore, to be consistent, the "other income" should be considered as "income".

t) It has been submitted by some of exporters that there is no need for devising PCN in the present investigation as there is no significant difference in cost and sale price of different grade/PCN.

u) Tong Dong A submitted that while calculating the landed value of exports of participating producer and its unrelated trader namely, M/s Marubeni Itochu Steel Pte Ltd., Singapore, DGTR has wrongly adopted the export price of Tong Dong A to India directly and to Marubeni Itochu instead of CIF value of direct exports and exports by Marubeni Itochu.

v) M/s Tay Nam has requested the Authority to not deduct the loss of Vina One Steel Manufacturing Corporation while calculating its ex-factory export price since the loss was on account of the selling & distribution expenses, which are already deducted in Appendix3A. So, deducting the loss would mean deducting a portion of the selling & distribution expenses again from the exports price and will give incorrect results. They have also requested the Authority to adjust VAT refund of the VAT paid on purchase of the above-mentioned subject goods for export sales.

F.2.1. Post-Disclosure Submissions by Other Interested Parties

32. Other interested parties have made the following post-disclosure submissions:

a) Unreasonably high dumping and injury margins have been determined for Dongbu Steel Co. Ltd.

b) The Authority has adjusted the purported "loss" incurred by its related importer against export price. It is submitted that such an adjustment is wholly unfounded and contrary to the established past practice of the Authority.

c) All sales have been made by POSCO to independent trading entities and there has not been a single direct sale between POSCO and its related importer. These independent exporters have in turn sold the products to POSCO Asia, Hong Kong and the importer is POSCO India Holdings, both being related entities of POSCO. However, these are independent sales made by the unrelated exporters and at arm's length prices.

d) It is also to be noted that even as a global practice, including in the European Union and the United States, export price is always assessed at the stage of the first sale to an independent buyer.

e) The DI has contended that POSCO India Holding Pvt Ltd incurred losses after adjusting "other income" and "changes in inventory". This contention is baseless and incorrect. It is submitted that the changes in inventory are already reflected in the cost of goods sold in POSCO India Holding Pvt Ltd.'s audited income statement. If the DI's contention is accepted and inventory changes are deducted from profit before tax it would result in "double deduction" from the profit. Further, if the "other income" is deducted from profit before tax, such deduction would be inconsistent to calculate the profit/loss because the "other expense" is again already recognized as "expense" to calculate net profit. To be consistent, the "other income" should be considered as "income".

f) The NSR of the Applicant is higher than the NIP despite the significant dumping margin, injury margin and increase in loss.

g) Vietnam is a market economy but has been treated as a non-market economy.

h) There appear to be calculation errors in the calculation of dumping margin and export price.

i) M/s Vina One Steel Manufacturing Corporation purchased the subject goods from its related company namely M/s Tay Nam Manufacturing & Trading Co., Ltd for exports and domestic sales. While there is VAT on purchase, there is no VAT on export sales, which is a normal practice around the globe. M/s Vina One Steel Manufacturing Corporation got VAT refund of the VAT paid on purchase of the subject goods for export sales. In such case, the reasoning that VAT has not been included in the determination of Normal value and Net export price, thus, the comparison of normal value and export price has been made at the same level of trade is not appropriate.

j) OP Manual provides that any kind of export incentive or duty drawback needs to be adjusted while calculating the net export price. The refund of the VAT paid on purchase of the subject goods is available only on exports sales. Therefore, this is a kind of export incentive. Therefore, it needs to be adjusted while calculating the net export price.

k) In para 4(g)(xvi) of the Disclosure, name of Samsung C&T Corporation has been wrongly mentioned as M/s POSCO Samsung C&T Corporation and the same may be corrected.

F.3. Examination by the Authority

33. The submissions made by the domestic industry and other interested parties during the course of the investigation including post-disclosure submissions pertaining to Normal Value, Export price and Dumping margin have been addressed in this section.

34. The Authority has determined normal value/constructed normal value, export price and dumping margin in respect of producers/exporters from the subject countries based on the response filed by them during the course of investigation.

35. With regard to submissions made by some of the interested parties that Authority has not conducted PCN based analysis for determination of dumping margin, the Authority notes that PCN methodology is required only in cases where there are multiple grades and forms of the PUC/like article and there is a substantial cost and price difference between these grades and forms. The Authority further notes that DI has not proposed any PCN wise analysis in its application and provided the reasons for the same in its submissions. The Authority has examined the reasons cited by the DI in para 9 of this Final Findings for not proposing PCN wise dumping margin analysis in the present case and the Authority has found the same to be valid. Accordingly, after examining the contentions of various interested parties, it has been found appropriate not to carry out PCN

wise analysis for determination of dumping margin for the cooperating producers and exporters in the present investigation.

36. After examining the contentions of various interested parties, the Authority has taken the entire PUC as one product into account for determining the normal value and export price.

37. With regard to submissions of interested parties with regards to issues raised in the determination of normal value and export price of the responding producers and exporters, the same has been examined in the context of determining individual dumping margins of cooperating producers and exporters.

38. With regard to the submissions made by Tay Nam/Vina One regarding non-adjustment of loss on account of selling and distribution, the Authority notes that detailed examination has been made of the same and has been appropriately considered by the Authority. With regard to adjustment of VAT in the computation of dumping margin, it is noted that VAT has not been included in the determination of Normal value and Net export price, thus, the comparison of normal value and export price has been made at the same level of trade.

39. With respect to submissions of POSCO about various adjustments for the purpose of determining dumping margin, it is submitted that no deduction of warehousing expense and warranty expense in domestic sales made by the POSCO, Korea RP in its home market has been allowed for the purpose of determining normal value. It is also noted that no such deductions have been claimed by POSCO Coated &Color Steel Co. Ltd., in its domestic sales. With regard to bank charges, it is noted that POSCO Coated &Color Steel Co. Ltd., has claimed bank charges and the same has been adjusted to arrive at ex-factory export price.

40. With regard to sales of subject goods to related party by M/s POSCO, it is noted that POSCO has made domestic sales to related party as reported in Appendix-4B as a part of EQR but since these goods have not been resold, Appendix-4C has not been filed by the POSCO Korea RP.

41. With regard to submissions that no bank charges have been deducted from the export price in case of exports from China PR, it is noted that as per revised Appendix 3A, bank charges have been deducted from their export price to arrive at Net export price.

42. With respect to submissions that M/s Zhejiang Huada New Materials Co. Ltd has made sales to its related party in the domestic market, and no information has been provided in Appendix 4C (Resale by related customers to independent customers), it is noted that during the POI Zhejiang Huada New Materials Co. Ltd., China PR has sold the subject goods to its related party namely Hangzhou Puyin Metal Materials Co., Ltd., China in domestic market. However, subject goods procured by Hangzhou Puyin Metal Materials Co., Ltd. from M/s Zhejiang Huada New Materials Co. Ltd, China PR, has not been resold in home market.

43. With respect to submissions whether M/s Marubeni-Itochu Steel Pte Ltd., an exporter/trader has earned reasonable profits and has recovered all its cost for exports to India, it is noted that the PUC sold to India by Marubeni-Itochu Steel Pte Ltd., has earned reasonable profit, on account of PUC exported to India.

44. With respect to submissions whether exporter/trader M/s Vina One Steel Manufacturing has earned reasonable profits and has recovered all its cost for exports to India or not, it is noted that the exporter/trader has earned reasonable profits, on account of PUC exported to India.

45. With respect to submissions whether GS Global, Korea RP and Shanghai Shijing International Trading Co. Ltd, China PR has earned reasonable profit and recovered all its cost, it is noted that GS Global and Shanghai Shijing International Trading Co. Ltd has earned reasonable profit on account of PUC exported to India.

46. With regard to the submissions made by the domestic industry that the dumping margin and injury margin for certain parties and for 'all others' category for Vietnam has significantly reduced in the disclosure statement, it is noted that the Authority has determined the dumping margin and injury margin in the final findings for all the parties based on duly verified data/information and in accordance with Section 9A of the Act, read with the Rules. The Authority has made appropriate corrections in the 'all others' category for Vietnam and Korea RP.

47. POSCO has submitted that POSCO's product PosMAC is a Zinc Magnesium product while POSCO C&C's product Alzasta is Galvalume and the Authority has treated both these different products as a single grade and arrived at a weighted average for these two companies in the POSCO group. In this regard, it is noted that the Authority has not treated POSCO's product PosMAC and POSCO C&C's product Alzasta as a single product while determining the dumping margin. The Authority has calculated separate dumping margins for POSCO and POSCO C&C based on their individual data and thereafter a weighted average dumping margin has been calculated for both of them taken together.

48. The Authority has treated Vietnam as a Market Economy country, as opposed to the claims made by some of the interested parties that Vietnam has been treated as a non-market economy country. In fact, the Authority

vide letter dated 3rd May 2019 communicated that the producers/exporters from Vietnam need not provide information in the supplementary questionnaire, as required from non-market economy country producers/exporters. The Authority had also put out a clarification in this regard by making it public on its website.

49. POSCO has submitted that POSCO Korea sells the subject goods to unrelated trading entities and thereafter, these unrelated trading entities export to the related entities of POSCO in India. These sales are independent sales made by unrelated entities and therefore adjustments for losses should not be done in the export price of POSCO. In this regard, the Authority notes that looking at the situation holistically, the starting point of the export chain is POSCO Korea, and the ultimate beneficiary/importer in India is POSCO's related company. Merely because unrelated trading entities have been introduced in between, it cannot be said that import and export transactions are between unrelated parties. If this argument were to be accepted, this would allow the foreign exporters to enter into such compensatory arrangements and ultimately distort the export price and dumping margin.

F.4. Determination of Normal value

50. Under section 9A (1) (c), normal value in relation to an article means:

i. The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or

ii. When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:

a. comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

b. the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

51. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The following producers/exporters have co-operated in this investigation by filing the prescribed questionnaire responses:

1. M/s. Zhejiang Huada New Materials Co., Ltd., China PR, (Zhejiang)
2. M/s. Shanghai Shijing International Trading Co., Ltd., China PR,(Shanghai Shijing)
3. M/s. POSCO Asia Company Ltd., China PR.
4. M/s. Tay Nam Steel Manufacturing and Trading Co. Ltd, Vietnam (Tay Nam).
5. M/s. Vina One Steel Manufacturing corporation, Vietnam (Vina One)
6. M/s. HoaSen Group JSC. (HSG), Vietnam
7. M/s. HoaSenNghe an one Member LLC (HSNA), Vietnam
8. M/s. Ton Dong A Corporation, Vietnam (Tom Dong)
9. M/s. Marubeni-Itochu Steel Pte. Ltd, Vietnam
10. M/s. POSCO, Korea RP
11. M/s. POSCO Coated and Color, Korea RP, (POSCO C&C)
12. M/s. Dongbu Steel & Incheon, Korea RP (Dongbu)
13. M/s. Dongkuk Steel Mill Co., Ltd., Korea RP (Dongkuk)
14. M/s. GS Global Corp, Korea RP
15. M/s. Samsung C&T Corporation, Korea RP
16. M/s. POSCO International Corporation Ltd. (Formerly known as POSCO Daewoo Corporation), Korea RP
17. M/s. Hyosung TNC Corporation, Korea RP
18. M/s. STINKO Co. Ltd., Korea RP (Stinko)

F.4.1. Normal Value for producers/exporters of subject goods in China PR

52. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows: "Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

53. It is noted that on 11.12.2016, the provisions of Article 15 (a) (ii) have though expired, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession protocol require criterion stipulated in para 8 of the Annexure 1 of the India's Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the MET status. It is noted that since none of the responding producers, exporters from China PR have submitted additional questionnaire response, the normal value computation is required to be done as per provisions of para 7 of Annexure1 of the Rules.

Determination of Normal Value and Export Price for cooperating producers and exporters in China PR

Zhejiang Huada New Materials Co., Ltd. ("Huada")

54. Zhejiang Huada New Materials Co., Ltd. ("Huada") was established on July 25, 2003.Huada is a limited liability company, incorporated in accordance with the Company Law of the People's Republic of China.

Determination of Normal Value

55. The Authority notes that none of the producers/ exporters from China PR have filed the supplementary questionnaire response wherein they were sought to rebut the presumptions as mentioned in para 8 of Annexure 1 of the Rules. Under these circumstances, the Authority has to proceed in accordance with Para 7 of Annexure I to the Rules in this regard.

56. In view of the above, the normal value for the PUC imported from China PR into India is determined based on facts available with the Authority. Cost of production as optimized for the domestic industry after reasonable additions for selling, general & administrative expenses and reasonable profit margin has been considered. Accordingly, the normal value has been constructed for all producers and exporters in China PR for the PUC during the POI as given in the dumping margin table.

Export Price for Zhejiang Huada New Materials Co., Ltd. ("Huada"), China PR

57. With regard to export price of subject goods from responding exporter to India, it is noted that M/s Zhejiang Huada New Materials Co., Ltd., China PR has exported the subject goods to India and has given the information in the Appendix 3A of the exporters' questionnaire response. The exporter has also clarified that

Appendix-3B and Appendix-3C are not applicable in their case because there are no sales to related Indian customers and Huada did not export subject goods to India through a trading company. The Authority has accepted the adjustments as claimed by the subject exporter.

58. It is noted that during the POI, M/s Zhejiang Huada New Materials Co., Ltd., China PR exported *** MT of subject goods to India valued at US$ *** directly. The exporter has claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, inland fright, port and other related expenses and Non-Refundable VAT which have been allowed. The net export price after these adjustments is given in the dumping margin table.

Other Producers and exporters from China PR

Dumping Margin for all non-cooperating exporters from China PR

59. The normal value and export prices for other non-cooperating exporters from China PR has been determined as per best facts available taking into account the data of the co-operating exporter from China PR and the same is mentioned in the dumping margin table.

F.4.2. **Determination of Normal Value and Export Price for cooperating producers and exporters in Vietnam**

Determination of Normal Value for producers and exporters in Vietnam

M/s Ton Dong A Corporation (TDA), Vietnam

60. It is noted that M/s Dong A Company Limited (hereafter also referred to as 'the company', 'Ton Dong A' or 'TDA') was incorporated under the Law of Enterprise of the Socialist Republic of Vietnam as Dong A Company Limited. The company was renamed Ton Dong A Company Limited in 2005 and was renamed Ton Dong A Corporation in 2009.

Normal Value

61. It is noted from the response filed that they have given information pertaining to their domestic sales in the format 4A, 4B and 4C of the exporter's questionnaire. It is also noted from the response that during the POI, M/s TDA has sold *** MT of the subject goods having invoice value *** VND in the domestic market to related and unrelated customers. Based on their response, it is noted that their domestic sales are in sufficient quantity in the domestic market. In order to determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production of subject goods. In case profit making transactions are more than 80% then the Authority has considered all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value. Where the profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of normal value. Based on the ordinary course of trade test, profitable sales have been taken into account for determination of normal value, since the profitable sales were less than 80%.

62. M/s TDA has claimed adjustments on account of insurance, inland transportation and credit cost, which have been allowed. Accordingly, normal value for M/s Ton Dong A Corporation, Vietnam, has been determined and is given in the dumping margin table.

Export Price

63. It is noted that M/s Ton Dong A Corporation, Vietnam, has exported *** MT of PUC directly, *** MT through M/s Marubeni-Itochu Steel Pte Ltd., Singapore and *** MT through Macsteel International Far East Limited. M/s Ton Dong A Corporation, Vietnam, has filed the questionnaire response. Separate Questionnaire response has been filed by its unrelated trading company, namely M/s Marubeni-Itochu Steel Pte Ltd., Singapore. It is further noted M/s Macsteel International Far East Limited, has not filed its EQR with the Authority.

64. Since, the volume of exports by producer and its unrelated cooperating traders who have filed response before the Authority are considered substantial and are more than 70%, the information submitted by producer and cooperating traders have been taken into account for arriving at the export price.

65. Adjustments have been allowed on account of ocean freight, insurance, inland freight, port and other related expenses. The net export price after these adjustments is given in the dumping margin table.

M/s HoaSen Group (HSG), and M/s HoaSenNgne An One Member Limited Liabilities Company (HSNA), Vietnam

66. M/s HoaSen Group (HSG), Vietnam, has filed the questionnaire response along with its related company, namely, M/s HoaSenNgneAn One Member Limited Liabilities Company (HSNA), Vietnam. HoaSen Group ("HSG") is a Joint Stock Company listed on Ho Chi Minh City Stock Exchange. 100% of HSNA is owned by

HoaSen Group Joint Stock Company ("HSG"). Both HSG and its related company HSNA are producers of subject goods. However, only HSG has exported the subject goods to India during the POI.

Normal value

67. It is noted from the response that M/s HoaSen Group (HSG), Vietnam has sold *** MT of the subject goods having invoice value *** VND in the domestic market both to the related and unrelated customers in Vietnam during the POI. Based on their response, it is noted that their domestic sales are in sufficient quantity in the domestic market. In order to determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test only for the domestic sales made to unrelated parties, since the prices to related parties is significantly lower than the prices to related parties to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production of subject goods. If profit making transactions are more than 80%, the Authority has considered all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value and in cases, where profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of normal value. Based on the ordinary course of trade test, profitable sales have been taken for determination of normal value, since the profitable sales were less than 80%.

68. M/s HoaSen Group (HSG), Vietnam, has claimed adjustments on account of insurance, inland transportation, credit cost and other expenses, which have been allowed. Accordingly, normal value for HSG, Vietnam, has been determined and is given in the dumping margin table.

Export Price for M/s HoaSen Group (HSG), Vietnam and M/s HoaSenNgne An One Member Limited Liabilities Company (HSNA)Vietnam

69. It is noted that M/s HoaSen Group (HSG), Vietnam, has exported *** MT of PUC directly *** MT through four different traders namely M/s Thyssenkrupp Materials Trading Asia Pte. Ltd., Singapore, M/s Deep Sea Ventures Limited, M/s Future Materials Industry (HK) Co., Limited, Hong Kong, and M/s Gipoint Development Ltd. M/s HoaSen Group (HSG), Vietnam, has filed the questionnaire response.

70. It is further noted that these four trader's M/s Thyssenkrupp Materials Trading Asia Pte. Ltd., Singapore, M/s Deep Sea Ventures Limited, M/s Future Materials Industry (HK) Co., Limited, Hong Kong, and M/s Gipoint Development Ltd., have not filed their EQR with the Authority.

71. Since, the volume of exports by producer/exporter is more than 70 %, the information submitted by producer/exporter has been taken into account for arriving at the export price.

72. Adjustments have been allowed on account of ocean freight, insurance, inland freight, port and other related expenses. The net export price as determined is given in the dumping margin table.

Tay Nam Steel Manufacturing & Trading Co., Ltd (Tay Nam) and Vina One Steel Manufacturing Corporation (Vina One), Vietnam.

73. Tay Nam Steel Manufacturing & Trading Co., Ltd (hereinafter referred to as "Tay Nam or Company") was established on 15th March 2016 as a private limited company. It is engaged in the manufacture and exports of the PUC. Vina One Steel Manufacturing Corporation (Vina One), Vietnam is a related company as both the companies have common shareholders. Vina One Steel Manufacturing Corporation is engaged in the sales of the product under consideration.

Normal value

74. It is noted that M/s Tay Nam Steel sold the product concerned directly as well as through Vina One to customers in the home market. It is noted that M/s Tay Nam and Vina One, Vietnam has sold *** MT of the subject goods having invoice value *** VND in the domestic market both to the related and unrelated customers in Vietnam during the POI. Based on their response, a deficiency letter was issued to responding producer with regards to some of the information filed by them. They submitted replies to the deficiencies raised with respect to their response. Based on their response, it is noted that their domestic sales are in sufficient quantity in the domestic market. In order to determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production of subject goods. If profit making transactions are more than 80%, the Authority has considered all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value and in cases, where profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of normal value. Based on the ordinary course of trade test, all sales have been taken for determination of normal value, since the profitable sales were more than 80%.

75. M/s Tay Nam Steel, Vietnam, has claimed adjustments on account of credit cost, which have been allowed. Accordingly, normal value for Tay Nam Steel, Vietnam, has been determined and is given in the dumping margin table.

Export price

76. The company exported the product concerned directly as well as through Vina One to customers in India. During the POI, both the companies have directly sold *** MT with a net invoice value of VND *** to unrelated Indian customers. Adjustments have been allowed on account of ocean freight, insurance, port and other related expenses, credit costs and bank charges. The net export price as determined is given in the dumping margin table.

Nam Kim Steel Joint Stock Company, Vietnam

77. Nam Kim Steel is a joint stock company. It is noted that Nam Kim Steel sells a major volume of product under consideration to independent customers in the local market. All domestic sale transactions of PUC made by Nam Kim Steel are sold directly to its local customers.

Normal value

78. It is noted from their response that M/s Nam Kim Steel has sold *** MT at a net invoice value of *** VND in the domestic market during the POI. It is also noted from the response that their major sales were made to unrelated customers in their home market and only a minor share of domestic sales were made to related company for internal consumption. Based on their response, a deficiency letter was issued to responding producer with regards to some of the information filed by them. In particular, the producer was asked to provide certificate from practicing accountant of Vietnam in respect of information submitted in Appendices wherever required as per prescribed procedure. However, the same was not provided. Though verification was conducted with respect to information filed by M/s Nam Kim Steel and a verification report was also issued to the party, still the certificate from practicing accountant was not provided to the authority in spite of reminders. In view of above, it has been decided not to consider the normal value claimed by M/s Nam Kim Steel. Therefore, normal value of M/s Nam Kim Steel has been considered based on best facts available.

Export price

79. It is noted from the response that the company sold the product concerned directly to customers in India. During the POI, it is noted that the company sold *** MT to unrelated Indian customers. Adjustments have been allowed on account of ocean freight, inland freight, insurance, credit costs, packing costs and port and other related expenses. The net export price as determined is given in the dumping margin table.

F.4.3. Other Producers and exporters from Vietnam

Dumping Margin for all non-cooperating exporters from Vietnam

80. The normal value and export price for other non-cooperating exporters from Vietnam has been determined as per best facts available taking into account the data examined for the co-operating exporters from that particular country and the same is mentioned in the dumping margin table.

Determination of Normal Value and Export Price for cooperating producers and exporters in Korea RP

POSCO, Korea RP

81. POSCO is a listed company (joint-stock Corporation) in Korea. It is noted from the response that M/s POSCO has mostly sold the subject goods directly to its customers in their domestic market and also through M/s. POSCO International Corporation Ltd. (Formerly known as POSCO Daewoo Corporation), Korea RP.

Normal Value

82. It is noted from the response that M/s POSCO, Korea RP, during the POI, has sold *** MT of the subject goods having invoice value *** KRW in the domestic market. Based on their response, it is noted that their domestic sales are in sufficient quantity in the domestic market. Based on their response, a deficiency letter was issued to responding producer with regard to some of the information filed by them.To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production of subject goods. In case profit making transactions are more than 80% then the Authority has considered all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value and in cases, where profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of normal value. In this case, based on the ordinary course of trade test, all domestic sales have been taken for determination of normal value, since the profitable sales were more than 80%.

83. M/s POSCO, Korea RP, has claimed adjustments on account of freight expenses, warehousing expenses, handling fee, credit cost, packing cost and warranty expenses. After examining the response, warranty and warehousing expenses have not been adjusted for arriving at normal value. Other adjustments have been taken into account. Accordingly, normal value for M/s POSCO, Korea RP, has been determined and is mentioned in the dumping margin table.

Export Price for POSCO, Korea RP

84. M/s POSCO, Korea RP, has exported *** MT and ***MT of PUC through M/s GS Global Corporation, Korea RP and M/s Samsung C & T Corporation, Korea RP respectively. These unrelated traders have further exported the PUC to India through a related trader namely M/s POSCO Asia, Hong Kong. All of the above producer/exporters/traders have filed separate EQRs.

85. It is also noted that related traders/exporters have further sold the subject goods to related processors/importers of POSCO, Korea RP, namely POSCO IAPC, India, POSCO IDPC, India, POSCO ICPC India and POSCO IPPC, India. All these related parties have also filed importers/end-user questionnaire responses.

86. It is noted from the response filed by above mentioned POSCO subsidiaries in India that together, they have incurred a loss during the sale of the subject goods imported from their parent company i.e. POSCO through different trading channels as mentioned above. As their sales price of subject goods are lower than their purchase price which includes import prices and SGA of the subsidiaries, suitable adjustment has been made from their landed price and net export price. Further adjustments have been allowed on account of ocean freight, inland freight, insurance, credit costs, packing costs and port and other related expenses. The net export price as determined is given in the dumping margin table.

"POSCO Coated & Color Steel Co., Ltd." (POSCO C&C), Korea RP

87. It is noted that M/s POSCO C & C, Korea RP is a part of POSCO group.

Normal Value for POSCO C & C, Korea RP

88. It is noted that during the POI, POSCO C&C has sold *** MT of the subject goods having invoice value *** KRW in the domestic market. These goods have been sold to both related *** MT and unrelated *** MT customers. Based on their response, a deficiency letter was issued to responding producer with regards to some of the information filed by them. They submitted response to the deficiency letter. Based on their response, it is noted that their domestic sales are in sufficient quantity in the domestic market. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production of subject goods. In case profit making transactions are more than 80% then the Authority has considered all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value and in cases, where profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of normal value. In this case, based on the ordinary course of trade test, all domestic sales have been taken for determination of normal value, since the profitable sales were more than 80%.

89. M/s POSCO C & C, Korea RP, has claimed adjustments on account of inland freight, credit cost and claim expenses. Accordingly, weighted average normal value for M/s POSCO C&C, Korea RP, has been determined and is mentioned in the dumping margin table.

Export Price for POSCO C & C, Korea RP

90. M/s POSCO C&C, Korea RP, has exported *** MT and *** MT of PUC through M/s Posco Asia Co., Hong Kong (related company) and M/s Posco International, Korea RP, (related company). M/s POSCO C&C, Korea RP, has filed the questionnaire response and separate questionnaires have been filed by its related trading companies, namely, M/s POSCO International Corporation (formerly POSCO Daewoo Corporation), Korea RP and M/s POSCO Asia Co., Hong Kong. It is further noted that POSCO International Corporation, Korea RP and M/s POSCO Asia Co., Hong Kong have sold major share of subject goods to the related Indian Companies namely IAPC, IPPC, ICPC and IDPC.

91. It is noted from the response filed by above mentioned POSCO subsidiaries in India that together, they have incurred a loss during the sale of the subject goods imported from their parent company i.e. POSCO C&C through different trading channels as mentioned above. As their selling price of subject goods is lower than their purchase price which includes import prices and SGA of the subsidiaries, suitable adjustments have been made from their landed price and net export price. Further, adjustments have been allowed on account of ocean freight, inland freight, insurance, credit costs, packing costs and port and other related expenses. The net export price as determined is given in the dumping margin table.

92. Adjustments have been allowed on account of ocean freight, inland freight, credit costs and port and other related expenses. The net export price as determined is given in the dumping margin table.

M/s Dongkuk Steel Mill Co., Ltd., Korea RP

Normal Value for M/s Dongkuk Steel Mill Co., Ltd., Korea RP

93. It is noted from the response that M/s Dongkuk Steel Mill Co., Ltd., Korea RP, during the POI, has sold *** MT of the subject goods having invoice value *** KRW to unrelated customers in the domestic market. Based on their response, a deficiency letter was issued to responding producer with regard to some of the information filed by them. Based on their response, it is noted that their domestic sales are in sufficient quantity in the domestic market. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production of subject goods. In case profit making transactions are more than 80% then the Authority has considered all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value. Where profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of normal value. Based on the ordinary course of trade test, only profitable domestic sales have been taken for determination of normal value, since the profitable sales were less than 80%.

94. M/s Dongkuk Steel Mill Co., Ltd., Korea RP, has claimed adjustments on account of discount(Early Payment Discount), inland transportation, credit cost, packing expenses and claim expense, which have been considered. Accordingly, weighted average normal value for M/s Dongkuk Steel Mill Co., Ltd., Korea RP, has been determined, and the same is mentioned in dumping margin table.

Export Price for M/s Dongkuk Steel Mill Co., Ltd., Korea RP

95. M/s Dongkuk Steel Mill Co., Ltd., Korea RP, has exported directly *** MT of PUC to its subsidiary in India i.e. M/s Dongkuk Steel India Private Limited who in turn has sold the subject goods to unrelated consumers in India, *** MT through M/s Hyosung TNC, Korea RP who in turn has also sold the subject goods to M/s Dongkuk Steel India Private Limited, India and *** MT through SK Networks, Korea RP. M/s Dongkuk Steel Mill Co., Ltd., Korea RP, has filed the questionnaire response and a separate questionnaire has been filed by its unrelated trading companies, namely, M/s Hyosung TNC, Korea RP and M/s Dongkuk Steel India Private Limited. It is further noted M/s SK Networks, Korea RP has not filed its EQR with the Authority.

96. Since, the volume of exports by producer and its unrelated cooperating traders are substantial, the export volumes reported by producer and cooperative traders have been considered for arriving at the export price.

97. It is noted from the response filed by M/s Dongkuk Steel India Private Limited, India that they have incurred a loss during the sale of the subject goods imported from their parent company i.e. M/s Dongkuk Steel Mill Co., Ltd through different trading channels as mentioned above. As their sales price of subject goods are lower than their purchase price which includes import prices and SGA of the subsidiaries, suitable adjustment has been made from their landed price and net export price. Further, adjustments have been allowed on account of ocean freight, inland freight, insurance, credit costs, packing costs and port and other related expenses. The net export price as determined is given in the dumping margin table.

98. Adjustments have been allowed on account of ocean freight, inland freight, and insurance, credit costs, packing costs and port and other related expenses. The net export price as determined is given in the dumping margin table.

M/s Dongbu Steel Co., Ltd., and M/s Dongbu Incheon Steel Co., Ltd. Korea RP

Normal value

99. It is noted from the response that the company's legal name is Dongbu Steel Co., Ltd (hereinafter "Dongbu Steel"). Dongbu Steel is a listed company in the Republic of Korea and is incorporated under the Commercial Code of the Republic of Korea. It is noted that Dongbu Steel separated its Incheon works from its other undertakings and placed that asset in a new company named Dongbu Incheon Steel Co., Ltd (hereinafter "Dongbu Incheon"). At all material times and presently, Dongbu Incheon has been wholly owned by Dongbu Steel.

100. It has been added that Dongbu Incheon sold very small quantity of the subject goods to domestic market only. Dongbu Incheon did not export the products under consideration to India and any other third countries' markets.

101. It has been submitted that Dongbu Steel and Dongbu Incheon should be treated as a single economic entity for the purposes of normal value calculation.

102. It is noted that M/s Dongbu Steel Co., Ltd., Korea RP, during the POI, has sold *** MT of the subject goods having invoice value *** KRW. As per Appendix-4B, the M/s Dongbu Steel Co., Ltd., Korea RP, has sold *** MT to M/s Dongbu Incheon Steel Co., Ltd, and *** MT to M/s Dae-Woong SNT Co. Based on the response filed and as verified, it is noted that the domestic sales by Dongbu Steel are in sufficient quantity. To

determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production of subject goods. In case profit making transactions are more than 80% then the Authority has considered all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value. Where profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of normal value. Based on the ordinary course of trade test, only profitable domestic sales have been taken for determination of normal value, since the profitable sales were less than 80%.

103. M/s Dongbu Steel Co., Ltd., Korea RP, has claimed adjustments on account of inland transportation, credit cost, payment discount and warranty expense, which have been allowed. Accordingly, normal value for M/s Dongbu Steel Co., Ltd., Korea RP, has been determined and is given in the dumping margin table.

Export Price

104. It is noted from the response that M/s Dongbu Steel Co., Ltd., Korea RP, has exported directly *** MT of PUC, *** MT through M/s GS Global Corporation, Korea RP, *** MT through M/s Hyosung TNC, Korea RP, *** MT through M/s Shanghai Shijing International Trading Co. Ltd., China PR, *** MT through M/s Prime Resource, Korea RP and *** MT through M/s Stinko, Korea RP. It is also noted that M/s Stinko has exported *** MT subject goods to India directly and *** MT through connected trader namely M/s Shakun.

105. It may be recalled that in the Preliminary Findings, no separate dumping margin was assigned to M/s Dongbu as it was noted that substantial volume of subject goods produced by M/s Dongbu and exported by various exporters/traders to India was not accounted for in responses filed by the cooperating producers and exporters. In particular, it was noted that Dongbu had exported the subject goods through a number of unrelated traders to India. Out of these unrelated traders, the biggest trader was Stinko. Stinko had exported directly to India as well as through a connected trader Shakun Trading. Stinko had filed Exporters Questionnaire response but Shakun Trading did not file any response till the stage of Preliminary Findings. As the connected trader of Stinko through whom substantial exports were made to India did not participate in the investigation, it was decided provisionally not to accept the Questionnaire Response filed by Stinko. In this scenario, the exports made by the participating parties before the Authority, fell below 70% threshold and accordingly the complete response filed by Dongbu was provisionally rejected and no individual rate of duty was assigned to Dongbu.

106. It was also noted in the Preliminary Findings that a deficiency letter was being issued to M/s Dongbu to furnish the data of non-cooperating exporters connected with M/s Stinko. In response to the deficiency letter issued, a delayed response was received from M/s Shakun Trading Co. LLC (Shakun) with regard to exports made by them which were sourced from M/s Stinko. However, after examining the response from Shakun, it was noted that the response was grossly deficient. In particular, it was noted that required Appendix 1, 5, and other documents as prescribed were not furnished by them to the Authority. In view of the above, the same has not been accepted by the Authority.

107. The response and representation of M/s Dongbu has been examined. It is noted that at the time of Preliminary Findings, the Authority had provisionally determined that since one of the major traders i.e. M/s Stinko who had a major share in exports of subject goods to India had not accounted for a substantial part of volume chain for exports to India, separate dumping margin of M/s Dongbu was not determined. Post Preliminary Findings, after detailed examination of the submissions made by various interested parties, it is noted that the complete response of Dongbu should not be rejected on the ground that the connected trader of Stinko has not participated in the investigation. In this regard, it is noted that though complete information of exports made by Stinko to India for the subject goods procured from Dongbu has not been made available to the Authority as information from its connected traders had been found grossly deficient, its share of direct exports to India has been submitted in the form and manner prescribed. Thus, it is noted that taking into account only direct exports of subject goods to India, a substantial share of Stinko's supply chain and pricing is available with the Authority, and therefore, Dongbu's data should not be completely rejected for the purpose of working out separate margin. Therefore, it has been decided that Dongbu's response should be taken into consideration, and in view of the above, it has been decided to work out an individual rate of dumping and injury margin for Dongbu. For working out these margins, the Authority has considered the actual export price for chain comprising Stinko direct exports to India which has duly participated in the investigation and submitted response in the form and manner prescribed, and export price based on the best available information for the said connected trader of Stinko who had not filed the information in the form and manner prescribed.

108. Further adjustments claimed on account of ocean freight, marine insurance, inland freight, handling, brokage fee, survey charges, bank charges and credit cost have been allowed. Accordingly, ex-factory Export Price for M/s Dongbu Steel Co., Ltd., Korea RP, has been determined and is given in the dumping margin table.

Dumping margin for other producers and exporters, Korea RP

109. The normal value and export price for other non-cooperating exporters from Korea RP has been determined as per best facts available taking into account the data of the co-operating exporters from that country and the same is mentioned in the dumping margin table.

Dumping margin for related producers and Exporters

110. It is noted that in the subject investigation many cooperating producers and exporters are related to each other and form a group of related companies. It has been a consistent practice of the Authority to consider related exporting producers and exporters as one single entity for the determination of a dumping margin and thus to establish one single dumping margin for them. This is in particular because calculating individual dumping margins might encourage circumvention of antidumping measures, thus rendering them ineffective, by enabling related exporting producers to channel their exports to India through the company with the lowest individual dumping margin.

111. In accordance with the above, related producers and exporters have been regarded as one single entity and attributed one single dumping margin which was calculated on the basis of the weighted average of the dumping margins of the cooperating related producers and exporters.

F.4.4. Dumping Margin Table

112. Considering the normal value and export price for subject goods, the dumping margins for the subject goods from subject countries have been determined as follows:

Country of origin and/or Export	Name of Producer	Normal Value/ CNV (USD)	Net Export Price (USD)	DM (USD)	DM	DM% Range
Korea RP	POSCO	***	***	***	***	0-20
Korea RP	POSCO Coated &Color Steel Co., Ltd.	***	***	***	***	0-20
Korea RP	POSCO Group	***	***	***	***	0-20
Korea RP	Dongkuk Steel Mill Co., Ltd.	***	***	***	***	20-40
Korea RP	Dongbu Steel Co., Ltd.	***	***	***	***	20-40
Korea RP	Any other producer and exporter	***	***	***	***	20-40
Vietnam	Tay Nam Steel Manufacturing & Trading Co., Ltd.	***	***	***	***	0-20
Vietnam	Ton Dong A Corporation	***	***	***	***	0-20
Vietnam	Hoa Sen Group	***	***	***	***	0-20
Vietnam	Nam Kim Steel Joint Stock Company	***	***	***	***	20-40
Vietnam	Any other producer and exporter	***	***	***	***	20-40
China PR	Zhejiang Huada New Materials Co., Ltd.	***	***	***	***	20-40
China PR	Any other producer and exporter	***	***	***	***	40-60

G. INJURY ASSESSMENT AND CAUSAL LINK

G.1. Submission made by the Domestic Industry

113. The submissions made by domestic industry are as follows:

a) Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate since the exports from the subject countries directly compete through comparable sales channel under similar commercial conditions with the subject goods offered by the domestic industry in the Indian market. It is requested to assess injury to the domestic industry cumulatively from the subject countries. Applicant submits that the dumped imports are identical to the goods sold in the domestic market. The dumped imports are entering the Indian market simultaneously from several countries.

b) If the related importer resells the subject goods in India either in the same form or after minor modifications and incurs a loss, then the Authority should make suitable adjustments to the net export price as well as the landed value of imports. This has been the consistent practice of the Authority as can be seen in the anti-dumping investigation concerning glass fibre from China PR. If appropriate adjustments are not done by the Authority while determining the dumping margin and injury margin, then this kind of practice of importing at a higher price and reselling at a lower price will become an exit route for the foreign exporters and lead to duty evasion or circumvention of the duty by exporters.

c) Significant price undercutting exists for each of the subject countries.

d) The dumped imports from subject countries are coming into India at prices significantly below the Non-injurious price/fair price of the domestic industry. The low-priced dumped imports coming into India are not allowing the domestic industry to fetch a fair price for the subject goods and this is causing material injury to the domestic industry. With respect to the contention that DI is unable to fulfil the demand of Indian Industry, the Applicant submitted that DI was capable of catering the total demand of the subject goods, however, significant volume of import had captured the market share in India.

e) With respect to the Respondent's argument that imposition of ADD on the subject goods would have a negative impact on the promotion of solar power in India, the Applicant submitted that such considerations are not relevant for Authority's determination of the need for ADD for the protection of DI. Neither the Customs Tariff Act, 1975 nor the Rules framed therein permit the Authority to take public policy objectives into consideration while recommending ADD.

f) With respect to the contention of the Respondents that Applicant had not brought any substantive evidence in terms of Rule 5(3) of the Rules, the Applicant submitted that they had supplied all the relevant information to DA and the same has been duly noted in the Initiation notification and Preliminary Findings by the DA.

g) With respect to the argument of the Respondents that the Applicant had not suffered any injury and that there has been a substantial increase in the Applicant's performance in some of the economic parameters from the base year to the POI, the Applicant submitted that the comparison of its POI must not be evaluated solely against its performance in the base year. The Applicant stated two reason for the same. Firstly, that end-to-end comparison is not appropriate in an injury analysis, rather the performance in the intervening years must also be evaluated. The Applicant cited the decision in Argentina – Footwear (EC) (WT/DS121) to support its contention. Secondly, Applicant's performance in 2015-16 should not be considered as its performance was abnormally poor due to recession in steel industry globally.

h) With respect to injury on account of imports from Vietnam, the Applicant submitted that these imports are having a price effect on like articles in India. Even though the landed value has increased, the prices of these subject imports are undercutting and underselling the domestic selling price of Applicant.

i) The Applicant submitted that they do not command a significant market share as claimed by the Respondents. Their market share has decreased from previous year and amounts to 33% in the POI as opposed to the claim of 60-65% made by Respondents. The Applicant submitted that even for other domestic producers identified by Applicant, the market share has declined continuously and significantly.

j) The Applicant denied the claim that injury to the domestic industry has been caused due to factors other than dumped imports. The Applicant submitted that increase in domestic sales of other domestic producers has not caused injury to the Applicant, as contended by the Respondents. Rather, even other domestic producers have suffered injury due to dumped imports.

k) With respect to the contention that there has been an increase in domestic industry's fixed costs etc. due to capacity addition, the Respondent submitted that increase in cost is only in aggregate terms. As the production has increased, the per unit costs has declined. Further, any increase in costs would have been addressed by considering costs as per the best utilization standard.

l) With respect to the contention that there is an increase in cost during POI on account of higher allocation of cost to the PUC due to significant decline in the production quantity of non-PUC during the POI, the Applicant submitted that the allocation of cost has been appropriately made.

m) Further the Applicant submitted that increase in costs due to increase in capacity in 2016-17 and 2017-18 did not cause injury in these two years as the volume of subject import remained low. However, in the POI, even though DI's cost increased due to capacity addition, the DI faced injury due to dumped imports.

n) With respect to the contention of the Respondents that cumulative assessment should not be done, the Applicant submitted that the present case fulfilled all the requirements for cumulative assessment and the

reasons cited by Respondents for not cumulating the imports from China PR and Vietnam lack legal basis.

o) With respect to the contention that Applicant's NSR is higher than the NIP, the DI submitted that the NSR and NIP determined by the Authority is provisional in nature and is likely to go undergo revision in Authority's final determination.

p) The DI further submitted that merely because NSR is higher than NIP, it is not a ground per se for terminating an anti-dumping investigation or proving that the domestic industry is not suffering injury. The Applicant placed reliance on the case of All India Glass Manufacturers Association v Union of India [2016 (342) ELT 563 (Tri. Del)] where CESTAT rejected a challenge to the Authority's Findings on the ground that there was no price injury to the domestic industry as the NSR was higher than the NIP. The Applicant also placed reliance on the case of Solar Industries Ltd. &Ors. v Union of India [2018 (362) ELT 730 (Tri. Del)] which followed the same proposition.

q) Further, the Applicant submitted that even in the cases where NSR has been higher than the NIP, it cannot be a reason for determining that there is no injury to the domestic industry. The Applicant relied on the following cases:

i. *'phosphorous pentoxide' originating in or exported from China PR*

ii. *'ceramic roller' originating in or exported from China PR; and*

iii. *'plastic processing machines or injection moulding machines' originating in or exported from Chinese Taipei, Philippines, Malaysia and Vietnam*

r) The DI while making reference to the Findings of the Authority in Preliminary Findings stated that the DI had suffered Material Injury and the causal link existed between the dumped imports and the injury.

s) With respect to the Respondent's contention that the levy of ADD will create monopoly, the Respondent submitted that the Applicant does not want to create a monopoly. There are two other producers of like articles in India. Further, imposition of ADD would lead to maintenance of adequate supply from domestic sources rather than being dependant on imports.

t) The imports from subject countries were coming at prices above the cost of sales of the Domestic Industry till 2016-17. From 2017-18 onwards, the imports from subject countries have started coming into India at prices substantially lower than the cost of sales of the Domestic Industry. As a result, the dumped imports are not allowing the domestic industry to fetch a selling price which could re-cover its full cost.

u) The products imported from the subject countries enter the Indian market through comparable channels of distribution and directly compete with the domestically produced goods.

v) The products supplied from the subject countries and domestically produced goods are being marketed in India under similar commercial conditions.

w) The domestic producers and exporters in the subject countries are selling the product to the same category of consumers in India.

x) It is pertinent to mention that the domestic producers in India are capable of meeting entire demand of PUC in India.

y) The dumped imports from subject countries have aggressively captured the market share in India. The Applicant has not been able to increase the sales of product concerned commensurate with the increase in demand because of the significant volume of dumped imports coming from subject countries. It is evident from the fact that while the demand of the product concerned increased by *** MT from 2015-16 to POI, the domestic sales of the Applicant increased merely *** MT whereas the import quantity of the PUC from the subject countries increased by whopping *** MT during the same period. Almost the entire increase in demand has been captured by the imports from subject countries.

z) While the market share of Applicant has fallen from 45-50% during 2015-16 to 30-35% during POI, the market share of imports from subject countries has increased from 5-10% to 35-40% during the same period.

aa) Cash profits of the Applicant have reduced significantly from cash profit of 100 indexed units in 2015-16, profits have turned into massive losses of (244) indexed units during the POI. If such rampant dumping continues, domestic industry may not able to meet its liabilities in future.

bb) The domestic industry submits that the only cause of injury suffered by them is the dumped/subsidized imports coming from subject countries in significant volumes. There are no trade

restrictive practices, technology issues, export performance issues, productivity issues or any other factor which can be attributed to the injury being suffered by domestic industry.

cc) With regard to developments in technology, Domestic Industry has been investing in world class technologies comparable to that of producers in other countries. Therefore, developments in technology are not at all the reason for injury to the domestic industry.

dd) As far as productivity and competition between foreign and domestic producers is concerned, it is submitted that injury suffered by the domestic industry is because of the dumped/subsidized imports coming from subject countries in significant volumes. If the imports take place at the fair normal prices, the Domestic Industry is totally in a position to face the competition from imports.

ee) The export performance of the Domestic Industry in no way has affected its financial and economic situation. Also, Applicant have ignored the information related to exports while examining the injury parameters and entire injury analysis is based only on domestic performance of Applicant.

ff) The Applicant submits that the dumped/subsidized imports coming from subject countries in significant volumes is the only cause of injury being suffered by them and there exists a causal link as between the injury suffered by the domestic industry and increasing low priced dumped imports coming into India as evident from the following:

i. Imports of the subject goods have increased in absolute terms over the entire period of investigation. Imports of PUC from subject countries have increased in absolute terms from *** MT in 2015-16 to *** MT in POI.

ii. Imports of the subject goods have increased relative to production and also relative to consumption in India. Imports were in range of 0-5% of production of the Domestic Industry in 2015-16 which increased to 25-30% during POI. Further, imports sharply increased from the range of 5-10% in 2015-16 to 35-40% in POI in relation to consumption.

iii. Market share of the Domestic Industry has decreased from 2015-16 to POI even though demand for the subject goods has been rising in India during the same period. This is due to the reason that imports have aggressively captured the increase in demand.

iv. While the market share of Applicant has fallen from 45-50% during 2015-16 to 30-35% during POI, the market share of imports from subject countries has increased from 5-10% to 35-40% during the same period.

v. There is significant price undercutting/underselling due to low priced dumped imports coming in India. There is significant price suppression due to low priced dumped imports coming in India.

vi. The Domestic Industry's profitability has been drastically affected. From total profit of 100 indexed units in 2015-16, profits have turned into massive losses of (5112) indexed units during the POI.

G.1.1.Post Disclosure Submissions made by the Domestic Industry

114. The post-disclosure submissions made by domestic industry are as follows:

a) The Authority is requested to consider 22% return on historical cost or replacement cost of the assets while determining NIP, to provide a reasonable rate of return to the domestic industry to mitigate the injury from dumped imports of the subject goods from subject countries.

b) The Authority is requested to kindly take the capacity utilisation for POI into consideration for NIP calculation. At the least, it is requested that the authority restrict the optimum capacity utilisation at 100%.

c) It is submitted that administration expenses, finance cost and selling and distribution expenses are allocated to the PUC based on sales turnover as per DGTR's standard practice. Petitioner is being forced to sell PUC at sub-optimum prices due to dumped imports coming from subject countries and therefore, turnover of the subject goods is already supressed and lesser share of administration expenses, finance cost and selling and distribution expenses have been allocated to the PUC. Normation of these expenses based on optimum capacity utilisation is reducing these expenses and penalising the domestic industry. Therefore, it is requested that the Authority considers actual expense incurred during the POI for NIP calculation.

d) Actual raw material consumption should be considered for NIP calculation.

G.2. Submission by various other interested parties

115. The following submissions have been made by the exporters, importers, users and other interested parties with regard to injury and causal link:

a) India is undertaking the largest renewable capacity expansion program to increase its share in the clean energy in the world. Based on the vision, a National Solar Mission was launched in 2010 with a target to deploy 20,000 MW of grid connected solar power by 2022. Various states also enacted policies/guidelines to promote electricity generation through solar power. Imposition of anti-dumping duty will cause serious loss to solar power developers and it will be detrimental to the growth of solar power in the state and will be contrary to the Government of India policy and also hamper the development of solar power in India.

b) The Applicant is unable to fulfil the demands of the Indian Industry as most of the indigenous domestic producers of Al-Zn/Galvalume had their own captive Pre-Painting Lines and hardly any Al-Zn coated coils were available for pre-painted producers like Colorshine.

c) Indian producers were unable to supply the subject goods to meet the demand of Indian industry. Further, the demand of the subject goods was increasing in India as it is required to produce color coated coils/sheets on which anti-dumping duty is already imposed vide Final Findings 14/28/2016-DGAD dated 30th August 2017.

d) The Applicant was unable to provide the material to other Indian producers/end users of the subject goods on time. Further, the product supplied by Applicant was inferior in quality due to a number of reasons.

e) Imports have increased due to the growth of the demand in the Indian market due to development of downstream industry and not due to dumping. This has not put any sort of volume pressure on DI. Most of the production, the respondents claimed, was used captively for the production of color coated sheets by the Applicants as reflected by the sharp increase from base year to POI. Imports were being done only to fill the demand-supply gap in India and not to cause injury to the domestic industry.

f) It was also submitted that in spite of increase in imports, sale of DI and other Indian producers also increased significantly during the POI.

g) Cost of sales of DI, selling price of the DI and landed price from the subject countries had increased from the base year to the POI. The respondents referred to the information in the Preliminary Findings for the same.

h) With respect to price undercutting the parties submitted that it does not form the basis of determination and must not be seen in isolation. It should be seen in light of the overall performance of the Domestic Industry that whether such price undercutting is resulting in material injury to the domestic industry.

i) DI had not suffered any injury as overall economic performance of the DI had improved. The Respondent further submitted that trends during the year 2016-17 and 2017-18 were showing abnormal trends therefore POI shall be compared with the base year 2015-16.

j) Capacity utilization of the Applicant had increased during the injury period. The production of PUC had increased whereas that of non-PUC had decreased significantly which had affected the overall performance of the Applicants and had resulted into losses.

k) Authority had failed to consider the fact that performance of other products plays an important role in the performance of the company while examining injury to the domestic industry.

l) Captive consumption had increased significantly from the base year to POI and during the POI. This was the reason for shortage of supply and increase in imports.

m) There were inconsistencies between the data filed in the petition and the Preliminary Findings. As per the petition, the profitability was negative during POI whereas the same had converted into profits in the Preliminary Findings. The Respondent questioned this change of losses into profits in light of the fact that there were no changes in the scope of domestic industry and requested that if there were any change in the data filed by the DI, the same to be provided to them.

n) Return on capital employed increased significantly during the base year to during the POI.

o) Number of employees increased significantly during the base year to during the POI. There was an increase in wages during the same. Productivity was showing positive trend as well during the POI.

p) It was submitted that any injury to the DI is due to factors other than imports from subject countries. The Applicant need to examine its entire supply chain for reasons of injury. Further, decline in production and sales of non-PUC had also affected the performance of the domestic industry.

q) Levy of Anti-dumping will establish monopoly of Applicant and will be against public interest. Further, the Applicant will be able to easily able to manipulate the price of the product in DI and also have high potential to bring up the price unreasonably in order to earn monopoly profits.

r) Applicant produces both PUC and non-PUC on the same production complex. It further submitted that the production of PUC by 65% in the POI was diminished to combined growth of 15% due to decline in production of non-PUC. The production of non-PUC was much higher than PUC and hence an 8% decline of non-PUC brought down the combined growth to 15%. The PUC constitutes only around 25% of the total combined production with the non-PUC. Hence, it is submitted that, capacity utilization trend which had grown by only 2% was due to the decline in production of non-PUC. On the other hand, the domestic sales of PUC had grown by 70% showing better capacity utilization.

s) With respect to the Authority's holding in the Preliminary Findings that Productivity has remained constant throughout injury Investigation Period and POI, the Respondent disagreed with the Authority's method of examining productivity by considering information for the company considering all operations. The Respondent drew attention to the fact that the decline in productivity was due to decline in both export sales of the subject goods of the Applicant and production of non-PUC goods from the base year to the POI. The production of subject goods had increased significantly during the same and hence there was no causal link between decline in productivity and import of subject goods from subject countries.

t) With respect to price suppression the Respondents stated that in case domestic industry's realization is more than non-injurious price then the question of price suppression does not arise at all. They cited the case of X-ray Baggage Inspection Multi Energy System (XBIS) from the European Union (F No. 14/12/2002-DGAD dated 14 October 2003) to support their claim. They claimed that the NSR of the DI was significantly higher than the NIP in the present case. The Respondent's cited a number of cases where the Authority had not recommended imposition of anti-dumping duties wherein NSR was found to be higher than NIP despite significant dumping margin, injury margin and increase in loss.

u) Cumulative assessment of the imports of the subject goods from Vietnam was not appropriate in line with clause (b) of para (iii) of Annexure II of the Rules as the landed value of imports from China declined from 2016-17 to POI whereas the landed value of the subject goods from Vietnam increased significantly during the same.

v) Segregation of the DGCIS&S imports data done by the Applicant was wrong and misleading as Applicant had even considered secondary coils, defective et. as regular products. The price of secondary product was at least 10-15% lower than the price of the regular product. Hence, inclusion of secondary/defective product is not appropriate since inclusion would distort the injury analysis as these are comparable transactions.

w) The Respondent requested to calculate the NIP after adjusting abnormal and artificial increase in the cost on account of the following facts:

i. Increase in cost on account of increase in capacity during POI

ii. Higher allocation of common cost to the product concerned on account of significant decline in the production of non-PUC

iii. Abnormal increase in interest in wages and cost during POI

x) It was submitted that per capita utilisation of steel in 2018 in India was significantly less than that in South Korea, China, USA and EU. In such circumstances, the respondent submitted that the imposition of AD will adversely impact the interest of the user industry as well as the 'Make in India' initiative.

y) The Respondents further submitted that the Applicant have incorrectly adjusted other income and changes in inventory. The changes in inventory were already reflected in cost of goods sold. Hence, another deduction from profit before tax would result in double deduction. Whereas deduction of other income from profit before tax would be inconsistent to calculate profit/loss because 'other expense' is already recognized as 'expense' to calculate net profit. Hence, the Applicant's allegation that "POSCO's related importer got a loss based on POSCO India Holding's financial statement" is incorrect and irrational.

z) The electricity distribution companies (DISCOMS) being the ultimate purchasers of solar power have indicated that they will purchase solar power only at low prices. However, due to the impending anti-dumping duties, stakeholders will not be able to offer low tariffs to DISCOMS. Consequently, any imposition of anti-dumping duty will affect the developers and the end-consumers. As an alternative to anti-dumping duty, government may consider providing low interest loans to the Applicant. This will

prove helpful to the domestic industry by making them globally competitive as such supports are being provided by different countries to make their domestic industry globally competitive.

aa) The project developers and DISCOMS have entered into numerous power purchase agreements where power tariffs have been arrived at by reverse auction process. Import of subject goods for such projects are under shipment or yet to commence and imposition of anti-dumping duty will impact this process. Ability of developers to deliver the project at estimated cost and to offer electricity at the agreed tariff will be affected by imposition of anti-dumping duty. Imposition of anti-dumping duty will also affect the rural population using the solar power at the current tariffs, thus causing an adverse effect to rural electrification.

bb) The application fails to establish any injury which an essential condition for imposition of anti-dumping duty is. The Applicant has clubbed distinct products with different uses into a single category but has failed to provide separate injury data on each product category making it impossible to do an injury analysis.

cc) Additionally, the domestic sales of the Applicant and other manufacturers have increased in years during injury period and during the POI. Imports have also increased and the indexed profit figures in addition to the capital employed disclosed in the application show that even today the profit remains higher than the base year i.e. 2015-16.

dd) Since the sales and profit are consistently growing for Applicant and other manufacturers, it can be said that the industry is not affected by the dumped imports. Moreover, other entities constituting the domestic industry have not supported the application making it clear that the domestic industry is not suffering injury.

ee) There is no causal link between the injury and the import of PUC. Consistently growing sales for the Applicant and other manufacturers' show that the dumping is not affecting the Applicant's products and hence the injury cannot be attributed to the import of the aforementioned products. There is an absence of disclosures about installed capacity, investment and other material business decision which are important factors to assess the injury.

G.2.1.Post Disclosure Submissions made by other Interested Parties

116. The post-disclosure comments made by other interested parties are as follows:

a) There is inconsistency in the data filed in the Petition and the recorded Preliminary findings. Profitability was negative in the Petition but is positive in the preliminary findings.

b) Information has also drastically changed in the disclosure statement with regard to cost of sales, selling price, profit and loss, cash profit, capital employed, ROCE, Employment, productivity, and inventory.

c) After the imposition of duty, the imports of the product will become unviable and the availability of the subject goods in India is already a problem. Many of the stand-alone processors whose raw material is Alu-Zinc Coated Steel coils are unable to procure the material from various manufacturers in India due to an acute shortage. Such standalone processors are running their factories at 25-30% capacity and incurring losses due to non-availability.

d) Domestic industry will increase prices of PUC and this will lead to an increase in the inflationary trend of the PUC.

G.3. Examination of the Authority

117. The Authority has taken note of the submissions made by the domestic industry and other interested parties during the course of the investigation including post-disclosure submissions and has examined various parameters in accordance with the Rules after duly considering the submissions made by various interested parties.

118. With respect to the contention of interested parties that DI's NSR is higher than the NIP, the Authority notes that after due verification and examination of the data/information provided by the domestic industry, the NIP determined for the domestic industry is higher than DI's NSR.

119. The contention that the Disclosure Statement issued by the Authority is based on incorrect appreciation of facts and law is devoid of any merit. The Authority notes that the essential facts that emerged during the course of this investigation were analysed with the applicable law and corroborated with verifiable evidence to the extent deemed necessary and disclosed to the interested parties. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent considered relevant, have been examined and addressed in this final findings.

120. With regard to the inconsistencies in the domestic industry's data in the Petition and the Disclosure Statement, it is noted that the Authority has considered the domestic industry's data based on the final verified figures in the final findings.

Cumulative Assessment

121. Para (iii) of Annexure II of the Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti- dumping investigation, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:

a) Margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the import of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article; and

b) Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in the light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.

122. The Authority notes that:

a) The subject goods are being dumped into India from subject countries. The margin of dumping from each of the subject countries is more than the de minimis limits prescribed under the Rules.

b) The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of total volume of imports.

c) Cumulative assessment of the effects of imports is appropriate as the exports from the subject countries not only directly compete inter se but also with the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.

123. In view of the above, the Authority considers that it is appropriate to assess injury to the domestic industry cumulatively from imports of the subject goods from the subject countries.

124. Rule 11 of the Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, *".... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...."*.While examining the volume of dumped imports, the Authority shall consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.

125. The submissions made by the domestic industry and other interested parties during the course of investigation with regard to injury and causal link, which have been considered relevant by the Authority are examined and addressed as under:

G.3.1. Volume Effect of Dumped Imports on the Domestic Industry

(a) Assessment of Demand/Apparent Consumption

126. The Authority has taken into consideration, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian Producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

Particular	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI (Oct 17- Sep 18)
Domestic sales of Domestic industry	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	119	141	169
Domestic Sales of other producers	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	104	142	142
Import from Subject Countries	MT	18,220	34,721	1,45,805	2,09,676

Particular	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI (Oct 17- Sep 18)
Trend	Indexed	100	191	800	1,151
Import from Other Countries	MT	1,728	1,448	4,278	8,517
Trend	Indexed	100	84	248	493
Demand (MT) (Excluding Captive Consumption)	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	117	193	235
Captive consumption of Applicant	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	106	147	156
Demand (MT) (Including captive consumption of Applicant)	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	111	167	190

127. It is noted from the above table that the demand of the product concerned increased significantly (135 indexed points) from 2015-16 to POI. With the increase in demand, the domestic sales of the domestic industry increased only by 69 indexed points whereas the import quantity of the PUC from the subject countries increased significantly by 1051 indexed points during the same period. It is thus noted that almost entire increase in demand has been captured by the imports of subject goods from subject countries.

(b) Import Volumes from subject countries

128. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports from subject countries, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the import data procured from DGCI&S. The volume of imports of the subject good from the subject countries have been analysed as under:

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI (Oct 17- Sep 18)
China PR	MT	2,075	375	51,575	43,370
Trend	Indexed	100	18	2,486	2,090
Korea RP	MT	16,146	34,346	56,443	79,304
Trend	Indexed	100	213	350	491
Vietnam	MT	0	0	37,787	87,003
Trend	Indexed	-	-	100	230
Total Imports from subject countries	MT	18,220	34,721	1,45,805	2,09,676
Trend	Indexed	100	191	800	1,151
Imports from other countries	MT	1,728	1,448	4,278	8,517
Trend	Indexed	100	84	248	493
Total Imports	MT	19,948	36,169	1,50,083	2,18,193
Trend	Indexed	100	181	752	1,094

129. It is noted that dumped imports of the subject goods from the subject countries have increased in absolute terms during the POI from 18,220 MT in 2015-16 to 2,09,676 MT in POI.

(c) Subject Country Imports in relative terms

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI (Oct 17- Sep 18)
Dumped imports from subject Countries in relation to Domestic Industry's' total production	%	***	***	***	***
Range	%	0-5	5-10	15-20	25-30

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI (Oct 17- Sep 18)
Dumped imports from subject Countries in relation to Demand in India	%	***	***	***	***
Range	%	5-10	10-15	30-35	35-40

130. It is noted that the dumped imports have increased significantly in relation to production and demand in the POI as compared to the base year and previous years. Imports of PUC from subject countries have increased in relation to Domestic Industry's production from 0-5 % in 2015-16 to 25-30 % in POI whereas imports of PUC from subject countries have increased in relation to consumption in India from 5-10 % in 2015-16 to 35-40 % in POI.

(d) Market Share in Demand

131. It is noted that the market share of the subject imports in demand increased significantly in the POI as compared to base year. The market share of the domestic industry has declined significantly from 45-50% during 2015-16 to 30-35% during POI, whereas, the market share of imports from subject countries has increased from 5-10% to 35-40% during the same period. The market share of the domestic industry has been aggressively captured by the imports from subject countries.

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI (Oct 17-Sep 18)
Domestic sales of Domestic Industry	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	119	141	169
Domestic Sales of other producers	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	104	142	142
Import from Subject Countries	MT	18,220	34,721	1,45,805	2,09,676
Trend	Indexed	100	191	800	1,151
Import from Other Countries	MT	1,728	1,448	4,278	8,517
Trend	Indexed	100	84	248	493
Demand (MT) (Excluding Captive Consumption)	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	117	193	235
Captive consumption of Applicant	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	106	147	156
Demand (MT) (Including captive consumption of Applicant)	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	111	167	190
Share of Applicant	%	46	47	34	33
Range	%	45-50	45-50	30-35	30-35
Share of other Producers	%	45	40	33	27
Range	%	45-50	35-40	30-35	25-30
Share of Subject countries	%	8	13	32	38
Range	%	5-10	10-15	30-35	35-40
Share of Other countries	%	1	1	1	2
Range	%	0-5	0-5	0-5	0-5

G.3.2. Price effect of imports

Price Effect of Dumped Imports on the Domestic Industry

132. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The impact of dumped imports on the prices of the domestic industry has been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with landed price of imports of the subject goods from the subject countries.

(e) Price Undercutting

133. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, the Authority has compared landed price of imports with net sales realization of the domestic industry. While computing the net selling price of the domestic industry all taxes, rebates, discounts and commissions have been deducted and sales realization at ex works level has been determined for comparison with the landed value of the dumped imports.

Price Undercutting	Unit	China PR	Vietnam	Korea RP
Landed Value	Rs. /MT	50,918	54,828	57,121
Domestic Selling Price	Rs. /MT	***	***	***
Price Undercutting	Rs. /MT	***	***	***
Price Undercutting	% of LV	***	***	***
Price Undercutting	Range	0-10	0-10	(0-10)

134. The Authority notes that with the exception of Korea RP, the landed prices of the subject goods were below the selling price of the domestic industry showing significant price undercutting being caused by the dumped imports from other subject countries i.e. China PR and Vietnam. The Authority further notes that the price undercutting is negative from Korea RP due to the fact that exporters from Korea RP export the subject goods to India at a high price and their related party resells the subject goods at a loss. Therefore, the import price recorded in DGCI&S import data is not showcasing the actual prevailing price of Korean exporters in the Indian market.

(f) Price Suppression and Depression

135. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority considered the changes in the costs and prices over the injury period.

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI (Oct 17- Sep 18)
Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	105	123	135
Selling price	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	106	123	129
Landed Value	Rs./MT	43,053	47,963	48,444	54,886
Trend	Indexed	100	111	113	127

136. The selling price of the subject goods in the domestic market have not declined during the injury period. Thus, the domestic industry has not suffered a price depression.

137. From the above table, it is also noted that the imports of subject goods from subject countries were coming at prices above the cost of sales of the domestic industry till 2016-17. From 2017-18 onwards, the imports from subject countries have started coming into India at prices substantially lower than the cost of sales of the domestic industry. This has forced domestic industry not to increase its prices in line with increase

in cost of sales and has led to a situation where in the domestic industry has been forced to sell almost at the same level as cost of sales during POI ultimately causing adverse impact on the domestic industry.

(g) Price Underselling

138. The Authority has also examined price underselling suffered by the domestic industry on account of dumped imports from the subject countries, as follows:

Price Underselling	Unit	China PR	Vietnam	Korea RP
Landed Value	Rs. /MT	50,918	54,828	57,121
NIP	Rs. /MT	***	***	***
Injury Margin	Rs. /MT	***	***	***
Injury Margin	% of LV	***	***	***
Range	%	10-20	0-10	(0-10)

139. The non-injurious price (NIP) of the domestic industry has been determined and compared with the landed value of the subject goods (as per DGCI&S) to arrive at the extent of price underselling. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation on the basis of principles mentioned in Annexure III of the Rules. The analysis shows that during the period of investigation, the landed value of subject imports was below the non-injurious price of the domestic industry, as can be seen from the table above, demonstrating positive price underselling effect. From the aforesaid table, it is noted that price underselling from the subject countries during the POI is positive except for Korea RP. The Authority notes that the price underselling is negative from Korea RP due to the fact that exporters from Korea RP export the subject goods to India at a high price and their related party then resells the subject goods at a loss. Therefore, the import price recorded in DGCI&S import data is not showcasing the actual prevailing price of Korean Exporters in the Indian market.

G.3.3. Economic Parameters of the Domestic Industry

140. Annexure II to the Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

141. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account various facts and arguments made by the interested parties in their submissions. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below:

(i) Production, Capacity, Sales and Capacity Utilization

142. Capacity, production, sales and capacity utilization of the domestic industry over the injury period is given in the following table: -

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI (Oct 17- Sep 18)
Capacity Total	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	101	104	113
Production (PUC)	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	115	155	165
Production (NPUC)	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	116	95	92
Total Production (PUC & NPUC)	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	116	114	115

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI (Oct 17- Sep 18)
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	114	110	102
Domestic sales of Domestic Industry	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	119	141	169

143. The Authority notes that the product under consideration is jointly produced with non-PUC product and since the production facilities are common, capacity utilization has been examined by considering combined production of PUC and non-PUC.

144. It is noted from the above table that the capacity utilization of the domestic industry was improving till 2016-17 when dumped imports from subject countries were not coming in very significant quantities. However, the capacity utilization of the domestic industry has started deteriorating from 2017-18 onwards when dumped imports from subject countries started coming into India in significant quantities. It is noted that the capacity utilisation of the domestic industry has declined during POI and this decline synchronises with the significant increase in the dumped imports of subject goods from subject countries. It is also noted that the Domestic Industry has not been able to increase the sales of product concerned commensurate with the increase in demand because of the significant volume of dumped imports coming from subject countries.

(ii) Market share

145. The effects of the dumped imports on the domestic sales and the market share of the domestic industry have been examined as below:

Particular	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI (Oct 17- Sep 18)
Domestic sales of Domestic Industry	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	119	141	169
Market share of domestic industry	%	***	***	***	***
Range	%	45-50	45-50	30-35	30-35
Share of other Producers	%	***	***	***	***
Range	%	45-50	35-40	30-35	25-30
Share of Subject countries	%	8	13	32	38
Range	%	5-10	10-15	30-35	35-40
Share of Other countries	%	1%	1%	1%	2%
Range	%	0-5	0-5	0-5	0-5

146. It is noted that the market share of the domestic industry has declined significantly from 45-50% during 2015-16 to 30-35% during POI, whereas, the market share of imports from subject countries has increased from 5-10% to 35-40% during the same period.

(iii) Profitability return on investment and cash profits

147. The profitability, returns on investment (ROI) and cash profits of the domestic industry over the injury period has been analysed as follows:

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI (Oct 17- Sep 18)
Profit before Interest and Tax	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	489	258	(338)
Profit before Interest and Tax	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	582	363	(572)

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI (Oct 17- Sep 18)
Cash Profit (Loss)	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	1,039	476	(962)
Cash Profit (Loss)	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	1,238	669	(1630)
Capital Employed	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	113	106	130
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	518	342	(440)
Average stock	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	111	235	256

148. From the above table, it is noted that the profitability of domestic industry has been adversely affected due to intensified dumping by exporters from subject countries. It is further noted that profitability of domestic industry has significantly declined during the POI.

149. Similarly, cash profits of the domestic industry have reduced significantly.

150. It is also noted that ROCE during injury period has significantly declined after 2016-17 and has become negative during the POI.

(iv) Employment, productivity and wages

151. Employment, productivity and wages of Domestic Industry over the injury period is given in the table below.

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI (Oct 17- Sep 18)
Employment - DI	Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	101	101	108
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	143	148
Productivity per employee	MT/Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	113	153	153
Productivity per day	Mt/Day	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	105	143	152

152. Since the domestic industry does not have dedicated employment for the product under consideration, situation of the domestic industry with regard to employment and wages was examined by considering information for the company for all operations. It is noted that the Productivity per day and productivity per employee of the domestic industry remained almost constant with little change throughout the injury investigation period and during the POI.

(v) Inventories

153. Inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI (Oct 17- Sep 18)
Average stock	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	111	235	256

154. It is noted from the above table that the average stock during POI has increased as compared to the base year as well as the previous year. It is further noted that the market share of the Domestic Industry has come down and the increased demand has been significantly captured by dumped imports. As a result, the domestic industry is having significant accumulated inventories.

(vi) Growth

155. The Authority notes that growth of the domestic industry with regard to capacity utilization, profits, return on investment has been negative during 2017-18 and the period of investigation as can be seen from the table below. The domestic sales have shown positive growth.

Particulars (Year on Year)	2015-16	2016-17	2017-18	POI (Oct 17- Sep 18)
Production		15%	35%	6%
Capacity Utilization		12%	-4%	-6%
Domestic Sales		19%	18%	20%
PBIT (Rs/MT)		389%	-47%	-231%
PBIT (Rs. Lakhs)		482%	-38%	-257%
Return on investment		5%	-2%	-10%

(vii)Magnitude of dumping margin

156. Magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the dumped imports can cause injury to the domestic industry. The data shows that the dumping margin determined for the subject countries are above de minimis and significant. The Authority has determined that the dumping margin of the cooperating exporters is significant during the POI.

(viii)Ability to Raise Capital Investments

157. The Authority notes that given the rising demand of the product in the country, the domestic industry has made significant investments in plant and machinery. However, despite these investments, the performance of the domestic industry has deteriorated considerably and dumping of the product under consideration may adversely impact the ability of the domestic industry to raise capital investment.

(ix)Factors affecting domestic prices

158. Considering the import prices from subject countries, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market, it can be seen that the landed value of imported material from subject countries is significantly below the selling price of the domestic industry, causing significant price undercutting in the Indian market. The domestic industry contended that benchmark for the domestic prices are the import prices from subject countries. It is also noted that the demand for the subject goods was showing significant increase during the injury period including the POI and therefore it could not have been a factor affecting domestic prices. Thus, it can be concluded that the principal factor affecting the domestic prices is the dumped imports of subject goods from subject countries.

G.3.4. Injury Margin

159. The Authority has determined Non-Injurious Price (NIP) for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The NIP of the domestic industry has been worked out and it has been compared with the landed price (LP) from each of the subject countries for calculating injury margin (IM). In line with the determination of dumping margins, the injury margin has also been determined for the related companies together taking them as one entity.

160. As mentioned in the dumping margin analysis in this Findings, it is noted from the response filed by some of the producers and exporters from Korea RP that their wholly owned Indian subsidiaries in India have incurred a loss during the sale of the subject goods imported from their parent companies through different trading channels. As their sales price of subject goods are lower than their purchase price which included import prices and SGA of the Indian subsidiaries, suitable adjustment has been made from their landed price.

Country of origin and/or Export	Name of Producer	NIP (USD Per MT)	Landed Value (USD per MT)	IM(USD)	IM (%)	IM range
Korea RP	POSCO	***	***	***	***	0-20
Korea RP	POSCO Coated & Color Steel Co.,	***	***	***	***	0-20

Country of origin and/or Export	Name of Producer	NIP (USD Per MT)	Landed Value (USD per MT)	IM(USD)	IM (%)	IM range
	Ltd.					
Korea RP	POSCO Group	***	***	***	***	0-20
Korea RP	Dongkuk Steel Mill Co., Ltd.	***	***	***	***	0-20
Korea RP	Dongbu Steel Co., Ltd.	***	***	***	***	0-20
Korea RP	Any other producer and exporter	***	***	***	***	0-20
Vietnam	Tay Nam Steel Manufacturing & Trading Co., Ltd.	***	***	***	***	0-20
Vietnam	Ton Dong A Corporation	***	***	***	***	0-20
Vietnam	HoaSen Group	***	***	***	***	0-20
Vietnam	Nam Kim Steel Joint Stock Company	***	***	***	***	0-20
Vietnam	Any other producer and exporter	***	***	***	***	20-40
China PR	Zhejiang Huada New Materials Co., Ltd.	***	***	***	***	0-20
China PR	Any other producer and exporter	***	***	***	***	0-20

G.3. 5.Non-Attribution Analysis

161. As per the Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the domestic industry.

(i) Volume and price of imports from third countries

162. The imports from countries other than the subject countries are not significant in volume terms so as to cause or threaten to cause injury to the Domestic Industry. Imports from other countries accounted for less than 5% in total imports and 1% of total demand/consumption in India. Thus, it cannot be said that imports from other countries are causing injury.

(ii) Export Performance

163. It is noted that the injury information examined by the Authority is for domestic operations and therefore possible changes in exports volume have not caused injury to the Domestic Industry.

(iii) Development of Technology

164. None of the interested parties have furnished any evidence to demonstrate significant changes in the technologythat could have caused injury to the domestic industry. It is further noted that technology for production of the product concerned has not undergone any change. Thus, development in technology is not a factor causing injury to the domestic injury.

(iv) Performance of other products of the company

165. The Authority notes that the performance of other products being produced and sold by the Domestic Industry does not appear to be a possible cause of injury to the domestic industry.

(v) Trade Restrictive Practices and Competition between the Foreign and Domestic producers

166. The import of the subject goods is not restricted in any manner and the same are freely importable in the country. No evidence has been submitted by any interested party to suggest that the conditions of competition between the foreign and the domestic producers have undergone any change.

(vi) Productivity of the Domestic Industry

167. It is noted that the productivity of the domestic industry in terms of production per employee as well as production per day has marginally increased over the period.

(vii) Contraction in Demand and Changes in pattern of consumption

168. It is noted that the demand of the subject goods has increased consistently over the entire injury period. Thus, it can be concluded that the injury to the Domestic industry was not due to contraction in demand.

G.3.6. **Conclusion** by the Authority on injury and causal link.

169. It is thus noted that listed known other factors do not show that the domestic industry could have suffered injury due to these other factors. The Authority examined whether the dumping of the product has caused injury to the domestic industry. The following parameters show that injury to the domestic industry has been caused by dumped imports:

170. Imports of the subject goods from the subject countries have increased in absolute terms over the entire period of investigation. Imports of the subject goods have increased relative to production and consumption in India.

171. The domestic industry has not been able to increase its production and sales commensurate with the increase in demand.

172. Market share of the Domestic Industry has decreased from 2015-16 to POI even though demand for the subject goods has been rising in India during the same period. This is due to the reason that imports have aggressively captured the increase in demand.

173. The imports of subject goods from subject countries are significantly undercutting the prices of the domestic industry in the market. Resultantly, the domestic industry has been forced to reduce its prices significantly. The price suppression suffered by the domestic industry is primarily because of dumping of the product under consideration in the Country.

174. The domestic industry has been forced to reduce its prices even below cost of production causing financial losses. The price suppression caused by the dumped imports from subject countries has thus resulted in significant deterioration in profits of the domestic industry.

175. Performance of the domestic industry with regard to profits, cash flow and return on investments deteriorated as a result of price suppression. Thus, dumping of the product has led to deterioration in performance of the domestic industry in terms of profits, cash flow and return on investments.

176. It is therefore concluded that the domestic industry suffered material injury due to dumped imports.

H. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

177. The Authority recognizes that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods.

178. The Authority notes that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the end user. The end user could still maintain two or even more sources of supply. The purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not affect the availability of the subject goods to the consumers.

I. CONCLUSION

179. Having regard to the contentions raised, information provided, and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority as recorded in this final findings and on the basis of the above analysis, the Authority concludes that:

a) The product under consideration has been exported to India from subject countries below its associated normal value, thus resulting in dumping.

b) The domestic industry has suffered material injury due to dumping of the product under consideration from the subject countries.

c) The material injury has been caused by the dumped imports from the subject countries.

J. RECOMMENDATION

180. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal links. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal links in terms of the provisions laid down under the Rules and having established positive dumping margin as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of definitive anti-dumping duty is required to offset dumping and injury. The Authority, therefore, considers it necessary and recommends imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries in the form and manner described hereunder from the date of issue of the notification of imposition of provisional duty by the Central Government vide Notification No.40/2019-Customs (ADD) dated 15th October 2019.

181. Having regard to the lesser duty rule prescribed by law, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, anti-dumping duty equal to the amount mentioned in Col 7 of the table below is recommended to be imposed from the date of imposition of provisional duties, on all imports of subject goods originating in or exported from subject countries.

S. No.	Heading/ Sub-Heading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Duty Amount	Currency	Unit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	7210, 7212, 7225 and 7226*	Flat rolled product of steel plated or coated with alloy of Aluminum and Zinc**	Korea RP	Any country including Korea RP	Dongkuk Steel Mill Co., Ltd.	14.30	US$	MT
2.	Do	Do	Korea RP	Any country including Korea RP	POSCO	56.96	US$	MT
3.	Do	Do	Korea RP	Any country including Korea RP	POSCO Coated & Color Steel Co., Ltd.	56.96	US$	MT
4.	Do	Do	Korea RP	Any country including Korea RP	Dongbu Steel Co., Ltd.	13.07	US$	MT
5.	Do	Do	Korea RP	Any country including Korea RP	Any other producer other than serial no. 1, 2, 3, and 4	84.47	US$	MT
6.	Do	Do	Any country other than Korea RP, Vietnam,	Korea RP	Any	84.47	US$	MT

S. No.	Heading/ Sub-Heading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Duty Amount	Currency	Unit
			China PR					
7.	Do	Do	Vietnam	Any other country including Vietnam	Ton Dong A Corporation	23.63	US$	MT
8.	Do	Do	Vietnam	Any other country including Vietnam	Hoa Sen Group	46.87	US$	MT
9	Do	Do	Vietnam	Any other country including Vietnam	Tay Nam Steel Manufacturing & Trading Co., Ltd	48.96	US$	MT
10.	Do	Do	Vietnam	Any other country including Vietnam	Nam Kim Steel Joint Company	81.30	US$	MT
11	Do	Do	Vietnam	Any country including Vietnam	Any other producer other than serial no. 7, 8, 9, 10	173.10	US$	MT
12	Do	Do	Any country excluding Korea RP, Vietnam, China PR	Vietnam	Any	173.10	US$	MT
13	Do	Do	China PR	Any country including China PR	Zhejiang Huada New Materials Co., Ltd.	56.48	US$	MT
14	Do	Do	China PR	Any country including China PR	Any other producer other than Zheijiang Huada New Materials Co., Ltd.	128.93	US$	MT
15	Do	Do	Any country excluding China PR, Korea PR, Vietnam	China PR	Any	128.93	US$	MT

**Custom classification is only indicative, and the determination of the duty shall be made as per the description of PUC. The PUC mentioned above should be subject to above ADD even when it is imported under any other HS code*

***Flat rolled product of steel, plated or coated with alloy of Aluminum and Zinc. This alloy of Aluminum and Zinc may contain one or more additional elements which in individual or in combination shall not exceed 3% by weight.*

Product under consideration as mentioned in column no 3 of the above table does not include the following products: -

- *Flat rolled steel products coated with Zinc without addition of Aluminum;*
- *Flat rolled steel products coated with Aluminum without addition of Zinc;*

• *Pre-painted or color coated Aluminum Zinc alloy coated steel sheets (Pre-coated SGL sheets).*

K.FURTHER PROCEDURE

182. Subject to the above, the Preliminary Findings notified on 15th July 2019 is hereby confirmed.

183. An appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.02.26 14:57:00 +05'30'